UGC Care Listed Journal

ISSN:2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

संयुक्तांक 70-71

अप्रैल-जून एवं जुलाई- सितंबर,2021

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषांक)

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-70-71 संयुक्तांक

अप्रैल-जून एवं जुलाई- सितंबर, 2021

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विशेषांक)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

ज्ञान गरिमा सिंधु "मानविकी और सामाजिक विज्ञान" की एक त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य है- हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालयी एवं अन्य छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य-पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोधालेख, तकनीकी निबंध, शब्द संग्रह, शब्दावली-चर्चा, पुस्तक समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखक के लिए निर्देश-

1. लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रमाणिक होनी चाहिए।
2. लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंधित होना चाहिए।
3. लेख सरल हो ताकि विद्यालय/ महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें ।
4. लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो। कृपया टाइप किया हुआ लेख भेजें जिसके दोनों तरफ हाशिया भी छोड़े।
5. प्रकाशन हेतु भेजे गए लेख के साथ उसका सार भी हिंदी में अवश्य भेजें। लेख में आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त तकनीकी/ वैज्ञानिक हिंदी शब्द का मूल अंग्रेजी पर्याय भी आवश्यकतानुसार कोष्ठक में दें।
6. श्वेत-श्याम या रंगीन फोटोग्राफ स्वीकार्य है।
7. लेख के प्रकाशन के संबंध में संपादक का निर्णय ही अंतिम होगा।
8. लेखों की स्वीकृति के संबंध में पत्र-व्यवहार का कोई प्रावधान नहीं है। अस्वीकृत लेख वापस नहीं भेजे जाएंगे। अतः लेखक कृपया टिकट लगा लिफाफा साथ न भेजें।
9. प्रकाशित लेखों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर आयोग के नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। भुगतान लेख के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा।
10. कृपया लेख की दो प्रतियां निम्न पते पर भेजें:

    संपादक, ज्ञान गरिमा सिंधु,
    वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
    पश्चिमी खंड -7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली- 110066.
11. समीक्षा हेतु कृपया पुस्तक/ पत्रिका की दो प्रतियां भेजें।

पत्रिका का शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
सामान्य ग्राहकों / संस्थाओ के लिए प्रति अंक	रु. 14.00	पौंड 1.64 डॉलर 4.84
वार्षिक चंदा	रु. 50.00	पौंड 5.83 डॉलर 18
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	रु. 8.00	पौंड 0.93 डॉलर 10.80
वार्षिक चंदा	रु. 30	पौंड 3.50 डॉलर 2.88

वेबसाइट: http://www.cstt.education.gov.in कॉपीराइट: 2021 प्रकाशक: वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम नई दिल्ली - 110066	बिक्री हेतु पत्र व्यवहार का पता: प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड 7, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली - 110066 टेलीफोन 011- 20867172	बिक्री स्थान: प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, सिविल लाइंस, दिल्ली- 1100054 फेक्स : 011 - 26105211/246

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक-मंडल की इनसे सहमति आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से....

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी, उच्चतर शिक्षा एवं मानविकी आदि से संबद्ध क्षेत्रों में तैयार की गई शब्दावली का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु `ज्ञान गरिमा सिंधु' पत्रिका का प्रकाशन करता आया है। आयोग द्वारा समय-समय पर इस पत्रिका के कुछ विषय-केंद्रित विशेषांकों का प्रकाशन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में अंक-70-71 संयुक्तांक अप्रैल-जून एवं जुलाई-सितम्बर-2021 का 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' विशेषांक अपने सुधी पाठकों एवं लेखकों को उपलब्ध कराते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है| यह अंक भारत की नवीन शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न आयामों, इसके चिंतन, दर्शन और समसामयिक विश्व-फलक पर इसकी प्रासंगिकता पर केन्द्रित है|

पत्र-पत्रिकाएँ न केवल संस्था-विशेष के ज्ञान एवं वैशिष्ट्य का परिचायक होती हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण नीति-निर्माण, अनुसंधानों तथा शोध-कार्यों का एक समेकित व जनोपयोगी सार्थक मंच भी प्रस्तुत करती हैं। अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के समानांतर ही`ज्ञान गरिमा सिंधु' का उद्देश्य भी मूलतः हिंदी में मानविकी विषयक लेखन को प्रचारित-प्रसारित करना है, जिसका कार्यान्वयन व अनुपालन पत्रिका अपने प्रत्येक अंक में करती रही है। ऐसे विशेषांकों के कारण एक ही विषय पर वैविध्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर पाठकों को संबधित क्षेत्रों में हो रहे नवीनतम नीति-नियमन, अनुसंधानों एवं शोध की अद्यतन जानकारी एक ही स्थल पर उनकी भाषा में उपलब्ध हो जाती है। पत्रिका का यह अंक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण व संग्रहणीय है। देश भर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर चिंतन-मनन करने वाले विभिन्न मनीषियों ने विविध-विषयक सारगर्भित आलेख तैयार प्रस्तुत अंक में संकलित हैं।

यह महत्वपूर्ण अंक आपको समर्पित करते हुए मैं देश के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थानों के अध्यापकों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे आयोग के विशेषज्ञ विद्वानों के सहयोग से तैयार की गई प्रामाणिक व मानक शब्दावली के अधिकाधिक प्रयोग के माध्यम से इसे सर्वजन-सुलभ बनाने में अपना सार्थक योगदान दें ।

प्राप्त आलेखों को सम्पादित कर प्रकाशन योग्य तैयार करने का उत्तरदायित्व डॉ.शाहजाद अहमद अंसारी ने बड़े सौजन्य और मनोयोग से निभाया है। मैं इस पत्रिका के परामर्श एवं संपादन-समिति के प्रत्येक विशेषज्ञ तथा संपादक डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस विशेषांक के लेखकों को भी साधुवाद देता हूँ। सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों एवं सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

प्रो. गिरीशनाथ झा

अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

संपादकीय

`ज्ञान गरिमा सिंधु' का संयुक्तांक 70-71 वाँ अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। यह अंक स्वयं में विशिष्ट है | भारतभूमि चिरकाल से ज्ञान-विज्ञान की विविध धाराओं की जननी रही है, विश्व भर को हमने अपने वांङमय एवं प्रज्ञा से अनुप्राणित किया है | प्रस्तुत अंक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' पर आधारित विशेषांक है, जिसमें देश की नवीनतम शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर सम्यक प्रकाश डालने के उद्देश्य से बहुविषयक आलेखों को समाहित किया गया है।

विशेषांक हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न आयामों को व्याख्यायित करने वाले आलेखों का चयन किया गया है| संकलित आलेखों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में इसके सार्वभौम लक्ष्य, ग्रंथालयों की उपयोगिता एवं उनके भविष्य की रणनीति, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित नवीन प्रयोगों, भाषाई सरोकार एवं भारतीय भाषाओँ के संवर्द्धन, संवैधानिक सन्दर्भों, शिक्षा नीति पर केन्द्रित अकादमिक बहस, उच्च शिक्षा क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीयकरण, डिजिटल विभेदीकरण तथा स्कूल ड्रॉपआउट की समस्या का समाधान सरीखे विषयों पर विद्वानों द्वारा प्राप्त सारगर्भित लेख इस अंक हेतु चुने गए हैं| अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एवं उनसे 'ज्ञान गरिमा सिन्धु के ' राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' पर प्राप्त आलेखों का मूल्यांकन-कार्य के संयोजन एवं इसके सम्पादन का अवसर मिला | यद्यपि बहुत कम समय में इसका मूल्यांकन तथा सम्पादन वास्तव में कठिन कार्य था, तथापि नित्यप्रति के प्रयासों और विशेषज्ञ-समिति के सहयोग से आलेखों का मूल्यांकन, सम्पादन एवं प्रूफ-शोधन प्रारंभ हुआ | प्राप्त कुल चालीस आलेखों में से सम्पादित एवं चयनित कर इस अंक हेतु इकत्तीस आलेख विषयानुसार क्रमवार रखे गए हैं ताकि विषय की समेकित समझ बन सके।

मैं सभी लेखकों एवं परामर्श- संपादन समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनके मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से यह कार्य नियत समय पर निष्पादित हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि`राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' पाठकों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी साबित होगा। विद्वत समाज और सुधी पाठकों के सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी।

डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी
सहायक निदेशक (विषय)
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

परामर्श एवं संपादन मंडल

प्रधान संपादक

प्रो. गिरीशनाथ झा

अध्यक्ष

संपादक

डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी

सहायक निदेशक (विषय)

संपादन समिति

प्रो. कुमुद शर्मा
हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

प्रो. पवन कुमार शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ (उ. प्र.)

प्रो. राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह
विश्वविद्यालय
मेरठ (उ. प्र.)

प्रो. नावेद जमाल
राजनीति विज्ञान विभाग
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली

प्रो. प्रवीण कुमार झा
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद भगत सिंह महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ. शिवानी जॉर्ज
एसोसिएट प्रोफ़ेसर
हिंदी विभाग
श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला
महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	आलेख शीर्षक	लेखक	पृ. सं.
1.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 और समावेशीकरण का सार्वभौमिक लक्ष्य	डॉ.नरेन्द्र कुमार आर्य	1
2.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ग्रंथालय : निहितार्थ और भविष्य की रणनीतियाँ	आदित्य कुमार राय	10
3.	नए प्रयोगों व परिवर्तनों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था विकास की ओर: नयी शिक्षा नीति (2020)	डॉ. आमना मिर्ज़ा, राजेश ओ.पी.सिंह	16
4.	नई शिक्षा नीति में भाषा	डा. बी.डी. बारहठ	21
5.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : चुनौतियाँ एवं सुझाव	डॉ. दिनेश कुमार गहलोत	24
6.	नयी शिक्षा नीति का संवैधानिक संदर्भ: एक विश्लेषण	डॉ.अखलाख अहमद	31
7.	शिक्षा नीति में बदलाव, नए भारत की शुरूआत	डॉ. मोहन लाल जाखड़	38
8.	भारत में नई शिक्षा का विकास : प्राचीनकाल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक	प्रो. ममता चंद्रशेखर	47
9.	अकादमिक ब़हस के आईने में भारतीय शिक्षा नीति 2020	पंकज कुमार झा, प्रवीण कुमार झा	54
10.	नई शिक्षा नीति का तुलनात्मक अध्ययन	आबिदा बानो, डॉ. एस.आर.टी.पी. सुगुनकराराजु, शाईस्ता	63
11.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संभावनाएं और चुनौतियां	शांतेष कुमार सिंह	74
12.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीयकरण	डॉ. स्वाति सुचरिता नन्दा, गौरव प्रताप राव	85
13.	नई शिक्षा नीति : सशक्त भारत की परिकल्पना	शुभम जायसवाल, अभिजीत कुमार मल्ल	94
14.	नई शिक्षा नीति 2020 एवं राजनीति विज्ञान में परिभाषिक शब्दावलियों की उभरती प्रासंगिकता	प्रो. नावेद जमाल	101
15.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) : डिजिटल विभेदीकरण व	डॉ. नाज़िया खान,	109

	स्कूल ड्रॉपआउट समाधान की संभावनाएं	शुभम जायसवाल, नीतीश कुमार	
16.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : दृष्टि, लक्ष्य, सम्भावनाएँ व चुनौतियाँ	प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी	118
17.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाषाई सरोकार	डॉ. अनुशब्द	129
18.	समावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020	डॉ. जाहिदुल दीवान	137
19.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दार्शनिक आयाम: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. धनंजय यादव	145
20.	प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति एवं नई शिक्षा नीति में उसकी उपादेयता	डॉ भरत देवड़ा	151
21.	प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकायः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के विशेष संदर्भ में	डॉ. नरेश कुमार सिंह	167
22.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : नीतियों एवं अपेक्षाओं का विश्लेषण	डॉ. संगीता	178
23.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 और व्यावसायिक शिक्षा: आपदा प्रबंधन के विशेष सन्दर्भ में	डॉ. संजय शर्मा	190
24.	उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तन्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020	प्रो. सोनाली सिंह	200
25.	उच्चतर शिक्षा का विनियमन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020	प्रो. राजेंद्र कुमार पाण्डेय, डॉ. मनोज कुमार शुक्ल	209
26.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पूर्वोत्तर भारत: अवसर एवं चुनौतियाँ	डॉ. अमित कुमार गुप्ता, डॉ. प्रदीप त्रिपाठी	219
27.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा का महत्व	अरहमा ख़ान	228
28.	समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक अध्ययन	डॉ. सुमन मौर्य	235
29.	नई शिक्षा नीति का समावेशी स्वरूप : समाजशास्त्रीय समीक्षा	आकांक्षा वर्मा, आबिदा बानो, डॉ. अनीता भारती	245
30.	भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020	मंजू चतुर्वेदी	254
31.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय भाषाओं के परिपेक्ष्य में	शिवानी जॉर्ज	264

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

1.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 और समावेशीकरण का सार्वभौमिक लक्ष्य

डॉ.नरेन्द्र कुमार आर्य,
सह-आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार

इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशीकरण के प्रक्रियात्मक पहलू की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 मेंअंगीकार किए गए 'सतत विकास लक्ष्य' (एस.डी.जी)के संदर्भ में संकल्पनात्मक अनुसंधान की चेष्टा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत उस दस्तावेज़ में शिक्षा को वैश्विक लक्ष्य- 4 के रूप में स्वीकार किया गया था। शिक्षा विकसित समाज के सबसे मूलभूत तत्वों में से है और संभवत: इसीलिए वैश्विक मानव समाज के द्वारा इसे इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है। एस.डी.जी-4 का पूरा शीर्षक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" रखा गया है। इसमें शिक्षा के तीन पक्षों पर विशेष ज़ोर दिया गया है – शिक्षा समावेशी हो, गुणवत्तापरक हो और साथ ही साथ आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने वाली हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा दर्शन और विचार में महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तनों की हिमायती है। प्रस्तुत शोध-पत्र समावेशीकरण के पहलू की दस्तावेज़ों के माध्यम से जांच-पड़ताल करने का प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगभग 66 पृष्ठों का चार भागों में विभाजित दस्तावेज़ है – 'स्कूल शिक्षा','उच्चतर शिक्षा','अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे' और 'क्रियान्वयन की रणनीति'। यह "समतामूलक और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम" (पृष्ठ -38) व "उच्च शिक्षा में समता और समावेशीकरण" (पृष्ठ-66) जैसे अध्यायों का ज़िक्र काफ़ी स्पष्टता के साथ करती है। निश्चित ही यह वैश्विक लक्ष्य-4 के अनुरूप ही समता और समावेशी शिक्षा की हमारी राष्ट्रीय सोच को दर्शाता है । वर्तमान सरकार ने लगभग 35 साल पुरानी पड़ चुकी शिक्षा नीति को बदला है क्योंकि विगत वर्षों में दुनिया में तमाम तरह के परिवर्तन हुए हैं और माना जाता है कि शिक्षा परिवर्तनों से उद्भूत चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने शिक्षा के मुद्रित और लिखित सामग्री को विभिन्न संदर्भों में व्याख्या करने, समझ सकने, संवाद कर सकने और व्यवहारिक गणना कर सकने की उपयोग क्षमता के रूप में परिभाषित किया है।[1] साक्षरता की निरंतरता में शामिल व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने ज्ञान और क्षमता को विकसित करने और

अपने समुदाय और व्यापक समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सीखने में सक्षम बनाना।" आर्थिक विषमताएं, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और तकनीकी बाधाएं भारत में निरक्षरता को जन्म देती हैं।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत विविधताओं और असंगतियों वाला देश है और इसका प्रभाव प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी जगह देखा जा सकता है। हमारे यहाँ न सिर्फ़ राजनीतिक–भौगोलिक, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक व सामाजिक विभिन्नता भी कई रूपों और कई स्तरों पर मौज़ूद है। प्रादेशिक और आर्थिक-राजनीतिक इकाइयों, यथा - राज्यों के विकास और आर्थिक सफलता और विफलता में भी इसे देखा जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई) अधिनियम, 2009 के माध्यम से पहली बार संवैधानिक दर्शन के अनुरूप देश के बच्चों हेतु मुफ्त और एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी ताकि शिक्षा में असमानता और विविधता के अनचाहे परिणामों का उन्मूलन कर सैद्धांतिक एकरूपता स्थापित की जा सके। 92 फीसदी सरकारी स्कूलों में अभी तक आरटीई एक्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।[2] समावेशीकरण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार सरकारी स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण में सुधार के लिए छात्रों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने जैसे प्रयास करती रही है। सरकार द्वारा 1995 में मध्याह्न भोजन योजना भी शुरू की गई थी।

जैसा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है, मातृभाषा में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बच्चे की अधिगम क्षमता में सुधार कर सकती है, छात्रों की भागीदारी बढ़ा सकती है और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम कर सकती है। इस तथ्य की पुष्टि इंडियास्पेंड द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण के विश्लेषण से भी होती है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि इसके लिए नई पुस्तकों, नए शिक्षक प्रशिक्षण और अधिक धन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, भारत में भाषाओं और बोलियों की बहुलता भी इस दृष्टि से एक चुनौती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा पाँच तक अनिवार्य रूप से, जबकि अधिमानतः आठवीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा में रखने की बात करती है। इससे विद्यार्थी कक्षा में सहज ढंग से व्यवहार करेगा और उसकी उपस्थिति और सीखने के परिणामों में सुधार होने की संभावना बढ़ेगी, नई भाषाएँ सीखने की क्षमता में सुधार होगा। दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि मातृभाषा में शिक्षण भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा छोड़ने की प्रवृति को भी कम करता है। समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल सिद्ध हो सकता है। ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे भाषा विशेषज्ञ लोकनाथ पांडा का मानना है कि "प्राथमिक स्तर पर उचित संवाद-प्रेषण सुनिश्चित करने से आदिवासी छात्रों के बेहतर प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है"। भाषा की बाधा पर काबू पाने से गोंड, भील, संथाल और अन्य आदिवासी समूह में उनकी मातृभाषा में शिक्षित करने के आशाजनक परिणाम आए हैं और आदिवासी बच्चे इस तरह के अभिनव कार्यक्रमों में अच्छी शिरकत कर रहे हैं।[3]

उच्च शिक्षा समावेशीकरण की समस्या से भी जूझ रही है। उच्च शिक्षा निम्न शिक्षा के ढांचे से जुड़ी होती है और प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर मौजूद समस्याएँ उच्च शिक्षा तक पहुँचते – पहुँचते गंभीर रूप ले लेती हैं, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है - गुणवत्ता में यथोचित प्रतिमानों की उपलब्धता का अभाव। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और अमेरिका के बाद छात्रों के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। यदि हम भविष्य में ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए भारत को दुनिया की बेहतरीन और वृहद उच्च शिक्षा संरचना को विकसित करना होगा जहां संस्थानों के बीच मूलभूत संरचना और गुणवत्ता के बीच बहुत ही कम अंतर हो। 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 8.15% (6.8 मिलियन) भारतीय स्नातक हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली के 24.65% और 22.56% व्यक्ति जबकि बिहार के मात्र 1% प्रतिशत से भी कम लोग उच्च शिक्षा में नामांकित हैं तथा 18-23 वर्ष आयु वर्ग के बीच उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात लगभग 14.9% है जो 2016-17 के राष्ट्रीय औसत 25.2 प्रतिशत से काफ़ी कम है।

वर्ष 2000 के बाद भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ है और एक दशक में लगभग 20,000 महाविद्यालय और 8 मिलियन से अधिक छात्र इस प्रणाली से जुड़े। वर्ष 2020 तक, भारत में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिनमें 402 राज्य विश्वविद्यालय, 125 मानद विश्वविद्यालय, 334 निजी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आई.आई.टी, आई.आई.एस.ई.आर और एन.आई.टी जैसे 155 संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 50000 से ज़्यादा महाविद्यालय भी कार्यरत हैं। इन संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं और अकादमिक गुणवत्ता में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ज्यादातर महाविद्यालय पूर्वस्नातक स्तर के कार्यक्रम ही चलाते हैं। केवल 34.9% महाविद्यालय स्नातकोत्तर तथा 2.5% महाविद्यालय ही पीएच.डी. अनुसंधान की सुविधा सम्पन्न हैं।[4]

भारत ने पिछले दो दशकों में अपने उच्च शिक्षा क्षेत्र में नामांकन में चार गुना वृद्धि दर्ज़ की है। उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एच.ई) रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर) 26.3% है जो 2020 तक 32% जी.ई.आर तक पहुँच सकता है।[5] यदि चंडीगढ़ के लिए सकल जी.ई.आर अधिकतम 57.6 % है तो सबसे कम दमन व दीव के लिए 5.7% और लक्षद्वीप के लिए 7.1% है। [6]

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में छात्र-शिक्षक अनुपात 39:1 है जो राष्ट्रीय औसत 16:1 से काफी अधिक है। विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों और स्थानीय निकायों में विशेष रूप से उच्च अनुपात क्रमशः 47:1 और 63:1 है।[7] 19.2 मिलियन पुरुष और 18.2 मिलियन महिलाओं के साथ उच्च शिक्षा में कुल 37.4 मिलियन नामांकन होने का अनुमान है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 48.6% है। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर) 26.3% है, जिसकी गणना 18-23 वर्ष आयु समूह.के आधार पर की जाती है । आश्चर्यजनक

रूप से महिला और पुरुष साक्षारता में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद पुरुष (26.3%) और महिला (26.4%) जी.ई.आर में लगभग समानता दिखाई देती है। अनुसूचित जातियों के जी.ई.आर 23% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 17.2% व राष्ट्रीय औसत से कम ही है ।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में अंत:अनुशासनिक उच्च शिक्षा पर ज़ोर देते हुए प्रो. कस्तूरीरंगन ने कहा "चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का नेतृत्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, बहु-विषयक शिक्षा महत्वपूर्ण है। यहां तक कि आई.आई.टी जैसे इंजीनियरिंग स्कूल कला और मानविकी के साथ अधिक समग्र बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे; जबकि कला और मानविकी के छात्रों को विज्ञान सीखने की आवश्यकता अधिक होगी। और इसे अधिक व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट कौशल में शामिल करने के प्रयास के साथ जोड़ा जाएगा।"[8]

गरीबी और शिक्षा का अंतर्संबंध

भारत में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने और पिछले कई वर्षों में प्रभावशाली विकास दर के बावजूद (10% के आस-पास), इस आर्थिक विकास का फ़ायदा भारतीय आबादी के केवल एक छोटे हिस्से को ही मिल सका। शिक्षा की कमी और गरीबी के बीच का संबंध काफी सीधा और रैखिक है। शिक्षा व्यक्ति को विकास प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाती है।[9] नतीजन,भारत में दो-तिहाई लोग या 68.8% भारतीय जनसंख्या 2 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करती है। 30% से अधिक केवल 1.25 डॉलर प्रति दिन से भी कम पर गुज़ारा करते हैं[10], उन्हें अत्यंत गरीब माना जाता है। विश्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्यू रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया है कि भारत में गरीबों की संख्या (प्रति दिन $ 2 की आय या क्रय शक्ति समानता में कम) कोरोना महामारी के कारण केवल एक वर्ष में 60 मिलियन से दोगुनी होकर 134 मिलियन हो गई है। इसका मतलब है कि भारत 45 वर्षों के बाद "सामूहिक गरीबी का देश" कहलाने की स्थिति में वापस आ गया है।[11]निश्चित रूप से ही इस विपन्नता का प्रभाव गरीबी से त्रस्त लोगों की शिक्षा प्राप्ति की संभावनाओं पर पड़ता है। हम यह भी जानते हैं कि गरीबी की हमारी समझ में बदलाव आया है और यह वास्तव में बहुपक्षीय होती है।

एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, 64 देशों में, सबसे अधिक गरीब बच्चों की बचपन में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने की संभावना सबसे अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में सात गुणा कम थी। यूनिसेफ ने 2019 में जारी एक रिपोर्ट में चेताया है कि भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें प्री-प्राइमरी (पूर्व-प्राथमिक) शिक्षा के लिए नामांकित किया जाना था बेहद निराशाजनक है, क्योंकि इस आयु वर्ग का 5 में से केवल 1 छोटा बच्चा ही प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए नामांकित है।[12] इस मामले में भारत म्यांमार , बांग्लादेश, कंबोडिया, यमन, सीरिया और सऊदी अरब जैसे वैश्विक रूप से सबसे पिछड़े राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल है। शिक्षा में समावेशीकरण एक बड़ा मुद्दा या चुनौती है, साथ ही साथ गुणवत्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण दबाब है। भारत में ऐसे बच्चों की अच्छी ख़ासी संख्या है

जो उन 610 मिलियन बच्चों की श्रेणी में आते हैं, जो कई वर्षों की प्राथमिक शिक्षा के बावजूद न तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना साधारण हिसाब-किताब या गणना कर सकते हैं।[13] इसका प्रमुख कारण है पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के पक्ष की अनदेखी या उपेक्षा। इसी तरह एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्न और उच्च माध्यमिक शिक्षा में लगे हुए शिक्षकों में से सिर्फ़ 75% और 76.2% क्रमश: ही न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करते हैं, जो वैश्विक प्रतिमान से काफी कम तो है ही, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।[14]नई राष्ट्रीय नीति को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए ऐसी चुनौतियों से गंभीरता पूर्वक निपटना होगा ।

2001 की जनगणना के अनुसार देश में समग्र साक्षरता दर 64.8% थी, पुरुष साक्षरता दर 75.3% और महिला 53.7%[15] जो 2011 में बढ़ कर क्रमश: 74.0%, 82.1 % और 65.5%हो गई किन्तु पुरुष और महिला साक्षारता के बीच 16.6 प्रतिशत का बड़ा अंतर बरकरार रहा जो 2001 में 21.6 प्रतिशत था। यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उच्च साक्षरता दर दर्ज की गई है और लिंगों के बीच का अंतर कम (13 प्रतिशत) है।

लैंगिक समावेशीकरण

भारत की जनगणना के 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 9.65 करोड़ पुरुषों के मुक़ाबले 17.63 करोड़ महिलाएं अशिक्षित हैं। कुल 27.29 करोड़ निरक्षरों में महिलाओं का हिस्सा है 17.36 करोड़, अर्थात 64.60% के आस-पास। इस लैंगिक फ़र्क को पाटने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में अभिनव उपायों को अपनाने और नवीन क्रियाविधियों की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय महिलाओं में निरक्षरता की उच्च दर और साक्षरता प्राप्ति में लैंगिक अंतर कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के परिणाम हैं। लगभग चार दशक पूर्व भारत में वयस्क पुरुष साक्षरता दर वयस्क महिलाओं की तुलना में लगभग दोगुनी थी। पिछले कुछ वर्षों में यह अंतर कम होकर लगभग 17 प्रतिशत के आस -पास हो गया है।

2002 में वाचा महिला संसाधन केंद्र ने मुंबई में नगरपालिका स्कूलों में छात्राओं के शैक्षिक परिणामों के बारे में अधिक जानने के लिए शोध किया। निजी स्कूलों को तरजीह देने के फलस्वरूप नामांकन कम होने के कारण सरकारी या सार्वजनिक स्कूल बंद हो रहे थे जबकि माता-पिता बेटियों को सरकारी या सार्वजनिक स्कूलों किन्तु बेटों को निजी या अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं।[16]यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। बालिकाओं की शिक्षा में व्यवधान रोकने के लिए सार्वजनिक शिक्षा को जीवित रखना होगा। पारंपरिक भारतीय समाज में लड़कियों को सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का वाहक और विवाह के पश्चात 'दूसरे घर' में चले जाने की मानसिकता के कारण भी उनकी शिक्षा पर कम धन खर्च किए जाने की प्रवृति देखने को मिलती है। सार्वभौमिक शिक्षा के अधिकार

के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकारी या सार्वजनिक स्कूलों की देशव्यापी उपलब्धता और सभी वर्गों के लिए उसकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बजटीय पहलू पर भी ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में महिला शिक्षार्थियों का हिस्सा सबसे कम है।

जातीय समावेशीकरण

भारत में ऐसे कई जातीय घटक हैं जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और साथ ही साथ कई प्रकार के सामाजिक भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। परिणामत: शैक्षिक क्षेत्र में भी असमानता और विभेद दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 17 और 46 समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। इनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े परिवार शामिल हैं जिन्हें अनुसूचित जाति (एस.सी) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी) कहा जाता हैं। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार दलित समुदाय देश में सबसे कम साक्षर सामाजिक समूहों में से एक है, जिसमें केवल 30% दलित बच्चों को बुनियादी पढ़ने और लिखने का कौशल हासिल हैं। निरक्षरता के ये उच्च स्तर प्राथमिक शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच का परिणाम हैं। दलितों के बीच इस निम्न प्राथमिक शिक्षा दर को खत्म करने के लिए तथा सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सामाजिक जड़ता की संरचनाओं में बदलाव लाने के लिए भी प्रयास करने होंगे ताकि वे उनका यथोचित लाभ उठा सकें।

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 201.4 मिलियन थी। भारत के तीन-चौथाई से अधिक अनुसूचित जातियों के व्यक्ति अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, लगभग 50 मिलियन के करीब जबकि 150 मिलियन से अधिक अभी भी ग्रामीण भारत में रहते हैं।[17]अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 2001 में 54.7 से बढ़कर 2011 में 66.1 हो गई जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता दर 2001 में 64.8 से बढ़कर 2011 में 73.0 हो गई। साक्षरता के स्तर में वृद्धि होने के बावजूद, अभी भी अनुसूचित जाति के लोगों में गरीबी का स्तर सबसे अधिक है,रोजगार, मजदूरी और ऋण के लिए प्रमुख जातिभूमि पर निर्भर हैं। द इंडियागवर्न्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि प्राथमिक वर्ग में स्कूल छोड़ने वालों में लगभग आधे दलित हैं। आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक राज्य में कुल 290,000 ड्रॉप-आउट के मुकाबले 138,000 दलित बच्चों ने नामांकन के 2 साल के भीतर स्कूल छोड़ा, यानी 48 प्रतिशत स्कूल छोड़ने वाले दलित समुदायों से हैं। समाजशास्त्री प्रो जी.के.कारंत का मानना है कि उत्तर कर्नाटक क्षेत्र का पिछड़ापन, गरीबी और रोजगार के लिए पलायन दलितों के बीच उच्च ड्रॉप-आउट दर में योगदान करते हैं।[18] लगभग इसी तरह की निराशाजनक स्थिति उत्तर भारत के बड़े राज्यों में भी है। क्षेत्रीय, लैंगिक और जातीय बहिष्करण को रेखांकित करता एक तथ्य यह है कि बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। अनुसूचित जातियों में अशिक्षा की दुर्गति को अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों के सम्मिलित संदर्भ में देखने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के

समावेशीकरण के लक्ष्य को बिना किसी रुकावट के प्राप्त किया जा सके। इसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में साक्षरता दर 72.99% है जबकि अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर मात्र 59% है। राज्यवार आंकड़े देखने पर पता चलता है कि उत्तर-पूर्व के अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले राज्य व अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले अन्य केंद्र शासित अधिकांश राजनीतिक इकाइयों से बेहतर स्थिति में हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि आदिवासी आबादी की उच्च घनत्व वाले कुछ राज्य बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मिजोरम (91.5%), नागालैंड (80.0%), मणिपुर (77.4%) और मेघालय (74.5%) हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता की दर मिजोरम में सबसे अधिक (91.7%) और आंध्र प्रदेश में सबसे कम (49.2%) है। केंद्र शासित प्रदेशों में, अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की उच्चतम दर लक्षद्वीप (91.7%) में है। ऐसे राज्य जहां जनजातीय साक्षरता कम है, वे हैं झारखंड (57.1%), मध्य प्रदेश (50.6%), उड़ीसा (52.2%), राजस्थान (52.2%) और आंध्र प्रदेश (49.2%) । ओडिशा में अनुसूचित जनजाति की समग्र साक्षरता दर 2001 में 23.4% से बढ़कर 2011 में 41.2% हो गई। इस सुधार के बावजूद यह राष्ट्रीय औसत 47.1 प्रतिशत से कम रहा।

ग्रामीण – शहरी व क्षेत्रीय समावेशीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत के साथ, भारत शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की उम्मीद कर रहा है, लेकिन क्या शहरी-ग्रामीण विभाजन को दूर करना और सभी प्रस्तावित नीतियों को बिना किसी कमी के लागू करना आसान होगा ? साक्षरता में शहरी-ग्रामीण असमानता की प्रवृति स्वतंत्रता के समयसे ही दिखाई देती है और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी विद्यमान रहे हैं।1951 में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी-ग्रामीण साक्षरता दर के बीच का अंतर 22.49 % था जो साक्षरता में वृद्धि के साथ बढ़ा और 1971 में32.33 % हो गया। 1971 की जनगणना के बाद यह धीरे-धीरे कम हो रहा है। 2001 की जनगणना के दौरान, यह 21.18 % दर्ज किया गया था और 2011 की जनगणना में यह 16.34 % है। प्रदेशवार देखने पर यह अन्तर और भी मुखर रूप से दिखायी देता है। उदाहरण के लिए 2001 में कर्णाटक में शहरी साक्षरता 81.05.% थी तो ग्रामीण साक्षरता अत्यंत ही कम 59.68% थी। उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी का 70.61% हिस्सा साक्षर था, तो ग्रामीण आबादी का मात्र 53.68% | बिहार में यह फर्क और ज़्यादा मुखर था; जहाँ मात्र 44.42% ग्रामीण ही साक्षर थे जबकि शहरी साक्षरता 72.71%थी।

क्षेत्रीय स्तर पर भी शिक्षा की पहुँच और प्राप्ति के साथ गुणवत्ता में भी असमानता दिखाई देती है। भारत सरकार की सामाजिक,आर्थिक और जातीय जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में महज़ 15% लोग निरक्षर हैं। इनमें भी असमानता है किन्तु लक्षद्वीप में मात्र 9.3% लोग ही निरक्षर हैं जबकि पूर्वी भारत के राज्यों मसलन बिहार, उड़ीसा आदि में यह बढ़कर 39% हो जाता है। बिहार में पुरुष साक्षरता 2011 में 71.20% जबकि महिला साक्षरता 51.50% है। लैंगिक विभेद में 20% से भी अधिक का अंतर है। मिजोरम 98 प्रतिशत की वयस्क साक्षरता

दर के साथ भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है तो वहीं आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षर राज्य है, जिसकी वयस्क साक्षरता दर मात्र 61 प्रतिशत है। राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय साक्षारता दर से नीचे या आस-पास हैं जबकि इनमें देश की आबादी का बहुतायत रहता है। ग्रामीण बिहार के कुल 44% लोग अशिक्षित हैं।[19] 2011 में बिहार में ग्रामीण महिला दलितों की साक्षरता दर 38.5% और एक तरह से शेष भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर से 30 वर्ष पीछे चल रही है जो 1981 में 43.7% थी।[20]

इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की उच्च शिक्षा जी.ई.आर देश में सबसे कम 10.5% में से एक है और 19.4% के राष्ट्रीय जी.ई.आर से लगभग आधी है।[21] इस तरह की क्षेत्रीय असमानताएं न सिर्फ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि प्राथमिक व माध्यमिक के साथ-साथ लैंगिक और शहरी व ग्रामीण विभाजनों में भी देखी जा सकती हैं।

महाविद्यालय घनत्व में भी पर्याप्त असामता देखी जा सकती है । प्रति लाख योग्य जनसंख्या (आयु-वर्ग 18-23 वर्ष में जनसंख्या) पर महाविद्यालयों की संख्या के हिसाब से अखिल भारतीय औसत 28 की तुलना में बिहार में 7 कालेज हैं जबकि कर्नाटक में यह 53 तक है।[22] नामांकन के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी के मामले में महाराष्ट्र 9,48,955 के साथ विश्वविद्यालयों (घटक इकाइयों सहित) में सबसे ज़्यादा छात्रों के नामांकन में अव्वल स्थान पर है और तमिलनाडु 7,85,841 छात्र और केन्द्रशासित दिल्ली 7,66,213 छत्रों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

अगर देखा जाए तो वास्तव में भारत जैसे बड़े देश के लिए राज्य भी साक्षरता के संबंध में तथ्याधारित विश्लेषण या नीतिगत फ़ैसले लेने के लिए के लिए बड़ी इकाई है। यहाँ तक कि एक ही ज़िले के कई प्रखंडों तक में सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएँ होने के कारण साक्षरता प्रतिरूपों में अन्तर देखने को मिलते हैं। इसलिए जिले को विकेंद्रीकृत योजना और नीति निर्माण के लिए एक व्यवहार्य इकाई के रूप में मान्यता दी गई है।

शिक्षा वास्तव में एक सार्वभौमिक और सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। दुनिया की सभी सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवाओं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को शैक्षिक चुनौतियों से निपटने और सभी शिक्षार्थियों के लिए समावेशी व न्यायसंगत और शैक्षिक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। भारत को भी अपने नागरिकों को भविष्य के विश्व के साथ क़दम से क़दम मिलाकर चलने के स्वप्न को साकार करने के लिए देश के सभी वर्गों, अस्मिताओं और लिंग के बच्चों, किशोर-किशोरियों और युवाओं के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करना होगा। भारत को वैश्विक उदाहरणों के अनुरूप भारतीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक अद्वितीयताओं की सिद्ध रणनीतियों का अनुसरण करना चाहिए ताकि वर्तमान वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकें। नीति में कई नए ढांचे और निकायों की परिकल्पना की गई है, जैसे कि विशेष शिक्षा क्षेत्र; स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढांचा; समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीई)। वे मौजूदा प्रणाली के साथ कैसे एकीकृत होंगे?

[1]https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136246

[2]Oxfam, (2015)10 facts on illiteracy in India that you must know,https://www.oxfamindia.org/featuredstories/10-facts-illiteracy-india-you-must-know

[3]https://www.downtoearth.org.in/blog/governance/education-for-tribals-bottlenecks-and-the-way-forward-74751

[4] All India Survey on Higher Education in India 2018-19,Human Resource Ministry,https://aishe.gov.in/aishe/viewDocument.action?documentId=263

[5]https://aishe.gov.in/aishe/viewDocument.action?documentId=263

[6]https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/can-india-reap-the-demographic-dividend-in-higher-education.html

[7]https://documents1.worldbank.org/curated/zh/912781491975846443/BiharDraftBackgroudNoteHigherEducationFinal.docx

[8]https://yourstory.com/2020/11/dr-k-kasturirangan-india-new-education-policy-roadmap/amp

[9] WHO (2002), "Health, Economic Growth and Poverty Reduction", Commission on Macroeconomics and Health, Geneva, World Health Organization,में उद्धृत Marimuthu Sivakumar and Vijay, M Chikkaiah Naicker (2012)Regional Disparities in Poverty and Education in India, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/37849/1/MPRA_paper_37849.pdf

[10]https://www.soschildrensvillages.ca/news/poverty-in-india-602

[11]https://www.downtoearth.org.in/blog/governance/mass-poverty-is-back-in-india-76348

[12]https://data.unicef.org/resources/a-world-ready-to-learn-report/

[13]https://www.unicef.org/media/57926/file/A-world-ready-to-learn-advocacy-brief-2019.pdf

[14]https://www.adb.org/sites/default/files/publication/696656/basic-statistics-2021.pdf

[15]https://censusindia.gov.in/census_and_you/literacy_and_level_of_education.aspx

[16]https://www.epw.in/engage/article/women-and-girls-access-and-experience-education

[17]Raghavendra R. H., (2020). Literacy and Health Status of Scheduled Castes in India. Contemporary Voice of Dalit, doi:10.1177/2455328X19898449

[18]वही स्रोत

[19]Highest Educational level Completed (Rural), https://www.secc.gov.in/getEducationProfileRuralNationalReport.htm

[20]Oxfam, (2015)10 facts on illiteracy in India that you must know,https://www.oxfamindia.org/featuredstories/10-facts-illiteracy-india-you-must-know

[21]https://documents1.worldbank.org/curated/zh/912781491975846443/BiharDraftBackgroudNoteHigherEducationFinal.docx

[22]All India Survey on Higher Education in India 2018-19,HRD Ministry,https://aishe.gov.in/aishe/viewDocument.action?documentId=263

2.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ग्रंथालय : निहितार्थ और भविष्य की रणनीतियाँ

आदित्य कुमार राय
ग्रंथपाल,
शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है जो उसकी संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं वैश्विक प्रगति को न केवल सुनिश्चित करती है, अपितु उसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित दिशा भी प्रदान करती है । भारत में प्राचीनकाल से ही शिक्षा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार, प्राचीन भारत में ऐसे अनेक विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान रहे हैं जिनमें न केवल तत्कालीन भारत के, अपितु दूसरे देशों के छात्र भी अध्ययन करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की जाती रही हैं । इन योजनाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, इसके पश्चात 1986 में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयी, और अब लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद आज के आधुनिक दौर के अनुरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए 29 जुलाई 2020 को तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने की घोषणा हुई है। पिछले दो दशकों में भारत ने अपने शिक्षा परिदृश्य को उल्लेखनीय रूप से बदल दिया है। इसने सभी स्तरों के छात्रों के लिए कम लागत तथा उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक व्यापक पहुंच बनाई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अमेरिका और चीन के ठीक बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। उच्च शिक्षा की बात करें तो जब भारत को आजादी मिली तो केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे लेकिन वर्तमान में 903 विश्वविद्यालय और 41,435 महाविद्यालय हैं। साथ ही सूचना और संचार के इस युग में,विशेषकर कोविड 19 महामारी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में प्रोद्योगिकी और नवाचारों का बाहुल्य हो गया है। शैक्षिक संस्थानों ने आवश्यकता के अनुरूप उन परिवर्तनों को अपनाते हुए शिक्षण और सीखने दोनों को शामिल करते हुए शिक्षा के डिजिटल रूप को अपनाया है। जैसे-जैसे तकनीकी, स्मार्ट फोन, टैबलेट और इंटरनेट युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है, शिक्षा ने भी स्वयं को पुनः परिभाषित करना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां शिक्षा जगत में परिवर्तन हो रहा है, वहीं शिक्षा के अपरिहार्य अंग के रूप में माने जाने वाले ग्रंथालयों की भूमिका, उनकी स्थिति और उनकी कार्य प्रणाली में भी पर्याप्त परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के मद्देनजर शिक्षा जगत में राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देशन हेतु एक नीति की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान आवश्यकतानुसार शिक्षा जगत में आवश्यक के लिए एक रोडमैप के समान मानी जा रही है।

शिक्षा तथा ग्रंथालय

मानव ने समाजीकरण के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया है। ग्रंथालय भी इनमें से एक है। समाज के सर्वोन्मुखी विकास में ग्रंथालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि विश्व के महानतम विचार ग्रंथो में ही संग्रहित हैं, इसलिए ग्रंथालयो को विश्व के महानतम विचारों का सागर कह सकते हैं। ग्रंथालय ही एक ऐसा स्थान है जहां गहन ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकें व्यवस्थित रूप से पाठकों के उपयोग के लिए रखी जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विस्तार में ग्रंथालयों का योगदान अनुपम है।

ग्रंथालय शिक्षा के प्रसार व सूचना संचार का बहुत ही प्रभावी माध्यम है। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया होती है। जीवन के आरंभ से जीवन के अंत तक मनुष्य शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इस क्रम में मनुष्य दो प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है। इसमें पहला तो औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा है। ग्रंथालय इन दोनों प्रकार की शिक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। यही कारण है कि ग्रंथालयों को लोक विश्वविद्यालय(Peoples University) कहा जाता है।

औपचारिक शिक्षा और ग्रंथालय-औपचारिक शिक्षा में ग्रंथालयों का योगदान सर्वविदित है। औपचारिक शिक्षा सामान्यतः शिक्षा संस्थानों जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके दौरान एक विद्यार्थी किसी विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर किसी विशेष विषय की पढ़ाई करता है। नए प्रकार के शैक्षणिक उपक्रमों जैसे- स्वयं (SWAYAM) की स्थापना, नए पाठ्यक्रमों का प्रादुर्भाव, शिक्षा का असीमित विस्तार, शिक्षण पद्धतियों में नए प्रयोग, ज्ञान के प्रसार के फलस्वरुप पुस्तकों की बढ़ती संख्या, पुस्तकेतर रूपों (ऑडियो/विज़ुअल) शिक्षण सामग्री का बढ़ता प्रभाव इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनके कारण औपचारिक शिक्षा में ग्रंथालयों का महत्व और भी बढ़ गया है। वर्तमान की औपचारिक शिक्षा अधिक से अधिक पुस्तकोन्मुखी है। अतः यह स्वभाविक ही है कि वर्तमान की औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों का स्थान महत्वपूर्ण हो गया है।

अनौपचारिक शिक्षा और ग्रंथालय -

शिक्षा एक अनवरत की प्रक्रिया है। मनुष्य केवल विद्यालयों आदि से ही शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपितु शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया उसके पहले तथा उसके बाद अनवरत चलती रहती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों इत्यादि से शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है।

औपचारिक शिक्षा ज्ञान का तलाब है जिसकी एक सीमा होती है परंतु अनौपचारिक शिक्षा ज्ञान का असीम सागर है। आज सभी को अपने सामान्य जीवन यापन के लिए भी ज्ञान और तकनीक की आवश्यकता होती है। इस हेतु ग्रंथालय ज्ञान प्राप्ति के सर्वोत्तम माध्यम हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालयों का योगदान सर्वविदित है। आज लोक पुस्तकालयों को स्वस्थ, मनोरंजक साहित्य उपलब्ध कराने का ही साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे अब राष्ट्रीय कल्याण की महान संभावनाओं

की प्रेरक शक्ति तथा शिक्षा एवं संस्कृति की प्रगति के मूल आधार के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन-

प्रसिद्ध दार्शनिक एमानुअल कांट ने अपनी पुस्तक 'लेक्चर्स ऑन एजुकेशन' में लिखा है, 'हमें अपने बच्चों को वर्तमान ही नहीं, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्यार्थ सुशिक्षित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए।' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पूर्ण रूप से मानवीय क्षमता में वृद्धि करने की एक न्यायसंगत तथा न्यायपूर्ण समाज के विकास के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने का आधार है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत की निरंतर उन्नति और नेतृत्व के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभों का उल्लेख किया है:
  1. सब तक पहुंच
  2. सबकी भागीदारी
  3. गुणवत्ता
  4. किफायत
  5. जवाबदेही

  उपरोक्त पांचों स्तंभों को इस शिक्षा नीति में प्रमुखता दी गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात (GER) का उद्देश्य पूर्ण करने का संकल्प है।
- इसके तहत वर्तमान में लागू 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली (क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए) के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने पर सहमति दी गई है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी लेकिन इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत ही सरल और छात्रों की बौद्धिकता, तर्कशक्ति एवं उनकी सृजनात्मकता पर केंद्रित किया गया है। इसके लिए बोर्ड परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है जिसके अंतर्गत वर्ष में बोर्ड द्वारा दो बार परीक्षा कराई जा सकती है। इससे छात्रों पर परीक्षा का मानसिक दबाव कम होगा और उनके सीखने की क्षमता का विकास हो सकेगा।
- इसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया

गया है। साथ ही इसके तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा ।

- उच्च शिक्षा और शोध की इच्छा रखने वाला छात्र चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करेगा और इसके साथ ही ऐसे छात्रों का 3 वर्ष का स्नातक अब 4 वर्ष का हो जाएगा।
- जो छात्र स्नातक के बाद नौकरी करना चाहते हैं, वे केवल 3 वर्ष की उपाधि ले सकते हैं।
- स्नातक करते समय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा और तृतीय वर्ष पूर्ण करने के बाद डिग्री और 4 वर्ष पूर्ण करने के बाद डिग्री शोधपरक ज्ञान के साथ प्राप्त हो सकेगा।
- परास्नातक स्तर पर तीन तरह के विकल्प होंगे। प्रथम विकल्प दो वर्ष का स्नातकोत्तर उपाधि उनके लिए जिन्होंने तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम किया है और दूसरा विकल्प चार वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम करने वालों के लिए एक वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम जबकि पाँच वर्ष का एक इंट्रीग्रेटेड प्रोग्राम भी होगा जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों एक साथ ही होंगे।
- एम. फिल. को नई शिक्षा नीति में बंद कर दिया गया है जबकि पी.एच.डी के लिए चार वर्षीय स्नातक डिग्री शोध के साथ लेने की अनिवार्यता रहेगी।
- नवीन अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020में ई लर्निंग के साथ डिजिटल अधिगम पर जोर दिया गया है।
- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री के विकास तथा 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (Indian Sign Language) को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर को प्रयोग की बात कही गई है।
- इस नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers) का विकास और चार वर्ष के एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अवधारण प्रस्तुत की गई है।
- साथ ही इसके तहत देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities MERU) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ग्रंथालयों हेतु निहितार्थ -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों तथा संकाय सदस्यों की गुणवत्ता में अपेक्षित सहयोग हेतु ग्रंथालय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पृष्ठ संख्या-61 के

पैरा संख्या-12.1,पृष्ठ संख्या-84 के पैरा संख्या-21.6, ,पृष्ठ संख्या-85 के पैरा संख्या-21.9,पृष्ठ संख्या-86 के पैरा संख्या-21.10 इत्यादि, ज्ञान बदलते परिदृश्य में ग्रंथालय की भूमिका का उल्लेख करते है । इनमें आजीवन अधिगम, सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण, गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, अभिप्रेरित एवं सक्रिय संकाय आदि संदर्भों में उत्कृष्ट ग्रंथालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से युक्त ग्रंथालय, डिजिटल ग्रंथालय आदि विशेषणों का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा संख्या-13.2 पृष्ठ संख्या-64 पर एक बेहतरीन ग्रंथालय को उच्चतम गुणवत्ता वाले किसी शिक्षण संस्थान का एक बुनियादी और अनिवार्य संसाधन माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं शताब्दी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा के दृष्टिकोण को अपनाए जाने पर बल दिया गया है और इस हेतु बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई है । जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित किया जा सके। साथ ही इस संदर्भ में आवश्यक व्यवहारिक कौशलों (Soft Skills),वैश्विक नागरिक शिक्षा (Global Citizenship Education) वैश्विक समकालीन चुनौतियों का सामना करने की योग्यता संवर्धन करने के साथ , क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम को अपनाया जाएगा। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपर्युक्त संदर्भ में ग्रंथालय को भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 का निहितार्थ है कि ग्रंथालयों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना होगा। अब ग्रंथालयों को उनके हितग्राहियों के लिए उनके अपने घर या फिर उनके विभाग के अतिरिक्त तीसरे स्थान के रूप में काम करना होगा। यह एक ऐसी विचार निर्माणशाला के रूप में कार्य करेगी जहां बहुत अधिक विविधता वाला जनसमूह सूचना और संबंधों की खुली और विश्वसनीय सरणियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उपलब्ध चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। ग्रंथालयों को अब परंपरागत सेवाएं प्रदान करने की अतिरिक्त रचनात्मकता, नवाचार, योजना निर्माण, टीम भावना इत्यादि को बढ़ाने वाले केंद्र के रूप में भी कार्य करना होगा।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप अब ग्रंथालयों के आंतरिक विन्यास को बदलने की आवश्यकता है। ग्रंथालयों के आंतरिक स्थान विन्यास में वर्चुअल क्लासरूम, समूह चर्चा कक्ष इत्यादि को प्रमुखता से शामिल करना वर्तमान समय की मांग है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विविध स्तंभों यथा शिक्षक, शिक्षार्थी एवं ग्रंथालय के विभिन्न आयामों में वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार विकास की चर्चा की गयी है तथा समस्त समस्याओं एवं चुनौतियों के विपरीत असीम संभावनाओं की ओर बढ़ते हुए भारत को पुनः इसके गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कटिबद्धता एवं प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वर्तमान सदी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान-विज्ञान संस्कृति एवं जनमानस के दृष्टिकोण एवं बौद्धिक क्षमता को एक कदम आगे बढ़ाने का सराहनीय प्रयास है। नई शिक्षा नीति वास्तव में ग्रंथालयों को सशक्त होने का अप्रत्याशित अवसर प्रदान करती है। अब यह ग्रंथालयों के ऊपर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार आसन्न चुनौतियों को सुनहरे

अवसरों में परिवर्तित करते हैं तथा बदलते शैक्षणिक वातावरण में अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं।

सन्दर्भ -

1. भारत सरकार (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,मानव संसाधन मंत्रालय , नई दिल्ली.
2. पाण्डेय (एस के शर्मा): पुस्तकालय और समाज. नई दिल्ली, ग्रंथ अकादमी, 1998.
3. https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/new-education-policy
4. https://www.youtube.com/watch?v=m7xo2pLAwTk
5. https://librarycognizance.blogspot.com/2020/08/what-for-libraries-in-new-education.html
6. https://www.researchgate.net/publication/335856670_ROLE_OF_LIBRARIES_IN_HIGHER_EDUCATION_SYSTEM_IN_INDIA_IN_21ST_CENTURY
7. पाण्डेय (राजेश कुमार) और गौतम (जे. एन.): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विश्वविद्यालयों ग्रंथालयों का सशक्तिकरण: दृष्टिकोण एवं सन्दर्भ. ग्रंथालय विज्ञान, 52 , 91-97.
8. पाण्डेय (भवनाथ) और चन्द्र (साहित्यांजली): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निष्पादन में डिजिटल ग्रंथालयों की चुनौतियाँ एवं उपयुक्तता. ग्रंथालय विज्ञान, 52 , 83-90.
9. महान शिक्षाशास्त्री, 2018, म. प्र. हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

3.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षकों के लिए परामर्श मिशन का महत्व

डॉ. आमना मिर्जा
सीनियर सहायक प्रोफेसर
एस.पी.एम .कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

राजेश ओ.पी.सिंह (स्वतंत्र शोधार्थी)

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संपूर्णता व दिव्यदर्शन से भरपूर ऐसी शिक्षा नीति जिसमे सब कुछ समाहित हो, प्रत्येक देश के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है | शिक्षा नवीन पीढ़ी के निर्माण का आधार है तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ-प्रदर्शक भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, जो डॉ. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बनी समिति द्वारा अनेकों विशेषज्ञों के सुझावों पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं में शिक्षकों के लिए 'राष्ट्रीय परामर्श मिशन' के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।
प्रत्येक देश की किसी भी मौजूदा नीति में सुधार या उसके स्थान पर नई नीति तभी लाई जाती है जब संभवतः मौजूदा नीति वर्तमान समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती प्रतीत नहीं होती। इसी सिलसिले में भारत की केंद्र सरकार ने 34 वर्षों बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। ये माना जा रहा है कि 1986 की शिक्षा नीति से आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता, उत्पादकता और शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह और सुझाव लेते हुए कड़ी मेहनत और लंबी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए नया प्रारूप तैयार किया और इसे अथक प्रयासों से अमली जामा पहनाया गया है। इसमें अनेक सुधारों के साथ ही एक विशेष सुधार शिक्षकों को सलाह/परामर्श देने और पेशेवर मदद के लिए "राष्ट्रीय परामर्श मिशन" को शामिल किया गया है और शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई) के अनुसार आने वाले समय में इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन सामने आएंगे।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी:-
भारत में मौजूदा शिक्षा नीति आधुनिक समय में तकनीक के साथ मेलजोल स्थापित नहीं कर पा रही थी, जैसे हम कोरोना काल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय विज्ञान व तकनीकी के अभाव में हम देखते हैं कि भारतीय छात्र व छात्राओं को भारी नुकसान सहना पडा | तकनीक के माध्यम से पढने-पढ़ाने का अनुभव अध्यापकों और छात्रों को नहीं था, इसलिए अचानक कोरोना जैसी प्राकृतिक

 ISSN: 2321-0443

आपदा आने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था बिखरती प्रतीत हुई। हालांकि केंद्र सरकार इस कठिन दौर के आने के 5 वर्ष पूर्व से लगातार नई शिक्षा नीति पर कार्य कर रही थी, जिसका सकारात्मक परिणाम महामारी के दौरान भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में देखने को मिला । वर्ष 2020 में सरकार ने आगामी समय की ज़रूरतों को पूरा करने और अपनी दिव्यदर्शी सोच का प्रमाण देते हुए नए समय के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में लागू की है।

इस शिक्षा नीति का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि साक्षर और शिक्षित के बीच की खाई को कम करके उसे भरा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछली सरकारों और विश्व बैंक जैसी अन्य विदेशी संस्थाओं के सहयोग से भारत ने साक्षरता दर में तो विकास किया है और ये आजकल 80 फीसदी से ऊपर है, परंतु शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है ,जिससे बेरोजगारी की समस्या पनप रही है। हम देखते हैं कि छात्रों के पास डिग्री तो है परन्तु उस पाठ्यक्रम विशेष में उन्होंने क्या विषय और प्रश्नपत्र पढ़े हैं. इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । वे साक्षर और शिक्षित तो हो गये हैं, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए| अब, जब उन्हें अपने विषय जिसमे उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा किया है के बारे में आधारभूत सिद्धांतो, संकल्पनाओं और अवधारणाओं की जानकारी का ही अभाव है तो उन्हें किस योग्यता के आधार पर नौकरी मिले? यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है क्योंकि बिना योग्यता के रोजगार कैसे मिलेगा । यह समस्या केवल मानविकी पाठ्यक्रमों में ही नहीं, बल्कि वाणिज्य और इंजीनियरिंग में भी है, इसलिए इस साक्षर व शिक्षित के बीच की खाई को भरने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी ।

पुरानी शिक्षा नीति में नैतिकता का भारी अभाव देखने को मिल रहा था, वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति कोई लगाव पैदा करने में असफल थी। इसी वजह से जिन मां-बाप ने अपने बच्चे को अपनी कड़ी मेहनत के पैसों से पढ़ाया लिखाया वहीं बच्चे बड़े होकर उनसे अलग हो जाते है , उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल तक नहीं करते है। इसके साथ-साथ भारत का सबसे तेज़ दिमाग विदेशों की तरफ आकर्षित है और एक बार जाने के बाद फिर कभी अपने देश को नहीं लौटता, जहां की भूमि ने उसे बड़ा किया, वहां से उसका लगाव छूट जाता है। ऐसे अनेक प्रमाण देखने की मिल रहे है जिनसे मौजूदा पीढ़ी में नैतिकता और देशप्रेम की भारी कमी देखने को मिलती है, इसलिए इस शिक्षा नीति में इस कमी को पूरा करने के प्रयास से कई आयामों को जोड़ा गया है ताकि आगामी पीढ़ी योग्यता सहित नैतिक और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके और भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के लिए परामर्श मिशन और इसका महत्व:-

मार्गदर्शन और सहायता चाहने वालों को परामर्श प्रदान करने के लिए यह एक उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ/सेवानिवृत्त अनुभवी व्यक्तियों का बड़ा समूह होगा और इस मिशन को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई) द्वारा संचालित किया जाएगा। ये सक्षम परामर्शदाता चाहे किसी भी आयु या पद से संबंधित हो, वे शिक्षा संबंधी 21वीं सदी के विकास लक्ष्यों को साकार करने में अपना योगदान देंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए और पेशेवर शिक्षकों को तैयार करने में अध्यापक शिक्षा की महत्वपूर्ण

भूमिका है, शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ बेहतरीन मार्गदर्शन और निर्देशन की जरूरत होती है।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां शिक्षकों के लिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे समय में जब सीखने के संदर्भ में गतिशील परिवर्तन देखे जा रहे हैं तब शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता से निपटने के लिए परामर्श महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा परामर्श के साथ, शिक्षक अपने ज्ञान से सहायता प्राप्त कर सकते हैं , पेशेवर यात्रा में किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिये अनुभवी व्यक्ति का होना किसी भी प्रकार की जीविका के विकास में उपयोगी हो सकता है । शिक्षा की पूरी यात्रा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता है। दुनिया गवाह है कि कैसे महामारी के समय में शिक्षक समुदाय ने ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में एक अलग दृष्टिकोण को अपना कर नए उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे माहौल में शैक्षिक प्रयास शिक्षकों की ओर से छात्रों और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक उत्साह की मांग करता है । इस माहौल में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ।

इसके अलावा कई शोध, अध्ययन और कार्य हुए हैं जो परामर्श के लाभों की ओर इशारा करते हैं। राष्ट्रीय परामर्श मिशन से शैक्षिक विकास के लिए एक सही दृष्टिकोण के साथ अतिरिक्त ज्ञान संसाधनों का एक पुल बन सकता है, जो भविष्य की शिक्षा और शिक्षा से संबंधित चुनौतियां के सन्दर्भ रणनीतिक निवेश सिद्ध होगा । आज ऐसे अकादमी शोध हो रहे हैं जो बेहतर सीखने के लिए संस्कृतियों के बीच आदान-प्रदान की जरूरत को बताते हैं। इसके अलावा तकनीकी विकास और वैश्वीकरण ने वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का उदय किया है। शिक्षकों के लिए परामर्श बेहतर कौशल की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा और बहुत सी समस्यायों से निपटने की सलाह देगा। शिक्षकों की सलाह को देश और दुनिया को समग्र विकास के विचार के साथ देखा जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने मानव संसाधन, शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता, महान और ऐतिहासिक सभ्यता के गुणों आदि के कारण समूचे भारत को इस विकासात्मक जनादेश को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में बदलते संदर्भों को देखते हुए वरिष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों द्वारा सलाह देना ,आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सही दृष्टिकोण की समझ के संदर्भ में उपयोगी हो सकता है ।

लागू करने में कठिनाई:-

जैसा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को संबोधित करते हुए **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर** ने कहा था कि ' कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हुए, और कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो ,वो अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है ,यदि उस लागू करने वाले अच्छे हों ' अर्थात किसी भी नीति का अच्छा बुरा होना उसे लागू करने वालों पर निर्भर करता है, यदि लागू करने वाले अच्छे होंगे और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और यदि लागू करने वाले लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से असफलता ही प्राप्त होएगी। इसलिए सबसे

आवश्यक है कि इसे लागू करने वाले पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लागू करे और जहां जो विवाद या असमझ या गड़बड़ हो उसे सही तरीके से तुरंत निपटाया जाए।

निष्कर्ष :-

हमने देखा कि अनेक देश अपनी परम्पराओं व संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी शिक्षा नीति में सुधार या बदलाव करते हैं साथ ही कई बार पूरी शिक्षा नीति को ही बदल दिया जाता है, इसी प्रकार भारत ने भी मौजूदा आधुनिक समय के साथ चलने के लिए भारतवासियों को नई शिक्षा नीति 2020 प्रदान की है, जिसमें अनेक सुधारो के साथ साथ कुछ आरंभिक समस्याएँ और चुनौतियाँ भी हो सकती हैं परंतु इस सबके बावजूद ये शिक्षा नीति भारतीयों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेगी। इस नई शिक्षा नीति में तकनीक के साथ गठजोड़ किया है और शिक्षकों के लिए परामर्श मिशन लागू किया गया है, वो आगामी पीढ़ी के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके सकारात्मक परिणाम लंबे समय तक भारत को मजबूती प्रदान करेंगे और विकास की तरफ अग्रसर रखेंगे। अंत में हम कह सकते है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और विकास लाएगा ।

संदर्भ सूची

1. Ministry of Human Resources Development, Draft National Education Policy 2019(summary).

2. Ministry of Human Resources Development, National Education Policy 2020.

3. British council,UK. India's New Education Policy 2020: highlights and opportunities.

4. New Education Policy: Advantages and Disadvantages. Dr. Roshani Singh,Times of India,May 25th,2021.

5. Impact of New Education Policy 2020 on higher education. Ajay Kumar & Sudeep B.Chandranana. ResearchGate.

6. Theoretical extension of NEP 2020 using Twitter Mining. Rahul P. Singh, Sumit Narula & et.al. Vol.17,7, June2021.ISSN-2395-7514,JCCC.

7. नई शिक्षा नीति से बच्चों की स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक क्या क्या बदलेगा, नवभारत टाइम्स, 30 जुलाई,2020.

8. Ellen A. Ensher, Susan E. Murphy, Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships, John Wiley & Sons, 2011.

4.

नई शिक्षा नीति में भाषा

बी डी बारहठ
सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
सुखड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

भारत भाषाओं की भूमि है, जहां यह कहावत है कि "कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बदले बानी"। यह भाषायी वैविध्य भारत की बडी सांस्कृतिक संपदा है। हजार से अधिक भाषाओं व बोलियों में यहां लिखा और पढा जा रहा है। स्वाभाविक है भाषा का शिक्षा और संस्कृति से गहरा नाता है। ज्ञानार्जन का आधार ही भाषा है, वहीं दूसरी ओर संस्कृति को एक पीढी से दूरी पीढ़ी में हस्तांतरण का भी भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अतः स्वाभाविक ही था कि लगभग 34 वर्ष बाद घोषित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति"में भाषायी वैविध्य पर विशेष जोर दिया है।

भारतीय भाषाओं के सरंक्षण का यह प्रयास एक तरह से औपनिवेशिक आग्रहों से मुक्ति का प्रयास भी है क्योकि देश की सांस्कृतिक चित्त को भ्रष्ट करने का कार्य सर्वाधिक तरीके से भाषा के द्वारा ही किया गया है। दुर्भाग्य से हमने भी यह मान लिया कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है हालांकि ऐसा सोचते समय हम जापान, कोरिया, चीन फ्रांस आदि के उदाहरण विस्तृत कर देते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार कथन के अनुसार गुणवतापूर्व शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक सरंक्षण के संदर्भ में भारत की सतत् प्रगति व आर्थिक विकास की कुंजी है। इस सार्वभौमिक पहूंच का सकंल्प अधूरा होता यदि लोगों को उनकी भाषा में शिक्षा देने की बात नहीं कही जाती। इसलिए नई शिक्षा नीति भारत की शास्त्रीय भाषाओं जैसे-संस्कृत, पालि, प्राकृत, तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, उड़िया, फारसी, आदि को महत्व देने पर जोर देती है। साथ ही, त्रिभाषा फार्मूले के माध्यम से मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प देकर ज्ञान के अर्जन व हस्तांतरण में भाषायी अवरोध से मुक्ति का प्रयास भी करती है। "अंग्रेजी प्रभुत्व" ने देश की ज्ञान संपदा पर जो एकाधिकार कर रखा है, उसके लोकतांत्रीकरण हेतु भी यह अत्यंत आवश्यक कदम है। देश का जनसंख्या बल अभी देश के अनुकूल है जहां 65 प्रतिशत से अधिक आबादी कर्मशील है। इस युवा आबादी की बदौलत "ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था" में भारत वैश्विक इंजन के रूप में देखा जाता है। स्वाभाविक है जब 15 अगस्त, 2021 को आजादी के "अमृत महोत्सव" को मनाते हुए प्रधानमंत्री घोषणा करते है कि "भाषा, विशेषतः मातृभाषा गरीबी उन्मूलन का सबसे सशक्त साधन है" तब वे भाषा को आर्थिक विकास के साथ जोडने पर जोर देते हुए

भारतीय भाषाओं में आर्थिक उन्नति की संभावनाओं को स्वीकार कर रहे है। दरअसल ऐसा कर भारत अपनी युवा आबादी का यथोचित सदुपयोग कर सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास को भारत की परम्परा व सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अवलंबित करने पर जोर देती है, जिससे न केवल व्यक्ति का अपितु संपूर्ण राष्ट्र का हित पोषण संभव हो। शिक्षा बराबरी स्थापित करने का भी बडा माध्यम होती है इसलिए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर ''भाषा की समानता को भी स्थापित करती है। वास्तव में यह ''भाषायी लोकतंत्रीकरण'' को ओर विशेष ध्यान दे रही है, यह इससे स्पष्ट होता है कि इसकी धारा 22 भारतीय भाषाओं, कला व संस्कृति को ही समर्पित है। दूसरी धारा 22.5 भारतीय भाषाओं की क्षीणता पर खेद व्यक्त करती है। इसके अनुसार विगत 50 वर्षो में ही भारत ने 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है। जो भाषाएं आठवी अनुसूची में सूचीबद्ध है, उनके समक्ष भी अनेक चुनौतियां है अंग्रेजी का प्रभुत्व इसका मुख्य कारण है। इन भारतीय भाषाओं के अल्प प्रचलन का एक प्रभाव प्राचीन ज्ञान से वंचित होने के रूप में भी दिखाई पड़ता है। ऐसी हजारों पाण्डुलियां हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उनका अनुवाद एवं उनके सरंक्षण आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धारा 22.18 भाषायी संरक्षण के बारे में यह व्यवस्था करती है कि संविधान की आठवी अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी की स्थापना की जायेगी ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल व सटीक शब्द भण्डार तय किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके। निश्चित ही यह कदम भाषाओं के उन्नयन में अत्यन्त महत्वपूर्ण होने वाला है।

इसके अतिरिक्त यह भी देखना है कि भाषिक बहुलता जहां एक ओर भारत की विशेष पहचान है, वहीं ये भाषाएँ आपस में अपने वर्चस्व के लिए टकराती भी हैं। यह टकराव केवल साहित्य तक सीमित न रहकर राजनीतिक हो जाता है, जिसके कारण देश की एकता प्रभावित होती है। यह एक तथ्य है कि भारत में राज्यों का गठन और विभाजन भाषिक आधार पर किया गया और ऐसा करते समय उग्र आंदोलन व तनाव रहे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद पर जोर देकर राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने का कार्य भी कर रही है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं एवं मातृभाषा पर जोर देने का अर्थ अंग्रेजी को नकारना नहीं है। जहाँ ज्ञार्नाजन, कैरियर एवं वैश्विक एक्सपोजर में अंग्रेजी सहायक हो सकती है वहां उससे परहेज करने का प्रश्न ही नहीं है, प्रयास यह किया गया है कि इसे जबरन थोपा नहीं जाए । ऐसा करने से यह सहायक होने की बजाय की बजाए विद्यार्थियों में हीन भावना पैदा कर शिक्षा से विलग होने व विद्यालय के प्रति भयग्रस्तता का कारण बन जाती है। मातृभाषा एंव विद्यालय की भाषा में अंतर होने से 25 प्रतिशत बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करते है। इससे सबसे ज्यादा जनजाति, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के अलावा वे बच्चे प्रभावित होते हैं जो स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढाई करते हैं लेकिन घर व परिवार में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते है। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा को बच्चे के स्वाभाविक व सरल विकास हेतु आवश्यक

माना गया है। इस तरह पांचवी कक्षा तक बच्चों को उसी भाषा में पढाया जाए जो उनके घर की बोलचाल की भाषा है| यह प्रावधान कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के भी अनुकूल है।

इक्कीसवी सदी ''ज्ञान आधारित समाज'' केन्द्रित सदी है। यह सुखद है कि भारत ने खुद को 'सूचना गहन केन्द्रित समाज' में बदल दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढावा दिया जा रहा है। यह न केवल ''वर्तमान महामारी की परिस्थितियों में आवश्यक है अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में दक्ष शिक्षकों की कमी को पूरा करने में भी सहायक है। लेकिन हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसी शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पायी है जैसी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। अतः भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का विकास भारतीय भाषाओं के विकास के साथ जुडी शर्त है जिस ओर ध्यान देना आवश्यक है। वास्तव में कृत्रिम बुधिमत्ता और एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस भारतीय भाषाएं ही सच्चे अर्थो में नई शिक्षा नीति की भाषायी चिंता का समाधान कर सकती है इससे ''नई शिक्षा नीति डिजिटल युग में'' क्या सोचे'' और कैसे सोचे'' का कथन भी चरितार्थ होगा।

नई शिक्षा नीति में यह संकल्प व्यक्त किया गया है कि भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल व उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहे इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवतापूर्व अधिगम एवं मुद्रित सामग्री का सतत् प्रवाह बने रहना चाहिए, जिसमे पाठ्य पुस्तके, अभ्यास पुस्तके, नाटक, कविताएं आदि शामिल है। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को आधिकारिक रुप से लगातार अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए। सौभाग्य से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे संगठन इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं, आवश्यकता इन्हें और सशक्त करने की है ताकि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंगित भाषायी सन्दर्भो को यथार्थ में लागू कर सके।

संदर्भ- सूची:

- National Education policy 2020 https://www.education.gov.in
- Dr. K. Kasturirangan committee drafts, Pib.gov.in
- NEP 2020 and the language in education policy in India, EPW Vol. 56 issue No. 23 Oct, 2021
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शैक्षिक मंथन, विशेषांक, सितबंर, 2020
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं, शैक्षिक मंथन विशेषांक, सितम्बर, 2021

5.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : चुनौतियाँ एवं सुझाव

डॉ. दिनेश कुमार गहलोत
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(राजस्थान)

शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों में जाकर अध्ययन करना, परीक्षायें उत्तीर्ण करना अथवा उसके आधार पर नौकरी प्राप्त करना है? यदि ऐसा है तो जो अनुतीर्ण हो गया, वह अशिक्षित है या फिर जो बेरोजगार है वह भी अशिक्षित है। शिक्षा जीवन की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने तथा उनका सामना करने में सक्षम बनाती है। जे. कृष्णमूर्ति अपनी पुस्तक 'शिक्षा क्या है?' में सुन्दर ढंग से लिखते है कि,"सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी की इस जीवन का सामना करने में मदद करेंताकि वह जीवन को समझ सके।उससे हार न मान लें, उसके, बोझ से दब न जाये, जैसा कि हममें से अधिकांश लोगों के साथ होता है। "[1]

शिक्षा केवल समस्याओं का सामना करने में ही सक्षम नहीं बनाती है बल्कि व्यक्ति में मूल्यों का भी विकास करती है जिनके कारण वह विश्व में अपना मनुष्य होने का हक अदा करता है। वास्तव में शिक्षा इंसानियत सिखाती है। जब शिक्षा इंसानियत से जुड़ी है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह कहाँ दी जा रही है, कौन प्रदान कर रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है ?

दुनिया भर में बढ़ते अपराध [आतंकवाद, यौन हिंसा, रंगभेद, नस्ल भेद, साइबर क्राइम, ...] तथा अन्य समस्याओं [हथियारों की होड़, षडंयत्र] इस बात का प्रमाण है कि कोई भी शिक्षा पद्धति पूर्ण अथवा आदर्श नहीं है। जे. कृष्णमूर्ति अपनी इसी पुस्तक में लिखते है कि "जब आप दुनियाँ में चारों तरफ नजर डालते हैं तो देखते है कि शिक्षा असफल रही है क्योंकि इसने युद्धों को रोकने में मदद नहीं की है, न तो इसने संसार में शान्ति लाने में सहायता की है, और न ही इसने मनुष्य को किसी प्रकार की समझ प्रदान की है। इसके विपरीत हमारी समस्याओं में और अधिक वृद्धि हुई है, और अधिक विघ्वंसकारी युद्ध हो रहे है तथा पहले से बड़े क्लेश पैदा हो रहे हैं।" [2]

शिक्षा का अर्थ एवं उसके उदेश्यों को देखने पर प्रश्न स्वाभाविक है कि भारत की शिक्षा नीति कैसी है ? क्या हम भारतीयों को नागरिकता का पाठ पढ़ाने में सफल रहे ? युवाओं से जुड़ी समस्याओं की प्रचुरता शिक्षा नीतियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

प्राचीन भारत में शिक्षा

वर्तमान शिक्षा नीतियों की स्थिति का अध्ययन करने से पूर्व हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का अवलोकन करना चाहिये। प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप अत्यंत ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित था जिसमें व्यक्ति के लौकिक के साथ पारलौकिक जीवन के लिये विभिन्न प्रकार इतिहास' की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

डॉ. जय शंकर मिश्र ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत का सामाजिक में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का विस्तार से उल्लेख किया है।[3]उनके अनुसार शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था जिसमें आचार्य ब्रह्माचारी को नये जीवन में दीक्षित करता था। इसके बाद वह अपना घर त्यागकर गुरू के सानिध्य में जाता था तथा यहीं रहकर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था। वैदिक युग में आचार्य का स्थान आदरयुक्त, गरिमामय और प्रतिष्ठित था। आचार्य अपने शिष्यों को आचार या चरित्र की शिक्षा देता था। उस समय उपाध्याय, प्रवक्ता, अध्यापक, श्रोत्रिय जैसी गुरुओं की श्रेणियाँ थी। डॉ. जयशंकर मिश्र यह भी लिखते है कि उस समय का आचार्य वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञाता होता था। वाक्चातुर्य, भाषण-पटुता, तार्किकता एवं रोचक कथाओं में दक्ष और ग्रंथों का अर्थ करने में वह आशु पण्डित और वक्ता होता था। इसी पुस्तक में डॉ. मिश्र लिखते हैं कि पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम वेद शामिल थे। वेदों के अतिरित वैदिक संहिता, वेदांग, इतिहास पुराण, व्याकरण, भूत विद्या, तर्कशास्त्र, निरुक्त , छंद, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष, राशि, एकायन इत्यादि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

इसी प्रकार से ओमप्रकाश ने अपनी पुस्तक - 'प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास' में बाह्माणेत्तर शिक्षा पद्धति (लगभग ई.पू. से 450 ई. तक) का उल्लेख किया गया है। [4]उनके अनुसार बौद्ध ग्रंथ 'मिलिन्दपन्ह' से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण चारों वेद, इतिहास , पुराण, कोश, छंद, उच्चारण विद्या, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छः वेदांग, शकुन विज्ञान, ग्रह, भूंकप सूर्य ग्रहण, चन्द्रग्रहण, गणित, किकंर्तव्य विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करते थे। क्षत्रिय हाथियों, घोड़ो, रथों, धुनर्विद्या, खड़गविद्या, युद्ध विद्या, दस्तावेजों का ज्ञान और मुद्रा विज्ञान सीखते थे जबकि वैश्य और शूद्र कृषि विज्ञान, वाणिज्य और पशुपालन की शिक्षा प्राप्त करते थे। मुख्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि उस समय के विद्यार्थी कूपमंडूक नहीं होकर जीवनोपयोगी कई विषयों की जानकारी प्राप्त करते थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

वर्तमान शिक्षा नीति एक जुलाई, 2020 को लागू हुई। इससे पूर्व 1986 की शिक्षा नीति प्रचलन में थी जिसमें 1992 में संशोधन किया गया। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार लागू किये गये। जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भी कहते हैं। इस एल.पी.जी की नीति ने भारत के सम्पूर्ण परिवेश को बदल दिया। राज्य की परम्परागत भूमिका में बदलाव आया। निजीकरण को बढ़ावा मिला, कई परम्परागत लोक क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ा, विनिवेशीकरण की प्रकिया बढ़ी, सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए, संविदा भर्तियाँ प्रारम्भ हुईं और साथ ही कई नये प्रकार के अपराध बढ़े, परम्परागत अपराधों की शैली बदली। सूचना-प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर की क्रान्ति से कार्यो में शीघ्रता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही विकसित हुई तो दूसरी ओर साइबर क्राइम भी बढ़ा। प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा नीति देश की चुनौतियों का सामना करने में हमें सक्षम बनाती है? प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा नीति हमारी परम्परागत संस्कृति को विस्मृत्त करती युवा पीढ़ी को संस्कार या मूल्य प्रदान करती है? प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा नीति भौतिकवाद के इस युग में हमें आध्यात्मिकता, सामासिक संस्कृति से दूर तो नहीं ले जा रही है? प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति हमें नागरिक बना रही है या हमारी पीढ़ी को रोज़गार के लिये भटकते वर्ग में तब्दील कर रही है? प्रश्न यह है कि शिक्षा पद्धति लोगों को स्वविकास से सतत् विकास की ओर मोड़ने में कितनी सफल हुई हैं ?

एक जुलाई, 2020 को घोषित शिक्षा नीति को चार भाग में विभाजित किया गया है। भाग एक स्कूल शिक्षा, भाग दो उच्चतर शिक्षा, भाग तीन व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा तथा भाग चार शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रणनीतियों से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय में इसके मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया हैं जो निम्न है [5]

1. प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चे की अलग-अलग क्षमताओं को स्वीकार करते हुये उसी के अनुरूप व्यवहार करने के सिद्धान्त को स्वीकृति दी गई है।
2. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है।
3. कला और विज्ञान के पाठ्यक्रम के बीच कोई स्पष्ट अलगाव नहीं हो।
4. बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास।
5. रटंत पद्धति के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल।
6. नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर बल।
7. बहुभाषिकता
8. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर बल।

9. भारत की समृधि एवं विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति एवं ज्ञान प्रणालियों को शामिल करना।

10. निजी एवं सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन एवं सुविधा।

इन मूलमूत सिद्धान्तों को आधार बनाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की शुरूआत करते हुए 10 + 2 वाली व्यवस्था के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 की नई व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थात् बच्चा तीन वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश कर 18 वर्ष की आयु तब स्कूली शिक्षा प्राप्त करेगा।

आरम्भिक 6 वर्ष को महत्त्वपूर्ण मानते हुए बच्चों को इस अवस्था में अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर व आउटडोर खेल, पहेलियाँ, तार्किक सोच, चित्रकला, पेंटिंग, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत इत्यादि के सन्दर्भ में व्यवहारिक ज्ञान दिया जायेगा। आधरभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना होगी।

ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है। नियमित प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यमान स्कूलों का उन्नयन, बालिका छात्रावासों की स्थापना इत्यादि पर विशेष बल है। [6]

स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल किये जाएंगे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संवाद की भाषा जहाँ तक संभव है, वहाँ घर की भाषा होगी। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

इसमें संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये त्रिभाषा फार्मूले को लागू रखने की बात कही गई है। [7]

वैसे भी किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती है। अंग्रेजी के अंधानुकरण के बीच भारतीय भाषाओं की यह स्वीकार्यता सुखद है। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण उसकी जानकारी आवश्यक है लेकिन अन्य भाषाओं की उपेक्षा ठीक नहीं है। इस संदर्भ में संविधान सभा के प्रथम सत्र में 10 दिसम्बर, 1946 को हुई एक बहस से समझा जा सकता है। [8]

किसी विषय पर संयुक्त प्रांत से निर्वाचीत आर. वी० धुलेकर जब अपनी बात रखने लगे तो संविधान सभा के तत्कालीन सभापति डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने उन्हें कहा कि क्या वे अंग्रेजी नहीं जानते? इस पर आर. वी. धुलेकर ने कहा कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ पर हिन्दुस्तानी में बोलना चाहता हूँ। इस पर डॉ. सिन्हा की प्रतिक्रिया थी कि बहुतेरे सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं जानते है। इस पर धुलेकर ने

कहा कि जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उन्हें हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग यहाँ भारत का संविधान निर्माण करने आये हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं हैं। अच्छा हो वे सभा से चले जायें। नि:सन्देह आर.वी. धुलेकर के शब्दों की कठोरता है लेकिन यह कथन/घटना भारतीय भाषाओं के महत्व को प्रकट करती है। सभी विकसित देशों में भी अपनी भाषा से प्रेम देखने को मिलता है। भारतीय भाषाओं में विशाल एवं समृद्ध साहित्य बिखरा है। युवाओं में उसके प्रति स्नेह पैदाकर सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयकरण में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है।

भाग दो उच्चत्तर शिक्षा से सम्बन्धित है। प्रथमत: इसमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया गया है। [9]

इसके अनुसार गंभीर रूप से खंडित उच्चत्तर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र, संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल, विषयों का कठोर विभाजन, स्थानीय भाषाओं में अध्यापन वाले विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की सीमित उपलब्धता, सीमित संस्थागत स्वायत्तता, शोध पर कम बल, अप्रभावी विनियामक प्रणाली इत्यादि महत्वपूर्ण है।

द्वितीय, इस शिक्षा नीति में प्रत्येक जिले में एक विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, बहुविषयक स्नातक शिक्षा, संस्थागत स्वायतता, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान फांउडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नीति में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी तथा विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की तरह जीवंत और बहुविषयक परिवेश की स्थापना का उल्लेख है।नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन डिग्री कार्यक्रम की अवधि और संरचना में आने वाले बदलाव है। स्नात्तक डिग्री 3 या 4 वर्ष की होगी। एक वर्ष पूरा करने पर प्रमाणपत्र, दो वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा तथा तीन या चार वर्ष पूरा करने पर डिग्री देने की व्यवस्था की गई है। यह निर्णायक परिवर्तन होगा। इससे कला या मानविकी का विद्यार्थी विज्ञान, वाणिज्य या अभियांत्रिकी के विषय भी पढ़ सकेगा। जिस प्रकार से बाणभट्ट की कादम्बरी में 64 कलाओं के ज्ञान का उल्लेख है, उसी प्रकार अब विद्यार्थी कई विद्याओं में पारगंत होगा।

भाग तीन में व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख है। इसके अर्न्तगत भारतीय भाषायें, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में विस्तार से उल्लेख है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को ध्यान में रखते हुये इसमें विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कराना भी शामिल किया गया। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग का भी इसमें उल्लेख हैं।

भाग चार इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रणनीति का प्रावधान करता है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई मायनों मे एक ऐतिहासिक कदम है। हम यह कह सकते है कि यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं और भारतीयता का सुन्दर संगम है। लेकिन नीति को लागू करने में कई बाधायें भी है। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात् संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर विधि बना सकते हैं। कुछ राज्यों ने शिक्षा नीति को लागू करने में अनिच्छा का प्रदर्शन किया है तो पं. बंगाल जैसे राज्य ने इसका विरोध भी किया है। हालांकि यह राजनीतिक मुद्दा है। दूसरा स्थानीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाने में कई कठिनाईयाँ है। महानगरों में कई भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में किस भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवायी जायेगी?

लाखों परिवार सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी करते है और उनके लिये स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। राज्यों के बाहर स्थानांतरण होने पर उनके बच्चों के लिये शिक्षा किस भाषा में उपलब्ध होगी, यह एक चुनौती रहेगी। चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा विधि में प्रवेश हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षायें देता है ऐसे में दक्षिण के विद्यार्थी का प्रवेश अन्यत्र होने अथवा उत्तर, पूर्व के विद्यार्थी का प्रवेश दक्षिण में होने पर स्थानीय भाषा का क्या होगा ?

एक समस्या पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता भी रहेगी। अभी भी कई विषयों की पुस्तकें हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। पुस्तकों की तकनीकी शब्दावली एक अन्य समस्या है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने हालांकि कई विषयों के परिभाषा कोश और मानक तकनीकी शब्दावली तैयार की है। लेकिन नई शिक्षा नीति बहु विषयात्मकता का उल्लेख करती है जिसमें चिकित्सा का विद्यार्थी मानविकी के विषय पढ़ेगा अथवा मानविकी का विद्यार्थी अन्य संकायों के विषयों को पढ़ेगा। ऐसे में चुनौती बढ़ जायेगी क्योंकि अब तक आयोग विषय के विद्यार्थियों के लिये पुस्तकें तैयार करता रहा है, अब उन्हें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर पुस्तकें तैयार करनी होगी।

शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा का भी उल्लेख है। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार 9.85 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही कंप्यूटर है और केवल 4.09 प्रतिशत स्कूलो में इंटरनेट पहुँच पाया है। [10] ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि सरकारी विद्यालय कहीं डिजिटल डिवाइड का शिकार नहीं हो जाये ? सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की उपलब्धता को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। अनुसंधान हेतु पर्याप्त और अबाध संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। लेकिन शोध में गुणवत्ता और मानविकी विषयों में प्रोजेक्ट की कमी को भी दूर करना होगा।

अंत में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी जड़ों को पहचानने का एक सुंदर प्रयास है। हालांकि कोई भी नीति सम्पूर्ण या सर्वोत्तम नहीं होती है। समय के साथ इसमें भी बदलाव

अपेक्षित होता है। नीति को लागू करते समय बनाये जा रहे एक्शन प्लान में यदि गंभीरता और प्रतिबद्धता का भाव रहा तो नीति अपने उदेश्यों में अवश्य सफल होगी।

संदर्भ- सूची:

1. जे. कृष्णमूर्ति, 'शिक्षा क्या है?', (विनय कुमार वैध द्वारा अनुवादित), राजपाल एंडसंस, दिल्ली, संस्करण - 2020, पृष्ठ - 9
2. वहीं, पृष्ठ - 186
3. डॉ. जयशंकर मिश्र, '*प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास*', बिहार हिंदी ग्रंथअकादमी, पटना, 2006, दशम् संस्करण, पृष्ठ497 से 500
4. ओमप्रकाश, *प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास*, विश्व प्रकाशन, दिल्ली,2001, पंचम् संस्करण, पृष्ठ 340
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ - 6
6. वहीं, पृष्ठ - 14
7. वहीं, पृष्ठ - 20
8. संविधान सभा की बहस, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2015 खण्ड-1 पुस्तकसंख्या 1, पृष्ठ-21
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ- 53
10. हनीत गाँधी, कंचन शर्मा, '*शाला : पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र की प्रयोगशाला*' पंकज अरोड़ा, उषा शर्मा, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : रचनात्मक सुधारों की ओर', शिप्रा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2021, पृष्ठ - 57

6.

नयी शिक्षा नीति का संवैधानिक संदर्भ: एक विश्लेषण

डॉ.अखलाख अहमद
सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
ए.एस.कॉलेज, बिक्रमगंज, रोहतास
(बिहार)

शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है, और नयी शिक्षा नीति इस कसौटी पर खरी उतरती है। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब शिक्षा के उद्देश्यों को सामाजिक सांस्कृतिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समावेशी बनाने की पहल की गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इस दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे हैं । शिक्षा के संदर्भ में नीतियाँ समय-समय पर प्रतिपादित, परिवर्धित एवं परिमार्जित होती रही हैं। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिश पर आयी। ततपश्चात 1976 में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी जिसमें आंशिक परिवर्तन 1992 में किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार ने जून 1917 में वैज्ञानिक 'के.कस्तूरीरंगन' की अध्यक्षता में समिति बनायी जिसने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का प्रारूप तैयार किया। प्रस्तुत प्रारूप पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद 29जुलाई 2020को केन्द्रीय कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

आज के वातावरण में शिक्षा की क्षुधा सभी को है। महानगर के ऊँची अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग भी शिक्षा की महत्ता को भली-भाँति समझ चुके हैं। इस क्षुधा की पूर्ति के लिए क्या न्यायोचित कदम उठाये जाएं, इसी पृष्ठभूमि में 'नयी शिक्षा नीति-2020'का अनुमोदन हुआ। इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती है- इस क्षेत्र में व्याप्त 'अवसर की असमानता' की समाप्ति, जिसे लोग मेरिट की असमानता कहते हैं, उसे वास्तव में 'अवसर की असमानता'के रूप में देखा जाना चाहिए। आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार अपने बच्चों का नामांकन शहर के अच्छे विद्यालयों में कराते हैं, वहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं होता । ऐसे में दोनों प्रकार के छात्रों में जो मेरिट की भिन्नता पायी जाती है, सही मायने में वह 'अवसर की असमानता है। अतः नयी शिक्षा नीति से इस भेद-भाव की समाप्ति की अपेक्षा है।

किसी भी नीति को क्रियान्वित करने में एक बड़ी समस्या वित्त सम्बंधी होती है । हालांकि इसके प्रारूप में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की बात की गयी है । पूर्व की नीतियों में भी 6 प्रतिशत व्यय की बात की जाती रही है । सरकार इस पर कहाँ तक पहल करेगी एवं राज्य सरकारें इस खर्च के लिये वित्त का प्रबंध करने में सफल होगी या नहीं यह भविष्य के गर्भ में है । यह संदेह इसलिए प्रबल है कि प्रायः राज्य सरकारें वित्त का रोना रोती हैं । केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता इस नीति के सफलता का आवश्यक शर्त प्रतीत होती है।

अब तक की हमारी शिक्षा नीति अनुकरण करने की रही है। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इंग्लैंण्ड, अमेरिका, जर्मनी जैसे विकसित देशों की तरह हो। हम सदा बाहर की ओर देखते हैं और उनके अनुकरण को लालायित रहते हैं जबकि हमारी पृष्ठभूमि विकासशील राष्ट्र की है । हमारी अपनी इतिहास एवं संस्कृति है जिसे पूरा विश्व स्वीकार करता है। इतना होने के बावजूद हम चकाचौंध की दुनिया में अपनी अस्मिता के अनुरूप शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने में असफल रहे हैं । नयी शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरू के रूप में स्थापित करने के मार्ग में 'मील का पत्थर'साबित हो ऐसी कामना है ताकि अपनी परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को उन्मुख किया जा सके एवं पिछलग्गू बनने की प्रवृत्ति को त्याग कर मौलिकता की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके ।

शिक्षा की वर्तमान पद्धति परिणाम आधारित रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि कोचिंग संस्थाओं का बोल-बाला रहा। शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जबकि ग्रामीण परिवेश के लोगों को कम लाभ प्राप्त हुआ। शिक्षा नीति का प्रतिफल है कि मेडिकल,इंजिनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों के लिए होनेवाली प्रवेश-परीक्षा में राजस्थान के कोटा शहर का 80 प्रतिशत तक परिणाम देने का दावा किया जाता है । योग्य होने के बावजूद संसाधन की कमी या समुचित जानकारी के अभाव में अधिकांश पिछड़ते जा रहे है। आज भी शिक्षा का बजारीकृत रूप हमारे समक्ष मुँह बाए खड़ा है । ऐस में आउटकम आधारित शिक्षा वर्तमान परिस्थिति की मांग है अर्थात अब तक आउटपुट आधारित शिक्षा होने से कौशल विकास नहीं हो पाया। अतः नयी शिक्षा नीति आउटकम आधारित शिक्षा प्रदान करने में सहायक हो यह परिस्थिति की मांग है।

शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल शिक्षक ग्रामीण परिवेश में रहकर शिक्षण कार्य नहीं करना चाहते। वे शहर से दूर नहीं जाना चाहते। ऐसे में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षक उपलब्ध कराना तथा ग्राम स्तर पर तकनीकी जानकारी पहुँचाना नयी शिक्षा नीति के लिए चुनौती है। आज राष्ट्र के 60 प्रतिशत लोगों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध अवश्य हो गया है फिर भी शिक्षा के लिये इसका उपयोग 10 प्रतिशत लोग ही कर पाते हैं । वर्तमान में जब शिक्षा तकनीकी आधारित होती जा रहा है। ऐसे में जागरूकता फैलाकर एक सूत्र में पिरोने की कामना नयी शिक्षा नीति से की जा रही है।

हाल के दिनों में सरकारी स्तर पर एक प्रयास अवश्य जारी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को प्राप्त हो। अब तक की पहल से साकारात्मक परिणाम सुनिश्चित नहीं हुए। ड्रापआउट कम अवश्य हुआ किन्तु शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सका अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष जारी है। सरकारी एवं गैर-सरकारी रपट बताती है कि कक्षा 5 तक के छात्र जोड़-घटाव (साधारण) एवं कक्षा 3 के छात्र को अक्षर ज्ञान भी नही है। कई राज्यों के विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बाँटने का कार्य कर रहे है । गुणवत्तापूर्ण शोध न के बराबर हो रहे हैं । राज्य के विश्वविद्यालयों में स्थिति और भयावह है । सामाजिक एवं मानविकी विषयों में द्वितीय आंकड़े पर आधारित ज्यादातर शोध हो रहे हैं, जिसकी प्रासंगिकता अधिक नहीं है ।

नयी शिक्षा नीति के उद्देश्य

नयी शिक्षा नीति जाति, धर्म, मूल-वंश, लिंग, जन्म-स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने पर बल देती है । सर्व शिक्षा

अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यमों से भारत ने हाल के वर्षो में लगभग अधिकांश बच्चों का नामांकन करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु शत-प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना अब भी शेष है। संपूर्ण भारत के लिए प्राप्त करना इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य है ।

ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करना नयी शिक्षा नीति का लक्ष्य है । यदि आंकड़ों का अवलोकन किया जाए तो छठी से आठवीं कक्षा तक का सकल नामांकन अनुपात 90.9 प्रतिशत है जबकि कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए यह 79.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत है । ये आंकड़े निश्चितरूप से दर्शाते हैं कि कैसे कक्षा 5 और विशेष रूप से 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बाहर हो जाता है । प्रत्येक स्तर पर ड्रॉप आउट की संख्या को पहचान कर इसे रोकना इस नीति का लक्ष्य है। भारत द्वारा 2015 में अपनाये गये सतत विकास एजेण्डा 2030 के लक्ष्य में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेण्डा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिये समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने"का लक्ष्य है । इस लक्ष्य की दृष्टि से भी नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य सकारात्मक रूप से इस दिशा में पहल कर ड्रॉपआउट और शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है ।

बहुभाषायी शिक्षा प्रणाली के विकास पर बल देकर अभिव्यक्ति को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य नयी शिक्षा नीति के उद्देश्यों में शामिल है । भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले राष्ट्र में किसी एक भाषा की प्रबलता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नयी शिक्षा नीति त्रि-भाषा सूत्र को मूर्त रूप देने का वकालत करती है। मातृभाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। स्वैच्छिक रूप से भाषायी विकल्प अपनाने का समर्थन कर किसी खास भाषा के प्रभुत्व को नकारा गया है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं पर इस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के विभिन्न आयामों को उत्कृष्ट बनाने के लिये प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल नयी शिक्षा नीति में प्रमुखता से है। वर्तमान समय तकनीक का है। विद्यालयी एवं उच्चत्तर शिक्षा, दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग को रेखांकित किया गया है। नई-नई तकनीकों के द्वारा शिक्षण व्यवस्था को सर्व-सुलभ बनाने का प्रयास जारी है। ब्लेंडेड मोड में उच्च शिक्षा को स्थापित करना इस नीति का लक्ष्य है।

अब तक की शिक्षा प्रणाली रटन्त प्रथा को बढ़ावा देने वाली है जिसका परिणाम यह है कि कोचिंग संस्थाओं पर निर्भरता बढ़ी है। नई शिक्षा नीति रचनात्मक एवं तार्किक सोच को बढ़ावा देने वाली नीति है। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना इसके उद्देश्यों में शमिल है। इसमें अवधरणात्मक समझ पर जोर दिया गया है न कि पढ़ाई केवल परीक्षा के लिए की जाए।

नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों, जैसे- सहानुभूति, दूसरों के साथ सम्मान, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, समानता और न्याय के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना नयी शिक्षा नीति के लक्ष्य में शामिल है।

अंत में विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान, राष्ट्रहित के अनुरूप शिक्षा, सुशासन, उच्च शिक्षा में स्तरीय शोध की वकालत के साथ-साथ एक उत्कृष्ट मानव का निर्माण इस नीति का लक्ष्य है।

नयी शिक्षा नीति-2020 में वर्णित प्रमुख प्रावधान:

नयी शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के सम्बंध में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रावधान प्रस्तावित है जो उसे 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। फांउडेशनल स्टेज (दो भागों में अर्थात आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3साल +प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2में 2साल,3से 8वर्ष के बच्चों सहित), प्रिपेरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5,8से11वर्ष के बच्चों सहित),मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8,11से 14वर्ष के बच्चों सहित) और सेकेण्डरी स्टेज (कक्षा 9 से 12,दो फेज में यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11और 12,14 से 8वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।

नयी शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय के सभी स्तरों पर शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु खेलकूद योग, नृत्य, नार्मल आर्ट आदि की बात की गयी है।

नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत् स्नातक पाठ्यक्रम में "मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट" व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगें और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। (1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र,2 वर्षो के बाद एडवांस डिप्लेमा,3 वर्षो के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षो के बाद शोध के साथ स्नातक)। इस नीति के तहत् एम. फिल (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। नयी शिक्षा नीति में विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

नयी शिक्षा नीति द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के पालन पर बल देते हुए पदोन्नति हेतु कार्य-प्रदर्शन को आधार बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक का विकास किया जायेगा। साथ ही वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0 एड0 डिग्री का होना अनिवार्य किया जायेगा।

नयी शिक्षा नीति में वर्णित प्रावधान का संवैधानिक आधार :

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखण्डता और बंधुता की बात की गयी है। इसके अनुपालानार्थ नयी शिक्षा नीति द्वारा बिना किसी धार्मिक भेद-भाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कराने का दृढ़संकल्प लिया गया है। शिक्षा नीति के द्वारा धर्म, मूल-वंश, जाति, लिंग, सम्प्रदाय आदि के आधार पर विभेद का निषेध कर एक अखण्ड भारत की परिकल्पना की गयी है। इसका परिणाम यह है कि नीति के व्यवहारिक रूप में परिणत होने से भ्रातृत्व को बढ़ावा मिलेगा जिससे नैतिक एवं मानवीय मूल्य पल्लवित एवं पुष्पित होंगें।

नयी शिक्षा नीति 2020 में 'अर्ली चाईल्ड केयर एजुकेशन' की चर्चा है। यह सरकारी सेक्टर के लिये भले ही नया हो किन्तु प्राईवेट सेक्टर में यह पहले से ही लागू है। 'प्ले स्कूल' शहरों में इस कार्य को बहुत पहले से सम्पादित कर रहे हैं। सरकार के द्वारा किये जा रहे इस कार्य के सम्पादन में मुख्य भूमिका आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा निभायी जायेगी। इसके अतिरिक्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा

पूर्ववत है। इस प्रावधन का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित 'अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार'है जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 'मौलिक अधिकार 'के रूप में मान्यता प्राप्त है।

मिड डे मील के विस्तारीकरण की बात नयी शिक्षा नीति में की गयी है। अब प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उपस्थित बच्चों को दोपहर के भोजन से पूर्व नाश्ता देने का प्रावधान किया गया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 एवं 47 के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। जहाँ यह वर्णन है कि 'दुर्बल वर्गो की शिक्षा एवं अर्थ सम्बंधी हितों की अभिवृद्धि तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने का दायित्व राज्य को समर्पित है।'

नयी शिक्षा नीति में त्रि-भाषा सूत्र अपनाने का सुझाव है जिसका आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 (1) में वर्णित है- "भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकीअपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।" इसी तरह अनुच्छेद 350(ए) में वर्णन है कि,"प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगा।"

उपर्युक्त दोनों प्रावधान राज्य और क्षेत्रीय सरकारों के लिये यह सुनिश्चित करना अनिवार्य करते हैं कि किसी छात्र की मूल भाषा (मातृभाषा) में शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध हो, जहाँ संभव है।

नयी शिक्षा नीति का लक्ष्य एक ऐसा मनुष्य तैयार करना है जो जिज्ञासु एवं तार्किक क्षमता से युक्त हो, जिनमें सहानुभूति का गुण हो, साहस और लचीलापन हो और सबसे बढ़कर वैज्ञानिक चेतना से परिपूर्ण हो। ऐसे मनुष्य की परिकल्पना भारतीय संविधान के भाग 4(क) में वर्णित मौलिक कर्तव्य से पुष्ट होती है, जिसे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4(क) में अलग अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत जोड़ा गया।

कुछ क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह का काफी बड़ी संख्या है। नयी शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित सामाजिक आर्थिक समूह वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रावधान का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा समर्थित है जहाँ कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान प्रदत है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों में अधिकांश महिलाओं का है। अतः अन्याय का सामना अपेक्षाकृत इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के आचार-विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की लड़कियों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ी के शैक्षिक स्तर को उपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा।

उपर्युक्त वर्णित प्रावधान का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1)एवं (3) द्वारा समर्थित है, जहाँ यह स्पष्ट रूप से वर्णन है कि "राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म,मूल-वंश, जाति,लिंग या जन्म-स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा" साथ ही महिलाओं की विशेष प्रकृति के दृष्टिगत अनुच्छेद 15(3) द्वारा स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने का समर्थन करती है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा आधार मिला है, जहाँ निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 4 सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना से अभिप्रेरित है। नयी शिक्षा नीति में वंचित समूहों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की शिक्षा इस भाग के अनुपालनार्थ प्रतीत होती है।

नयी शिक्षा नीति के कंडिका 22.18 में वर्णन है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी जिसमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगें ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किन्तु सटीक शब्द भण्डार तय किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके। साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास किया जायेगा। अनुसूची 8 के भाषाओं के लिये स्थापित अकादमियाँ एक-दूसरे से परामर्श लेगी। इस प्रकार के प्रावधान से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।

नयी शिक्षा नीति का यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुपालानार्थ प्रतीत होता है। जहाँ यह वर्णन है कि "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानों में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप,शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।"

नयी शिक्षा नीति का दर्शन व्यापक है। यह नीति सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पन्नता के साथ-साथ मानव के नैतिक,अध्यात्मिक, मौलिक, शारीरिक पक्ष को मजबूती के साथ स्थापित कर एक सशक्त समाज के निर्माण का हिमायती है। यह नीति अवधरणात्मक समझ पर जोर, रचनात्मक एवं तार्किक सोच, नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों, भाषा शक्ति को प्रोत्साहन, सतत मूल्यांकन, तकनीक के यथा संभव प्रयोग, राष्ट्र की अखण्डता एवं राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाली विशेषताओं से युक्त अतिप्रभावशाली नीति है, जिसके क्रियान्वयन से मानव, समाज एवं राष्ट्र तीनों को सशक्त कर आदर्श स्थिति तक पहुँचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. नयी शिक्षा नीति: पढ़ाई, परीक्षा,रिर्पोट कार्ड सब में होंगें बड़े बदलाव,आज तक 30 जुलाई, 2020
2. नयी शिक्षा नीति: 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में,स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा,अमर उजाला 30 जुलाई 2020
3. नयी शिक्षा नीतिः नवभारत टाइम्स,30 जुलाई 2020
4. सिंह,प्रोफेसर दिनेश : स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियाँ खोलेगी नयी शिक्षा नीति, द क्विंट, 30 जुलाई 2020
5. भारत का संविधान, पब्लिकेशन डिविजन,भारत सरकार,नई दिल्ली

6. दुर्गा दास वसु, भारत का संविधानः एक परिचय,प्रेन्टिस हाल आफ इण्डिया,नई दिल्ली
7. एस. एम. सईद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ
8. ए0 एस0 नारंगः भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

7.

शिक्षा नीति में बदलाव, नए भारत की शुरूआत

डॉ. मोहन लाल जाखड़

ई-612, लाल कोठी योजना,

जयपुर राजस्थान।

देश के यशस्वी एवं ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्वीकृति प्रदान की है जिससे स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित इस नई शिक्षा नीति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास एंजेड़ा 2030 के लक्ष्य-4 के अनुकूल "सबके लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने ओर जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने" का आह्वान् किया गया है। इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गगठित करने पर बल दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित स्कूली शिक्षा को मजबूत करना होगा। नई नीति का उद्देश्य 21वीं सदी के भारत की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समय, लचीला बनाते हुए देश को एक जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाकर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करना है।

भारतीय ज्ञान-परंपरा के नवसंधान द्वारा 'भारतीय समाज का नवजागरण' इस नीति का ध्येय है। 'गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सबकी पहुंच' सुनिश्चित करना इस शिक्षा नीति की केन्द्रीय चिंता है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं और चुनौतियों के मद्देनज़र यह शिक्षा नीति छात्र-छात्राओं के समग्र और सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इस नीति में नयी शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाते हुए शिक्षा को कौशल आधारित बनाने पर जोर है। 'स्टार्स' नामक प्रोजेक्ट भी ऐसी ही एक पहल है। 'स्टार्स' (स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स) एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। इसके लागू होने के बाद स्कूल परिसरों से 'तोतारटंत' संस्कृति समाप्त होगी और प्रारम्भिक बालशिक्षा का सशक्तिकरण होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में 'परख' (परफॉरमेंस असेसमेंट, रीव्यू एंड एनालिसिस ऑफ़ नॉलेज

फॉर होलिस्टिक डवलपमेंट) की स्थापना द्वारा सभी राज्यों के अधिगम परिणामों का मानकीकरण किया जायेगा। इस परियोजना द्वारा स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके अंतर्गत किसी कारण किसी स्कूल के बंद होने, आधारभूत ढांचे के नष्ट होने, सुविधाओं और संसाधनों के अभाव जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की व्यवस्था बनायी जाएगी। साथ ही, विद्यालयों में सूचना-तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु उसका आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जायेगा। तकनीक, विश्व बैंक और भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से सबसे पहले यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में शुरू होगा। इसके अलावा एशियन विकास बैंक के सहयोग से गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में यह प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने की योजना है। इसके बाद क्रमशः अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जायेगा।

परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और मां उसकी प्रथम और सर्वाधिक प्रभावी शिक्षक होती है। मां और परिवार के वातावरण से अर्जित गुण और संस्कार बालक के चरित्र और व्यक्तित्व की आधारशिला होते हैं। इस नींव की मजबूती से ही बालक के भविष्य की गगनचुंबी इमारत निर्मित होती है। इसके बाद ही विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा का महत्व होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उपरोक्त सभी शिक्षण सोपानों को समुचित महत्व देते हुए उनमें आमूलचूल बदलावों की प्रस्तावना करती है। यह उत्साहवर्धक प्रयास है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तमाम प्रस्तावों और प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए न सिर्फ केन्द्रीय स्तर पर, बल्कि राज्यवार 'कार्य-समूह' गठित किये जा रहे हैं क्योंकि देश में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

यह शिक्षा नीति छात्रों को शिक्षा-व्यवस्था का सर्वप्रमुख हितधारक मानती है। उच्चतम गुणवत्तायुक्त शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत, गतिशील, आनन्दमयी और सर्व-सुविधायुक्त (आवासीय) परिसर की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। समाज के वंचित तबकों- दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भारतीय भाषाभाषी समुदायों, ग्रामीण समुदायों और आर्थिक रूप से असमर्थ समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुँच और उसकी वहनीयता (एफोर्डेबिलिटी) इसकी केन्द्रीय चिंता है। यह शिक्षा नीति पूर्व-विद्यालय से पीएच.डी. तक के शिक्षार्थी के लिए क्रमबद्ध ढंग से सीखने के लिए संस्कारों, जीवन-मूल्यों और रोजगारपरक और जीवनोपयोगी कौशलों का निर्धारण करती है। युवा पीढ़ी द्वारा अर्जित ये मूल्य और कौशल भारत को सच्चे अर्थों में एक लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समरस, समतामूलक और जनकल्याणकारी राष्ट्र के रूप में विकसित होने में सहायता करेंगे। ये गुण भारतीय अर्थ-व्यवस्था को ज्ञान-आधारित अर्थ-व्यवस्था के रूप में विकसित होने में भी सहायक होंगे। शिक्षार्थी आजीविका के प्रति आश्वस्त होकर देश की आर्थिक-सांस्कृतिक प्रगति में अपना अधिकतम योगदान दे सकेंगे। यह शिक्षा नीति तथाकथित विशेषज्ञता के नाम पर अब तक ग्लोरिफाइड 'कूप मंडूकता' को

अपदस्थ करते हुए शिक्षार्थी के बहुआयामी विकास पर बल देती है। अल्पज्ञता के बरक्स बहुज्ञता और एकांगिकता के बरक्स बहुलता और बहु-विषयकता पर इस नीति का विशेष ध्यान है।

नई शिक्षा नीति को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में स्कूल शिक्षा, दूसरे में उच्च शिक्षा, तीसरे में व्यावसायिक, प्रौढ़, प्रौधोगिकी, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा तथा चौथे भाग में इसके क्रियान्वयन की रणनीति को रखा गया है।

स्कूली शिक्षा की बात करें तो नीति में ढ़ांचागत बदलाव की बात की गयी है, साथ ही कई महत्वूपर्ण लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 10+2+3 की जगह 5+3+3+4 की डिजाइन में पुनर्गठित करने और 3 साल से 8 साल तक के बच्चों को 'फाउंडेशन लर्निंग' के दायरे में लाने की बात कही गई है। उम्र की इस अवधि को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बुनियादी जरूरत माना गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। इस डिजाइन के अन्तर्गत पहले पांच वर्ष में तीन वर्ष की प्री-प्राइमरी के साथ कक्षा एक और दो को शामिल करते हुए इसे आधारभूत चरण कहा गया। इसके बाद तैयारी के तीन वर्ष के तहत कक्षा तीन से पांच को रखा गया है फिर माध्यमिक चरण के तीन वर्ष में कक्षा छह से आठ शामिल है और उच्च माध्यमिक चरण के तहत कक्षा नौ से बारहवीं तक को शामिल किया गया है। इस तरह शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ गया है। यह पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, जो अब बढ़कर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है और उनके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। सरकार ने इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में 2030 तक नामांकन अनुपात (जी.ई.आर) को 100 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है।

स्कूली शिक्षा में एक और अहम बदलाव के रूप में 'मातृभाषा' को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चे पहली से पांचवी तक की कक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर आगे की कक्षाओं में भी इसे जारी रखा जाता है तो यह और बेहतर होगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि बच्चा अपनी भाषा में चीजों को बेहतर ढ़ंग से समझता है, इसलिए शुरूआती शिक्षा मातृभाषा माध्यम में ही होना चाहिए। लेकिन मातृभाषा के संबंध में कुछ चिंताए है कि क्या स्थानीय या मातृभाषा माध्यम मे पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध होंगी इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने होंगे ताकि बच्चे आगे की कक्षाओं में वे अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से प्रतियोगिता कर पाएं।

नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे बच्चों का विकास बेहतर हो इसके लिए शिक्षा को जोड़ने के साथ स्कूलों में अब मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को नाश्ता दिये जाने (बाल-कुपोषण मुक्त भारत), स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने और छठी कक्षा से बच्चों को 'कौशल-

उन्नयन कार्यक्रम' से जोड़ने का सुझाव दिया गया है जो महात्मा गांधी जी की 'बुनियादी शिक्षा' की अवधारणा को साकारित करता है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा रखते हुए बच्चों को मातृभाषा एवं गतिविधि केन्द्रित शिक्षण देने की वकालत की थी, ताकि बच्चे कौशल से युक्त होकर अपना स्वतंत्र विकास कर सकें। वे चाहते थे कि बच्चों में सामूहिकता, आत्मसम्मान, कारोबारी दक्षता तथा सहयोगात्मक भावना विकसित हो। वे काम की दुनिया को ज्ञान की दुनिया से जोड़कर पाठ्यक्रम बनाने पर जोर देते थे। वे शिक्षा की गुणवत्ता को महज 'लर्निंग आउटकम' तक सीमित रखने के बजाय संपूर्णता में सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़कर देखते थे। इस नई शिक्षा नीति का भी मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे जोड़ना है।

नई शिक्षा नीति में लड़कियों के लिए 'जेंडर इंक्लूसिव फंड' (लैंगिक समावेशता कोष) बनाने की बात सराहनीय है, इससे लड़कियों के 'ट्रॉप आउट' को रोकने में मदद मिलेगी। अभी लड़कियों की 'ड्राप आउट' बहुत ज्यादा है। आठवीं के बाद 40 फीसदी लड़कियां स्कूल से बाहर हो जाती है। इसकी बड़ी वजह घर के नजदीक उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों, यातायात-साधनों और सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण का अभाव है। विविध स्तरों पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक नजरिए के कारण लड़कियों की शिक्षा लगातार असमानता की खाई से जूझती नजर आती है।

यह नीति लैंगिक संतुलन और संवेदनशीलता के प्रति विशेष रूप से सजग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का प्रभाव इस समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति पर साफ परिलक्षित होता है। इन वंचित वर्गों को अकादमिक सहयोग और आवश्यक परामर्श देने के लिए 'सहायता केंद्र' खोलने का भी प्रावधान किया गया है। ये सहायता केंद्र इन वंचित वर्गों की न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुँच सुनिश्चित करेंगे; बल्कि उनका सफल और सुखद 'रिटेंशन' भी उन्हीं का दायित्व होगा। संस्थानों द्वारा वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए 'ब्रिज कोर्स' भी संचालित किये जायेंगे; ताकि उनके और सुविधा संपन्न छात्र-छात्राओं के बीच की खाई को पाटा जा सके। 'ड्रॉपआउट' की समस्या का समाधान खोजने के लिए और वंचित वर्गों को एकाधिक अवसर देने के लिए यह प्रावधान किया गया है।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उच्च शिक्षा को भी लचीला बनाने की कोशिश की है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता मल्टीपल एंट्री एक्जिट सिस्टम है। अभी यदि कोई विद्यार्थी तीन साल इंजीनियरिंग में पढ़ने या छः सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है लेकिन अब मल्टीपल एंट्री-एक्जिट सिस्टम में एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन साल पूरा करने पर डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्राप आउट अनुपात कम होगा। वहीं अगर कोई छात्र किसी

कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें तो वह पहले पाठ्यक्रम से एक खास निश्चित समय तक अन्तराल ले सकता है और दूसरा पाठ्यक्रम में नामांकन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है।

नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान के साथ-साथ कला और समाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवीं-बारहवीं बोर्ड और ग्रेजुएशन में चुन सकता है। इसमें कोई एक स्ट्रीम मेजर और दूसरा माइनर होगा। ऐसे छात्र जो विज्ञान के विषयों में रूचि के साथ-साथ संगीत या कला भी पढ़ना चाहते है उनके लिए यह काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थान भी बहु विषयक होंगे। इसका अर्थ यह है कि आई.आई/टी और आई.आई.एम में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा अन्य विषयों को भी पढ़ाया जा सकेगा।

नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर) को 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक 2017-18 में भारत का उच्च शिक्षा में जी.ई.आर 27.4 प्रतिशत था।

देश में शोध और अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन (एन.एफ.एस) की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय शोध न्यास (एन.आर.एफ) की स्थापना की जाएगी। एन.आर.एफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का संकल्प व्यक्त करती है। हालाँकि, सन् 1968 की शिक्षा नीति और सन् 1986/92 की शिक्षा नीति में भी इस बात की अनुशंसा की गयी थी। अभी शिक्षा पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.43 प्रतिशत के आसपास है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी जैसे अनेक देशों में शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत तक है। भारत सरकार सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश करके ही भारतीय समाज को एक ज्ञान समाज और भारत को एक अंतरराष्ट्रीय ज्ञान-केंद्र बनाया जा सकता है। भारत सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इस युवा जनसंख्या का जनसांख्यिकीय लाभ लेने के लिए इसे शिक्षित और कौशलयुक्त करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश करके उसे सर्व-समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। इस नीति में शिक्षा के ढांचे में जिन आमूल-चूल बदलावों और नवाचारों की परिकल्पना की गयी है, उनके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।

उच्च शिक्षा की वर्तमान पारिस्थितिकी में सुविधा-संपन्न वर्गों का वर्चस्व है। वर्तमान उच्च शिक्षा की पहुंच समाज के अत्यंत सीमित हिस्से तक ही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भारतीय भाषाभाषी समुदाय, ग्रामीण समुदाय और आर्थिक रूप से असमर्थ समुदाय अभी तक इसके दायरे से बाहर हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में इन तबकों को आकर्षित करने और उन्हें अपनी पढ़ाई/कार्यक्रम निर्विघ्न पूरा करने के लिए उचित प्रोत्साहन और सहयोग देने का कोई संवेदनशील और विश्वसनीय तंत्र अभी तक विकसित नहीं हो सका है। लगभग सभी सार्वजनिक वित्त पोषित महाविद्यालयों और अधिकांश विश्वविद्यालयों में साधनों, संसाधनों और शोध-ढांचे और निधियों का जबर्दस्त अभाव है। अनेक (सैकड़ों) महाविद्यालयों की एक ही विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के कारण उन महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय शिक्षा का स्तर प्रायः बहुत खराब है और उनकी भूमिका डिग्री बांटने तक सीमित है। वंचित वर्ग प्रायः इन्हीं गुणवत्ताहीन स्थानीय संस्थानों में पढ़ने को अभिशप्त हैं, क्योंकि उनके पास साधनों, सुविधाओं और जागरूकता का अभाव है। अच्छे संस्थानों में प्रवेश के लिए भारी प्रतिस्पर्धा है, जिसमें इन साधन-सुविधाहीन 'अभागों' का टिक पाना असंभव-प्रायः होता है। परिणामस्वरूप, ये वर्ग क्रमशः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं। इन सबको उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करना और उत्प्रेरित समूहों और समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण और वहनीय सार्वजनिक शिक्षा की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करना इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी चुनौती होगी। यदि यह शिक्षा नीति यथा-प्रस्तावित धरातल पर लागू हो पाती है और स्व-घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती है, तो इक्कीसवीं सदी भारत और भारतवासियों की सदी होगी।

यह शिक्षा नीति प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक सार्वजनिक वित्त पोषित नए बहु-विषयक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना या वर्तमान संस्थान के उन्नयन की प्रस्तावना करती है। ये नवनिर्मित उच्च शिक्षा संस्थान सन् 2040 तक लक्षित नामांकन संख्या तक पहुँचेंगे। सन् 2018 में सकल नामांकन अनुपात 26.3 प्रतिशत है। इसे सन् 2035 तक 50 प्रतिशत करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए वंचित क्षेत्रों और तबकों तक उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करनी होगी और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वित्तपोषण वाले उच्च स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थान पर्याप्त संख्या में खोलने होंगे। वंचित वर्गों के लिए निजी और सार्वजनिक, दोनों ही प्रकार के संस्थानों में भारी संख्या में छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी शिक्षार्थी संसाधनों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाये। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का व्यापक विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। सरकार की ओर से भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे उच्च स्तरीय, गुणवत्तापूर्ण और बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। सभी बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र आदि की स्थापना की जायेगी। ये संस्थान अकादमिक-उद्योग जुड़ाव और अकादमिक-सामाजिक जुड़ाव पर अधिकतम ध्यान केन्द्रित करते

हुए अनुसंधान और नवाचार में प्रवृत्त होंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण और वहनीय शिक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। उच्च स्तरीय बहु-विषयक शिक्षा की स्थानीय उपलब्धता के प्राथमिक लाभार्थी तमाम वंचित वर्गों के शिक्षार्थी होंगे। इस नीति में उपरोक्त संकल्प को फलीभूत करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा के पर्याप्त वित्त पोषण की जरूरत को भी बारंबार रेखांकित किया गया है।

नई शिक्षा नीति से जुड़े और कार्यक्रम भी शुरू किए गए है। इनमें निपुण (एनआईपीयूएन) भारत मिशन, विद्या प्रवेश, दीक्षा (डीआईकेएसएचए) और निष्ठा (एनआईएसएचटीएचए) शामिल हैं। 'निपुण' भारत मिशन का लक्ष्य तीसरी कक्षा पूरी होने तक बच्चों में पढ़ने, लिखने और अंकगणित से जुड़े कौशल में सुधार लाना और उनकी सीखने की क्षमता को धारदार बनाना है। विद्या प्रवेश पहली कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तीन महीनों के इस कोर्स में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार कराया जाता है। दीक्षा ई-सामग्री मुहैया कराने से जुड़ा कार्यक्रम है। इसमें ई-पोर्टल के जरिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जबकि निष्ठा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ा कार्यक्रम है।

स्थानीय/भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में चुनते हुए बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ने का संकल्प इस नीति में अभिव्यक्त होता है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी और औपनिवेशिकता की जकड़न से बाहर निकालकर यह नीति हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को ज्ञान-सृजन और अनुसन्धान की माध्यम भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने की प्रस्तावना करती है। उल्लेखनीय है कि अभी तक भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा-माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं की घोर उपेक्षा होती रही है। अंग्रेजी राजरानी और भारतीय भाषाएं नौकरानी बनी हुई हैं। भारतीय भाषाओं की इस उपेक्षा ने न सिर्फ अधिगम परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, बल्कि वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा से विरत भी किया है। अनेक सर्वेक्षणों में यह बात सामने आयी है कि उच्च शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं न होने से वंचित वर्गों के अधिसंख्य शिक्षार्थी या तो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ही नहीं ले पाते या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह शिक्षा नीति माध्यम के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को अपनाने पर बल देकर इन वर्गों को बड़ी राहत और अवसर देती है।

यह शिक्षा नीति महामारी के दौर में आई है। शिक्षा नीति तैयार करते समय कोरोना महामारी को ख्याल में रखा गया है। संभव है, शिक्षा नीति में जो व्यवस्था की गई है, वह कोरोना के न आने पर भी की गई होती। नई शिक्षा नीति का यह महत्वपूर्ण अंश देखें, 'नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं के लिए नई पहल अपेक्षित है। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी, जहाँ भी शिक्षा के पारम्परिक और विशेष साधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी की

संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है।' साफ है कि आगे की पढ़ाई का रास्ता डिजिटल या ऑनलाइन है जो 'डिजिटल इण्डिया' पहल को आगे बढ़ायेगा।

निष्कर्ष:

अत: नई शिक्षा नीति को आत्मसात करने में समय लग सकता है। इसके प्रयासों में समय तथा संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस नई शिक्षा नीति को हर तरीके से नए भारत के सपनों को साकार करने के लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है, जो सचमुच हर लिहाज से एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इस नीति के तहत तमाम दूसरे मसलों के साथ-साथ शैक्षणिक मुद्दों और ढांचागत विषमताओं के निपटारे पर जोर दिया गया है, इसमें 21वीं सदी में भारत की जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने और छात्रों को भावी मांग के हिसाब से तैयार करने का खाका खींचा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने शिक्षा जगत की अनेक समस्याओं से निपटने की कठिन चुनौती भी है। निश्चित रूप से भारत अपनी युवा आबादी का लाभ उठाना चाहता है, साथ ही तेज गति से बढ़ती ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले अवसरों को भी हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति पर प्रभावी रूप से अमल करना निहायत जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश का कायापलट करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि महामारी से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने इसकी गंभीरता और मकसद को समझते हुए तत्काल कई कदम उठाए हैं।

हाल के महीनों में सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति से जुड़े कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। कई राज्यों में भी आधिकारिक रूप से इस नीति को लागू कर दिया गया है। कई दूसरे राज्यों में इसे अपनाने की प्रक्रिया जारी है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक लंबा रास्ता तय करना है। राज्य, जिला और निजी क्षेत्र समेत विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग कायम करने की जरूरत होगी। विशाल आकार और अमल से जुड़ी जटिलताओं के चलते निश्चित रूप से ये एक बहुत कठिन काम है। इसके साथ ही राज्यसत्ता की कमजोर क्षमता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं से भी पार पाना होगा, भारत का शैक्षणिक तंत्र नए विचारों और नवाचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। लिहाजा इस मोर्चे पर भी ठोस पहल की जरूरत होगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आम सहमति कायम करने की है। 1986 के बाद पहली बार आए इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए राज्यों को तैयार करना होगा। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कामयाबी काफी हद तक सहाकरी संघवाद पर निर्भर है। इसके लिए राज्यों को सुधार प्रक्रिया की अगुवाई करनी होगी।

संदर्भ-सूची:

- कैबिनेट अप्प्रोवेस नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020, पविंग वे फॉर ट्रांस्फ़ॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स इन द कंट्री , जुलाई 29, 2020
- ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पालिसी 2020, मिनिस्टर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट॰
- एआईएसएचई रिपोर्ट 2019.
- पूरी , नताशा (30 अगस्त , 2019). ए रिव्यु ऑफ़ द नेशनल एजुकेशन पालिसी ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया -मी नीड फॉर डाटा एंड डायनामिक इन द 21st सेंचुरी . एसएसआरएन.
- रोहतगी , अनुभा , ईडी. (7 अगस्त 2020). "हाइलाइट्स एनईपी विल प्ले रोले इन रेड्रूसिंग गैप बिटवीन रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया : पीएम मोदी ". हिंदुस्तान टाइम्स , रीट्रिएवेद 8 अगस्त 2020.
- राधाकृष्णन, अकीला (16 सितम्बर 2020). "ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पालिसी एंड स्कूल्स फॉर द स्किलिंग एज ". द हिन्दू , रीट्रिएवेद 31 जुलाई 2020.
- "गवर्नमेंट. अप्प्रोवेस प्लान टु बूस्ट स्टेट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टु 6% ऑफ़ जीडीपी". लिवमिंत , 29 जुलाई 2020. रीट्रिएवेद 30 जुलाई 2020.
- "टीचिंग इन मदर टंग टिल क्लास 5: 10 पॉइंट्स ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पालिसी. एनडीटीवी.कॉम. रीट्रिएवेद 30 जुलाई 2021.
- "कैबिनेट अप्प्रोवेस नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020, पविंग वे फॉर ट्रांस्फ़ॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स इन द कंट्री. पीआईबी.जीओवी.इन रीट्रिएवेद 8 अगस्त 2021.
- "ज्ञान, टी.वी. (5 जुलाई 2020). "नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टु बूस्ट रिसर्च इनोवेशन ". @बिज़नसलाइन. रीट्रिएवेद 30 जुलाई 2020.
- शुक्ला , अमनदीप (1 अक्टूबर 2019), "एचआरडी बेगिंस प्रोसेस फ़ोर क्रिएशन ऑफ़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन . हिंदुस्तान टाइम्स. रीट्रिएवेद 30 जुलाई 2020.
- पंडित , अम्बिका (30 जुलाई 2020). "जेंडर इन्क्लूसिव फण्ड , एसपीएल ईडीयू ज़ोन्स इन पालिसी ". द टाइम्स ऑफ़ इंडिया. रीट्रिएवेद 31 जुलाई 2020.
- चंदा, पापरी (30 जुलाई 2020). "आईआईटी डायरेक्टर्स लाऊड द न्यू एडुकेशन पालिसी , कॉल इट एन इम्पोर्टेन्ट माइलस्टोन एंड ए 'मोररयल मोमेंट ' फॉर इंडिया ". टाइम्स नाउ रीट्रिएवेद 30 जुलाई 2020.
- नायडू, म. वेंकइयाह (8 अगस्त 2020). "द न्यू एजुकेशन पालिसी 2020 इज सेट टु बी ए लैंडमार्क इन इंडिया ' हिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन ". टाइम्स ऑफ़ इंडिया ब्लॉग . रीट्रिएवेद 9 अगस्त 2020.
- "डी पी शर्मा ओन द चैलेंजेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स ". एडवॉइस । द वाइस् ऑफ़ एजुकेशन इंडस्ट्री . 25 मई 2020. रीट्रिएवेद 29 सितम्बर 2020

8.

भारत में नई शिक्षा का विकास : प्राचीन काल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक

प्रो. ममता चंद्रशेखर
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला
व वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर ;मध्यप्रदेश

नई शिक्षा नीति-2020 ज्ञान व विज्ञान के विविध आयामों में भारत के प्राचीन कालीन वैभव की ओर लौटने का प्रयास है । यह असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है। इसमें भारत को महाशक्ति बनाने का महामंत्र भी समाहित है। यथार्थ के धरातल पर देखा जाये तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रस्तावित नवाचार नव भारत के निर्माण में अभूतपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरुप भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने व शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने में यह नई शिक्षा नीति उपयोगी साबित होगी।

सर्वविदित है कि पिछले कई सालों से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की चुनौती बारम्बार मुंह फैलाये खडी होती रही। उन चुनौतियों का सामना करना अब भारतीयों के लिए आसान होगा क्योंकि नई शिक्षा नीति ने समाधान के नवीन द्वार खोलकर जन सामान्य के समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त करने की कटिबद्धता प्रकट की है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समयोचित बनाने हेतु करीब 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इस नीति का मसौदा इसरो के पूर्व प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को सार्वजनिक रुप से घोषित किया गया। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

नई शिक्षा नीति के स्वरुप व महत्व को समझने के पूर्व भारत के गौरवमयी ऐतिहासिक शैक्षणिक इतिहास की एक झलक देखना उचित होगा। सर्वविदित है कि भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विरासत विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। मानवीय सभ्यता के उदय के साथ ही भारत ने अपनी शिक्षा पद्धति व दर्शन की संरचना की है। भारतीय संस्कृति दुनिया की अन्य संस्कृतियों की पथ-प्रदर्शक रही। इसलिए तो भारत 'विश्वगुरु' कहलाता था। दरअसल भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर

आधारित थी। शिक्षा, मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में जानी जाती थी। उन दिनों शिक्षा सिर्फ व्यक्ति के लिये नहीं, बल्कि धर्म के लिये भी थी।

विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाशस्रोत, अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्योति, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से विभूषित किया है। उस युग की मान्यता थी कि जिस प्रकार अन्धकार को दूर करने का साधन प्रकाश है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के समस्त संशयों और भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है।

वैदिक कालीन शिक्षा

दरअसल भारत में शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप ऋग्वेद युग में देखने को मिलता हैं। ऋग्वेद युगीन की शिक्षा का उद्देश्य था तत्वसाक्षात्कार। ब्रह्मचर्य, तप और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करनेवाले ऋषि, विप्र, वैघस, कवि, मुनि, मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। साक्षात्कृत पंच तत्वों से साक्षात्कार का मंत्रों के रूप में संग्रह वैदिक संहिताओं में होता गया जिनका स्वाध्याय, सांगोपांग अध्ययन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन वैदिक शिक्षा रही। मोटे तौर भारतीय शिक्षा के पांच उद्देश्य रहे हैं जो इस प्रकार हैं:

1. चरित्र निर्माण - भारतीय दार्शनिकों का अटल विश्वास था कि केवल लिखना-पढना ही शिक्षा नहीं है वरन नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण करना परम आवश्यक है। मनुस्मृति में लिखा है कि "ऐसा व्यक्ति जो सद्चरित्र हो, चाहे उसे वेदों का ज्ञान भले ही कम हो, उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो वेदों का पंडित होते हुए भी शुद्ध जीवन व्यतीत न करता हो।"
2. व्यक्तित्व का विकास- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को आत्म-सम्मान की भावना को विकसित करना आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के आत्म-सम्मान को मजबूत करने के लिए उसमें आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता, आत्म-नियंत्रण तथा विवेक एवं निर्णय आदि की क्षमता को विकसित करने का अथक प्रयास किया जाता था।
3. सामाजिक व नागरिक दायित्व का बोध - तत्कालीन शिक्षा ऐसे नागरिकों के समुचित विकास हेतु कटिबद्ध थी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की उन्नति में अपना यथाशक्ति योगदान दें सकें। समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोध कर सके।
4. भारतीय संस्कृति का संरक्षण - भारतीय दर्शन तथा संस्कृति के संरक्षक हेतु प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को इस प्रकार से शिक्षित किया जाता था कि वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को संजोकर अपने वाली पीढी को हस्तांतरित कर सके।
5. जीवन के प्रति सद्भाव का विकास - प्राचीन भारत में शिक्षा का ध्येय प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क में जीवन के प्रति पवित्रता तथा धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित करना माना जाता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति भावी पीढ़ी को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, व्यवसायों

तथा उधोगों में प्रशिक्षण देकर की जाती थी। तत्कालीन समाज में कार्य-विभाजन का सिद्धान्त प्रचलित था। इसी कारण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजा भी हुए और वैश्य एवं शूद्र दर्शानिक भी।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को समाज का एक पवित्र तथा लाभप्रद सदस्य बनाना था। इस महती उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'गुरुकुल', 'आचार्यकुल', 'गुरुगृह' इत्यादि समर्पित भाव से कार्य करते थे। शिक्षा प्रायः वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। अध्यापन विद्यार्थी के योग्यतानुसार होता था अर्थात विषयों को स्मरण रखने के लिए सूत्र, कारिका और सारनों से काम लिया जाता था। नालन्दा विहार के अवशेष से ज्ञात होता है कि बौद्धकाल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया। वेद, शिक्षा, कल्प, व्यकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त उनके पाठ्य होते थे।

मध्यकालीन शिक्षा

मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे। सभी लोग अरबी और फारसी पढ़ने लगे। बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी शिक्षा दी जाने लगी। इसके साथ ही यह भी स्मरण करना होगा कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा केन्द्रों में हस्तलिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थीं।

राजा महाराजों की संतानों के लिए राजमहलों में ही राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्ध संचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि की शिक्षा प्राप्ति की व्यवस्था रहती थी। उन्हें प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पढ़ाया जाता था। उस समय तक कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी परन्तु शिक्षा व्यवस्था में दंड का प्रयोग किया जाता था।

ब्रिटिश कालीन शिक्षा

कालान्तर में भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश मिशनरियों का प्रवेश हो गया। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा किन्तु धीरे-धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल तक हो गया। 1781 में कंपनी द्वारा कलकत्ता में 'कलकत्ता मदरसा' और 1792 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा 'संस्कृत कालेज' स्थापित किए गया।

ब्रिटिश काल में लार्ड मैकाले के तर्क वितर्क और राजा राममोहन राय के समर्थन से प्रभावित होकर 1835 ई. में लार्ड बेंटिक ने निश्चय किया कि भारत में अंग्रेजी भाषा, साहित्य, यूरोपीय इतिहास, विज्ञान, इत्यादि का प्रसार हो। अंततः सरकारी प्रोत्साहन के साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा को भारत

में पर्याप्त मात्रा में सहयोग भी मिलता गया। 1848 में भारत में स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्री ने एक स्कूल खोला।

1853 में शिक्षा की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की गई। 1854 में बुड के "शिक्षा संदेश पत्र" में दिये गये समिति के निर्णयों को कंपनी के पास भेज दिए गए। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फग्र्यूसन कालेज, 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेज, 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले व छात्रावास बनवाए। 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कालेज स्थापित किया गया ।

1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में एक शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और राष्ट्रीय कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन प्रभाव से राष्ट्रीय शिक्षा की उल्लेखनीय प्रगति हुई। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गौड़ीय सर्वविद्यायतन, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई।

1921 के नए सुधार कानून के क्रिन्यावयन के परिणामस्वरुप सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आ गई जिसके स्वरुप कालेजों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी स्त्रियों, मुसलमानों, हरिजनों तथा अपराधी जातियों की शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। हर्टाग समिति ने अपने प्रतिवेदन में 1918 से 1927 के प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिए निर्देश जारी किये। 1937 में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो 1938 में "बुनियादी शिक्षा" के नाम से प्रसिद्ध हुई। मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की गई। 1945 में निर्मित परिवर्तित योजना का नाम 'नई तालीम' रखा गया जिसमें चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम के प्रशिक्षण को साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित के अध्ययन को बुनियाद शिक्षा के साथ जोडा गया।

स्वातंत्र्योतर कालीन शिक्षा

स्वतंत्र भारत में क्रिन्यान्वित भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में प्रावधानित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में गठित डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हो गया। ।

1948-49 में विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्वभारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, विद्याभवन, महिला विश्वविद्यालय व वनस्थली विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के आाधार स्तंभ बने।

1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। 1964-1966 के मध्य प्रस्तुत की गई कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में शिक्षा में कतिपय सुधार किये गये। अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि वर्गों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। अंततोगत्वा भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया। राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रीत्व काल में जारी इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया।

1992 में इस नीति में संशोधन किया गया था। परिवर्तित परिस्थितियों में 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में नवीन शिक्षा नीति निर्माण का वायदा भी शामिल था। अस्तु अपने वायदे के अनुसार 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिये जनता की राय मांगना शुरू किया था। अंततः काफी चिंतन मनन व शोध के उपरांत नई शिक्षा नीति 2020 बनकर तैयार हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

21वीं सदी के वैश्विक व राष्ट्रीय परिदृश्य के मुद्देनजर जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का निर्माण किया गया है यदि उसका क्रियान्वयन भली-भांति होता है तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का विश्व की अग्रणी शिक्षा प्रणाली के समकक्ष आने की संभावना बढ जायेगी। इस नीति में कई ऐसे नवाचार समाहित हैं जो भारत के प्राचीन गौरव को पुन:स्थापित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है।

दरअसल इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार करना और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। इस नीति के तहत

उच्च शिक्षा में जीईआर के वर्तमान 26.3 प्रतिशत को 2035 तक 50 फ़ीसदी जीईआर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नये स्थान जोड़े जाना प्रावधानित है।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

नई शिक्षा नीति के प्रति बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। नई शिक्षा नीति के समक्ष सबसे बडी चुनौती तो यही है कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अतः इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त करना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। नई शिक्षा नीति के बारे में कतिपय शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

कतिपय विद्वानों का मानना है कि वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है। यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च करने का लक्ष्य बहुत ही पुराना है जिसे फिर से दोहराया गया है।

दक्षिण भारत के राज्यों का केन्द्र सरकार पर आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकना भी एक चुनौती है। कुछ संगठनों की यह कड़ी आलोचना भी एक भांति की चुनौती पैदा करती है जिसमें यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर के अधीन करना अनुचित है।

जो भी लेकिन यह कटु सत्य है कि हर नवाचार के क्रिन्यावन के मार्ग में कतिपय कठिनाईयों व चुनौतियां का आना स्वाभाविक है। वक्त के बहाव में समस्त किन्तु परन्तु समाप्त हो जाते हैं।

निष्कर्ष

अंत में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा का व्यवस्था ह्रास हुआ। अस्तु बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कई उपक्रमों के साथ निर्मित गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहु-विषयक बनाना है जो वस्तुतः वर्तमान भारतीय शैक्षणिक परिदृश्य की आवश्यकता है। यह नीति भारत को

महाशक्ति बनाने का माजदा रखती है बस इसके क्रिन्यावयन के स्तर पर सावधानी व संयम की आवश्यकता होगी। साथ ही कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अंततोगत्वा यह कहना उपयुक्त होगा कि नवाचार से परिपूर्ण इस इस नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय विकास व प्राचीन भारतीय गौरव का पुर्नस्थापित करने की असीम संभावनाएं है।

संदर्भित ग्रन्थ

1. गुंजुन एच. साक्षी, 1971, "सोशल एंड ह्यूमैनिस्टिक लाइफ इन इंडिया", अभिनव प्रकाशन, दिल्ली, पीपी.122-124।
2. गुरुकुल पत्रिका, अप्रैल-जुलाई, 1940-41, अंक 10, 12 जून 1940 , पृ.1
3. जोशी, अंकुर; बिंदलिश, पुनीत; वर्मा, पवन कुमार ,दिसंबर 2014, "भारत में शिक्षा के प्रति औपनिवेशिक दृष्टिकोण", विजनः द जर्नल ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव।।
4. मुखोपाध्याय, मरमार , 2020, शिक्षा में कुल गुणवत्ता, सेज पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
5. मुखोपाध्याय, मरमार; परहर, मधु , नवंबर 2001, "मल्टी-चैनल लर्निंग सिस्टम में निर्देशात्मक डिजाइन", शैक्षिक प्रौद्योगिकी का ब्रिटिश जर्नल 32 ।
6. सिंह, प्रोफेसर दिनेश "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति". द किंवट. अभिगमन , 30 जुलाई 2020।
7. नई शिक्षा नीति, 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
8. नई शिक्षा नीति दैनिक जागरण. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

.----------

9.

अकादमिक ब़हस के आईने में भारतीय शिक्षा नीति 2020

प्रो. प्रवीण कुमार झा
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद भगत सिंह कॉलेज, दि.वि.

पंकज कुमार झा
सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
मोती लाल नेहरू कॉलेज, दि.वि.

मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है, न स्थूल शरीर और न ही केवल हृदय या आत्मा ही है। संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एकरस मेल की ज़रुरत होती है और यही शिक्षा की सच्ची व्यस्था है।[1]- महात्मा गाँधी

किसी भी प्रगतिशील, प्रतिबद्ध व समावेशी समाज के लिए गाँधी जी द्वारा सुझाये गये उपरोक्त कथन हमेशा प्रासंगिक रहेगा। विकासवादी राज्य के लिए शिक्षा व्यक्ति के जीवन को बहुआयामी आयाम प्रदान करने का एक साधन है। स्वतंत्रा के उपरांत शिक्षा से संबंधित बहुत सारे आयोगों व नीतियों का निर्माण किया गया। इसी दिशा में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के उपरांत नयी शिक्षा नीति 2020 का प्रारुप सामने आया और अब सरकार अगले सत्र से इसके क्रिन्यावयन करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

ऐसे में इस लेख का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पीछे चल रहे अकादमिक बहस को प्रस्तुत करना है। इस प्रकार ऐसे विचारों को स्थान दिया गया है जो सरकारी दावों को अकादमिक फ्रेम में जायज ठहराता है। वहीं दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है जो स्वायत्ता, संवैधानिक मूल्य और गरीब व कमजोर वर्ग के नज़रिये से आपत्ति व्यक्त करता है।

[1] गौरतलब है कि महात्मा गाँधी ने अपने नई तालीम के अंतर्गत शिक्षा में हाथ के काम और परिश्रम के गौरव को स्थापित करने पर बल दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कथन गाँधी जी ने कहा था। विस्तार से देखें (https://vagartha.bharatiyabhashaparishad.org/bahas-nai-siksha-kaisa-prasthan-chahie/)

I

उत्तर-औपनिवेशिक भारत में शिक्षा-नीति का विकास

स्वतंत्रता के बाद में *राधाकृष्णन आयोग* का गठन नवंबर 1948 में किया गया। आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित है : क) विश्वविद्यालय पूर्व (pre-university) बारह वर्ष का होना चाहिए। ख) शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की प्रारुप पर और भी विश्वविद्यालयों का गठन हो। ग.) उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी से नहीं हटाना चाहिये। घ) विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिये। ङ) देश में एक यूजीसी[2] का गठन किया जाये (NMIMS January 2017)।

शिक्षा के विकास की दिशा में दूसरा प्रमुख प्रयास *कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) था*, जिसका गठन जुलाई 1964 में किया गया था। इसने वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए इसे लचीला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी के बाद 1968 में नेशनल एड्युकेशन पॉलिसी आई। इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया- क) 14 वर्ष तक बिना शुल्क और सबके लिए शिक्षा। ख) शिक्षा के लिये तीन भाषाई फार्मूला का विकास ग) राष्ट्रीय आय का छह प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना (Jandhyala 2007) । घ) अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और उसके मानक तय करना। ड़) कृषि और औद्योगिक शिक्षा पर व्यय करना। च) विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा के समानीकरण पर बल। महत्वपूर्ण है कि करीब अठारह वर्ष बाद राजीव गाँधी की सरकार के समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाया गया। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैकबोड योजना आई ; इग्नू को लाया गया; गौरतलब है कि इसमें एक संशोधन 1992 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी कोर्सों में इंट्रेंस एक्जेम की शुरुआत करना था।

मौजूदा सरकार ने शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र में नये सिरे से सोचने विचारने पर बल दिया गया। इसके सुझावों के आधार पर ही मोदी सरकार ने नई नीति में बदलाव किया और परिणामस्वरुप सुब्रमण्यम और कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया।

II

[2] गौरतलब है कि इन्ही सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया।

एन.ई.पी 2020 के पक्ष में बहस

पक्ष:

इसको भारत की करोड़ों युवाओं की आशाओं व आकांक्षाओं को साकार करने का साधन मानते हुए सरकार कहती है कि इसमें तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं जिसे जरुर से समझा जाना चाहिए। इसकी पहली विशेषताएँ नीतिगत उपाय के द्वारा समावेशी शिक्षा पर फोकस करते हुए प्री स्कूल से ही एक बच्चे को अधिक सक्षम परिवेश सुनिश्चित करना है। इसमें 5+3+3+4 फार्मूला के आधार पर तैयार किया गया है। दूसरी विशेषता को पहले से जोड़ते हुए प्रधान कहते हैं कि स्कूली शिक्षा में कौशल का प्रवेश और पाठ्यक्रम के अलावा मानविकी और विज्ञान के बीच के वर्गीकरण को समाप्त करके बहु-विषयकता, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया गया है। इसमें रचनात्मक संयोजन करने की पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए पेटिंग के साथ गणित विषय का संयोजन हो सकता है। तीसरा, नई शिक्षा नीति शारीरिक रुप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षण सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा (आइ.एस.एल) में तैयार करने के मानकीकरण सहित त्रि-भाषिक नीति की भाषाई दक्षता के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था तैयार करती है (प्रधान 13 अगस्त 2021)

प्रो. श्री प्रकाश सिंह सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहते हैं कि शिक्षा नीति में अगर प्रयोगधर्मिता नहीं होगी, कुछ नयी बातों को शामिल नहीं किया जायेगा, तो किसी और क्षेत्र में हम न तो चिंतन कर सकते हैं, और न प्रयोग कर सकते हैं. इस उद्देश्य से नयी शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता है (सिंह 31 जुलाई, 2020)। आगे बताते हैं कि इसके चार प्रमुख अवयव हैं - सर्वप्रथम, स्कूली शिक्षा है जिसमें 3-18 वर्ष यानि बारहवीं तक की बच्चों के प्रति वचनबद्धता है। दूसरा, उच्च शिक्षा से संबद्ध है, वैश्विक परिदृश्य के अनुरुप चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम की संरचना को इसमें स्वीकृति मिली है। अगर कोई बच्चा एक वर्ष के उपरांत अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो उसे इसका क्रेडिट मिलेगा अगर किसी कारणवश दो साल के उपरांत पढाई छोड़ेगा तो उसे इसका क्रेडिट मिलेगा तीसरा, शोध को इसमें विशेष वरीयता दी गई है, जिससे देश में अधिक से अधिक शोध और गुणवत्ता युक्त प्रकाशन को विशेष तरज़ीह दी गई है। चौथा, कॉपरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, जो तमाम प्रशासकीय व्यवस्थाओं को समाप्त करके उसे समुचित तंत्र के रुप में गठित करने पर बल देता है। (वही). अपने एक अन्य लेख में श्री प्रकाश

सिंह कहते हैं कि अवसर भी तभी मिलेंगे, जब शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाएगा और वह कौशल से लैस होगा। वहीं विश्वविद्यालयी शिक्षा में भी बीच में पढ़ाई छोड़ने पर उस अवधि के लिए समुचित प्रमाणपत्र दी जायेगी। (श्री प्रकाश सिंह 2021)

शिक्षाविद् प्रो. मनीषा प्रियम की माने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसे दर्शन पर आधारित है जिसका मानना है कि मनुष्य की क्षमताओं को प्रोन्नत और अभिनूतन बनाने के लिए शिक्षा सबसे आधारभूत है। उन्होंने इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य के लिए सरकार की प्रशंसा की है और यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को शीर्षस्थ विश्वविद्यालय में शामिल करने की कोशिश है। अपनी बातों को और विस्तार देते हुए वह यह भी कहतीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगमन से यहाँ विदेशी विश्वविद्यालय अपना कैंपस खोलेगी। इससे हिंदुस्तान दुनिया भर में मैत्री व सहचर को तलाशेगा और नीति में प्रस्तावित चार वर्षीय प्रारुप इसकी झाँकी प्रस्तुत करता है।[3]

प्रो. प्रियम की बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रो. राजीव मित्तल कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी शिक्षा नीति को विश्व भर में फैलाने के लिहाज से उत्कृष्ट प्रयास है। अपनी बातों को आँकड़ों से व्यक्त करते हुए प्रो मित्तल बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष भारत से 7.5 लाख विद्यार्थी विदेश पढ़ाई के लिए जाते हैं जबकि उसमें से केवल 40,000 ही वापस लौटते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ रुकमणि बनर्जी की माने तो, इस नीति की कुछ खासियत है। स्कूली शिक्षा को इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देना काफी महत्वपूर्ण है। छोटा बच्चा जब स्कूली शिक्षा शुरु करता है तो उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि वह किताब पढ़ सके। इसलिए उसके लिए स्कूली शिक्षा से पूर्व उसके लिए तीन सालों का प्री स्कूल उसकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे राज्यों में 5+3+3+4 फार्मूला पर प्रयोग भी हो रहा है और उसके परिणाम भी सुखद आ रहे हैं। (सिंह 30 जुलाई 2020, बीबीसी हिन्दी)। अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हुए बैनर्जी कहती हैं कि मातृभाषा को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि मातृभाषा में कोई भी बच्चा आसानी से चीजों को समझबूझ सकता है (वही)

गौरतलब है कि एनईपी 2020 के मुद्दे पर उभर रहे रार पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रो. राकेश सिन्हा ने कहा कि इसे बहुत अधिक आपसी सहमति से बनाया गया है। इसमें दोष हो

[3] व्यक्तिगत बातचीत पर आधारित 20.3.2022.

सकता है, परंतु दोष के बारे में सोचते रहने से ही काम नहीं चलेगा, नीतियों का दोष केवल नीति के फ्रेमवर्क के निर्माण से जुड़ा मुद्दा नहीं है। बल्कि यह दोष इसके क्रियान्वयन से भी जुड़ा हुआ है। इस नीति की बहुत सारी विशेषताएँ हैं पहले उसपर गौर फरमायें तो बेहतर होगा। इससे शिक्षा रोजगारपरक बनेगी। गौर करने योग्य बात यह भी है कि अब तक शिक्षा फॉरमल पक्ष पर आधारित थी जिसे इस नीति ने इनफॉरमल पक्ष की तरफ मोड़ा है (सिंह 30 जुलाई 2020, बीबीसी हिन्दी)

चार वर्षीय स्नातक के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए राकेश सिन्हा कहते हैं कि पहले सरकार इसे एक विश्वविद्यालय में लागू करना चाहती थी, परंतु अब सभी स्थान पर लागू होगा। इसके विरोध को प्रो. सिन्हा बेतुका करार देते हुए कहते हैं कि पहले सरकार ने भी इस योजना पर गंभीर विचार विमर्श नहीं किया था लेकिन अब यह परिमार्जित स्वरुप में उपस्थित है। विदेशी शिक्षा पद्धति को देखें तो वहाँ यही पद्धति प्रचिलत है। यहाँ यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहर से आ रहे विश्वविद्यालयों के लिए क्या किया जायेगा। आपको बता दूँ नीति में इसके लिए भी व्यापक प्रावधान, नीति, दिशा निर्देश व शर्तें हैं। (वहीं)

III

विपक्ष में दिया जाने वाला तर्क

शिक्षा मामले के मर्मज्ञ विशेषज्ञ *प्रो. कृष्ण कुमार* के अनुसार, नब्बे के दशक से ही शिक्षा बाजार की वस्तु बनती जा रही। ऐसे में शिक्षा के बाजारीकरण का प्रयास किया जा रहा है उससे संस्थाओं की स्वतंत्रता को खतरा है। कस्तूरीरंगन समिति द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के निर्माण की सिफारिश की गई है। इस पर विचार प्रकट करते हुए प्रो. कुमार कहते हैं कि यह अत्यधिक केन्द्रीयकरण वाला है। अभी तक प्रत्येक युनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान कई मामलों को तय करने में स्वतंत्र हैं। दूसरी बात शिक्षा का विषय न तो केन्द्र के सूची में है न ही राज्य की सूची में बल्कि यह समवर्ती सूची में शामिल है। राज्य सरकारों की शिक्षा में अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा से अलग सेंकेडरी एड्युकेशन के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड हैं, अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकारें अपना बोर्ड विघटित करके एक केन्द्रीय बोर्ड को स्वीकार करेंगीं ? यदि देश में एक बोर्ड और एक तरह का

पाठ्यक्रम होगा तो निश्चित ही विद्यालयों की स्वात्तता समाप्त हो जायेगी। (सिंह, न्यूजक्लिक 17 जुलाई 2019)

जाने माने विद्वान अनील सद्गोपाल की माने तो नई शिक्षा नीति की चुनौतियों को तीन बिंदुओं में दिखाया है। क), शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण होगा ख) इससे उच्च शिक्षा के संस्थाओं के अलग-अलग रुप सामने आयेंगे और ग) सभी संस्थाओं में केन्द्रीकरण देखा जायेगा। (https://www.bbc.com/hindi/india-53593928)। देश की आधी से अधिक आबादी गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं जबकि इसमें आरक्षण से जुड़े प्रावधान का उल्लेख तक नहीं है। इसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के हाशियाकरण करने की एक नई रणनीति शुरु होगी। सरकार बहुत सारी योजनाओं के नाम पर स्कील इत्यादि बढ़ाने के नाम पर लोगों को पढ़ाई से विमुख करके मजदूर बनाने की मुहिम में लिप्त है। (सरोज सिंह बीबीसी हिन्दी 30 जुलाई 2020)।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री ***सतीश देशपांडे*** के अनुसार, सरकार की मंशा ठीक हो सकती है परंतु इसको कितना क्रियान्वयन किया जायेगा, कैसे क्रियान्वयन हो सकता है, यह देखना पड़ेगा। दुनिया में दोनों तरह का स्नातक प्रोग्राम है, तीन वर्षीय और चार वर्षीय। परंतु भारत में चार वर्षीय प्रोग्राम अपनाये जाने के क्या कारण हैं यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। और सरकार को यह भी बताना चाहिए कि चार वर्ष के कार्यक्रम से आखिर क्या फायदा होगा जो तीन वर्षों से नहीं हो रहा था। इसमें भारत में भी विदेशी युनिवर्सिटी स्थापित करने की वकालत की गई है। परंतु नीति सपने तो बड़े दिखाती है लेकिन इसको लेकर सरकार की तैयारी और दृढ़ता नजर नहीं आती है। आगे अपनी बातों को और प्रखरता से रखते हुए वे कहते हैं कि भारत में जिस तरह से सरकारी स्कूलों का हालात हुए हैं मुझे भय है कि इसके हालात भी सरकारी स्कूल की तरह न हो जाये।[4]

प्रसिद्ध शिक्षाविद् अनिता रामपाल को विशेष रुप से दो चिंता इस नीति में दिखाई पड़ती है। पहला, वे कहती हैं कि यह साफ हो चला है कि शिक्षा में ये बदलाव गरीब छात्रों के लिए नुकसानदायक हैं। चाहे वो एक समान प्रवेश परीक्षा हो या फिर चार साल का स्नातक कार्यक्रम। दूसरा, जो अकेडमिक क्रेडिट बैंक है उसमें यह चिंता है कि जो कोर्स बहुत अच्छे हैं जिसे शिक्षकों ने बहुत सूझबूझ से बनाया था, उसके साथ भी खिलवाड़ होने की गुंजाईश देखी जा रही है। कहा

[4] सतीश देशपाण्डे का उपरोक्त विचार न्यूजक्लिक द्वारा जारी एक विस्तृत साक्षात्कार से उद्दत है।

जा रहा है कोई विद्यार्थी जहाँ नामांकित होगा होगा वहाँ के पचास फीसदी क्रेडिट लेगा और पचास फीसदी क्रेडिट किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स या विश्वविद्यालय से ला सकेगा। इसमें चिंता यही है कि इसका मूल प्रारुप क्या होगा। क्या इस प्रारुप में विद्यार्थी अपने स्व को बचा पायेगा। वह बाजार के प्रभाव में न आ जाये (24 अप्रैल 2022, न्यूजक्लीक)

ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक अन्य विद्वान प्रो. पूजा बत्रा ने इससे जुड़े तीन चिंताओं की तरफ अपना इशारा किया है। पहला, नई शिक्षा नीति गाँधीवादी परिकल्पना के विपरत समाज को दो हिस्सों में बाँटती है और उसी के अनुरुप उन्हें शिक्षा प्रदान करती है। यह नीति विद्यार्थी में केवल कौशल बढाने का दावा करती है एवं उसके क्रिटिकल जिज्ञासा को हतोत्साहित करती है। दूसरा, समाज के सबसे वंचित व कमजोर वर्ग को उसके अधिकार व गरीमा देने के लिहाज से एससी, एसटी और ओबीसी यानि अन्य पिछड़ा वर्ग की तीन अलग-अलग वर्गों में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सभी इसी वंचित श्रेणियों व उनके उपविभाजन को खत्म करके उसे एक साथ मिलाकर (सोशियो-इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स-एसईडीजी) की बात करती है। और तीसरा, आज भारतीय स्कूलों के आँकड़ों को देखें तो लाख से अधिक रिक्त पद हैं एवं स्कूली शिक्षक कभी अपने नियमित नौकरी तो कभी कार्यदशा को लेकर आंदोलन करते रहते हैं ऐसे में उनकी मांगों को नजरअंदाज करना सरकारी उत्तदायित्वहीनात को दिखाता है। इस नीति में उनकी कार्यशैली, कार्यदशा और नौकरी के मानक में क्या बदलाव होगें इसपर नीति चुप्पी साधे रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद असमानता व विविधता को स्वीकार करते हुए नीतियों में भी विविधता का सूत्रपात होना चाहिए। पूरी शिक्षा प्रणाली को एक ही नकेल से कसकर उसका विस्तार करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। (बत्रा 2020)

समाजशास्त्री ***प्रो. कुमकुम रॉय*** ने इपीडब्लू में 2019 में प्रकाशित अपने लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुरुआती प्रारूप को विस्तार से रखते हुए मूल रुप से इसकी दो खामियों की ओर इशारा किया है। पहला दस्तावेज में संदर्भ सूची का अभाव है एवं दस्तावेज में कई शब्दों जैसे बहुविषयकता का कई बार दोहराव किया गया है (राय 2019)। वहीं इससे एक वर्ष बाद इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में प्रो. राय ने एनईपी 2020 को कमजोर व पिछड़े वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव, स्वायत्ता, विषयकता के स्पेस और संवैधान द्वारा निर्धारित मूल्य व भावना के संदर्भ में गहराई से जाँचे परखे जाने की आवश्यकता को दोहराया है (राय 2020)

शिक्षाविद् प्रो. श्याम मेनन ने अपने एक लेख में कहा है कि यह दस्तावेज़ आंतरिक जाँच-पड़ताल के नज़रिये से बहुत अस्पष्ट प्रतीत होता है। उन्होंने प्रमुख रुप से दो सवाल उठाये हैं, पहला, वे नई शिक्षा नीति 2020 का विजन या रोडमैप क्या है यह स्पष्ट नहीं है। दूसरा, इस नीति में जो भी सुझाव प्रस्तावित हैं, उसके लिए शिक्षा में अत्यधिक सार्वजनिक निवेश की जरुरत पडेगी। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह अतिरिक्त संसाधन सरकार कैसे लायेगी। (मेनन 2020)।

उपसंहार

समग्रतः कहा जा सकता है कि उत्तर औपनिवेशिक काल से अब तक शिक्षा व्यवस्था और नीति का उत्तरोतर विकास साफ तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के संदर्भ में विद्वान दो खेमों में विभाजित हैं। पहले खेमें में एक तरफ विद्वानों का वर्ग जहाँ वैश्विक संदर्भ में इसे अन्वेषण व नवीनता, शोध की नवीन शैली व तकनीक के संदर्भ में ऐतिहासिक मान रहा है, वहीं इस नीति से विद्वानों का दूसरा खेमा असहमत भी है। वे इसे गाँधीवादी सपने के विपरीत, समाज के कमजोर जाति वर्ग का विरोधी एवं शिक्षा-तंत्र को बाजार की गिरफ्त में करने की मंशा से प्रेरित मानता है। ऐसे में हमें निश्चित तौर इस नीति की संकल्पना को समझना चाहिए, उसमें मौजूद अस्पष्टता पर तार्किक नजरिये से प्रश्न भी करना चाहिए। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब आप किसी मुद्दे या विषय का समर्थन करते है, उसका विरोध या उस पर संशय करने की स्वतंत्रता रखते हैं। इससे संवाद की संभावना भी प्रबल होती है। गहन संवाद के उपरांत जो निकलकर आता है वह हमेशा अधिक व्यवस्थित, स्वीकार्य और भविष्य के लिहाज से फलदायी होता है।

संदर्भ सूची

प्रधान धमेन्द्र (2021). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, करोड़ो युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का एक साधन', *दैनिक जागरण*, 13 अगस्त.

रॉय कुमकुम (2019). 'ऐक्जामनिंग द ड्रॉफ्ट नेशनल एड्यूकेशन पॉलिसी', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली.* वौल्यूम 54, अंक 25, 19 जून.

.....(2020). 'नेशनल एड्युकेशन पॉलिसी, निड्स क्लोज स्क्रुटनी फॉर वॉट इज सेज़, वाट् इट् डजनॉट', *इंण्डियन एक्सप्रेस,* 31 जुलाई.

बत्रा पूजा (2020) 'नई शिक्षा कैसा प्रस्थान', *वागार्थ,* वर्ष 26, अंक 301.

जनधयाला बी.जी तिलक (2007). 'द कोठारी कमीशन एंड फिनांसिंग ऑफ एड्युकेशन'. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, वौल्यूम 42, नंबर 10.

सिंह सरोज (2020), ://www.bbc.com/hindi/india-53593928

श्रीप्रकाश सिंह (2020), 'नयी शिक्षा नीति की ज़रुरत थी', *प्रभात खबर* दैनिक हिन्दी, जुलाई 31.

.....(2021), 'शिक्षा को रोजगारपरक बनाएँ', *प्रभात खबर* दैनिक हिन्दी, अगस्त 9.

स्पेशल आर्टिकल (2017). डॉ. राधाकृष्णन कमीशन रिर्पोट ऑन हायर एड्युकेशन, एनएमआईएमएस *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी.*

श्याम मेनन (2020), 'एनईपी 2020 : सम सर्चिंग क्वेश्चन', *सोशल चेंज*, 9 दिसंबर, सेज पब्लिकेशन.

10.

नई शिक्षा नीति का तुलनात्मक अध्ययन

शाईस्ता
E-498,जैतपुर एक्स.-2
बदरपुर नई दिल्ली, 110044

आबिदा बानो
381/22 E, 4thफ्लोर ,
जाकिर नगर , नई दिल्ली -25

डॉ.एस.आर.टी.पी.सुगुनकराराजु
सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

शिक्षा मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका सम्पूर्ण मानव विकास में एक विशेष योगदान है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। शिक्षित व्यक्ति एक राष्ट्र के विकास की कुंजी होता है। किसी भी राष्ट्र के विकास स्तर को मापने के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों का शिक्षा स्तर भी मापा जाता है। शिक्षा संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। यह एक राष्ट्र के मानव विकास के मुख्य आयामों में औसत उपलब्धि को नापने में सहायता करता है।

भारत में शिक्षा को प्राचीन काल से ही महत्व दिया जाता आ रहा है। रामायण एवं महाभारत काल में भी गुरुकुल, आश्रम, मठ एव परिषद स्थापित किए गए, ताकि उच्च स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति की जा सके। भारत की भूमि विश्व के प्राचीन विश्वविधालयों का ग्रह स्थल भी रही है जैसे की नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी आदि। इन विश्वविधालयों में शिक्षा केवल गणित, शास्त्र, कला, भाषा, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत ब्रिटिशों द्वारा की गई। अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जो उनका कार्य सहजतापूर्वक कर सके। इस कार्य को अंजाम देने के लिए समय-समय पर कमीशन एव समितियां गठित की गई। कुछ महत्वपूर्ण समितियां एव कमीशन:-शिक्षा पर वुड का घोषणा-पत्र, 1854;हंटर आयोग, 1882-83; भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904;सेडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917;हार्टोग समिति, 1929;सार्जेट योजना, 1944 आदि। इसी समय स्वतंत्रता सेनानियों ने भी आम-जन तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए, कई स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई जैसे :- जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीग़ढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शांति निकेतन आदि। (चौबे, 1956; संजीवा, 2019)

स्वतंत्रता के बाद भी अनेक समितियां एवं कमीशनों का गठन किया गया ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकें और आम जन तक शिक्षा की पहुँच हो सकें। कुछ महत्वपूर्ण समितियां एव कमीशन:- राधाकृष्णन कमीशन 1948;मुदलीयर कमीशन 1952; कोठारी कमीशन 1964 आदि। कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित आधुनिक भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई। इस शिक्षा नीति

के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: शिक्षा को राष्ट्र महत्व का मुद्दा घोषित किया गया,14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के साथ शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता का लक्ष्य रखा गया, माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' को लागू किया जाए आदि (चौबे, 1956; जोशी 2020)।

1986 में दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी सरकार के नेतृत्व में लाई गई । इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था कि सब तक शिक्षा की पहुँच हो एव शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानताओं को कम किया जाए। इस नीति को 1992 में संशोधित किया गया। पिछली दो नीतियों के बावजूद भी शिक्षा के कई क्षेत्रों में सुधार किए जाने बाकी थे। इतने वर्षों बाद भी आमजन तक गुणात्मक शिक्षा की पहुँच दूर का सपना मात्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का स्तर 74.04 प्रतिशत था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 2022 में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1027 है(तालिका 1 देखें)। आजादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार किए गए, परंतु 21वीं सदीं में विश्व के साथ प्रगति करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है जिसे नई शिक्षा नीति के द्वारा पूरा किया जाने का प्रयास किया गया है । 2014 में ही मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की घोषणा अपने चुनाव पत्र में की थी। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2022; उप्रेती,2020)

तालिका 1: देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 04.03.2022

विश्वविद्यालय	कुल संख्या
राज्य विश्वविद्यालय	444
मानक विश्वविद्यालय	126
केंद्रीय विश्वविद्यालय	54
निजी विश्वविद्यालय	403
कुल	1027

स्त्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2022

डॉ. आर. के. कस्तूरीरांगन कमिटी की सिफारिशों के आधार पर तीसरी शिक्षा नीति, 2020 में लाई गई। तीसरी शिक्षा नीति 'नई शिक्षा नीति 2020' के नाम से जानी जाती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं का विकास हो बल्कि उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए और साथ ही नैतिक, सामाजिक, और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास हो (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020; आरती,2022)।

इस नीति का लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाए रखते हुए 21वीं सदीं की शिक्षा के लिए आकाक्षांत्मक लक्ष्यों, जिनमें (सतत विकास लक्ष्य) का लक्ष्य 4 भी शामिल है के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमों और प्रशासन सहित, सभी पक्षों में सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।

नई नीति में किए गए बदलावों को सही से विश्लेषण करने के लिए अब तक जारी शिक्षा नीति से इसका तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है।(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जारी शिक्षा नीति एव नई शिक्षा नीति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न सहायक उद्देश्य होंगे:

1. अब तक जारी शिक्षा नीति का मुख्य अंगों का विश्लेषण।
2. नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण।
3. इन दोनों नीतिओं का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध- प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है एवं विश्लेषणत्मक एव तुलनात्मक शोध- प्रविधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोत एवं सूचनायें, भारत सरकार की वेबसाइट तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, ऑनलाइन प्रकाशित अखबारों, पुस्तकें एव शोध पत्रों के माध्यम से एकत्रित किया गया है।

शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020

अब तक जारी शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के संशोधित स्वरूप के ऊपर आधारित है। जो की 1992 में पी वी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित की गई थी। इस शिक्षा नीति ने महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति तक शिक्षा को बढ़ाया है साथ ही अध्यापकों के शिक्षण पर भी जोर देती है। बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा इस नीति का उद्देश्य रहा है। इस शिक्षा नीति के दौरान कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं जिसमें कि शिक्षा को अनुच्छेद 21 A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में 2 दिसम्बर, 2002 को 86 वे संविधान संशोधन द्वारा शामिल करना और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 को शामिल करना है। इस अधिनियम को 2010 में लागू किया गया । (शिक्षा मंत्रालय, 2022;भजनी और माहेश्वरी, 2020) परंतु बदलते समय के साथ एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई जो वर्तमान एव भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें एवं पुरानी नीति से आगे की उपलब्धि हासिल कर सके (जनसत्ता, 2020)।

नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद,2020 में आई । (भजनी और माहेश्वरी, 2020)यह नीति पुरानी नीति से कितनी अलग है इसके लिए दोनों नीतियों के बीच तुलना करने की आवश्यकता है ताकि दोनों नीतिओ के बीच अंतर स्पष्ट हो सके।

पुरानी शिक्षा नीति एव नई शिक्षा नीति के बीच अंतर

अब तक जारी शिक्षा नीति 1986	नई शिक्षा नीति 2020
1. इस नीति का उद्देश्य सभी तक शिक्षा पहुँचाना था।	इस नीति का उद्देश्य पाठ्यक्रम में लचीलापन, बहु-विषयकता, अवधारणत्मक समझ पर जोर एव समर्ग शिक्षा पे जोर देना है।

	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3% (2018) से 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है।
2. पिछला शैक्षिणक पाठ्यक्रम का ढ़ाँचा: 10 (6 - 16 वर्ष आयु, कक्षा 1-10) + 2(16 - 18 वर्ष आयु, कक्षा 11-12)	नए शैक्षिणक पाठ्यक्रम का ढ़ाँचा:5 (शुरुवाती 3-6 वर्ष आयु आंगनवाड़ी, बलवाटिका में शिक्षा, 6-8 वर्ष आयु, कक्षा 1-2) + 3 (8- 11 वर्ष आयु, कक्षा 3 -5) + 3 (11-14 वर्ष आयु, कक्षा 6-8) + 4 (14-18 वर्ष आयु, कक्षा 9-12)
3. शिक्षा 6 वर्ष की आयु से आरंभ। इससे पहले आंगनवाड़ी एवं बलावटिका की भी उपस्थिती।	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 वर्ष की आयु से आरंभ। 2030 तक प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात करने का लक्ष्य।
4. 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए अनिवार्य बोर्ड परीक्षा।	10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता खत्म।
5. 11 वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र विशेषक्षेत्रों का चयन करते थेजैसे विज्ञान, वाणिज्य या कला विषय आदि ।	11वीं एवं 12वीं कक्षा का बहु-विषयक होना । सामान्य विषय और वैकल्पिक विषयों का चयन कर सकते है जो की उदार शिक्षा नीति पर आधारित है।
6. सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षापर आधारित था एनआईटी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर।	सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थानोंमें स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा,राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंकों पर आधारित होगा।
7. प्रत्येक छात्र के लिए सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ाव पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक हिस्सा था।	प्रत्येक छात्र के लिए सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ाव अनिवार्य हैऔर कम से कम कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरानएक पूर्ण सेमेस्टर के बराबर होना चाहिए।
8. स्नातक कार्यक्रम तीन या चार वर्षों का था।	स्नातक कार्यक्रम चार साल का विभिन्न निकासी एवं प्रवेश पर आधारित। सर्टिफिकेट के साथ एक वर्ष के बाद निकासी का प्रावधान, डिप्लोमा के साथ दो साल के बाद, तीन साल के बाद डिग्री के साथ, और चार साल के बादशोध परियोजना आधारित डिग्री।
9. कुछ कार्यक्रमों में पार्श्व प्रविष्टि की पेशकश की जाती था। लेकिन किसी भी पाठ्यक्रम में एकाधिक प्रविष्टियां और निकास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।	एकाधिक प्रविष्टियां और एकाधिक निकास सुविधाएं उपलब्ध हैं, चिकित्सा, स्नातक एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी।

10. स्नातकोत्तर शिक्षा दो वर्ष की एवं विशेष विषय पर आधारित थी।	स्नातकोत्तर शिक्षा एक से दो वर्ष की,अधिक विशेषज्ञता और अनुसंधान केंद्रित।
11. छात्रों को उनके अध्ययन के क्षेत्र में से विषय चुनने की स्वतंत्रता थी।	छात्रों को उनके अध्ययन के क्षेत्र के बाहर भी विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
12. अनुसंधान का प्रारंभिक अनुभव प्रदान करने के लिए दो साल की शोध डिग्री (एम. फिल.) प्रदान की जाती थी।	एम.फिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकिछात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रारंभिक शोध से अवगत कराया जाएगा।
13. स्नातक डिग्री धारक पीएच.डी में सीधे प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं।जब तक वे स्नातकोत्तर कार्यक्रम की डिग्री हासिल नहीं करते ।	चार साल के शोध आधारित स्नातक डिग्री धारक सीधे पीएच.डी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बिना स्नातकोत्तर कार्यक्रम की डिग्री के।
14. पीएच.डी. कार्यक्रम में अनुसंधान पद्धति और मुख्य विषय से संबंधित अध्ययन शामिल थे।	पीएच.डी. कार्यक्रम में शामिल हैं अनुसंधान पद्धति, शिक्षण और पाठ्यक्रम मुख्य विषय से संबंधित विकास पहलुओं के साथ पढ़ाई।
15. यूजीसी या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से अनुसंधान निधि मुहैया करना, परंतु मुख्य रूप से विश्वविद्यालय को समर्थन कॉलेजों की तुलना में।	राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से अनुसंधान निधि का वितरण। सभी प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में समान रूप से वितरित एवं अनुसंधान प्रस्ताव के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित।
16. एकल विषयक और बहु-विषयक अनुशासन दोनों शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा दिया जाता था।	केवल बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया जाएगा।सभी एकल विषयक महाविद्यालयों एव कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। या वे खुद को स्वायत्त बहु-विषयक कॉलेजों एव महाविद्यालयों में रूपांतरित करेंया उन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
17. किसी भी विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में सीधे कार्य की अनुमति नहीं थी।	लगभग 100 शीर्ष क्रम के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
18. स्नातक की पढ़ाई के बाद दो साल का बी.एड. कार्यक्रम, उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए शिक्षक को कुल मिलकर 5	प्रस्तावित शिक्षकों की शिक्षा में चार साल की एकीकृत बी.एड. शामिल, स्कूली शिक्षा में फैकल्टी बनने के लिए यह डिग्री अनिवार्य होगी। स्नातक के

साल बिताने पड़ते थे।	बाद दो वर्ष का बी.एड. एवं विशेष क्षेत्र मे स्नातकोत्तर के बाद एक वर्ष का बी.एड.कार्यक्रम भी उपलब्ध।
19. भौतिक पुस्तकालय सुविधाओं में सुधार,पुस्तकों और पत्रिकाओं की सुविधा।	ऑनलाइन पुस्तकालय में सुधार के लिए सुझाव ऑनलाइन किताबें और ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता मुहैया कराना।
20. केवल मान्यता प्राप्त और अनुमानित विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति थी।	सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों को ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति होगी।
21. च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम।	स्ट्रीम और योग्यता पर आधारित परिणाम प्रणाली।
22. संकाय प्रदर्शन और जवाबदेही पदोन्नति से जुड़ा है लेकिन प्रतिफल से जुड़ा नहीं था।	संकाय प्रदर्शन और जवाबदेही पदोन्नति एव प्रतिफल दोनों से जुड़ा है।
23. उच्चतर शिक्षाके अधिकांश कॉलेज राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, और उन्हे, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। की कोई स्वायत्तता नहीं थी।	उच्चतर शिक्षा संस्थानों एव कॉलेजों सहित सभी को स्वायत्तता हैं राज्य विश्वविद्यालयों से कोई संबद्ध कॉलेज नहीं होगा। पाठ्यक्रम तय करने में और मूल्यांकन में पूर्ण स्वायत्तता होगी।
24. परीक्षा शिक्षण से स्वतंत्र है। सभी परीक्षा और मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित थी। शिक्षण संकाय सदस्यों की एक छोटी सी भूमिका छात्रो को सीधेमूल्यांकन करने मेंथी।	परीक्षा सतत मूल्यांकन प्रणाली का एक हिस्सा होगी। संकाय सदस्य जो एक विषय पढ़ा रहे हैं मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार होंगे।
25.धन और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य था।	कामकाज और डिग्री देने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन अनिवार्य होगा। निरंतर कार्यरत रहने के लिए हर पांच साल में एक बार प्रत्यायन आवश्यक होग।
26. त्रि-भाषा एव दो भाषा।	त्रि-भाषा फार्मूला।

27. छोटे कॉलेजों एवं छोटे उच्चतर शिक्षा संस्थानों की उपस्थिति।	छोटे कॉलेजों एवं छोटे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े विश्वविद्यालयों के परिसर मे लाना एवं बड़े विश्वविद्यालयों में मिलाना या स्वायत्त डिग्री देने वाले संस्थानों में परिवर्तित होना होगा।

स्त्रोत : लेखक के द्वारा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्यक्रम कार्यवाही 1992) स्त्रोतों से तैयार की गई।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक पक्ष

- नई शिक्षा नीति 2020 अब तक जारी शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद आई है । जब समय की मांग के अनुसार नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है।
- यह नीति सतत विकास के लक्ष्य के उद्देश्य 4 को 2030 तक पूरा करने पर जोर देती है ताकि भारत किसी से भी पीछे न रह जाए एव सभी क्षेत्रों पर सम्पूर्ण तरीके से तरक्की कर सके।
- नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी सभी पक्षों, घटकों एव क्षेत्रों को ध्यान मे रख कर बनाई गई है। बाल्यवस्था से लेकर प्रौढ़ों एव किशोरों की शिक्षा की पूर्ण नीति बनाई गई है। अध्यापकों की शिक्षा को भी महत्व किया गया है।
- 3 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है जिससे हर एक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है एवं जो समझने में भी आसान होगा। समग्र विकास के लिए ये अति आवश्यक है।
- स्थानीय भाषाओं को महत्त्व दिया गया है जिससे लुप्त होती भाषाओं को बचाया जा सकता है। शिक्षा के स्तर में भी सुधार किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय भाषाओं में स्थानीय जन लिए पढ़ना आसान होगा।
- बेरोजगारी की समस्या से निपटने पाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा पर प्रारंभ से ही जोर दिया जाएगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ही शोध शिक्षा का आरंभ किया जाएगा। जिससे विद्यार्थी आरंभ से ही शोध विधियों एव परियोजनाओं का ज्ञान का आर्जित कर सकेंगे। परिणामस्वरूप, शोध के स्तर में भी सुधार की आशा की जाती है।
- स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के सीखने पर जोर। वैश्विकरण के दौर में विदेशी भाषाओं का सीखना आसानी से रोजगार पाने का सहायक गुण है। साथ - साथ विद्यार्थियों को विदेशों में छात्रवृत्ति दिलाने में भी सहायक होती है।

नई शिक्षा नीति की चुनौतियाँ

- दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा खत्म करने से हो सकता है शिक्षा का स्तर गिर जाए। दसवीं एवं बारहवीं की कक्षा पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर होता है । मुख्यतः विद्यार्थी इन्हीं कक्षाओं के आधार पे अपने आगे के जीवन का कार्य एवं शिक्षा का क्षेत्र चुनते है।

- दसवीं एव बारहवीं कक्षा को बहु विषयक बनाने की वजह से विद्यार्थी कोई ऐसा सरल विषय भी चुन सकते है जिससे उन्हें केवल अंक हासिल हो जबकि वह उनके जीवन एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा न हो।
- स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए आवश्यक मानव शक्ति एवं पठन सामग्री की कमी है।
- स्थानीय भाषाओ में रोजगार की भी कमी है। अंग्रेजी भाषा का चलन इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस भाषा में ज्यादा रोजगार उपलब्ध है। स्थानीय भाषाओँ में रोजगार की कमी के कारण भी आमजन अपने बच्चों को इंन भाषाओ को सिखाने पर जोर नहीं देते है।
- त्रि-भाषा फार्मूला बहुत लचीला होना चाहिए। पहले भी त्रि-भाषा फार्मूला की वजह से कई राज्यों ने रोष प्रकट किया है।
- उच्चशिक्षा में बहु - विषयकता के कारण एक ऐसे वर्ग के खड़े हो जाने का डर है जिसको थोड़ा - थोड़ा सब कुछ आता हो परंतु किसी भी विषय में महारत हासिल न हो। इस कारण से विशेषज्ञों की कमी हो सकती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते है जहां विशेषज्ञों की ही आवश्यकता होती है।
- सभी उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को अगर बहु - विषयक संस्थानों में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो अपने विशेष विषय के लिए प्रख्यात उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के स्तर में गिरावट आ सकती है। साथ ही हमे भी किसी भी विषय में महारता मानव शक्ति की कमी हो सकती।
- बहुनिकासी एवं प्रवेश के कारण स्नातक कार्यक्रमों की गुणवत्ता के स्तर में कमी आ सकती है। उदाहरण: बारहवीं कक्षा के बाद स्नातक कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए नया होता है कुछ समय तो उन्हें पाठ्यक्रम समझने में ही लग जाता है ऐसे में अगर उन्होंने एक ही वर्ष में केवल सर्टिफिकेट करके कार्यक्रम को छोड़ दिया तो शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में कमी आ सकती है।
- बहुनिकासी एवं प्रवेश के कारण स्नातक कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम बनाना भी आसान कार्य नहीं होगा। पहले तीन वर्षों को ध्यान में रख कर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। अब हर बर्ष के लिए पाठ्यक्रम बनाना होगा जो की एक कठिन कार्य है एवं साथ में गुणवकता बनाए रखना भी आवश्यक है।
- गाँव एवं छोटे शहरों में चलने वाले छोटे कॉलजो को बड़े संस्थानों में मिलने से हो सकता है कि आम जन के लिए असुविधा हो और शिक्षा से उनकी दूरी ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि ये छोटे कॉलेज गाँव एवं छोटे शहरों के आस- पास ही होते हैं ।जबकि इनको बड़े संस्थानों के परिसर में शामिल करने से दूरी बढ सकती है, जिस कारण हो सकता है आमजन शिक्षा हासिल न कर सके। यातायात की कमी एवं दूरी के कारण महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है।

सुझाव

- दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा खत्म करने की जगह होम बोर्ड की व्यवस्था की जा सकती है।

- बच्चों के बोर्ड की परीक्षा को दो हिस्सों मे बांटा जा सकता है जिससे परीक्षा का बोझ कम हो जाए।
- दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों विषय चुनने में शिक्षक मार्गदर्शन कर सकते है जिससे वे एक ऐसा विषय चुने जो उनके जीवन एव शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो।
- स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए आवश्यक मानव शक्ति एव पठन सामग्री की कमी को पूरा किया जाए। स्थानीय भाषाओंमें रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। स्थानीय भाषाओ के महत्व को दूरदर्शन , रेडियो के माध्यमसे उजागर किया जाए। अपनी भाषा में शिक्षा लेना आसान होता है जिससे कुशल मानव शक्ति का निर्माण हो सकता है।
- त्रि-भाषा फार्मूला लचीला हो साथ ही भाषा चुनने की आजादी पूरी तरह से बच्चों एवं राज्य के स्कूलों पे छोड़ देनी चाहिए। इस क्षेत्र में केंद्र की नीति को लचीला एवं राज्यों की नीति को सहायक होना चाहिए।
- उच्चतर स्तर पर बहु - विषयकता एवं एक विशेष विषय में शिक्षा का जारी रहना।
- बहु - विषयक उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के साथ-साथ एकल विषय में महारत प्राप्त उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए।
- स्नातक कार्यक्रमों के गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए सभी स्तर का पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया जाए की हर स्तर पे विद्यार्थी जो कुछ सीखें वह खुद मे पूर्ण हो एवं शिक्षा के स्तर में भी कमी ना आए। ताकि एक साल बाद केवल सर्टिफिकेट लेकर अगर कोई विद्यार्थी रोजगार के क्षेत्र में जाए तो उसे आसानी से रोजगार मिल जाए।
- छोटे शहरों एवं कस्बों मे स्थानीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बना रखना चाहिए परंतु समय - समय पर उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, साथ ही स्थानीय यातायात में सुधार करना चाहिए। जिससे आमजन के लिए शिक्षा हासिल करना आसान हो सके। आम जन एव शिक्षा के बीच की दूरी कम हो सके।

निष्कर्ष

शिक्षा किसी भी देश के विकास को तय करने मे निर्णायक भूमिका निभाती है। एक देश के चौतरफा विकास के लिए अच्छी शिक्षा नीति का होना बहुत आवश्यक है। यह नीति शिक्षा के साथ -साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को भी समावेश किए होनी चाहिए। भारत में अब तक केवल तीन ही शिक्षा नीतियाँ आई है। जहाँ पुरानी शिक्षा नीति के दौरान शिक्षा को मूल अधिकार मे शामिल करना सरहानीय कदम रहा है। वहीं बदलते विश्व में नई शिक्षा नीति समय की मांग है ताकि भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाके चल सके।

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र को नए स्तर पर ले जाती प्रतीत होती है। पुरानी शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद आई ये नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास पर जोर देती है। अभी तक बहुत से क्षेत्र ऐसे है जो गुणात्मक शिक्षा से वंचित हैं। उम्मीद की जा सकती है की इस शिक्षा नीति के द्वारा सभी लोगों तक गुणात्मक आधारभूत शिक्षा की पहुँच मुमकिन हो सके, साथ ही यह शिक्षा नीति 21वीं सदी और चौथी औद्योगिक क्रांति में देश का नेतृत्व करने के लिए सहायक होगी।

नई शिक्षा नीति समग्र और बहु-विषयक है। भारत के अतीत को खूबसूरती से वर्णित करती है। इस नीति में स्कूली शिक्षा को विभिन्न स्तरों में बाँटा गया है, स्थानीय एव विदेशी भाषाओं को महत्व

दिया गया है। साथ ही स्नातक एव स्नातकोत्तर स्तर पर शोध को महत्त्व दिया गया है। जिससे शोध के स्तर में सुधार की उम्मीद है। व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। संकाय सदस्यों को भी पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली, शिक्षाशास्त्र चुनने की स्वायत्तता मिलती है। शिक्षकों के अध्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पद्दोनति एव प्रतिफल के लिए भी गुणात्मकता को आधार रखा गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक सुधार किए गए है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित, सूचना केन्द्रित से ज्ञान केन्द्रित, अंक केन्द्रित से कौशल केन्द्रित की ओर बढ़ रही है।

संदर्भ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020*. https://www.education.gov.in/en/documents_reports
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार. 1986. राष्ट्रीय शिक्षा नीति *1986*. https://www.education.gov.in/en/documents_reports
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार. 1968. राष्ट्रीय शिक्षा नीति *1968*.https://www.education.gov.in/en/documents_reports
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार. 1992. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्यक्रम कार्यवाही 1992*.https://www.education.gov.in/en/documents_reports
5. आरती. बी. (2022, 24 फ़रवरी). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 - नई शिक्षा नीति. *पीएम मोदी योजनाए*. https://pmmodiyojanaye.in/national-education-policy-2020/
6. एक्समबाज़ टीम. (2021, 15 सितंबर). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. एक्समबाज़. https://exambaaz.com/npe-1986-b-ed-notes
7. उप्रेती, का. (2020, अगस्त 02). नई शिक्षा नीति: नई शिक्षा नीति को लागू करने में अभी बाकी हैं सबसे बड़ी चुनौती. नवभारत टाइम्स हिन्दी. https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/nep-new-national-education-policy-2020-challenges-ahead/articleshow/77299601.cms
8. जनसत्ता अनलाइन. (2020, 31 जुलाई). नई शिक्षा नीति 2020: शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव,देखे नई शिक्षा 2020 की जरूरी बातें. *जनसत्ता*. https://www.jansatta.com/education/new-education-policy-2020-live-updates-in-hindi-hrd-ministry-approves-new-national-education-policy-2020-latest-news-mhrd-nep-today-news-in-hindi/1481965/
9. जोशी, क. (2020, 31 जुलाई). नई शिक्षा नीति 2020: जानिए कैसे बदल जाएगी आपके बच्चों की पढ़ाई, ईन बातों का रखना होगा ध्यान.*टाइम्स नाउ नवभारत*.https://www.timesnowhindi.com/education/article/know-how-your-childrens-education-will-change-with-the-new-education-policy-nep/305674
10. भजनी, र. और माहेश्वरी, क. (2020). 34 साल बाद बदली नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऐसे समझे.....इसमे वो सबकुछ है, जो आपको और आपके बच्चों के लिए जानना जरूरी है . *दैनिक भास्कर*.https://www.bhaskar.com/db-original/explainer/news/school-

education-policy-2020-everything-you-need-to-know-about-national-education-policy-in-db-explainer-127566981.html

11. फे अनलाइन. (2022, मार्च 24). न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020: स्थानीय भाषा में 5वी कक्षा तक पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा में नंबर नहीं नालिज-स्किल्स पर रहेगा फोकस. *फाइनैन्शल एक्स्प्रेस*.https://www.financialexpress.com/hindi/india-news/cabinet-approved-national-education-policy-2020-mother-tongue-or-regional-language-as-medium-of-instruction-at-least-till-grade-5-board-exams-will-test-actual-knowledge-instead-of-rote-lea/2039008/
12. संजीवा. (2019, मार्च 13). आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास, DEVELOPMENT OF MODERN INDIAN EDUCATION: RELATED COMMITTES AND COMMISSIONS.*Sansar Lochan*. https://www.sansarlochan.in/history-of-modern-indian-education-committee-commission-in-hindi/
13. चौबे, एस. पी. (1956) भारतीय शिक्षा का इतिहास (प्राचीन, मध्य और वर्तमान कालीन शिक्षा के विकास और समस्याओं का सरल विवेचन), (1). रामनारायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता . https://ia801602.us.archive.org/29/items/in.ernet.dli.2015.441175/2015.441175.history-of.pdf
14. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, (2022). शिक्षा का अधिकार अवलोकन https://dsel.education.gov.in/hi/rte?q=rte
15. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, (2022)। https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf

11.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संभावनाएं और चुनौतियां

शांतेष कुमार सिंह
सह-आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को यह नई शिक्षा नीति प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति वर्ष 1968 व 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से को शिक्षा के क्षेत्र पर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति हेतु सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, पूर्व इसरो प्रमुख, पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में समिति का गठन किया गया जिसे कस्तूरीरंगन समिति के नाम से जाना गया । मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया, जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 1985 से पहले यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति की आवश्यकता पहली बार 1964 में महसूस की गई थी जब कांग्रेस सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने शिक्षा के लिए दूरदृष्टि और दर्शन की कमी के लिए तत्कालीन सरकार की आलोचना की थी। उसी वर्ष, शिक्षा पर एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति का मसौदा तैयार करने के लिए तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष डी एस कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के सुझावों के आधार पर संसद ने 1968 में पहली शिक्षा नीति पारित की। (चोपड़ा रितिका)

एक नई शिक्षा नीति आमतौर पर कुछ दशकों में आती है। भारत में अब तक तीन शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहला 1968 में और दूसरा 1986 में क्रमशः इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अधीन आयी;

1986 के एनईपी को 1992 में संशोधित किया गया था जब पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तीसरी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में जारी एनईपी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना।
- छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, तकनीकी, अकादमिक क्षेत्र और उद्योगों में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना है।
- भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना।

शिक्षण प्रणाली में सुधारः

- पहले सरकारी स्कूलों में प्री-स्कूलिंग नही होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारम्भ करता था लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा (Early Childcare and Education) द्वारा प्रारम्भ (ऑगनबाड़ी के माध्यम से) होगी।
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत मिड-डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात कही गई है। सुबह के समय पोषक नाश्ता विद्यार्थियों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है।
- कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- पहले जहाँ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी।
- 10वी एवं 12वी की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएँगी ।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन सम्पन्न एवं बहु विषयक संस्थानों में रूपान्तरित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा (Higher Education)

- बहु-स्तरीय प्रवेश एवं निकासी - वर्तमान मे तीन या चार वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारण वश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पढाई का कोई महत्त्व नही रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन है :
  - एक वर्ष की पढ़ाई पर - सर्टिफिकेट
  - दो वर्ष की पढ़ाई पर - डिप्लोमा
  - तीन या चार वर्ष पर - डिग्री
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट- इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग-अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- जो छात्र उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते उनके लिए स्नातक डिग्री 3 साल की है किन्तु शोध अध्ययन करने वालों के लिए स्नातक डिग्री अब 4 साल की होगी।
- पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा पाँच साल का संयुक्त ग्रेजुएट-मास्टर कोर्स लाया जाएगा।
- कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) - उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन परीक्षा होगी जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी। संस्था के लिए यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नही है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग नियम हैं, अब सबमे एक समान नियम बनाया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण - भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों (शीर्ष 100 में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत के बहुत से छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में रुचि है, जिसमे प्रसिद्ध गंतव्य यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान हैं जो शिक्षा और बहु-विषयक शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं," (प्रधान धर्मेंद्र)
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन को समाप्त कर नियामक संस्था बनाई जाएगी।

शिक्षकों से सम्बंधित सुधारः

- नेशनल मेंटरिंग प्लान- इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समय-समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन) आधारित होगी।

- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा।
- प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25 : 1 से कम हो ।
- प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास (पेशे से सम्बन्धित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लें।
- शिक्षकों को गैर-शिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड-डे मील) से सम्बन्धित कार्यों में शामिल न करने का सुझाव |
- ECCE शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा 6 माह (जो आँगनबाड़ी कर्मचारी 10 +2 या अधिक योग्यता) एवं 1 वर्ष (जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्य) का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education, 2021] का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य (अध्यापन) के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
- संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती करने पर जोर।

शैक्षणिक भाषा से सम्बंधित सुधारः

- इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें तीन भाषा फॉर्मूला यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढाई करवाई जाएगी।
- राष्टीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा-5 तक की पढ़ाई मातृभाषा / स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता (मैकाले पद्धति) समाप्त होगी।" यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो यह उसके दिमाग में जाता है। अगर आप उससे उसी की भाषा में बात करते हैं, तो वह उसके दिल में उतर जाता है।" मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान मुख्य रूप से भारतीय होने के विचार का जश्न मनाने, भारतीय विचारों का वैश्वीकरण करने, हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करने और इसे अपनी कक्षाओं में लाने पर है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए नीति त्रि-भाषा सूत्र की निरंतरता और इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है ।(आचार्य सुधा)

- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नही जायेगा।
- ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फ़ोरम (NETF) बनाया जा रहा है।
- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian Sign Language - ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी।
- 9वी कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा।
- भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक "भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान" तथा "फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिये राष्ट्रीय संस्थान" स्थापित किया जायेगा।

भारत उच्च शिक्षा आयोग:

- भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India – HECI) को सम्पूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जायेगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नही किया जाएगा।
- वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) का उद्देश्य अपने आपको बहु विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा।
- वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जायेगा।
- HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है:

  - विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद् (National Higher Education Regulatory Council – NHERC)
  - मानक निर्धारण- सामान्य शिक्षा परिषद (Central Education Council CEC)
  - वित्त पोषण- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council – HEGC)
  - प्रत्यायन- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council)

अनुसंधान:

- नई शिक्षा नीति में एम.फिल को समाप्त किया जायेगा।वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष वी.एस चौहान कहते है कि "इससे उच्च शिक्षा की गति बिल्कुल प्रभावित नहीं होनी चाहिए। "सामान्य तौर पर, मास्टर डिग्री के बाद एक छात्र पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकता है।यह वर्तमान प्रथा लगभग पूरी दुनिया में है।यूके (ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अन्य) सहित अधिकांश विश्वविद्यालयों में, एम.फिल एक मास्टर और पीएच.डी के बीच एक मध्यम शोध डिग्री थी। जिन लोगों ने एम.फिल में प्रवेश लिया है, उन्होंने अक्सर पीएच.डी की डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं की है। सीधे पीएच.डी कार्यक्रम के पक्ष में एम.फिल डिग्री को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया है।
- पीएच.डी के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन फिर एम.ए. उसके बाद की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएंगी।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन - राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसन्धान को सही रूप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए का गठन।

स्कॉलरशिप पोर्टल:

- SC, ST और OBC के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्रदान कर स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।
- IIT और IIM की तरह Multidisciplinary Education and Research Multidisciplinary University (MERUS) की स्थापना की जाएगी।
- देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नही कर सकते उन्हें NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL (ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग) कार्यक्रम से जोड़ कर पढ़ाया जाएगा।
- NIOS (राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान) - कक्षा तीन, पाँच और आठ के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में जेंडर इंक्लूजन फण्ड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर ।

परीक्षण एवं मूल्यांकन:

- 10वीं और 12वी कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएँ जारी रहेंगी, बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकेंगे।
- छात्रों को वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी जिससे बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्चतर जोखिम' पहलू को समाप्त किया जा सके ।
- विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सम्पूर्ण देश में एक समान होगी इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा।
- परख - छात्रों के मूल्यांकन के लिये मानक निर्धारक निकाय के रूप में 'परख (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- 360° Assesment- छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360° Assesment के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा। जिसमे मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठियों द्वारा किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन:

पिछले साल जुलाई में, भारत ने 21वीं सदी की अपनी पहली और सबसे व्यापक शिक्षा नीति का अनावरण किया। 1986 के बाद से पहली सर्वव्यापी नीति के रूप में, नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भारत की शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले कई संकटों को दूर करने का कठिन कार्य है।एनईपी के एक वर्ष पूरा होने पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की, "हम स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।एक तरह से एनईपी का क्रियान्वयन इस अवसर का अहम हिस्सा बन गया है।यह एक नए भारत और भविष्य के लिए तैयार युवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी 2020 को 21वीं सदी के लिए एक दूरदर्शी शिक्षा नीति कहा, जिसके माध्यम से भारत प्रत्येक छात्र की क्षमताओं का उपयोग कर रहा है, शिक्षा को सार्वभौमिक बना रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनईपी शिक्षा को समग्र, सस्ती, सुलभ और न्यायसंगत बनाएगी। वर्ष 2021 में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए कई उपायों को अपनाया गया, जिसके प्रारंभिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर अलग-अलग परिणाम थे। 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी होने के बाद पहला पूरा साल केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी स्वायत्त एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन प्रयासों के संबंध में मिश्रित परिणाम रहा है।कार्यान्वयन में पहला कदम, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना, जैसा कि एनईपी द्वारा सुझाया गया था,अपने आप में तात्कालिक कदम था, यह देखते हुए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति के साथ ही इस बदलाव को मंजूरी दी थी। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल

शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसने 8-25 सितंबर 2020 तक एनईपी 2020 की विभिन्न सिफारिशों और इसके कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और अन्य सभी हितधारकों के साथ शिक्षकों के लिए एक उत्सव 'शिक्षक पर्व' का आयोजन किया। इसका परिणाम 8 अप्रैल 2021 को जारी एक व्यापक कार्यान्वयन योजना सार्थक (छात्रों और शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति) थी। SARTHAQ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रत्येक सिफारिश से जुड़ी गतिविधियों को परिभाषित करता है। यह 297 कार्यों को चित्रित करता है, और इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान करता है। उनमें से हर एक को कार्य हेतु तैयार करता है, और इन कार्यों की समय-सीमा और इच्छित परिणामों को भी निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक व्यापक दिशा प्रदान करती है। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकती हैं), अतः प्रस्तावित सुधारों को केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। ऐसा तुरंत नहीं होगा। मौजूदा सरकार ने पूरी नीति को लागू करने के लिए 2040 का लक्ष्य रखा है। नीति हेतु पर्याप्त पूंजी भी महत्वपूर्ण है; क्योंकि 1968 कीशिक्षा नीति को पूंजी की कमी के कारण बाधित किया गया था। सरकार ने एनईपी के प्रत्येक पहलू के लिए कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों के सदस्यों के साथ विषयवार समितियां स्थापित करने की योजना बनाई है। योजनाओं में शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, स्कूल बोर्ड, एन.सी.ई.आर.टी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सहित कई निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सूचीबद्ध किया जाएगा। योजना के बाद निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षा भी की जाएगी।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई सहस्राब्दी के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज है। यह महत्वाकांक्षी है और संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के सतत विकास लक्ष्य 4 को ध्यान में रखते हुए इसके प्रमुख उद्देश्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच का दावा करता है। (सेनगुप्ता पापिया)

विदेशी विश्वविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोलने की सरकार की योजना:

दस्तावेज़ में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह नीति शीर्ष 100 को परिभाषित करने के लिए मापदंडों को विस्तृत नहीं करती है, लेकिन मौजूदा सरकार 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' का उपयोग कर सकती है क्योंकि इसने अतीत में 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' की स्थिति के लिए विश्वविद्यालयों का चयन करते समय इन पर भरोसा किया है। हालाँकि, इसमें से कोई भी तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि मानव संसाधन विकास

मंत्रालय एक नया कानून नहीं लाता जिसमें यह विवरण शामिल हो कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय कैसे काम करेंगे।

यह स्पष्ट नहीं है कि एक नया कानून भारत में परिसरों की स्थापना के लिए विदेशों में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को उत्साहित करेगा या नहीं। 2013 में, जब यूपीए-द्वितीय एक समान विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो येल, कैम्ब्रिज, एमआईटी और स्टैनफोर्ड, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ब्रिस्टल सहित शीर्ष 20 वैश्विक विश्वविद्यालयों ने भारतीय बाजार में प्रवेश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी वर्तमान में उन्हें सहयोगी परस्पर साझा कार्यक्रमों में प्रवेश करने, सहयोगी संस्थानों के साथ संकाय साझा करने और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने तक सीमित है। भारत में 650 से अधिक विदेशी शिक्षा प्रदाताओं की ऐसी व्यवस्था है।

कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करने से आईआईटी जैसे सिंगल-स्ट्रीम संस्थानों की भूमिका:

आईआईटी पहले से ही उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।आईआईटी-दिल्ली में एक मानविकी विभाग है और हाल ही में एक सार्वजनिक नीति विभाग की स्थापना की है। IIT-खड़गपुर में एक स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कई विषयों के बारे में , IIT-दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव कहते है कि, “अमेरिका में कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालयों जैसे MIT में बहुत मजबूत मानविकी विभाग हैं।सिविल इंजीनियर का ही उदाहरण लें। बांध बनाने का तरीका जानने से किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उसे बांध के निर्माण के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को जानने की जरूरत है। कई इंजीनियर उद्यमी भी बन रहे हैं। क्या उन्हें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए? आज इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी चीज में बहुत अधिक कारक शामिल हैं। ”

संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में हर मायने में एक पथप्रदर्शक दस्तावेज है। नीति का उद्देश्य 21वीं सदी के भारत की मांगों को पूरा करते हुए शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के अलावा शैक्षणिक मुद्दों, संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त करते हुए शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पास शिक्षा प्रणाली में कई संकटों को दूर करने का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। यदि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना चाहता है और तेजी से बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था से अवसरों को भुनाना चाहता है तो इसका प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।(साहू निरंजन) केंद्र ने महामारी की चुनौतियों के बावजूद हाल के महीनों में नीति क्रियान्वयन से संबंधित पहल शुरू करके तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना दिखाई है। कई राज्यों ने आधिकारिक तौर पर नीति शुरू की है और कई अन्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। फिर भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगे लंबा मार्ग है। इसके पैमाने और इसके निष्पादन में शामिल जटिलता को देखते हुए, विशेष रूप से राज्य, जिला, निजी क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग हासिल करना, इसे एक कठिन अभ्यास बनाता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कमजोर राज्य क्षमता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से निपटना होगा जो नए विचारों और नवाचारों पर एक दबाव के रूप में कार्य करता है। फिर भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आम सहमति बनाना और राज्यों को 1986 के बाद पहले शिक्षा के सर्वव्यापी कार्यक्रम को अपनाना है। संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता काफी हद तक सहकारी संघवाद और सुधारों का स्वामित्व लेने वाले राज्यों पर निर्भर करती है।

संदर्भ-सूची:

- Dharmendra Pradhan. (2021, October 7). New NEP to help provide affordable, quality education to students: Pradhan. *Business Standard*. https://wap-business--standard-com.cdn.ampproject.org/v/s/wap.business-standard.com/article-amp/economy-policy/new-nep-to-help-provide-affordable-quality-education-to-students-pradhan-121100701393_1.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16426999338954&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.business-standard.com%2Farticle%2Feconomy-policy%2Fnew-nep-to-help-provide-affordable-quality-education-to-students-pradhan-121100701393_1.html
- Freire-Garabal y Núñez, M. (2020).Practical recommendations to the new education policy of India 2020.*Al-Khalifa Business School Education Journal*. https://doi.org/10.21428/2efc4e67.19584a7f
- *Future of Indian education system: How relevant is the national education policy, 2020?* (2020).
- Kazmi, S. S., & Ali, M. (2021).undefined. *SSRN Electronic Journal*.https://doi.org/10.2139/ssrn.3827262
- Kumar, P., & Wiseman, A. W. (2021).*Teacher quality and education policy in India: Understanding the relationship between teacher education, teacher effectiveness, and student outcomes*. Routledge.
- Manoj K. Saxena ;Anu G. S. (101-). *New education policy on higher education*.PrabhatPrakashan.
- Oza, P. (2021). New education policy - NEP 2019 of India - Intellectual slavery or cultural hegemony.*SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3869636
- Patil, V. K., &Patil, K. D. (2021).Traditional Indian education values and new national education policy adopted by India.*Journal of Education*, 002205742110164. https://doi.org/10.1177/00220574211016404
- Ritika Chopra. (2020, July 31). India's National Education Policy, 2020. *The Indian Express*. https://indianexpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/indianexpress.com/article/explained/reading-new-education-

policy-india-schools-colleges-6531603/lite/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16426999338954&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&amp share=https%3A%2F%2Findianexpress.com%2Farticle%2Fexplained%2Freading-new-education-policy-india-schools-colleges-6531603%2F

- Sudha Acharya. (2021, July 29). How National Education Policy 2020 is transforming the vision for education in India. *Indian Express*. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-education-policy-nep_2020-transforming-india-7429011/lite/
- Tukdeo, S. (2019).*undefined*. Springer Nature

12.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण

डॉ. स्वाति सुचरिता नन्दा
सहायक आचार्य,
राजनीति शास्त्र विभाग,
डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
वाराणसी

गौरव प्रताप राव
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग,
सामाजिक विज्ञान संकाय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

जुलाई 29, 2020 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), को अनुमोदित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना था । यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है । इस नीति का उद्देश्य सन् 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से बदलना है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक ओजस्वी तथा प्रगतिशील ज्ञान के केंद्र में बदलने में सीधे योगदान देती है ।[1] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की मौजूदा शिक्षा नीति में अनेक मूलभूत परिवर्तन की बात करता है । इन्हीं में से एक है उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। नई नीति के अनुसार, कुछ चयनित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के प्रवेश की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी । इस अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक दूसरा आयाम भी परिभाषित है, "जिसके अनुसार उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा |" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माताओं के अनुसार, इस तरह के सहयोग देने वाले दोनों देशों के लिए सफलताओं की संभावनाएं खोल सकते हैं । ये कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 सबसे परिणामी सिफारिशों में से एक है ।

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का रोडमैप

भारत को "वैश्विक अध्ययन गंतव्य" बनाने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ-एनईपी ने 2030 तक उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को वास्तविक बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है । इसके अनुसार, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को दो तरफा स्तर के रूप में देखा जा रहा है ।

- भारत के कुछ चयनित विश्वविद्यालयों को विदेशों में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी । इन भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके प्रदर्शन के रैंकिंग के आधार पर चुना जाएगा ।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसमें प्रवेश की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा |
- भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसके लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक तैयार किया जा रहा है ।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी ।

इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 2021 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक पहुँच के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क पूर्व अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह के अनुसार-

> एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान की ब्रांड निर्माण जैसी गतिविधियां, अकादमिक और अनुसंधान मे विदेशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, ट्विनिंग व्यवस्था के तहत क्रेडिट मान्यता, वैश्विक नागरिकता के दृष्टिकोण और विदेशी पूर्व छात्र के साथ जुड़ाव के जरिए ये दिशानिर्देश भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक पहुच के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं ।[2]

यह उल्लेख करना उचित होगा कि एनईपी ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को शिक्षा के क्षेत्र में एक नए नियामक के रूप में प्रस्तावित किया है ।[3] यह भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान नियामक ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' को निरस्त कर देगा । उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए नए नियामक की परिकल्पना की गई है । एचईसीआई विधेयक 2020 के मसौदे का खंड 20 (4) निर्दिष्ट करता है कि ''आयोग मानदंड निर्धारित कर सकता है और निर्धारित तरीके से अत्यधिक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसरों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है ।''[4] विदेशी विश्वविद्यालयों की सुविधा के अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने और शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और संयुक्त उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

उच्च शिक्षा के गंतव्य के रूप में भारत

भारत को वैश्विक अध्ययन का गंतव्य बनाने का यह प्रथम दृष्टांत नहीं है । प्राचीन काल से ही भारत वैश्विक अध्ययन और ज्ञान का केंद्र रहा हैं । यह सर्वविदित है कि 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों के ज्ञान ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों से विद्वानों को आकर्षित किया ।[5] इससे पहले भी तक्षशिला परिसर को उन छात्रों के समायोजित करने के लिए जाना जाता था जो बेबीलोनिया, ग्रीस, अरब और चीन से आए, और विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति, युद्ध, ज्योतिष जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साठ से अधिक विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश की थी । लेकिन समय के साथ भारत की शिक्षा प्रणाली ने विश्व मंच पर अपना गौरव खो दिया था । नतीजतन विदेशों में, विशेष रूप से पश्चिम के देशों में, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने वालों में भारतीयों का बड़े पैमाने पर आप्रवासन हुआ है । विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2018 तक विदेशों में लगभग 7,52,725 भारतीय छात्र थे ।[6] यदि दशकीय आंकड़े एकत्र किया जाएं तो यह संख्या करोड़ों तक पहुंच जाएगा ।

यह दर्शाता है कि भारतीय छात्रों को विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों से जोड़ने की सख्त जरूरत है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाने का विचार इसे सुगम बना सकता है । यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि भारत के पास कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रों में एक स्वदेशी ज्ञान का आधार है जिसे अभी भी विश्व स्तर पर प्रसारित करने की आवश्यकता है । विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना का विचार ही इसमें मदद कर सकता है ।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में भारतीय उच्च शिक्षा को विश्व के देशों से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं । भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र को खोलने के विचार ने देश के आर्थिक सुधारों के प्रारंभिक चरण के दौरान अपनी जड़ें जमा लीं । इस तरह के पहले कदम में, कानूनी ढांचे के तहत विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश की सुविधा के लिए 1995 में एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था । विपक्षी राजनीतिक दलों और अपने ही सहयोगियों के कड़े प्रतिरोध के कारण, विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया । इस दिशा में एक और प्रयास 2005-06 में किया गया था लेकिन इसके लिए तैयार किए गए बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं मिल पाई थी । एक और प्रयास में, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार विदेशी शैक्षिक संस्थान (प्रवेश और संचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 लाई । हालांकि, विधेयक संसद में पारित होने में विफल रहा और अंततः 2014 में यूपीए सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही समाप्त हो गया ।

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ

यह उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बहुआयामी परिणाम होंगे जो भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदल देगा । यह उल्लेखनीय है कि भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं[7], और 443 राज्य विश्वविद्यालय हैं ।[8]

हालाँकि, विडंबना यह है कि विश्वविद्यालयों की विश्व रैंकिंग के पहले 600 में एक भी विश्वविद्यालय को जगह नहीं मिल पाई है ।[9] इसके अलावा, नवीनतम वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 134 देशों में 88वें स्थान पर है, जो प्रतिभाओं को विकसित करने और आकर्षित करने की वर्तमान क्षमता का आकलन करता है ।[10] यह स्पष्ट है कि दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के बावजूद, जहां तक गुणवत्ता और कौशल का संबंध है, यह एक नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के इच्छुक भारतीय छात्रों के विदेश पलायन के पीछे यह सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है ।

यह माना जाता है कि उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा के कारण विश्वविद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा । यह माना जा रहा है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गठन करने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है । पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालयों की रैंकिंग अभ्यास शुरू किया गया है । अभी भी बहुत कुछ अपेक्षित है ।

पहला, अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक मजबूत आर्थिक पहलू भी है । एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए चयन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2016 में 440,000 से बढ़कर 2019 में 770,000 हो गई और 2024 तक लगभग 1.8 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है । जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा पर विदेशों में खर्च में वृद्धि हुई है ।[11] दूसरा, शीर्ष विदेशी संस्थानों का भारत में होने से यहाँ के छात्र अपने ही देश में बहुत कम कीमत पर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं । दूसरे शब्दों में, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को घर लाने से निश्चित रूप से घरेलू राजस्व में वृद्धि के सकारात्मक प्रभाव होंगे ।

तीसरा, शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय पूंजी के साथ साथ नवीनतम शिक्षा प्रौद्योगिकी और नए ज्ञान को लाएंगे जो भारत में अर्थहीनता की ओर जाने वाली संस्थानों को गतिशीलता प्रदान करेंगे । इसके अतिरिक्त भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त करेगा । यह न केवल संस्थागत बल्कि व्यक्तिगत सहयोग को भी बढ़ावा देगा । इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र अधिक विविध और अधिक मजबूत हो जाएगा ।

चुनौतियां

ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदलना है । इस संदर्भ में, यह वास्तव में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है । इस परियोजना की सफलता भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु बनाने में सहायक हो सकती है । इस परियोजना को सफल बनाने के वास्तविक प्रयास, हालांकि चुनौतियों से भरे हुए हैं ।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्थापित नौकरशाही से आएगी ।[12] अब तक अधिकांश विश्वविद्यालयों ने सरकारी विभागों की तरह काम किया है, जिसमें आंतरिक प्रशासन, लालफीताशाही और धीमे फैसलों से चिह्नित है । यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों को गतिशील बनाना भी शामिल है । यदि कोई भारत के अधिकांश हिस्सों में स्कूली स्तर की शिक्षा को देखता है, तो बहुत कुछ अपेक्षित है । क्या ऐसी प्रणाली से आने वाले छात्र और शिक्षक एक गतिशील विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ तालमेल बिठा पाएंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

प्रथम दृष्टि में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र का विशाल आकार आकर्षक लग सकता हैं, पर असल चुनौती इस तथ्य से आएगी कि क्या विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत अपने यहाँ परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगा ? दूसरे शब्दों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत विधायी ढांचे वाले प्रस्तावित नियम नियमावली क्या विदेशी संस्थाओं के लिए नियामक, शासन और संबंधित मानदंडों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने का इरादा रखते हैं ? क्या दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन होंगे ? इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा कि अधिकांश एंग्लो-अमेरिकन विश्वविद्यालय वर्तमान में नामांकन में महत्वपूर्ण गिरावट, वित्तीय संकट, अन्य बजट में कटौती का अनुभव कर रहे हैं ।[13]

मलेशिया, सिंगापुर, चीन और दक्षिण कोरिया कुछ ऐसे एशियाई देश हैं जिन्होंने आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को विकसित और नियोजित किया है । भारत के लिए उनके अनुभवों से सीखना बहुत जरूरी है । कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आत्मनिर्भर संस्थानों के रूप में, विदेशी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय नीति, स्थानीय संदर्भ और प्राथमिकताओं का जवाब देना आवश्यक है ।[14]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिशन के लिए एक बड़ी चुनौती मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना है जो विदेशी संस्थानों की संतुष्टि के लिए एक नियामक वातावरण बना सकता है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि भारत की शिक्षा प्रणाली नौकरशाही से पीड़ित है । संचालन करने में सक्षम होने के लिए, विदेशी संस्थाओं को पाठ्यक्रम सामग्री, प्रवेश नीतियों, शुल्क संरचना, संकाय भर्ती नीतियों, शासन संस्थागत निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक स्वायत्तता की आवश्यकता होती है । हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एच.ई.सी.आई दोनों के पास विश्वविद्यालय स्वायत्तता के मजबूत घटक हैं, लेकिन स्वायत्तता की सीमा के बारे में मुद्दे उठ सकते हैं जो एक संस्थान को दी जा सकती है । क्या प्रस्तावित एच.ई.सी.आई विधेयक उच्च शिक्षा क्षेत्र में विनियमन और संस्थागत स्वतंत्रता के तनाव को दूर करने में सक्षम होगा ?

इसी तरह, भारतीय विश्वविद्यालयों का विदेशों में कैंपस स्थापित करने का विचार भी चुनौतियों से भरा हो सकता है । उन देशों के अनुभवों को, जिन्होंने अन्यत्र परिसरों की स्थापना की है, आसन्न चुनौतियों को समझने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिया जाना चाहिए । कुछ अध्ययनों ने विदेशों में विश्वविद्यालय परिसरों के प्रबंधन में शामिल जटिलताओं का संकेत दिया है ।[15] इस तरह

की प्रबंधकीय समस्याएं, स्थानीय मांगों के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपनाने से लेकर स्थानीय कर्मचारियों और सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन तक, हो सकती हैं ।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों ने ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो बहुत अधिक स्वदेशी हैं और कई बिंदुओं पर अन्य दृष्टिकोणों की अत्यधिक आलोचना करते हैं । इस तथ्य को देखते हुए कि ज्ञान निर्माण के क्षेत्र में पश्चिमी वर्चस्व को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है, यह सवाल उठता है कि भारतीय आलोचनात्मक दृष्टिकोण अन्य देशों में, विशेष रूप से पश्चिम, में कैसे जगह बना पाएगी ?

सबसे महत्वपूर्ण चुनौतीं इस तथ्य से आएगी की भारत के सभी सरकारी विश्वविद्यालय, न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बल्कि दिन प्रति दिन के संस्थान के संचालन में भी, सरकारी सहायता पर पूरी तरह निर्भर हैं । यहाँ तक की निजी विश्वविद्यालय भी कई मामलों में भारत सरकार पर निर्भरशील हैं, जैसे कि परिसर विकास के लिए रियायती भूमि तथा छात्रों के छात्रवृति के लिए । प्रश्न यह है कि भारतीय विश्वविद्यालय अपनी पूंजी के बिना विदेशों में परिसर कैसे खोल पाएंगे ?

यह ध्यान में लाया जाना चाहिए कि चुनौतियों के बारे में चर्चा करने का मतलब संबंधित पहल की आलोचना करना नहीं है । दूसरी ओर, इस परियोजना को सफल बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में गंभीर चिंताओं को दर्शाता है । इस अर्थ में, यह लेख नीति निर्माताओं का ध्यान उन कदमों की ओर दिलाना चाहता है जो चुनौतियों से बचने के लिए उठाए जाने चाहिए ।

सुझाव :

उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रियाँ है । जबकि भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए नीति निर्माताओं के विचार एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसे बहुत सी सावधानियों के साथ लिया जाना चाहिए । शिक्षण संस्थानों और देश को अंतर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संस्थागत प्रतिबद्धता, प्रशासनिक संरचना, योजना और रणनीतियों का एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा । इनमे से कुछ सुझावों का वर्णन नीचे किया गया है -

- सरकार को सबसे पहले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजारों को ध्यान में रखते हुए भारत में पढ़ाएं जाने वाले विदेशी पाठ्यक्रमों के औचित्य का मूल्यांकन करना चाहिए ।
- यह देखने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए कि विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या भारतीय सांस्कृति को कोई खतरा ना हो ।
- भारत में आने वाले विश्वविद्यालयों में भारतीय शैक्षिणक तथा गैर शैक्षणिक कार्मिकों के एक निश्चित प्रतिशत शामिल करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के विविधता जैसे स्थानीय आस्था, भाषा, खानपान, पहनावा के प्रति संवेदनशीलता के लिए प्रावधान होना चाहिए ।
- प्रतिभाओं के पलायन को रोकने के लिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की वेतन संरचना भारतीय विश्वविद्यालयों के वेतन ढांचे के साथ उचित समानता में होना चाहिए ।
- विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने पर भारतीय विश्वविद्यालयों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता हैं, उन्हे समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए ।
- भारतीय विश्वविद्यालयों को शिक्षण और अनुसंधान के लिए वही सुविधाएं मिल रही है जो विदेशी विश्वविद्यालय में हैं, जैसे शिक्षक-छात्र अनुपात और बुनियादी ढांचा । यदि इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती हैं ।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय समाज के गरीब तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों के लिए छात्रवृति तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान करना चाहिए ।
- जहां तक विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों को खोलने का संबंध है, यह याद रखना चाहिए की भारतीय विश्वविद्यालयों के पास अपने दम पर परिसर खोलने के लिए पूंजी और मानवीय संसाधन नहीं हैं । इसलिए प्रारम्भिक समय में, इन परिसरों को सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, इसका भी प्रावधान करना चाहिए ।
- वैकल्पिक रूप से, भारतीय विश्वविद्यालयों के समूहों को नए संयुक्त परिसरों को शुरू करने के लिए एक साथ आने की अनुमति देनी चाहिए ।

निष्कर्ष

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है | शिक्षा की प्रकृति को बदलने के लिए कौशल तथा गुणवत्ता लाने की तत्काल आवश्यकता हैं । वैश्वीकरण ने छात्रों तथा प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों की प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता के रूप में चुनौतियों को खोल दिया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान भारत सरकार द्वारा अवसरों के लिए संभावनाओं को खोलने का एक प्रयास है । इस नीति में परिकल्पित शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । यदि उचित रूप से लागू किया जाए, तो यह नीति उच्च शिक्षा के गुणवत्ता में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करंने का नेतृत्व कर सकती है । अपने महत्वाकांक्षी प्रावधानों के साथ यह नीति ना केवल भारत में सर्वोत्तम उच्च शिक्षा ला सकता है बल्कि दुनिया को स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार कर सकता है ।

संदर्भ सूची

[1] MHRD, Government of India, 2020. *National Education Policy 2020*. At https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf; Accessed on January 21, 2022.

[2] UGC. 2021. Guidelines for University Grants Commission Ministry of Education Government of India: Internationalisation of Higher Education, UGC, Ministry of Education, Government of India. At https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/int_he.pdf; Accessed on January 30, 2022.

[3] Ministry of Human Resource Development, Government of India, 2018. *The Draft Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act, 1956) Bill, 2018*. At https://prsindia.org/billtrack/the-draft-higher-education-commission-of-india-repeal-of-university-grants-commission-act-1956-bill-2018; Accessed on January 28, 2022.

[4]Anubhuti Vishnoi, 2020. HECI bill to go for cabinet nod soon, *Economic Times Bureau*, August 03, 2020. At https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/nep-opens-doors-for-foreign-varsities-heci-bill-to-go-for-cabinet-nod-soon/articleshow/77321358.cms?from=mdr; Accessed on January 28, 2022.

[5] Pinkney Andrea Marion, 2015. Looking West to India: Asian education, intra-Asian renaissance, and the Nalanda revival. *Modern Asian Studies* 49 (1): 111-149.

[6] *Indian Students studying in Foreign Countries*, Ministry of External Affairs, Government of India. At https://www.mea.gov.in/Images/attach/ru964.pdf; Accessed on February 1, 2022.

[7] UGC. 2021. List of Central Universities included in the UGC list as on 31.03.2021. At https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated_CENTRAL_UNIVERSITIES_List.pdf; Accessed on January 3, 2022.

[8] UGC, 2021. List of Central Universities included in the UGC list as on 31.03.2021. At https://www.ugc.ac.in/print_stateuniversity.aspx; Accessed on January 3, 2022.

[9] Ranking Web of Universities, At https://www.webometrics.info/en/asia/india; Accessed on January 3, 2022.

[10] Bruno Lanvin and Felipe Monteiro (eds.) 2021. *The Global Talent Competitiveness Index 2021: Talent Competitiveness in Times of COVID*. At https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf; Accessed on February 3, 2022.

[11] Vinay Umarji, 2021. Indian students' overseas spending to hit $80 bn a year by 2024: RedSeer, Business Standard, Ahmadabad (September 25, 2021). At https://www.business-standard.com/article/education/indian-students-overseas-spending-to-hit-80-bn-a-year-by-2024-redseer-121092400679_1.html, Accessed on January 31, 2022.

[12] UGC, 2003. Higher Education in India, Recommendations of UGC Golden Jubilee Seminars-2003 held at eleven universities of India. At https://www.ugc.ac.in/oldpdf/pub/he/heindia.pdf; Accessed on February 30, 2022.

[13] Deloitte, 2020. COVID-19's impact on higher education: Strategies for tackling the financial challenges facing colleges and universities. At https://www2.deloitte.com/us/en/pages/public-sector/articles/covid-19-impact-on-higher-education.html; Accessed on January 31, 2022.

[14] Angela Yung-Chi Hou, Christopher Hill, Karen Hui Jung Chen & Sandy Tsai, 2018. A comparative study of international branch campuses in Malaysia, Singapore, China, and South Korea: regulation, governance, and quality assurance, *Asia Pacific Education Review*, 19: 543-555; At https://link.springer.com/article/10.1007/s12564-018-9550-9; Accessed on January 31, 2022.

[15] Nigel M Healey, 2015. The challenges of leading an international branch campus: the 'lived experience' of in-country senior managers, *Journal of Studies in International Education*, 20 (1): 61-78; At https://core.ac.uk/download/pdf/42393017.pdf; Accessed on January 31, 2022.

13.

नई शिक्षा नीति : सशक्त भारत की परिकल्पना

शुभम जायसवाल
पी.एच.डी. शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली.

अभिजीत कुमार मल्ल
शोध सहायक,
लोक सभा सचिवालय,
नयी दिल्ली.

समकालीन वैश्विक समाज तकनीकी निर्भरता व प्रौद्योगिक वातावरण की ओर अग्रसर है। तकनीकी समझ एवं वैश्विक जरूरत के अनुसार युवाओं को तैयार करना ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होगी जो वैश्विक बदलाव के साथ-साथ चलेगी जिसके लिए हम सभी को बुनियादी स्तर से काम करने की आवश्यकता है। ऐसे में किसी भी देश को ऐसे मानव पूंजी (Human Capital) की जरूरत होगी; जो तकनीक व प्रोद्योगिकी की बारीकियों को समझने के साथ-साथ विश्व मे हो रहे बदलावों को केंद्र में रखते हुए कार्य करे। भविष्य की परिकल्पना के आधार पर भारत ने अपनी शिक्षा नीति में कुछ आधारभूत परिवर्तन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) को प्रस्तावित किया है। पूर्व शिक्षा नीति (1986) जिस पर वर्तमान शैक्षणिक संस्थान व पाठ्यक्रम आधारित है जो उस समय के परिदृश्य को ध्यान मे रख कर तैयार किया गया था। कम्प्युटर व तकनीक के क्रांतिकारी आविष्कारों ने वैश्विक समाज को नवीन दृष्टिकोण से सोचने पर बल दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एवं शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाकर विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना। साथ ही भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने के लिए योगदान दे, जिससे भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सके। नीति में परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के जरिये विद्यार्थियों के बीच मौलिक कर्तव्य व संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना को विकसित करना एवं बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं के प्रति जागरूक होना। इस शिक्षा नीति के दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को विकसित कर राष्ट्रहित के लिए कार्य के लिए प्रोत्साहन करना है। मानवाधिकारों, सतत विकास और रहन-सहन एवं

वैश्विक भलाई के लिए प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक की भावना को विकसित हो सके जो मानव कल्याण में योगदान दे सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- सरकारी स्कूल अब प्री-स्कूल शिक्षा यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की पेशकश करेंगे।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली जो पहले 10+2 संरचना पर आधारित थी वी अब 5+3+3+4 संरचना में बदल जाएगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह दर्शाती है कि विद्यार्थियों को कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा।
- परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का प्रदर्शन और बेहतर हो इसके लिए परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य याद रखने के बजाय विद्यार्थियों की मूल क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसके साथ ही, सरकार ने दो बोर्ड परीक्षाओं का विकल्प पेश किया है ताकि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन की जांच कर सकें और आवश्यक सुधारों पर विचार कर सकें।
- दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय होंगे। इसका मतलब है कि विद्यार्थी सीखने के पारंपरिक विषयों के साथ-साथ कला और शिल्प जैसे विषयों का चयन कर सकते हैं।
- उच्च शिक्षा प्रणाली बहु-विषयक होगी जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने में सहायक होगी।
- पहले जो विद्यार्थी स्नातक के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे उन्हे वापिस से स्नातक की पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी, इसको ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब पाठयक्रम के एक वर्ष पूरा करने पर उन्हें प्रमाणपत्र मिलेगा, दो वर्ष पूरे करने पर उन्हें डिप्लोमा डिग्री मिलेगी और 3 वर्ष पूरे होने पर पाठयक्रम की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले बहू-नियामक के बजाय एकल विनियमन का प्रावधान होगा। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई जैसी प्रणालियों को समाप्त कर दिया जाएगा और एक एकल विनियमन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

मातृभाषा को प्राथमिकता:

राष्ट्र की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य है कि भाषाई विविधता से आने वाले समस्या को कम कर शिक्षा को सहज बनाया जा सके। क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों की पेशकश की अवधारणा की जड़ें शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को सहज बनाने के विचार अंतर्निहित हैं, जिससे सीखने

का माहौल अनुकूल, कम डराने वाला और विद्यार्थियों से अधिक संबंधित हो। इसके साथ ही नई शिक्षा प्रणाली बच्चों को बहु-भाषावाद को प्रोत्साहित करती है। प्रथम चरण में, अध्ययनों से पता चला है कि 2-8 वर्ष की आयु के बच्चे जल्दी से नई भाषा सीखते हैं और इसका उनके संज्ञानात्मक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नई शिक्षा नीति भारत की एकता एवं राज्यों की आकांक्षाओं को अक्षुण्ण रखते हुए 'तीन भाषा' सूत्रों पर केंद्रित है। यह विद्यार्थियों को भारत की विविधता को समझने, आपस में मिलाने और सहज होने में मदद करते हुए स्थानीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण को सक्षम बनाता है।

सकल नामांकन दर को बढ़ाना :

वर्ष 2018 में सकल नामांकन दर को 26.3% से बढ़ाकर सन 2030 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ने के कारणों की पहचान कर उसके समाधान पर कार्य किया जाएगा। यदि हम पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें, तो हम देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर की वार्षिक वृद्धि लगभग 2% थी। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने और आगे के बच्चों को बीच पाठशाला से अवकाश लेने की चेष्टा रोकने के लिए समग्र रूप से दो उपाय किए गए हैं। पहला, प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना ताकि सभी विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा मिल सके। प्रत्येक स्तर पर नियमित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले से मौजूद स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करने के साथ ही उन क्षेत्रों में अतिरिक्त गुणवत्ता वाले स्कूलों का निर्माण करना भी शामिल है जहां वे मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा विशेष रूप से सुरक्षित और व्यावहारिक वाहन एवं छात्रावास प्रदान करना भी शामिल है। ताकि सभी बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण स्कूल में जाने और उचित स्तर पर सीखने का अवसर मिले। इसके साथ ही नागरिक समाज के सहयोग से वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासी मजदूरों के बच्चे और अन्य बच्चे जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण स्कूल छोड़ रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाया जा सके। दूसरा, विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर का अवलोकन करके विद्यालय में सार्वभौमिक भागीदारी हासिल करना। 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को आधारभूत स्तर से कक्षा 12 तक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुविधा प्रणाली स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों कि मानसिक व विषय चयन के समय आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षकों से जुड़े परामर्शदाता या अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता लगातार विद्यार्थियों व उनके माता-पिता से संपर्क करेंगे। नागरिक समाज

संगठनों/सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य और जिला स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी अधिकारियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से स्कूलों से जोड़ा जाना भी नयी शिक्षा नीति में शामिल है। इसके अलावा विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल के महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ अकादमिक वातावरण प्रदान की जाएगी। अध्ययन में यह बात साबित होती है कि एसटीईएम (STEM) क्षेत्र के साथ कला को एकीकृत करने से लगातार सकारात्मक सीखने के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें रचनात्मकता और नवाचार में वृद्धि, महत्वपूर्ण सोच और उच्च-क्रम की सोच क्षमता, समस्या को सुलझाने की क्षमता, टीम वर्क, संचार कौशल, अधिक गहन सीखने की प्रक्रिया शामिल है।

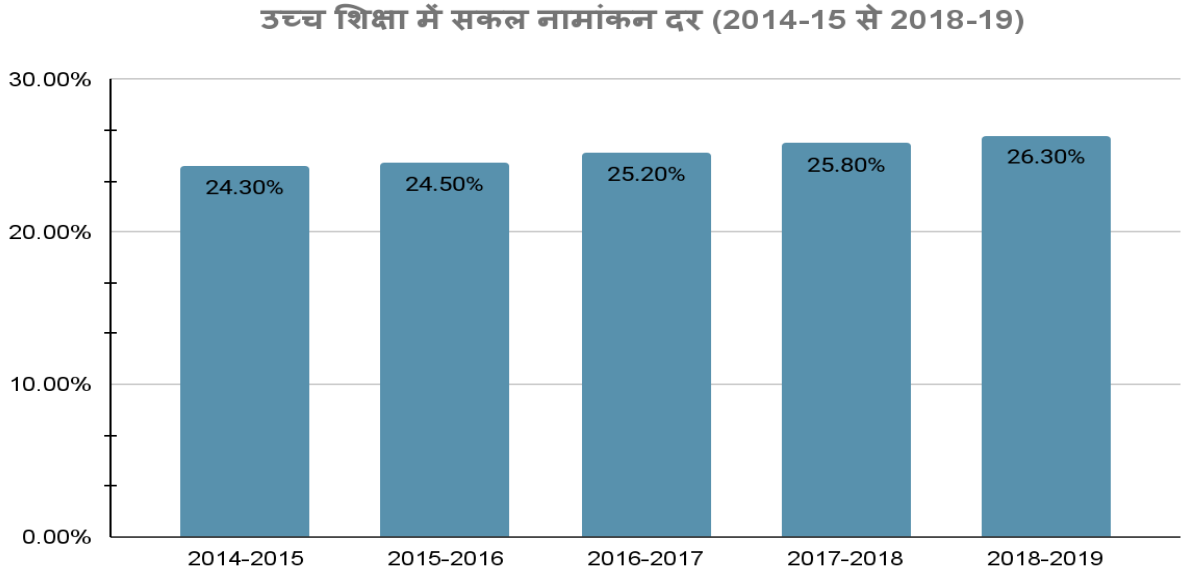

स्रोत: All India Survey on Higher Education, MHRD; PRS.

उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार:

आधुनिक दुनिया की गतिशीलता को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा के पुनर्निर्माण और इसके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक सुविधा और मानकों को लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के प्रमुख क्षेत्रों में से एक सरकारी और निजी क्षेत्रों से उच्च अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। जिससे नवाचार एवं आविष्कारक मानसिकता (इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट) को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति ने संस्थानों को अधिक अकादमिक स्वायत्तता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, और प्रशासन और नीति प्रवर्तन में शामिल जटिलता को कम

करने के लिए एक एकल नियामक द्वारा निरीक्षण करने का प्रावधान किया है। नीति का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक बहु-अनुशासनात्मक विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान रखना है ताकि उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। उच्च शिक्षा संस्थान को और अधिक प्रभावशाली व सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ताकि वे एक बेहतर शोध के लक्ष्यों को प्राप्त करे एवं भविष्य में होने वाले कार्यों मे एक निर्देशन की भूमिका का निर्वहन कर सकें। उच्च शिक्षा संस्थान को अकादमिक कठोरता के अलावा अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जैसे; उच्च शिक्षा संस्थान से अन्य अंतरानुशासन शिक्षा को बढ़ाना, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा एवं अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए संकाय विकास में सहयोग करने के साथ उचित संसाधनों के प्रोत्साहन में समूहिक प्रयास करना, अधिक सुव्यवस्थित एवं संसाधनों के उपयोग को सक्षम बनाना है। इसे सुगम बनाने के लिए उद्योग आधारित कौशल, अपस्किलिंग एवं रीस्किलिंग के लिए एक मजबूत उद्योग प्रतिबद्धता और शिक्षा जगत के साथ घनिष्ठ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा, "बौद्धिक संपदा अधिकार" के बारे में ज्ञान बढ़ाने एवं इससे लाभ प्रदान करने के लिए समूहिक कौशल को विकसित करना शामिल है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत चार निकायों पर जोर दिया गया है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे।

उच्च शिक्षा आयोग के चार निकाय:

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद: यह शिक्षक सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा।

सामान्य शिक्षा परिषद: यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों की रूपरेखा तैयार करेगा, अर्थात उनका मानकीकरण करेगा।

राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद: ये संस्थान मान्यता प्राप्त करने से संबंधित हैं, जो प्राथमिक रूप से बुनियादी मानदंडों के आधार पर कार्य करेंगे; सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन, और परिणाम।

उच्च शिक्षा अनुदान परिषद: यह निकाय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा।

वहीं सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर COVID-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पहले से मौजूद उपकरणों को महत्वपूर्ण रूप से संवर्धित किया है ताकि विद्यार्थियों को COVID-19 के दौरान शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जा सके, जैसे कि रिमोट-लर्निंग सॉल्यूशंस। शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल लर्निंग तक पहुंच बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री और उपकरण बनाए और प्रोत्साहित किए गए, जिसका

लाभ न केवल निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA), ई-पाठशाला, SWAYAM, और नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कुछ सबसे प्रसिद्ध सरकारी ई-लर्निंग व्यवस्था (NROER) हैं। राज्य सरकारें संघीय सरकार की नीतियों और निर्देशों को क्रियान्वित करने के प्रभारी हैं। COVID-19 प्रतिक्रियाएं राज्यों द्वारा भी विभिन्न प्रयास शामिल किए गए जैसे; गुजरात ने क्यूआर-कोडित पाठ्यपुस्तकों के वितरण पर जोर दिया; बिहार और उत्तर प्रदेश ने टीवी के जरिए सीखने के कार्यक्रमों पर जोर दिया; असम में मध्याह्न भोजन के साथ कार्यपत्रक शामिल हैं, और केरल ने पाठ्यपुस्तक वितरण और व्हाट्सएप समूहों पर जोर दिया है। क्योंकि अपर्याप्त मोबाइल कवरेज और परिवारों की बदलती वित्तीय स्थिति के कारण सभी विद्यार्थी जनसांख्यिकी में बुनियादी ढांचे तक पहुंच के कारण ऑनलाइन व्याख्यान सभी विद्यार्थियों तक पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए ओडिशा ने रेडियो के जरिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

कक्षा में बैठने से लेकर घर बैठे कक्षा में भाग लेने और संचालित करने तक, इंटरनेट व डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। भविष्य बहू-विषयक क्षेत्रों के लिए है जिसमें दावा,कृषि, विनिर्माण, निर्माण इत्यादि शामिल होंगे। आज हर क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और कंप्यूटर ने प्रवेश कर लिया है। यह महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे भविष्य के प्रवासी खुद को एक ही क्षेत्र में सीमित ना रखें। डिजिटल तकनीक द्वारा लाई गई क्षमता ने हर क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं और इसका पूरी क्षमता से दोहन करना तभी संभव हो सकता है जब हितधारकों को इसमें शामिल सभी पहलुओं की अच्छी समझ हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य आज हमारी शिक्षा में विकसित कौशल व वैश्विक माँग के अंतर को पाटना है ताकि राष्ट्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। विद्यार्थियों को एक साथ दो उपाधि प्रदान करने और उन्हें प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान सक्षम बनाता है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे कार्यबल का निर्माण करना है जो प्रभावशाली एवं अंतरानुशासन क्षेत्रों में सक्षम हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य पिछली शिक्षा नीति को वैश्विक चुनौतियों के आधार पर तैयार कर एक ऐसे मानव पूंजी को तैयार करना है जो वैश्विक नेतृत्व में अपना योगदान दे सके।

संदर्भ-सूची:

- Govt. of India (1986). National Policy on Education, 1986
- M. M. Goel (2020): A View on Higher Education in New Education Policy.
- Mahalanabis, Sukanya & S. A. (2021). Socio-Economic Origins of School Dropouts in Rural India, *International Journal of Policy Sciences and Law*, Volume 1, Issue 3.

- Ministry of Education, Department of School Education and Literacy , Lok Sabha, Unstarred Question no.. 2108.
- National Education Policy 2020. Retrieved from, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- NEP 2020 Provides Multi-pronged Strategy To Check School Drop Out Rates. https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-national-education-policy-2020-provides-multi-pronged-strategy-to-check-school-drop-out-rates/357769
- Parsheera, S. (2019). India's on a digital sprint that is leaving millions behind. BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49085846
- Sengupta, P. (2021). NEP 2020 and the Language-in-Education Policy in India. https://www.epw.in/journal/2021/43/special-articles/nep-2020-and-language-education-policy-india.html?0=ip_login_no_cache%3D04df83172a4ab8dd27bf35ab6bcee786
- Whaghmare, P. (2021). Gender digital divide in India. https://testbook.com/current-affairs/gender-digital-divide-in-india/

14.

नई शिक्षा नीति 2020 एवं राजनीति विज्ञान में परिभाषिक शब्दावलियों की उभरती प्रासंगिकता

प्रो. नावेद जमाल
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली

समाज के विकास में शिक्षा का अभिन्न योगदान है जिसके माध्यम से मानव का सर्वांगीण विकास होता है । 2020 में आई नई शिक्षा नीति की मूल भावना नागरिकों के सर्वांगीण विकास के साथ उनको आत्मनिर्भर भी बनाना है। इस नई शिक्षा नीति का मूल उद्येश्य यह है कि प्रतिभा एवं संसाधनों का सर्वोच्च विकास करके व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व की भलाई की जा सके, जिससे भारत गौरव की प्रसंगिकता सम्पूर्ण वैश्विक पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर आए ।

21 वीं सदी में जब हम भारत के ताकत का मूल्यांकन करते है तो हमारी "जनसंख्या" जिसमें विशेषकर युवाओं की ऊर्जापूर्ण आबादी हमारी शक्तियों को प्रतिबिंबित करती है । भारत को इस नई शिक्षा नीति को अपनाने का मूल उदेश्य 2015 में भारत द्वारा अपनाए गए "सतत विकास एजेंडा 2030 ई. के रूप में भी उभर कर आता है, जिसके अन्तर्गत भारत ने लक्ष्य-4 के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता-युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है" ।[1] अतः भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है जिसमें वह अपने सम्पूर्ण आबादी का समावेशी विकास कर सके । इस नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता इसी को केंद्र में रख कर है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो । जिसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्ग के हितों , उसकी आवश्यकतावों, रुचियों को केंद्रित कर आगे बढ़ाया जाए । अतः यह नीति पूरे समाज में उसके विकास के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से उसके चरित्र निर्माण, शिक्षार्थियों के नैतिकता, तार्किकता एवं उसके संवेदनशीलता को भी विकासित करने के ऊपर है ।[2] जिसके माध्यम से समाज में रोजगार उन्मुखता के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाया जा सके । जिसके लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है ।[3]

---

[1] नई शिक्षा नीति , 2020, भारत सरकार , पृ 3.
[2] वही पृ 4.
[3] वही पृ 5.

अतः इस प्रकार इस नई शिक्षा नीति की मूल भावना वर्तमान शिक्षा नीति को भारत की प्राचीन एवं सनातन ज्ञान विचार परंपरा के साथ जोड़ कर आगे बढ़ाने की है, भारतीय शिक्षा परंपरा और भारतीय चिंतन ने चरक, आर्यभट , बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्राहमगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव , पणिनी , पतंजलि , नागार्जुन , गौतम , पिंगला, शंकरदेव, मैत्रयी, गार्गी, और थिरुवालुवार जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया।[4] भारत की इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने सभी क्षेत्रों चाहे विज्ञान, चिकित्सा, कला, खेल, आदि में भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित की थी । इस से भारत की पहचान एक विकसित सभ्यता के रूप में उभर कर आई । आज की नई शिक्षा व्यवस्था उसी भारतीय गौरव को पुनः स्थापित करने पर जोर देती है।

नई शिक्षा नीति की मूल अवधारणा

चार भागों में विभाजित यह नई शिक्षा नीति भारत में एक समावेशी शिक्षा की दिशा में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर देती है, जिसके माध्यम से शिक्षा के बुनियदी नींव को मजबूत किया जा सके । भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान को इस शिक्षा नीति के माध्यम से पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया गया है । नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा एवं लेखन के प्रकृति और उसके महत्व को काफी गंभीरता से मूल्यांकन किया है ।[5] इस प्रकार इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा यानि स्कूली शिक्षा के संरचनात्मक बदलाव पर जोर दिया गया है । इस नीति के अंतर्गत वर्तमान 10+2 वाली व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था को स्थापित किया गया है । इस तथ्य को काफी वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने की बात की गई है । इस नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 5+3+3+4 वाले ढांचे के अंतर्गत 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर "प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा" के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसके माध्यम से बच्चों के नींव को मजबूत किया जा सके । वर्षों से चली आ रही शिक्षा नीतियों में इस उम्र वर्ग के बच्चों (3 वर्ष से 6 वर्ष) के व्यवस्थित देख-रेख का बहुत अभाव था। इसमें 6 वर्ष से प्रारम्भिक शिक्षा की शुरुवात होती है। जबकि नई शिक्षा नीति में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है की 6 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चों का मस्तिष्क 85 प्रतिशत तक विकसित हो जाता है । अतः विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुये बच्चों के प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा पर देखभाल करना अति आवश्यक है। जिससे की सभी बच्चों को शैक्षणिक प्रणाली में संतुलन एवं विकास का समान अवसर प्राप्त हो सके ।

इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह उभर कर आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर रहने वाली आबादी जो मूलतः शिक्षा के लिए राज्य के ऊपर ही निर्भर है उसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के

[4] वही, पृ. 5

[5] Examining the linguistics dimension of Draft National Education Policy, 2019, Rama Kant Agnihotri , epw, Vol lv No 19, Page,43.

लिए कोई प्रावधान नहीं था । जब तक ये बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करते है तब तक शहरी क्षेत्र में रहने वाले या निजी शिक्षा लेने वाले बच्चों से पिछड़ जाते है क्योंकि इस आयु वर्ग में इन बच्चों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है । अतः इस नई शिक्षा नीति में इन बच्चों के लिए 'बालवाटिक' या 'आंगनवाड़ी' का विशेष प्रावधान किया गया है जिससे सभी बच्चों का एक समान विकास किया जा सके । इसमें इन बच्चों के लिए कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत आदि कार्यक्रमों के मध्याम से इनके प्रारम्भिक विकास पर जोर दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत "प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा" कार्यक्रम के तहत बच्चों में अक्षर ज्ञान, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, कला, शिल्प, नाटक, संगीत आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।[6] इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं बुनियादी विकास पर बहुत गहरा असर पड़ेगा ।

इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी और संस्थान के बीच एक आपसी लगाव की भावना विकसित करने पर गंभीरता से जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों के भीतर से पढ़ाई के दबाव को कम कर उनमें आलोचनात्मक चिंतन एवं प्रायोगिक अधिगम को विकसित किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत आने वाले समय में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ उनके भीतर एक दक्षता को विकसित किया जा सके जिससे वे आत्मनिर्भर हो सके।

इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को सीखने की दिशा में भाषा की शक्ति को व्यापक प्राथमिकता दी गई है । इस नीति के अंतर्गत इस बात को लेकर काफी स्पष्टता है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को काफी तेजी से सीखते है और समझ लेते है ।[7] अतः इसमें काफी स्पष्टता से कहा गया है कि "जहा तक संभव हो सके, कम से कम ग्रेड-5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड-8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षण का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी । इसके बाद घर / स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो बढ़ाया जाता रहेगा"।[8] अतः वैज्ञानिक अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि सबसे बेहतर विकास एवं सीखने का प्रभाव मातृभाषा में प्राकृतिक रूप से होता है । अतः इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उदेश्य यह है की बच्चों में शिक्षा को लेकर तनाव की भावना कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । यह बच्चों के विकास में बहुत बड़ा बाधक है । इस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की सहभागिता भी सबसे अहम हिस्सा है जो की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । अतः यह नीति शिक्षण प्रक्रिया में सेवाकाल के दौरान कार्य संस्कृति एवं वातावरण के विकास पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इसका सबसे प्रमुख उदेश्य यह है की एक शिक्षक की गैर शैक्षणिक गतिविधियों में व्यतीत

[6] नई शिक्षा नीति 2020, पृ. 09
[7] वही पृ. 19
[8] वही पृ. 19

होने वाले समय को रोकना है जिससे शिक्षक का सम्पूर्ण समय का सदुपयोग शिक्षा के विकास में हो । इसके लिए काफी गंभीरता के साथ "स्कूल कॉम्प्लेक्स" की अवधारणा को विकसित किया गया है।[9]

नई शिक्षा नीति में बुनियादी या स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा के ऊपर भी काफी गंभीरता के साथ जोर दिया गया है। इस नीति में इस तर्क के साथ शुरुआत किया गया है कि उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है।[10] जिसमें उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों के लिए सहयोग के वातावरण का विकास करना है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को एक बहुविषयक इकाई के रूप में विकसित करना है जहाँ छात्रों के पाठ्यक्रम का चयन काफी लचीला हो सके ।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में समता एवं समावेशन के ऊपर काफी प्रमुखता से बल दिया गया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का समान रूप से समायोजन किया जा सके जिसमें समता एवं समानता की भावना निहित हो । इस नई शिक्षा नीति के प्रभाव के आने साथ ही समाज विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावलियों की महता भी काफी व्यापक संदर्भों में उभर कर सामने आई है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत "भाषा के महत्व" पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जिसमें राजनीति विज्ञान में पारिभाषिक शब्दावलियों का अध्ययन आज काफी प्रासंगिक हो गया है ।

राजनीति शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का महत्व

जब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावलियों के अवधरणा पर विमर्श करते है तो उसमें "शब्द" सिर्फ कोरे अक्षरों का मेल भर नहीं होता है बल्कि शब्द अपने साथ एक अर्थ के साथ साथ एक संदर्भ भी रखते है। शब्दों का संदर्भ एक इतिहास रखता है और इतिहास के साथ संस्कृति जुडी होती है। जैसे अगर हम विज्ञान के शब्दो को लेते है तो पाते है कि बहुत सारे शब्दों की उत्पति ग्रीक या लैटिन शब्दों से हुई है, इससे हम शब्दों के संदर्भ को जानते है। साथ ही साथ इस बहाने उस सन्दर्भ के पीछे छिपे ग्रीक या लैटिन इतिहास के बारे में भी जान पाते है और वहा के सभ्यता संस्कृति से परिचित हो पाते है।

अब जैसे भारतीय सन्दर्भ के बारे में बात करे तो विश्व में यदि कोई भी "योग" शब्द के बारे में सुनता है तो वह इसके पीछे छिपे भारतीय संदर्भ , भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जान पाता है।

[9] वही पृ. 33
[10] वही पृ. 52

इसीलिए शब्दों को मात्र अर्थ प्रदान करने वाले कोड - डिकोड सिस्टम के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि यह मानवीय समझ और सभ्यता से जुड़ी अनुभवों का वाहक समझा जाता है।

देशज या मातृभाषा के शब्दों के विकास का यह महत्व है कि वह स्थानीय सभ्यता के अनुभवों का स्वयं में समाहित करता है साथ ही इसका दूसरा महत्व यह है कि देशज शब्दों का विकास "सामुदायिक संचार " को तेज कर देता है। जैसा यदि कोई समुदाय किसी शब्दों को विदेशी शब्दों की तरह स्वीकार करता है तो उस शब्द के माध्यम से वह अपने समुदाय में संचार या संवाद उतनी सहजता से नहीं कर सकता है जितनी सहजता से वह देशज शब्दों के माध्यम से संचार कर सकता है।

तीसरे देशज शब्द सामुदायिक साक्षरता और जागरूकता में अतुलनीय योगदान देते है क्योंकि इस माध्यम से ज्ञान या सूचना पहुंचना न केवल सहज है बल्कि संवेदनाओ को जगाने में भी सक्षम है। इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। परंतु आज भारतीय दृष्टिकोण में स्थिति बहुत ही जटिल हो गई है। आज अंग्रेजी द्वितीय भाषा होने के बावजूद प्राथमिकता या वरेण्यता वाला विकल्प बन गया है। हालांकि अंग्रेजी भाषा भारत को जोड़ने का काम करती है परन्तु यह भारत के विभिन्न समुदायों में गहराई में जाकर संचार माध्यम बनने में सफल नहीं हो पाई है।

इसीलिए भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता या वरेण्यता में गिरावट आई है परन्तु समुदायिक संचार , जागरूकता और साक्षरता प्रसार के लिए इसकी उपयोगिता में कोई गिरावट नहीं आई है, उल्टे आज इन भारतीय भाषाओँ में शब्दावलियों के विकास में रुकावट एक बड़ी समस्या बन गया है। क्योंकि इसमें नए शब्दों के विकास के अभाव ने या तो देशज शब्दों को अंधाधुध अपनाने पर मजबूर किया है या संचार एवं शिक्षा प्रसार को कमजोर किया है।

वास्तव में तेजीं से बढ़ते भूमंडलीकरण में कुछ के प्रभुत्ववादिता ने बहुत सारी भाषाओं को तो सिकोड़ दिया या बहुत सारी भाषाएँ अपनी विलुप्ति के कगार पर है। UNESCO ने भाषाओं पर अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले समय में विश्व की बहुत सारी भाषाएँ लुप्त हो जाएगी।

वस्तुतः देशज शब्दों का विकास और लगातार शब्दावलियों का उन्नयन हमें इन समस्याओं से बचा सकता है। अतः राजनीति शास्त्र शब्दावलियों के साथ भी यही शर्ते और संभावनाएं लागू होती है।

राजनीतिशास्त्र में बहुत से शब्दों का विकास दिन प्रतिदिन होता है परन्तु यह ज्यादातर अंग्रेजी के योगदान पर खड़ा है। जैसे कि शब्दों के साथ संदर्भ जुड़ा होता है राजनीतिशास्त्र के शब्द भी अपनी उत्पत्ति के साथ अपनी उत्पति के स्थल की विशेषता लिए होते है। जैसे फ्रांस में जो "रिवोल्यूशन" का अर्थ है वह भारत में "क्रांति"शब्द से बहुत ही अलग संदर्भ रखता है इसलिए "रिवोल्यूशन" और क्रांति शब्द सुनने पर एक जैसे चित्र हमारे मस्तिष्क में आये यह जरुरी नहीं है।

दूसरे राजनीति शास्त्र के शब्द अपने विकास साथ व्यवस्था की प्रक्रिया और अनुभव के अपने साथ शामिल करते है। राइट टू रिकॉल का अर्थ स्विट्जरलैंड और भारत में एक हो सकता है परन्तु सन्दर्भ अलग होने के कारण इसका भारतीय स्वरूप 'प्रत्यहन' अलग स्वरूप रख सकता है। अतः इस संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावलियों के अर्थ को दर्शाते हुए डॉ रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी द्वारा संपादित पुस्तक 'अनुवाद :सिद्धांत और समस्याएं' में श्री जीवन नायक ने इसको दर्शाया है कि विशेष ज्ञान के क्षेत्र में जब कोई शब्द निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे पारिभाषिक शब्द कहते है[11] जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में भी स्पष्टता के साथ उभर कर सामने आता है ।

जैसे भारत में दंडनीति या दंड शब्द अंग्रेजी के पनिशमेंट के समानर्थी नहीं है बल्कि भारत में दंडनीति में राजनीति शास्त्र का एक बड़ा भाग समाहित है। इसी तरह जहां सेकुलरिज्म एक अलग संदर्भ देता है, वहीँ सर्व-धर्म- समभाव या धर्मनिरपेक्षता भारतीय व्यवस्था का बिलकुल अलग संदर्भ अंकित करता है। इस प्रकार हम देखते है कि राजनीति शास्त्र के भारतीय शब्दावलियों का विकास भारतीय राजनीतिशास्त्र की अपनी विशेषताओं को इतिहास की तारतम्यता के साथ कायम रखने के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि भारतीय राजनीति शास्त्र का अपना भी एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसीलिए भारतीय राजनीति के अध्ययन की प्रतिष्ठा और समझ विकसित करने के लिए जरुरी है कि भारतीय संदर्भ और भारतीय चश्मे से ही देखा जाए। राजनीति विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी शब्दावलियों को हम डॉ दंगल झाल्टे के इस परिभाषा से अच्छे से समझ सकते है कि शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रो में विषय एवं संदर्भ के अनुरूप विशिष्ट किन्तु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है।[12]

अब अगर शब्दावलियों के विकास से अलग भारतीय भाषाओं में राजनीति शास्त्र के शब्दों के अनुवाद को ही ले तो यह भी एक व्यापक महत्व रखता है। यह दुखद तो है कि राजनीतिशास्त्र में ज्यादातर मौलिक कार्य अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में हो रहे हैं परन्तु इनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिशास्त्र के शब्दों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद ही है कि आज राजनीतिशास्त्र का प्रसार विभिन्न भाषा - भाषियों के बीच सहजता से हो पाया है और विभिन्न समुदायों में राजनीतिशास्त्र के ज्ञान को पहुंचाने में शब्द अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान है।

इसीलिए शब्द विकास की धीमी प्रक्रिया के साथ -साथ तेजी से देशज भाषाओं में अनुवाद बहुत जरुरी है ताकि राजनीति शास्त्र को बोधगम्य और सरल बना कर मातृभाषाओं में लोगो तक सहजता से पहुंचाया जा सके।

---

[11] अनुवाद: सिद्धांत और समस्याएं, डॉ रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी, आलेख प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. 131.

[12] प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धांत और प्रयोग, डॉ दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, 2010, पृ. 100.

जहां तक हिंदी की बात है तो यह लगभग पूरे उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है। इसीलिए यदि विषय को यहाँ स्थापित होना है या गहराई में उतर कर लोगो की समझ को विषय के प्रति विकसित करना है तो राजनीति शास्त्र की हिंदी शब्दावलियों का विकास करना होगा।

अगर हम व्यवहारिक स्तर पर देखे तो पाएंगे की जिन-जिन विषयो में हिंदी भाषा - भाषी क्षेत्रो में हिंदी माध्यम में मौलिक लेखन मौजूद है इसमें आम लोगो का ज्ञान भी अच्छा है। वही हम देख सकते है कि विज्ञान के शब्दों का अनुवाद न हो पाने या कठिनता के कारण विज्ञान के छात्र भाषा की समस्या से जूझते है । और कई बार छात्र विज्ञान विषय न ले कर हिंदी माध्यम में उपलब्ध विषय ले लेते है।

हालांकि राजनीति शास्त्र में हिंदी भाषा में दूसरे शब्दावलियों का विकास और अनुवाद हुआ है। इसीलिए आज राजनीति शास्त्र हिंदी भाषा-भाषियों के बीच एक लोकप्रिय विषय है। परन्तु इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसमें एक आयाम शब्दों को और अधिक सहज बनाना भी है और अंततः शब्दावलियों का विकास व अनुवाद तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे राजनीति शास्त्र में भी चलते रहना चाहिए। राजनीति शास्त्र के हिंदी शब्दावलियों का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ यह इस विषय को लोकप्रिय बनाये रखेगा वही यह आम जन में राजनीति शास्त्र को समझ बढ़ाने के लिए भीं आवश्यक है। राजनीति शास्त्र के पारिभाषिक शब्दावलियों का विकास जहाँ विषय को व्यापकता और गहराई प्रदान करेगा, वहीं विभिन्न समुदायों में विषय का समझ बढ़ाएगा।

नई शिक्षा नीति में पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रासंगिकता

नई शिक्षा नीति के आने के पश्चात शिक्षा व्यवस्था में काफी लचीलापन की स्थिति उभर कर आई है जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रासंगिकता भी उभर कर आई है जो कि शिक्षा के माध्यम को बहु आयामी बना सके । नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रासंगिकता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है की इस नीति में भारतीय भाषा एवं मातृभाषा में शिक्षा के ऊपर व्यापक जोर दिया गया है। यह नीति इस बात पर जोर देती है की "उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय/ भारतीय भाषाओ में या द्विभाषी रूप में शिक्षण कराएं"।[13] अतः ऐसे परिप्रेक्ष्य में पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रासंगिकता अनिवार्य रूप से उभर कर आती है जिसके माध्यम से हम अध्ययन को काफी आसान बना सके । बहुभाषीय संदर्भों में विषय का अध्ययन सरलता के साथ किया सकता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रासंगिकता और भी उभर कर आती है जिसके माध्यम से स्थानीय भाषाओं में विषय का अध्ययन सुगमता से किया जा सके।

[13] नई शिक्षा नीति ,2020 पृ. 67

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नई शिक्षा नीति , 2020, भारत सरकार।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धांत और प्रयोग, डॉ दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, 2010।
3. अनुवाद: सिद्धांत और समस्याएं, डॉ रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी, आलेख प्रकाशन नई दिल्ली।
4. सामाजिक विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली का समीक्षात्मक अध्ययन, डॉ. गोपाल शर्मा , एस चाँद एंड कंपनी (प्रा) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1968.
5. पारिभाषिक शब्दावली : कुछ समस्याएं, संपा. डॉ. भोलानाथ तिवारी और महेंद्र चतुर्वेदी, शब्दकार, नई दिल्ली, 1978
6. पारिभाषिक शब्दावली की विकास - यात्रा, संपा. डॉ. गार्गी गुप्त, भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली, 1986.
7. अनुवाद एवं पारिभाषिक शब्दावली, सुरेश कुमार, ललित मोहन बहुगुणा, कृष्णकुमार गोस्वामी, संपा. सुरेश कुमार, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1997
8. पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद एवं मौलिक लेखन, संपा. वीर सिंह आर्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1996
9. ज्ञान गरिमा सिंधु, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. Examining the linguistics dimension of Draft National Education Policy, 2019, Rama Kant Agnihotri , EPW , Vol IV No 19.

****

15.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) : डिजिटल विभेदीकरण व स्कूल ड्रॉपआउट समाधान की संभावनाएं

डॉ. नाज़िया खान
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

शुभम जायसवाल
पी.एच.डी. शोधार्थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली.

नीतीश कुमार
पी.एच.डी. शोधार्थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली.

प्रत्येक वर्ष, दुनिया भर में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। यह उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बाधित करने के साथ ही साथ ही देश की साक्षरता दर को भी कम करता है। शिक्षा प्रणाली में ड्रॉपआउट दर यह किसी भी समाज की प्रगतिशीलता के नकारात्मक पहलू को प्रदर्शित करती है। भारतीय परिदृश्य में भी छात्र द्वारा स्कूल को बीच मे ही छोड़ देने की बड़ी संख्या काफी चिंताजनक है। निरक्षरता, गरीबी, अपर्याप्त कमाई और माता-पिता की विषम परिस्थिति उन्हें अपनी पढ़ाई बीच मे ही छोड़ने को मज़बूर करती है और परिवार की आय में योगदान करने के लिए विभिन्न कम वेतन वाले शोषणकारी पेशे को अपनाना पड़ता है। कोविड महामारी ने शैक्षणिक क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है, दो सालों बाद भी अब तक स्कूलों व विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से नहीं खुल सके। कोविड के दौरान इंटरनेट के जरिए एक हद तक इस खाई को पाटने की कोशिश जरूर की गयी। अगर हम बच्चों तक डिजिटल उपकरणों की पहुँच का आकलन करते हैं तो यह बात खुल कर सामने आती है कि एक डिजिटल विभाजन है: सहायक शैक्षणिक उपकरणों व छात्रों तक इसकी उपलब्धता में । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में इस समस्या के समाधान के लिए दो उपाय किए गए। पहला, सभी छात्रों को कुशल और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना और दूसरा, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित करना है।

सरकार अभी देश के सभी कोनों तक डिजिटल शिक्षा को पहुंचाने और लोगों के सभी समूहों तक अपनी पहुँच बनाने मे सफल नहीं हो पायी है। अधिकांश ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव है जो एक विशाल डिजिटल विभाजन का संकेत है। देश के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी की उपलब्ध गुणवत्ता खराब है। विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लोगों के पास डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ने करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर/लैपटॉप व संबंधित उपकरण नहीं है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और सीमांत लोग, मजदूर, प्रवासी श्रमिक और महिलाएं डिजिटल शिक्षा के लाभों से वंचित हो गए हैं।

संविधान के अंतर्गत शिक्षा समवर्ती सूची में है और केंद्र सरकार द्वारा संचालित/वित्त पोषित के अलावा अन्य संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। बच्चों के पास डिजिटल उपकरण की उपलब्धता संबंधित आकड़ों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS), और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के स्कूलों का जुलाई, 2020 के महीने में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। NVS के 92.95% और KVS के 98% से अधिक छात्रों के पास किसी डिजिटल डिवाइस तक पूर्ण या आंशिक पहुंच होने की तक की बात प्राप्त आकड़ों मे सामने आती है।[1]

डिजिटल उपकरणों के बिना बच्चों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणाम का विवरण (तालिका-1):

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित	डिजिटल अनुपलब्धता (बच्चों की संख्या)
1.	अंडमान व निकोबार	NA
2.	आंध्रा प्रदेश	201568
3.	अरुणाचल प्रदेश	NA
4.	असम	3106255
5.	बिहार	14336007
6.	चंडीगढ़	16032
7.	छत्तीसगढ़	28.27%
8.	दादर व नागर हवेली	18849
9.	दमन व दीव	4%
10.	दिल्ली	NA
11.	गोवा	591590
12.	गुजरात	1034000
13.	हरियाणा	22259
14.	हिमाचल प्रदेश	70%
15.	झारखंड	3252255
16.	कर्नाटक	3131098
17.	केरला	95283

[1] Ministry of Education, Department of School Education and Literacy , Lok Sabha, Unstarred Question no.. 2108.

18.	लद्दाख	43876
19.	लक्षद्वीप	2439
20.	मध्य प्रदेश	70%
21.	महाराष्ट्र	NA
22.	मणिपुर	NA
23.	मेघालय	85659
24.	मिजोरम	44062
25.	नागालैंड	33150
26.	उड़ीसा	1508937
27.	पुंडुचेरी	8314
28.	पंजाब	42.85
29.	राजस्थान	0
30.	सिक्किम	21000
31.	तमिलनाडू	1750000
32.	तेलांगना	117570
33.	त्रिपुरा	13909
34.	उत्तर प्रदेश	NA
35.	उत्तराखंड	214471
36.	पश्चिम बंगाल	Survey is in Progress

स्रोत: Ministry of Education.

सरकार ने टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से छात्रों तक पहुंचने और कुछ राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को डिजिटल उपकरणों की आपूर्ति करने का प्रयास किया है परंतु कोविड महमारी की व्यापकता के आगे इस प्रयास का कोई प्रभावशाली परिणाम नहीं निकला है, जो इस बात पर जोर देती हैं कि इस डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए सभी राज्यों को समूहिक पहल करने की जरूरत है।

स्कूल ड्रॉपआउट -

किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करता है और इसे केवल सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का आकलन करके मापा जा सकता है। शहरी और ग्रामीण भारत में शिक्षा के असमान प्रसार में कई कारकों का योगदान हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार

जैसी पहलों का उपयोग करते हुए 2010 तक सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित किया था। लेकिन, आज भी शिक्षा तक पहुंच और सभी स्तरों पर स्कूल में नामांकन की दर में गिरावट देखी जा रही है और महामारी के दौरान इस संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। एनएसओ (NSO) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में लगभग 12.6% छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, 19.8% ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा बंद कर दी है, जबकि 17.5 प्रतिशत ने उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ दी है।[2] सभी के लिए शिक्षा और भारत में बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के अधिनियमन के बावजूद आज भी कई बच्चे किसी न किसी कारण से स्कूलों से बाहर हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को रोकना रहा है जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के ही अनुसार, स्कूल या कॉलेज में नामांकित प्रत्येक आठ छात्र में से एक अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देता है, और सभी स्कूल छोड़ने वालों में से 62 प्रतिशत से अधिक स्कूल स्तर पर होते हैं। वहीं हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 62.9 प्रतिशत है।[3] इन आकड़ों में ग्रामीण छात्रों की संख्या शहरी की तुलना मे ज्यादा है; यूनिफ़ाइएड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन प्लस (UDISE+ 2019- 20) द्वारा किए गए के सर्वे में यह बात साबित होता है कि उत्तर भारत के राज्यों में यह आकड़ा 30% से अभी अधिक है। यह आँकड़ा लड़कों की तुलना में लड़कियों में 2 प्रतिशत अधिक है।

यूनिफ़ाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन प्लस रिपोर्ट के आकड़ों से ज्ञात होता है कि छात्र-छात्राओं में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने कि प्रवृति ज्यादा रही है। इसके साथ ही जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर निम्न है वहां पर यह प्राथमिक व मध्यमिक दोनों स्तर पर ड्रॉपआउट के आंकड़े चिंताजनक है। अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय का आँकड़ा देखें तो प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय में ड्रॉपआउट की यह संख्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक राज्य में आकड़े वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के अनुसार भिन्न है परंतु व्यापक स्तर पर यह चिंताजनक है। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच ड्रॉपआउट को लेकर प्रकाशित अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच ड्रॉप-आउट की स्थिति का आकलन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) द्वारा किए गए अध्ययन में 11 राज्यों के 36 जिलों को शामिल किया गया था जिसमें आठ राज्य (असम, बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम) में ड्रॉपआउट का स्तर सबसे उच्च व तीन (गुजरात, केरल और पंजाब) राज्यों में इनकी तुलना में सबसे

[2] School dropouts in India: the causes and prevention. https://www.turnthebus.org/blog/school-dropouts-in-india-the-cause-and#:~:text=A%20recent%20survey%20by%20National,at%20the%20upper%20primary%20level

[3] Dropouts in Higher Education in India. https://theeducationdaily.com/2021/07/dropouts-higher-education-india

कम रहा है।[4] छात्र-छात्राओं मे स्कूल छोड़ने कई कारक है जैसे; गरीबी व संसाधन की अनुपलब्धता, स्कूल और अभिभावकों का अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, स्कूलों का बार-बार परिवर्तन, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, लड़कियों की सुरक्षा की चिंता, लड़कियों के लिए स्कूल की उचित सुविधा की कमी, महिला शिक्षिका की कमी, बाल विवाह और गर्भावस्था, शारीरिक और अन्य चिकत्सीय समस्याएं एवं आधारभूत ढांचे की कमी आदि। हालांकि लड़कों और लड़कियों के स्कूल छोड़ने के प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा जारी न रहने के कारण लड़को से बहुत अलग हैं (चार्ट- 1)।

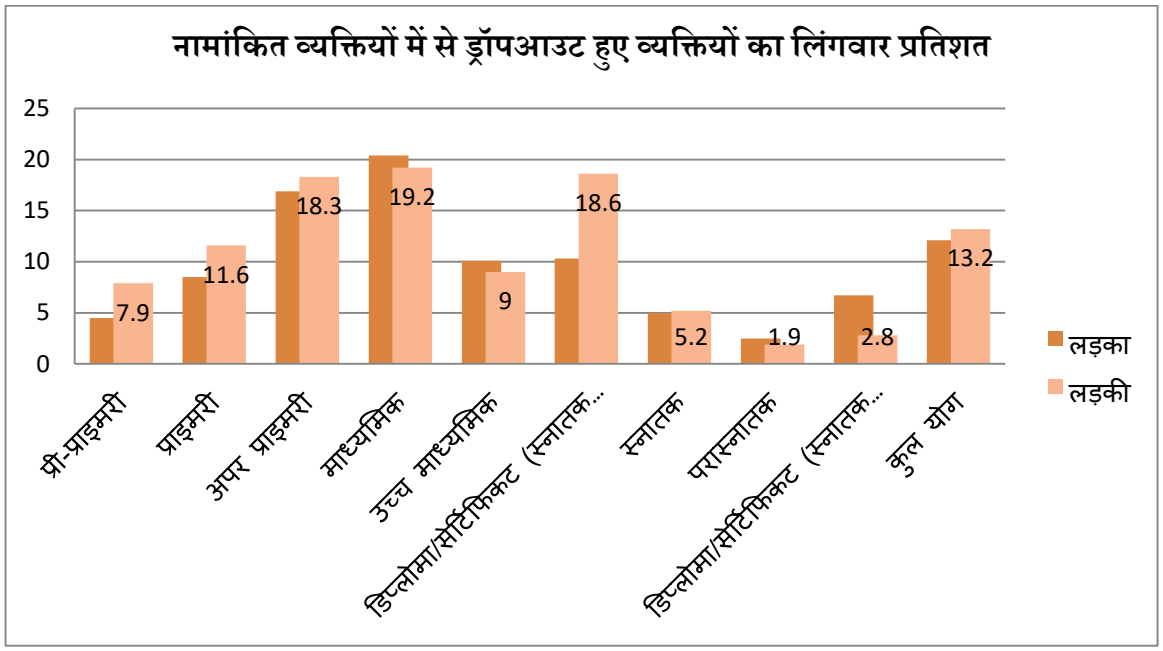

स्रोत: Government of India.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में प्रमुख सुधारों का आह्वान करती है जो भविष्यगामी दर्शन को अपने अंदर समेटे हुए है, जो अगली पीढ़ी को नए डिजिटल युग में फलने-फूलने का अवसर देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं। इस नीति में मुख्य रूप से बहु-विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या-समाधान, तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर बहुत जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। यह नीति पांच स्तंभों पर केंद्रित है: निरंतर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए *वहनीयता, सामर्थता, गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही*। इसे ध्यान में रखते हुए न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले चुनौतियों के मद्देनज़र समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग को रखते हुए नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत शिक्षा के जरिये एक कौशलपूर्ण समाज का

[4] Ministry of Minority Affairs. https://www.minorityaffairs.gov.in/en/reports

निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेती है, और 2040 तक भारत में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा, दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। इसका व्यापक उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध उद्देश्यों को शामिल करते हुए, पूर्ण और उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित प्राथमिक लक्ष्यों में से एक स्कूलों में नामांकन के दर को बढ़ाना व और बीच मे ही अपनी स्कूली शिक्षा को छोड़ देने वाले छात्रों को पुनः स्कूल व शिक्षा के प्रति आकृष्ट करना है। समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, जिसने प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तो की है परंतु भारत में कक्षा 5 के बाद स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कक्षा 6-8 के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) 90.9% था, जबकि कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.3% और 56.5% था। एन.एस.एस.ओ (2017-18) द्वारा 75वें दौर के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है।[5] राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द शैक्षिक क्षेत्र में वापस लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और 2030 तक माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ छात्र ड्रॉपआउट के दर को कम करना शामिल है। यूनेस्को के अनुसार भारत में लगभग 0.32 बिलियन छात्र कोविड -19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। इनमें से लगभग 84% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि 70% सरकारी स्कूलों में जाते थे। जबकि 2015 तक, भारत में माध्यमिक विद्यालयों में औसत छोड़ने की दर ग्रामीण क्षेत्रों (NUEPA, 2016) के लिए उच्च संख्या के साथ 17.06% ही थी।[6] प्रवासी बच्चों पर COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के प्रभाव को कम करने और ड्रॉपआउट, कम नामांकन और सीखने की हानि को रोकने के लिए, सरकार ने प्रवासी बच्चों की पहचान, सुचारू प्रवेश प्रक्रिया और निरंतर शिक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की गुणवत्ता और समानता के साथ शिक्षा तक पहुँच हो और देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और जारी किए हैं। अन्य दिशा-निर्देशों में, 6 से 18 वर्ष की आयु के स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता पैदा करना, स्कूल बंद होने पर छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निरंतर शिक्षा (CWSN) और छात्र सहायता शामिल हैं; स्कूल फिर

[5] Educational Statistics at A Glance. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-2018.

[6] Mahalanabis, Sukanya & S. A. (2021). Socio-Economic Origins of School Dropouts in Rural India, *International Journal of Policy Sciences and Law*, Volume 1, Issue 3.

से खोलने और शिक्षक क्षमता निर्माण पर। इसके साथ ही कुछ मुख्य बिन्दु जिनपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र तरीके से जोर देती है जो निम्न है :

- बुनियादी ढांचे में सुधार।
- आकर्षक व सामर्थ्यपूर्ण स्कूली शिक्षा का विकास।
- सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता बढ़ाना।
- अतिरिक्त गुणवत्ता वाले स्कूल बनाना।
- वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित करना।
- सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों व उनके पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर देश में उपलब्ध कराना।

ड्रॉपआउट की समस्या में एक प्रमुख कारण स्कूलों में उचित व अनुकूल वातावरण का अभाव भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलो के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ छात्र- शिक्षक के बीच एक निदानपूर्ण संबंध भी स्थापित करना जो उसके प्राथमिक लक्ष्यों मे से एक है, जो छात्र के अध्ययन से जुड़ी समस्याओं का सकारात्मक तरीके से निदान कर सके, जिसके लिए शिक्षकों का उच्च स्तर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना भी शामिल है। इसके साथ ही छात्र के अध्ययन से जुड़ी क्रेडिट व्यवस्था का भी सुचारु करना जो छात्र के जीवन में उसके द्वारा किए गए कार्यों का एक ब्योरा होगा। यह छात्र एवं रोजगार जगत के बीच समायोजन का कार्य करेगा। इसके साथ ही मातृभाषा में मे शिक्षा को बढ़ावा देने पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है परंतु यह प्रत्येक राज्य व खासकर तकनीक से जुड़े विषयों में इस प्रकार से भाषा से जुड़े पहलू के कारण काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है, जो इस बात की वकालत करते हैं, हमे इस पहलू पर सार्थक चर्चा की जरूरत होगी। नवीन शिक्षा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ सहयोग, वैकल्पिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि भविष्य में होने वाले बदलावों के दौरान छात्र अपने सृजनात्मक्ता को उचित दिशा दे सके और उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार अपने को तैयार कर सके। इन सभी के साथ-साथ सार्वभौमिक शिक्षा को व्यापक स्तर पर लागू करना और कोविड महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों के बच्चों की पहचान करना और उसका पुनः नामांकन कराना है।
डिजिटल विभेदीकरण व ड्रॉपआउट की समस्या को देखते हुए हमें व्यापक पहल की आवश्यकता है जो राज्य और राष्ट्रीय सरकारों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए अच्छी तरह से परीक्षण की गई परिचालन योजनाओं, रूपरेखा और सामग्री को विकसित करेंगे, जिससे छात्र-शिक्षक व अभिभावकों के बीच एक संवाद शुरू हो सके। इससे प्रत्येक कक्षा में समान सीखने के अवसर सुनिश्चित करना व पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और हाशिए पर रहने वाले

परिवारों के लोगों के सामने आने वाली सामाजिक और शैक्षणिक बाधाओं को दूर किया जा सके। इसलिए बच्चों, शिक्षक और बच्चे, बच्चे और स्कूल के माहौल के बीच सकारात्मक संबंध जरूरी है। स्कूल और सामुदायिक संपर्क की फिर से कल्पना की जाने की जरूरत है जहाँ माता-पिता और शिक्षक संयुक्त रूप से सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने का समान अवसर सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके।

संदर्भ-सूची :

- (2021). How Covid-19 has forced the dropout rate to shoot up in India and what we can do. Retrieved from, https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/how-covid-19-has-forced-the-dropout-rate-to-shoot-up-in-india-1879271-2021-11-21
- Banuri, M. & SARMA. (2021). NEP 2020: Hits and misses. Retrieved from, https://idronline.org/nep-2020-hits-and-misses/
- Beniwal,V. (2020). As digital divide widens, India risks losing a generation to pandemic disruption. Retrieved from, https://theprint.in/india/education/as-digital-divide-widens-india-risks-losing-a-generation-to-pandemic-disruption/568394/
- Cornelissen, N. (2021). How the Digital Divide Affects Poverty in India Amid COVID-19. Retrieved from, https://www.borgenmagazine.com/digital-divide-in-india/
- Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels. Retrieved from, https://shikshan.org/nep-2020/education-access/
- Desai, Pankaj (2020). What does the NEP policy mean for Primary education? Retrieved from, https://examfiverr.com/nep-primary-education/
- How can schools implement the National Education Policy 2020 effectively? Retrieved from, https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/how-can-schools-implement-national-education-policy-2020-1718932-2020-09-05
- National Education Policy 2020. Retrieved from, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- NEP 2020 Provides Multi-pronged Strategy To Check School Drop Out Rates. https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-national-education-policy-2020-provides-multi-pronged-strategy-to-check-school-drop-out-rates/357769

- NEP top priority, need to treat skill and education as same subject, minister Pradhan says. Retrieved from, https://theprint.in/india/education/nep-top-priority-need-to-treat-skill-and-education-as-same-subject-minister-pradhan-says/693017/
- New education policy can help curb dropout rates in later years of schooling. Retrieved from, https://www.financialexpress.com/opinion/new-education-policy-can-help-curb-dropout-rates-in-later-years-of-schooling/2074315/
- Over 62% of dropouts in education happens at school level. Retrieved from, https://thefederal.com/news/over-62-of-dropouts-in-education-happens-at-school-level/
- Parsheera, S. (2019). India's on a digital sprint that is leaving millions behind. Retrieved from, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49085846
- Sengupta, P. (2021). NEP 2020 and the Language-in-Education Policy in India. Retrieved from, https://www.epw.in/journal/2021/43/special-articles/nep-2020-and-language-education-policy-india.html?0=ip_login_no_cache%3D04df83172a4ab8dd27bf35ab6bcee786
- Whaghmare, P. (2021). Gender digital divide in India. Retrieved from, https://testbook.com/current-affairs/gender-digital-divide-in-india/

16.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : दृष्टि, लक्ष्य, सम्भावनाएँ व चुनौतियाँ

प्रो. पवन कुमार शर्मा,
आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी
सह आचार्य, शिक्षा विभाग,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्र का अभ्युदय लोक की इच्छा होती है, ऐसा वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक कहा गया है। भारत में राष्ट्र की संकल्पना राजनीतिक से अधिक सांस्कृतिक रही है, इसलिए उसका विकास भी उसी अनुरूप हुआ है। राष्ट्र की इस सांस्कृतिक संकल्पना का मूल कारण भारत की नित-नूतन-चिर-पुरातन संस्कृति रही है, जो अध्यात्म अवलम्बित है। अध्यात्म से अभिप्राय सभी वस्तुओं व प्राणियों में उस परमपिता परमात्मा की सत्ता की उपस्थिति का बोध। इसी के वशीभूत भारत में बहुत लंबे समय तक 'विद्या' शब्द प्रचलन में रहा और 'शिक्षा' शब्द क्रिया रूप में प्रचलित हुआ, न कि संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में हम प्राचीन साहित्य में विद्या शब्द को व्यवहृत होते देखते हैं। वेदों से लेकर अंग्रेजों के आने तक विद्या शब्द ही व्यवहृत हुआ है। इसलिए अनेक राज्यों के अस्तित्व होने के अनन्तर भी भारत सदियों तक एक राष्ट्र के स्वरूप को बनाए रख सकने में सफल रहा, क्योंकि भारत में राष्ट्र का आधार अध्यात्म था, इसलिए राज्य अनेक होने के बाद भी राज्यों के कर्ता-धर्ताओं ने राष्ट्र के बलवती होने की कामना की, न कि राज्य के। क्योंकि मूलभूत तत्व अध्यात्म अवलम्बित संस्कृति था, न कि राजनीति। इसलिए वेद, वेदांत, पुराण, महाकाव्यों से होते हुए धर्मग्रन्थ और नीतिग्रंथों तक सर्वत्र राष्ट्र और विद्या शब्द के ही दर्शन होते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद ही इन दोनों शब्दों के स्थान पर नए शब्दों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। राष्ट्र को नेशन और विद्या को शिक्षा से स्थानापन्न कर दिया गया। बस, यहीं से शब्दों के नवीन अर्थों के कारण अनर्थ होना प्रारम्भ हो गया। ऐसा देश के कर्णधारों ने जानबूझ कर किया या अनजाने में, यह अनुसन्धान का विषय है। किन्तु ऐसा हुआ है, यह सत्य है। ऐसा होने से देश अपने स्वत्व से विलग होकर आत्मविस्मृत हुआ, जिसके भयावह परिणाम देश ने भुगते हैं। भारत की कई पीढ़ियों ने इसकी कीमत चुकाई है। यद्यपि राजनीतिक स्वातंत्र्य देश ने 15 अगस्त, 1947 को ही प्राप्त कर लिया था, किन्तु आत्मविस्मृति से व्याप्त देश के स्वत्व के जागरण के यथोचित प्रयास तदनुसार न हो सके। वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में मई, 2014 एक महत्वपूर्ण समय है, जिसके संदर्भ में इंग्लैंड से प्रकाशित द गार्जियन अपने सम्पादकीय लेख में लिखता है कि *'अंततः ब्रिटीशर्स ने भारत छोड़ दिया'* (एडिटोरीयल, 2014)। यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही 'स्व', 'स्वत्व', और 'स्व-तंत्र' जैसे शब्दों को लेकर विमर्श प्रारम्भ हुआ, और उसी विमर्श के फलस्वरूप विलम्ब से ही सही किन्तु 29 जुलाई, 2020 को भारत की बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्र के सम्मुख देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत की गई। यह नीति एक संक्षिप्त अभिलेख है, लेकिन अपने में विराट को समेटे हुए है। इसकी व्याख्या तदनुसार ही किये जाने की आवश्यकता है। इसमें कुल 4 भाग और 27 अध्याय हैं, जो सूत्ररूप में भारत के अतीत से लेकर भविष्य तक की व्यापक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भारतीय आत्मा के ऊपर उपनिवेशी झीना आवरण भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता

है; परन्तु इसके क्रियान्वयन का स्वातंत्र्य हमें उसको किनारे पर रखकर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है । श्री नरेंद्र मोदी ने इसके लोकार्पण के समय इस बात को रेखांकित किया भी था। इसलिए उसी अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में विगत दो वर्षों में पक्ष और विपक्ष सम्बन्धी विपुल साहित्य रचा जा चुका है; किंतु, इसकी आत्मा के अनुरूप विश्लेषण का अभाव बहुधा परिलक्षित होता है। इस आलेख का मूल उद्देश्य, उन्हीं बिंदुओं को अध्येताओं के सम्मुख रखना है, जो पूर्व में दृष्टि से ओझल हो गए। क्योंकि, बिना इसके न तो इस नीति के उत्स को समझा जा सकेगा और न ही इसके व्यवहार में आनेवाली बाधाएँ दृष्टिगोचर हो सकेंगी।

यद्यपि 1947 से लेकर 2020 तक शिक्षा को लेकर कई आयोग, समितियाँ और कार्यबल गठित हो चुके हैं; जिनमें से 1948 में प्रस्तुत राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट और 1968 में प्रस्तुत कोठारी आयोग की रिपोर्ट का स्थान प्रमुख रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश उसके समुचित क्रियान्वयन के अभाव के कारण वे उतने प्रभावी न हो सके। 1986 की शिक्षा नीति भी बहुचर्चित रही, जिसने डिग्री को रोजगार के साथ सम्बद्ध किया और उसके बाद भारत में डिग्री प्राप्तकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी और रोजगारों की संख्या घटने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, डिग्री बाँटने की प्रक्रिया को महत्व देने के कारण योग्यता या कौशल अर्जित करना धीरे-धीरे कम महत्वपूर्ण होते गया। डिग्री और रोज़गार के इस सम्बन्ध के कारण विगत 34 वर्षों से देश के सम्मुख रोज़गार प्रदान करने की चुनौती मुँह बाए खड़ी है; और इसके समाधान के लिए डिग्रियों की उपलब्धता हेतु शिक्षा के निजीकरण का मार्ग अपना लिया गया है। इस मार्ग से डिग्री-धारकों की संख्या तो बढ़ी, किन्तु योग्यता के अभाव के कारण रोजगारों की प्राप्ति ऊंट के मुँह में जीरा सदृश ही हुई। सत्ता के कर्णधारों ने अनेक समिति और आयोग तो बनाए किन्तु इस दिशा में कोई सशक्त कदम नहीं उठा पाए कि योग्यता या कौशल में वृद्धि कैसे हो। फलतः शिक्षा की गुणवत्ता में दिनोंदिन ह्रास होने लगा और बेरोज़गारी भी बढ़ने लगी। भारत जैसे विशाल देश में रोजगार की आकांक्षी आधी जनसंख्या को नौकरियाँ उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। भारत सदियों से कौशल-युक्त समाज रहा है; और इसी कौशल के बल पर यह देश सदियों तक सोने की चिड़िया के रूप में जाना गया। कार्ल मार्क्स ने इसको अपने साहित्य में रेखांकित भी किया है (मार्क्स & एंजेल्स, 1978, पृ. 38)। 18 वीं सदी तक विश्व व्यापार में इसकी 25 से 28 प्रतिशत सहभागिता (मैडिसन, 2006, पृ. 110-119) इस बात का प्रमाण है। भारत में कौशल को पूर्व काल में सदा महत्व मिला, नौकरी को कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। लोक में कहावत भी थी कि *'उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान'*। जिस समाज में नौकरी को भीख मांगने के समान माना जाता रहा हो, वह समाज नौकरी उन्मुख कैसे हो गया? इस पर जब हम विचार करते हैं तो, हमें ध्यान में आता है कि अंग्रेजों के कारण भारत में सरकारी अफसरों ने जो लूट का कारोबार प्रारम्भ किया, उससे भारतीयों के मन में नौकरी के प्रति आकर्षण बढ़ा और हजारों-हजार की संख्या में युवक अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़कर नौकरी की ओर उद्यत हुए और कालांतर में यही रुझान बन गया कि नौकरी ही सर्वश्रेष्ठ है। फलतः न केवल समाज, राज्य पर अवलम्बित हो गया बल्कि समाज की अत्यधिक अपेक्षा के कारण राज्य पर नौकरी प्रदान करने का दबाव भी बढ़ने लगा और राज्य भी कमजोर होकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। अंग्रेजों के काल में एक ऐसा समाज निर्मित हो गया था, जो परावलम्बी था। फलतः प्रत्येक कार्य के लिए समाज का राज्य पर अवलम्बित होने के कारण यह समाज भी अपने कौशल को भूलने लगा, जिससे बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती गयी। पूर्व के काल में भारत में परंपरागत रूप से कौशल विकास होता रहता था, किंतु अंग्रेजी व्यवस्था के चलते वह चलन से बाहर हो गया और समाज को कौशल युक्त करने के अन्य प्रयत्न या तो किए नहीं गए और यदि किए भी गए तो वे औपचारिक ही सिद्ध हुए। फलतः अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए और समस्या यथावत बनी रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता के कर्णधारों ने समस्या के समाधान के लिए भारत के अतीत की ओर न देखकर पश्चिम की ओर ही देखा।

क्योंकि, उनके पास जो दृष्टि थी वह सभी समस्याओं के समाधान के लिए उसी ओर देखना सिखाती थी, और यही उनका स्वभाव भी बन गया था। इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो सका, बल्कि वह और भी जटिल हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी संदर्भों की विशेष रूप से चर्चा करती है, और इस परिप्रेक्ष्य में भारत के अतीत पर दृष्टिपात भी करती है, और वहीं से समाधान के सूत्र टटोलती हुई आगे बढ़ती है।

यह नीति अपने 'भाग I: स्कूल शिक्षा' (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 8-17) के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से ही बालक को शिक्षित करने के लिए 5 वर्ष के आधारभूत पाठ्यक्रम की चर्चा करती है, जिसमें प्रारम्भ के 3 वर्ष में अर्थात 3 से 6 वर्ष की वय हेतु आंगनवाड़ी या बाल-वाटिका का प्रावधान सुनिश्चित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामाजिक संरचना में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जिसके चलते माता-पिता दोनों ही नौकरीपेशा होने के कारण या तो संतान सुख से वंचित रह जा रहे हैं, या फिर सुख प्राप्त तो कर रहे हैं, किंतु वे उनका व्यवस्थित पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में परिवार व समाज की भूमिका व तदनुरूप दायित्वपूर्ति के प्रति अरुचि के कारण यह भूमिका भी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है। आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रारम्भ के तीन वर्षों के बाद बच्चे आगे 2 वर्ष अर्थात 6 से 8 वर्ष की वय तक सामान्य रूप से अक्षर ज्ञान आदि प्राप्त करेगा और इस प्रकार से वह प्रथम दो कक्षाओं को पार कर लेगा। फिर आगे वह 8 से 11 वर्ष की वय में 3री, 4थी, और 5वीं कक्षा को पार करते हुए आगे माध्यमिक कक्षाओं यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं पार करेगा। 8वीं कक्षा पार करने के समय उसकी वय 14 वर्ष की हो जाएगी। इसके बाद वह 18 वर्ष की वय तक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तथा साथ में वह अपनी रुचि के अनुसार ही कोई कौशल कार्यक्रम भी उत्तीर्ण कर लेगा जिससे उसको बेरोज़गारी की समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रकार समकालीन परिवारों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एक समग्र संरचना तैयार की गई है। शिक्षा नीति को पढ़ने के बाद इसकी दृष्टि व लक्ष्यों को देख कर बहुत उत्साह का निर्माण होता है, और अनेक प्रकार की संभावनाएँ हमारे सम्मुख प्रकट होती हैं जिन्हें यहाँ संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया गया है।

दृष्टि व लक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में पहली बार किसी नीति ने शैक्षणिक वातावरण पर चढ़े औपनिवेशिक लबादे को उतारने, अपनी परम्परा से शिक्षायी प्रक्रिया को जोड़ने, तथा अपनी परम्परा के लिए गर्व का भाव विकसित करने को लक्ष्य बनाया है। इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि भारतीय मूल्यों के आधार पर ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास है, जो एक जीवन्त व न्यायसंगत ज्ञान समाज तथा वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में देश का विकास करे; जिसकी पाठ्यचर्या व शिक्षाविधि देश के साथ जुड़ाव को दृढ़ करने वाली हो; जो "विद्यार्थियों में भारतीय होने के गर्व की स्थापना, न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी" करने वाली हो; जो ऐसे ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच का विकास करने वाली हो, जो मानवाधिकारों, संपोषणीय विकास, जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि विद्यार्थी सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 8)

समग्रता में यह शिक्षा नीति भारतीय होने के गर्व की स्थापना करने की दृष्टि व लक्ष्य लेकर प्रस्तुत है। इस शिक्षा नीति की दृष्टि व लक्ष्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दस्तावेज में उद्धृत उसी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है-

- शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। (शिक्षा व्यष्टि, समष्टि व सृष्टि के कल्याण का उचित माध्यम) (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 3)
- शिक्षा, शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे, इसके लिए पाठ्यचर्या में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाये। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 4)
- शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोज़गार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 4)
- यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरक़रार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 4)
- यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ... नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 4)

यह शिक्षा नीति दावा करती है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में इसे तैयार किया गया है। सनातन ज्ञान और विचार परम्परा से अनुप्राणित यह शिक्षा नीति भारत की ज्ञान परम्परा व ज्ञान के विविध क्षेत्रों में विश्व के लिए भारत के मौलिक योगदान का स्मरण करती है। इस सम्बन्ध में इस नीति की कुछ पंक्तियों को देखा जा सकता है-

- ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ही ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 4)
- तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊँचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 4-5)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता की पुनर्स्थापना, इस समृद्ध विरासत के संरक्षण, संवर्धन, उस पर शोध तथा उसके गौरव की स्थापना, तथा शिक्षा में स्थानीय परिवेश व पारम्परिक ज्ञान के समायोजन के लिए भी अपनी चिन्ता प्रस्तुत करते हुए उद्धृत करती है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 86-92) कि -

- वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ़ सहेज कर संरक्षित रखने की ज़रूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।

- इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखने हुए होना चाहिए।
- भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊँचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अतिआवश्यक है।
- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र और नीति में स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान
- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए विशेष प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस विषय पर एक पूरा अध्याय समर्पित करती है। इस नीति के अध्याय 22 के अंतर्गत (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 86-92) इस विषय को निम्नवत उद्धृत किया गया है-

- भारत की सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार (देश की पहचान व अर्थव्यवस्था दोनों के लिए)
- सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की क्षमताओं का विकास (आत्मगौरव का बोध)
- संस्कृति के प्रसार के माध्यम के रूप में सभी प्रकार की भारतीय कलाओं की सभी स्तरों पर शिक्षा
- संस्कृति की भाषा का संरक्षण व संवर्धन (प्राचीन भारतीय भाषाओं की शिक्षा)
- लुप्तप्राय बोलियों व भाषाओं का संरक्षण (50 वर्षों में 220 बोलियाँ व भाषाएँ समाप्त हो गयीं उन्हें पुनर्जीवित करना)
- 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था व पाठ्य सामग्रियों का विकास
- भाषा शिक्षण तथा भाषा को शिक्षण-अधिगम व संवाद हेतु अधिकाधिक प्रयोग में लाने को प्रोत्साहन
- विद्यालयी शिक्षा में संगीत, कला, हस्तकौशल व स्थानीय विशेषज्ञता के विविध विषयों के शिक्षण हेतु स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों को विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में जोड़ना; तथा मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षण
- उच्चतर शिक्षा में स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, हस्त-शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करना; संबंधित कोर्स व विभाग विकसित करना
- मातृभाषा व स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना
- कलाकृतियों के संरक्षण, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों के संचालन सम्बन्धी डिग्रियों का सृजन
- भारत की समृद्ध विविधता के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित पर्यटन स्थलों (100) के भ्रमण व प्रत्यक्ष अध्ययन जैसी गतिविधियों को शामिल करना
- पर्यटन उद्योग को संरक्षित रखने के लिए अकादमियों, संग्रहालयों, कला वीथिकाओं और धरोहर स्थलों के कुशल संचालन के लिए उच्च प्रशिक्षण प्राप्त योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति
- विविध भाषाओं के उपलब्ध उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम सामग्रियों के अनुवाद को भारत के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराने हेतु 'इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एण्ड इंटरप्रिटेशन (IITI) 'की स्थापना व अन्य शिक्षण संस्थानों में उसका विस्तार
- संस्कृत को मुख्य धारा में लाने के लिए रुचिपूर्ण व नवाचारी तरीक़ों से सभी विषयों के साथ जोड़ना

- पांडुलिपियों का संरक्षण, संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं के विभागों का सुदृढ़िकरण, विविध संस्थानों को बहुविषयी बनाना, पाली, फ़ारसी व प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना
- शास्त्रीय, जनजातीय और लुप्तप्राय भाषाओं व अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी एवं क्राउडसोर्सिंग का उपयोग संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के लिए एक अकादमी की स्थापना, अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी अकादमी (केंद्र व राज्य की सहायता से)
- स्थानीय कला एवं संस्कृति का डिजिटल दस्तावेजीकरण, सम्बन्धित शोध परियोजनाओं को प्रोत्साहन
- भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयुवर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति व विविध पुरस्कारों की स्थापना, भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता का मानदंड बनाना

उपर्युक्त संदर्भों को देखने के बाद यह लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसे निम्न तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है-

सम्भावनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परम्परा के आधार पर भारत और उसके युवाओं को, जो न केवल भारत के कर्णधार हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के गौरव को अपनी मेधा के बल पर प्रस्तुत भी करते हैं, विश्व के सम्मुख भारत के गौरवशाली अतीत के बल पर स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। भारतीय युवा लंबे समय से अपनी उपस्थिति वैश्विक स्तर पर अंकित किए हुए हैं, परन्तु, उनका अवलम्बन पाश्चात्य चिंतन ही रहा है; किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अब इसके आधार के रूप में भारतीय ज्ञान परम्परा की स्थापना की है। अर्थात, यह शिक्षा नीति भारतीय शैक्षिक परिदृश्य को बिल्कुल आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर प्रस्तुत करती है। इस दस्तावेज की स्थापना है कि ज्ञान की गंगा भारत से बहकर पश्चिम की ओर गई है, न कि पश्चिम से भारत की ओर आई है। सर विलियम जोन्स ने यही बात आज से लगभग सवा दो सौ वर्ष पूर्व कही थी कि भारत लंबे समय तक पाश्चात्य जगत का मार्गदर्शन करता रहा है। किंतु इतने गूढ़ रहस्यों से भारतीयों को वर्षों से अनभिज्ञ रखा गया। अब भारतीय युवा इन विशेषताओं से परिचित होगा और स्वयं के उत्स से जुड़कर विश्व का नेतृत्व कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित पाठ्यचर्या के लिए संकल्पित है। कोई भी समाज उधार के बल पर लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए नहीं रख सकता। 1947 के बाद से भारत के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यही था कि भारतीय शिक्षा पश्चिम प्रणीत थी। फलतः पश्चिमी जगत जो *चुका हुआ ज्ञान* हमें देता था उसके बल पर हम जितना आगे बढ़ सकते थे, बढ़ते थे, और एक सीमा के बाद हममें ठहराव आ जाता था। किन्तु अब परिदृश्य बदलेगा।

भारत में ज्ञान की परम्परा व्यक्ति की सुविधा अनुसार रही है। यानी जब जिसको जितना ज्ञान चाहिए उतना ले लीजिए। वाल्मीकि रामायण, पाणिनि, शुक्रनीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। एक-एक प्रश्न तक के लिए जिज्ञासु अपनी सुविधानुसार गुरुकुलों (कुलात्खः - अष्टाध्यायी 4/1/139), विद्वत परिषदों (परिषदोण्यः - अष्टाध्यायी 4/4/44 तथा 4/4/101) और गुरुओं के पास जाते थे। वस्तुतः शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में ही व्यवहृत थी। संस्कृत वांग्मय में ऐसे प्रमाणों की भरमार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यार्थी को इतनी स्वतंत्रता देती है कि वह ज्ञान कहीं पर भी प्राप्त कर सकता है, और उसके उपयोग के लिए उसका मूल्यांकन भी भारत में विद्यमान संस्थानों से करवा सकता है। ज्ञान के संस्थानीकरण से शिक्षा की मुक्ति इस नीति का बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसके अतिरिक्त यह नीति विद्यार्थियों को यह भी अवसर देती है कि यदि वह संस्थाबद्ध होकर भी पढ़ना चाहता है, तो अपनी पढ़ाई जब चाहे नियमित कर सकता है। जैसे, स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वह सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा और फिर उसे जब सुविधा

होगी तब संस्थान में आकर आगे का अध्ययन प्रारम्भ कर सकता है। अब दूसरे वर्ष की जो परीक्षा वह उत्तीर्ण करेगा, तो वह स्नातक डिप्लोमा धारक कहलाएगा। बाद में, वह तीसरे वर्ष की भी परीक्षा अपनी सुविधानुसार उत्तीर्ण कर लेता है तो स्नातक कहलाएगा, और जब समय मिला और उसने चतुर्थ वर्ष की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली तो वह स्नातक ऑनर्स कहलाएगा। पांचवे वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परास्नातक उत्तीर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से वह जीवन पर्यंत अपने ज्ञान में, उपाधि आधारित वृद्धि कर सकता है, और यह कार्य वह एक ही संस्थान नहीं वरन भिन्न-भिन्न संस्थानों से भी कर सकता है। यह शिक्षा नीति इस प्रकार का अद्भुत विकल्प प्रदान करती है। आगे यदि कोई विद्यार्थी अनुसन्धान करना चाहता है तो वह भी नियमित कर सकता है।

अंतर्विषयक, समग्र व बहुविषयक अध्ययन के लिए भी अपार संभावनाएँ यह नीति उपलब्ध करवाती है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 57-60) किसी भी अनुशासन का विद्यार्थी अपने यहाँ उपलब्ध अनुशासन के अंतर्गत स्कोर अर्जित करके अपने उत्तीर्णांकों में जुड़वा सकता है। यदि विद्यार्थी के संस्थान में उसकी रुचि का विषय उपलब्ध नहीं है, तो वह स्वयं या इसी प्रकार के अन्य मंचों पर उपलब्ध विषयों का अध्ययन करने के उपरांत अर्जित स्कोर को अंकतालिका में जुड़वा कर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। इस प्रकार यह नीति ज्ञान को विविध सीमाओं से क्रमबद्ध रूप से मुक्त करती है जो पूर्व काल में भारत की अद्भुत देन रही है। यह विकल्प भारत के विद्यार्थियों को पहले ही उपलब्ध करवाना चाहिए था, किंतु अपने मूल के ज्ञान के अभाव के चलते यह सम्भव न हो सका। वस्तुतः इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक समग्र मानव का निर्माण करना है।

शिक्षकों के चयन से लेकर उनके अध्ययन-अध्यापन और प्रशिक्षण आदि सभी विषयों के साथ-साथ शिक्षकों के वेतन और सम्मान के सम्बन्ध में भी यह नीति व्यापक रूप से चर्चा करती है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 30-37)। शिक्षा के समुन्नत विकास के लिए आदर्श शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात पर भी यह नीति न केवल दृष्टिपात करती है, अपितु उसकी सुनिश्चितता की गारंटी भी देती है। शैक्षिक वातावरण के निर्माण तथा उसकी उपादेयता को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक स्तर के शिक्षक के उन्नयन के लिए नानाविध कार्यक्रम इसमें उल्लिखित हैं, जिनके माध्यम से एक शिक्षक स्वयं को उन्नत करके चिंतनशील विद्यार्थियों का निर्माण कर सकता है।

शिक्षा, समाज और सरकार के सम्बन्धों और उनकी भूमिका से अच्छे संस्थानों का निर्माण, संचालन और राष्ट्र संरक्षण के तत्वों को भी यह नीति उजागर करती है। अंग्रेजों के आने के पूर्व शिक्षण संस्थानों का संचालन समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही होता था; राज्य की भूमिका उसमें सहयोगी की होती थी। किन्तु, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए शिक्षा को एक टूल के रूप में उपयोग किया। अंग्रेजों के इस कुत्सित प्रयास से न केवल भारत की शिक्षा विकृत हो गई, बल्कि इसने भारतीयों को आत्म-विस्मृत भी बना दिया। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा की कटु आलोचना की थी और आनन्द कुमार स्वामी ने भी इसे घटिया बताया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से पुनः भारत की शिक्षा व्यवस्था को उसके मूल के साथ जोड़कर उन्नत किया जा सकता है जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके।

शैक्षिक संस्थानों के विषय में भी यह अभिलेख अद्भुत मार्गदर्शन करता है। भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा केवल सरकार के बल पर सभी नागरिकों को प्रदान नहीं की जा सकती, उसमें समाज की भी भूमिका होती है। यह नीति उस को न केवल रेखांकित करती है बल्कि उसकी रूपरेखा भी तैयार करती है। यथा, लंबे समय से सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय शिक्षा पर होना चाहिए, किन्तु यह हो नहीं रहा था। यह नीति सरकार और समाज के सहयोग से इस संकल्प की पूर्ति करती है, और समाज के अग्रणी महापुरुषों को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। समाज में तीन प्रकार के शिक्षण

संस्थानों के स्वरूप का निर्धारण करने की पहल प्रारम्भ हुई है। प्रथम, सरकारी, दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और तीसरा, नितांत रूप से निजी; इनमें भी दो स्तर होंगे, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के, और दूसरे, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले। इस प्रकार से सम्पूर्ण समाज समग्र रूप से शिक्षा अर्जित करने में सफल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त नियमित पाठ्यक्रमों के संचालन करने वाले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान करने वाले विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों को पृथकता से संचालित किया जाएगा। क्रमानुसार विश्वविद्यालयों के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उच्चीकृत किया जाएगा, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। सभी विश्वविद्यालयों को अंतर्विषयक और बहु-विषयक बनाया जाएगा जिससे विद्यार्थियों को रुचि अनुसार विषयों के स्वातंत्र्य का लाभ मिल सके। इस शिक्षा नीति में ऐसे अनेक नवाचारों को स्थान दिया गया है।

भाषा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 19)। इससे न केवल बालक पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़ेगा बल्कि मातृभाषा में विषय की ग्राह्यता कई गुना अधिक होने के कारण विषय को शीघ्रता से समझ भी लेगा। संस्कृत की महत्ता को ध्यान में रखकर उसके उन्नयन के प्रयासों से अन्य भाषाओं को भी लाभ होगा। संस्कृत को लेकर पूरे भारत में किसी के भी मन में कोई मालिन्य नहीं है। डॉ. आंबेडकर जी तो इसको भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे (जनसत्ता रविवारीय स्तम्भ, 2018, अप्रैल 29), किंतु कतिपय कारणों से यह हो न सका। इस नीति का एक सुझाव भाषा को लेकर यह भी है कि प्राथमिक से लेकर 12वीं तक कि समस्त शिक्षा, मातृभाषा में ही हो, और त्रिभाषा सूत्र को मान्य किया जाए। इस प्रकार से भाषा को लेकर यह अत्यधिक संवेदनशील है। मातृभाषा में श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध हो इसके लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को समृद्ध करने पर बल दिया गया है तथा इस विषय से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों को भी सक्रिय करने का उल्लेख है। इस प्रकार से भाषा के लिए यह दस्तावेज बहुत ही व्यापकता से चिंतन करता हुआ प्रतीत होता है। अनुसन्धान को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थानों की स्थापना इसका महत्वपूर्ण सुझाव है। इसके लिए बजटीय प्रावधानों का प्रबंधन करने का संकल्प इसके महत्व को स्वतः ही उजागर करता है। विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को भी इसने दृष्टिगत रखा है। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की संकल्पना को इसके माध्यम से सुगमता से समझा जा सकता है। इस प्रकार यह दस्तावेज देखने में तो छोटा लगता है किंतु सूत्र रूप में इसने अपने में सभी कुछ समेटा हुआ है। यह इसके वैशिष्ट्य को ही उद्घाटित करता है। सही अर्थों में कहें तो यह एक ऐसा अभिलेख है, जो सही में सम्भावनाओं के अनेक द्वार खोलता है। किंतु इस नीति की कुछ विसंगतियाँ भी हैं, जिनके कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनका यहाँ पर उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जहाँ अपने भीतर अंनत सम्भावनाएँ संजोए हुए है, वहीं अनेक चुनौतियाँ भी उसके सम्मुख है। यथा, अंग्रेजों के आने के पूर्व तक भारत में विद्या परम्परा विद्यमान थी; जिसको बदल कर अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को प्रचलित कर दिया। हम सभी को ज्ञात है कि व्यवस्था परिवर्तनशील होती है, परम्परा पुरातन के साथ स्वयं को जोड़ कर अद्यतन करती रहती है। परंपरा में भारतीय दर्शन व्यवहृत होता है, जबकि व्यवस्था, पश्चिमी फिलॉसफी पर आधारित है, जो अभी भी स्वयं में अपूर्ण और मध्यस्थों पर अवलम्बित है। इसलिए परिवर्तन तो दोनों में ही होता है किंतु भारतीय परिवर्तन में निरंतरता है, और पश्चिमी में ब्रेक या बदलाव, इसलिए वह पुराने के साथ नहीं रह पाता। यह शिक्षा नीति बात तो भारतीय ज्ञान परम्परा की करती है, किंतु भाषा के व्यामोह में अंग्रेजी के इंडियन नॉलेज सिस्टम को व्यवहृत करती है जिससे पूरा वृतांत ही बदल जाता है। भाषा की स्वीकार्यता से उसका क्रियान्वयन भी बदल

जाता है। इस विषय पर यह नीति नितांत मौन है। विपुल साहित्य की उपलब्धता के लिए अन्य भाषाओं से अनुवाद का उल्लेख किया गया है, और उसके लिए अनुवाद की आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया है। किंतु, तकनीकी अनुवाद से भारतीय भाव की उपलब्धता का अभाव होगा ही, इस बात की शत-प्रतिशत गारंटी है। इस का सबसे सशक्त प्रमाण मंत्रालय द्वारा करवाया गया इस शिक्षा नीति का जन साधारण के लिए उपलब्ध हिंदी अनुवाद है। क्योंकि मशीनी अनुवाद के चलते अनेक स्थानों पर अर्थ का अनर्थ हो गया है। विपुल साहित्य का अनुवाद अनुवादकों के द्वारा भी एक दिन में सम्भव नहीं है, इसको करने में कई वर्ष लगेंगे। इस विषय पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। भाषा सम्बन्धी विमर्श में अंग्रेजी की उपादेयता अभी जस की तस बनी हुई है। उसके स्थान पर सर्वमान्य भाषा के रूप में किसे मान्य किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है।

नीति कहती है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी । किन्तु, उसमें किन्तु-परन्तु यह लगा दिया गया है कि 'जहाँ तक सम्भव हो' (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ. 19)। यहाँ पर सरकार की इच्छा तो मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने की है, किंतु कर्ताधर्ताओं ने इस 'परन्तु' के माध्यम से अपने मन्तव्यों की पूर्ति के लिए स्थान सुरक्षित रख छोड़ा है। त्रिभाषासूत्र के दृष्टिकोण से भी विद्यार्थियों को विकल्पों में से ही चयन करना होगा, और निजी स्कूलों को तो छोड़िए, अनेक सरकारी संस्थानों में भी संस्कृत तथा मातृभाषा के शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। किंतु अनेक यूरोपीय भाषाओं के अध्यापन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। क्योंकि इन भाषाओं के सीखने से रोजगार मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अतएव भाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो विभेद हैं, उनके चलते भी यह समस्या सुलझती प्रतीत नहीं होती। अनेक राज्य सरकारें संस्कृत या अन्य भाषा के शिक्षकों के व्यय भार की चिंता यह कह कर व्यक्त करती हैं कि यह तो केंद्र सरकार की इच्छा है, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। भाषा सम्बन्धी ठोस नीति के अभाव के चलते अनेक राज्यों के सरकारी स्कूल ही स्वयं को उच्चीकृत करके अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर रहे हैं। सरकार के इस आचरण से स्वयं ही सरकार की इच्छा पर प्रश्न चिह्न लग रहा है।

इसी प्रकार शिक्षक के गुणवत्ता स्तर के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चित मानदंड निर्धारित किए हुए हैं, तथापि ठोस रूपरेखा के अभाव में शिक्षक की गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न लगा रहता है। उसके दो कारण हैं, एक तो भारत में शिक्षक बनने के लिए कोई भी स्तरीय मानक नहीं हैं। यथा, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सेना, तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 12 वीं कक्षाओं के बाद सभी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं; किंतु शिक्षक के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अंत तक नहीं है। विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से अपना कैरियर प्रारम्भ करता है, और अंत में कुछ न मिलने पर अनिच्छा से शिक्षक बन जाता है, और जीवनपर्यंत कुंठाग्रस्त रहकर ऐसी ही पीढ़ी का निर्माण करता है।यह दस्तावेज इस विषय पर मौन है। यद्यपि शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की कुछ सम्भावनाएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा गठित 'सिद्दीक़ी समिति' की अनुशंसाओं के आधार पर लागू तो की गई हैं किंतु अच्छे संस्थानों और प्रतिबद्ध शिक्षकों के अभाव में इसका क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाएगा। दूसरा, भारत में शिक्षक प्रतिबद्धता के कारण नहीं बनता, बल्कि वह विकल्प है। प्रतिबद्धता के अभाव में शिक्षक को शिक्षा से सरोकार न रहकर, अर्थोपार्जन और जीविकोपार्जन से सरोकार रहता है। इसलिए उत्तरोत्तर शिक्षा के स्तर में ह्रास हो रहा है।

विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी अनेक विसंगतियों के चलते शिक्षकों के क्रियाकलापों में बहुत भेद है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण बहुत से राज्य शिक्षा के संचालन में अलग-अलग मानक अपनाते हैं। यथा, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष से प्रारम्भ होकर 65 वर्ष तक जाती है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी वेतन विसंगतियाँ विद्यमान ही हैं। माध्यमिक और

प्राथमिक स्तर की तो और भी बुरी हालत है। वर्षों से भर्तियों की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल कर पूरी व्यवस्था को तदर्थ व ठेके के शिक्षकों के हवाले किया हुआ है। पूरे भारत में जो आदर्श शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात का होना चाहिए, वह दूर की कौड़ी लगता है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद भी उच्च वेतनमान के आचार्य को चुनाव-ड्यूटी आदि के कार्य में अपने से बहुत कम वेतनमान के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। कई राज्यों में शिक्षक वर्ष पर्यंत अध्यापन के अतिरिक्त सब कार्य करता है। शिक्षक के सम्मान के अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता और श्रेष्ठ विद्यार्थियों के निर्माण की बात नितांत हास्यास्पद लगती है। जो शिक्षक, पूरी दुनिया को प्रमाणिकता का पाठ पढ़ाता है, वही सरकारी तंत्र के सम्मुख सबसे अविश्वसनीय माना जाता है, उसने जो कार्य किए हैं, उन सब के न केवल प्रमाण माँगें जाते हैं, बल्कि उसे अपनी उपस्थिति के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अपना अंगूठा भी लगाना होता है। कुछ शिक्षकों का आचरण सन्दिग्ध हो सकता है, किंतु सब ऐसे नहीं होते। जबकि शिक्षा नीति शिक्षक के सम्मान की भरपूर वकालत कर रही है, किंतु लागू होने के दो वर्ष पूर्ण होने को आए, परन्तु, ऐसा कहीं भी अनुभव में नहीं आ रहा है। यह एक गम्भीर चुनौती है, और इसका समाधान होना ही चाहिए। इसी प्रकार सर्व समावेशी चिन्तन के चलते सभी को शिक्षक बनने का अधिकार है, चाहे उनमें शिक्षक बनने का गुण हो या नहीं। शिक्षकों में शिक्षकोचित गुणों के अभाव में शिक्षा में गुणवत्ता की बात करना बेमानी सी लगती है। 1996 में प्रकाशित डेलर कमीशन की रिपोर्ट इस पर गहन चिंता व्यक्त करती है (द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एज्यूकेशन फ़ॉर द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी, 1996)। इस प्रकार समाज में शिक्षा के कई स्तर बना देने के बाद विद्वेष और विसंगतियाँ बढ़ेंगी ही, न कि कम होंगी। शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते पूर्व में भी जिन सामाजिक लोगों ने शिक्षण संस्थान खोले थे, वे भी अब उन्हें निजी संस्थान के रूप में संचालित करने के लिए उद्यत हैं। एक ओर तो नीति समाज के लोगों को प्रेरित करने की बात कर रही है, दूसरी ओर समाज के वे ही वर्ग, संस्थानों के निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाजार के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण भी शिक्षा अनेक विसंगतियों का सामना कर रही है। शिक्षण के क्षेत्र में यह नीति भी अत्यधिक मशीनीकरण की बात करती है। यह नीति भारत की भावभूमि को दृष्टिओझल करके मशीनों के अत्यधिक उपयोग की बात करती है, जो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी। जबकि भारत में संरचनात्मक ढांचा अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, जितना कि पश्चिम में हो चुका है। इसलिए उच्चीकृत करते समय संस्थानों के मानक उसी अनुरूप निर्धारित करने चाहिए। स्मार्ट क्लास रूम और ऑनलाइन टीचिंग भारत के लिए अभी भी सरल नहीं है। यद्यपि हमने कोरोना महामारी के दौरान इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ कार्य सम्पादित किए हैं किंतु वे सभी ऊंट के मुँह में जीरा सदृश ही सिद्ध हुए हैं। और इन सबके अतिरिक्त शिक्षा जो समाज सेवा और पुण्य का क्षेत्र हुआ करती थी, वह अब उद्योग का रूप लेती जा रही है। अतः प्राचीन शैक्षिक आदर्शों को कैसे व्यवहृत किया जाएगा, ऐसा कुछ भी मार्ग यह शिक्षा नीति नहीं सुझाती है।

अतः उपर्युक्त समस्त सम्भावनाओं व चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना समीचीन होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक आयी समस्त शिक्षा नीतियों से कई अर्थों में विशिष्ट है। इस शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन से निश्चय ही भारतीय शिक्षा यूरोप के स्थान पर भारतीय ज्ञान परम्परा से दृष्टि पाएगी, और देश को राजनैतिक स्वतंत्रता से सांस्कृतिक स्वतंत्रता की ओर यात्रा कराने में भी सार्थक सिद्ध होगी। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकेगा जब इस नीति को सही नीयत के साथ क्रियान्वित करने के लिए विविध बृहद व लघु योजनाओं का न केवल निर्माण व क्रियान्वयन किया जाए वरन उसका निरंतर अनुवर्तन व परीक्षण भी किया जाए, जिससे उसकी दिशा व दशा के बारे में निरंतर पता चलता रहे, और यदि आवश्यक हो तो अन्य लघु योजनाओं के माध्यम से सहायता पहुँचाई जा सके। अतः हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारत केंद्रित शिक्षा के आधार को बनाए रखते हुए वैसा ही पाठ्यक्रम बनाना

होगा, फिर पुस्तकें लिखवानी होंगी, उसके बाद उसे पढ़ने-पढ़ाने वालों का प्रशिक्षण करना होगा। इन सब का मात्र प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि विद्यार्थियों व शिक्षकों के अंतः के स्वत्व को जागृत कर उसे भारत के विराट के साथ जोड़ने के प्रक्रिया, इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। तभी भारत केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों में अंदर तक उतर पाएगी और यह राष्ट्र सांस्कृतिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभ संकल्पों की सिद्धि से भारत के स्वत्व के जागरण का मार्ग निश्चित ही प्रशस्त होगा।

सन्दर्भ सूची

- एडिटोरीयल (2014, मई 18). इंडिया: अनदर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. द गार्जियन. https://www.theguardian.com/global/2014/may/18/india-narendra-modi-election-destiny
- मार्क्स, के. व एंजेल्स, एफ. (1978). ऑन कोलोनियलिज़्म. फ़ॉरेन लैंग्वेजेज पब्लिशिंग हाउस. पृ. 38
- मैडिसन, ए. (2006). द वर्ल्ड इकोनॉमी: अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव. अकादमिक फ़ाउण्डेशन. पृ. 110-119
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
- पणशीकर, वी. एल. एस. (सं०) (1985). *पाणिनीयव्याकरण सूत्रवृतिः अष्टाध्यायी सूत्र पाठ.* दिल्ली : चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान.
- जनसत्ता रविवारीय स्तम्भ (2018, अप्रैल 29). संस्कृत के प्रबल समर्थक थे आम्बेडकर. जनसत्ता. https://www.jansatta.com/sunday-magazine/jansatta-ravivari-artical-ambedkar-was-a-strong-supporter-of-sanskrit/644281/
- द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एज्यूकेशन फ़ॉर द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी, यूनेस्को (1996). लर्निंग: द ट्रेजर विदिन. यूनेस्को

17.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाषाई सरोकार

डॉ. अनुशब्द
हिंदी विभाग
तेजपुर विश्वविद्यालय
तेजपुर, असम

प्रसिद्ध भाषाविद आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा का विश्वास है कि **"भाषा के अभाव में मनुष्य की सामाजिक ही नहीं, वैयक्तिक स्थिति भी निरुपयोगी बन जाती है|"**[1]यानी भाषा केवल मनुष्य की सामाजिक ही नहीं वैयक्तिक अस्मिता का भी आधार है|भाषा सिर्फ़ बोलने का माध्यम नहीं है, वह हमारे सोचने का माध्यम भी है| हमारे मस्तिष्क में विचार भी भाषा की शक्ल में जन्म लेते हैं|हम उसी भाषा में चिंतन करते हैं जिस भाषा को हम जान रहे होते हैं| भाषा से जुड़े सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भाषा और संस्कृति का आपस में बहुत गहरा संबंध है| आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर कुँवर नारायण इस विषय में लिखते हैं कि **"भाषा संस्कृति की सबसे नाज़ुक इकाई है"** जब भी किसी भाषा पर चोट किया जाता है तो उससे उस भाषा से जुडी संस्कृति प्रभावित होती है|जब हम यह कहते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है तो हम भारत की विविध संस्कृतियों की ओर भी इशारा कर रहे होते हैं| और जब कोई भाषा मरती है तो एक संस्कृति भी मरती है| जब किसी भाषा के विषय में यह कहा जाता है कि वह लुप्तप्राय होती जा रही है तो यकीन मानिए ठीक उसी समय उस संस्कृति का दायरा भी सिमट रहा होता है, जिसके आचार-विचार के प्रसार का माध्यम वह लुप्तप्राय भाषा रही है| यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 50 वर्षों में भारत की लगभग 200 से अधिक भाषाएँ लुप्त हो गयी हैं| हमारी आनेवाली पीढियां उन 200 से अधिक भाषाओं से अनजान होंगी| भावी पीढियाँ विरासत में मिले अनुभव का लाभ ले सकें इसके लिए भी मातृभाषा का संरक्षण ज़रूरी है| जॉन डिवी अपनी पुस्तक 'शिक्षा और लोकतंत्र' में शिक्षा के विषय में लिखते हैं-**"अनुभव के ऐसे पुनर्निर्माण अथवा पुनः संगठन को शिक्षा कहते हैं जो अनुभव को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करता है और जिससे बाद में अनुभवों को दिशा प्रदान करने की योग्यता बढ़ती है|"**[2] मातृभाषाओं से प्राप्त अनुभव भी मानव-जीवन को दिशा प्रदान करता है|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने फिर से हमें मातृभाषा, बहुभाषिकता और शिक्षा से जुड़े सवालों पर विचार करने का अवसर दिया है|इस शिक्षा नीति को भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार में

भाषा की भूमिका को पहचानने के प्रयत्न के रूप में भी देखा जाना चाहिए| भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोने तथा उसे आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस शिक्षा नीति का विशेष महत्त्व है| अगर हम वर्तमान समय में मुख्यधारा की शिक्षा-पद्धति पर नज़र डालें तो पाएँगे कि यहाँ एक रटा-रटाया पैटर्न है, जो विद्यार्थियों को बाज़ार की मांग के अनुसार तैयार करता है|वर्तमान समय में भारत में जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है वह विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का ज्ञान करा पाने में अक्षम साबित हो रही है या यूँ कहें कि इस विविधता से विद्यार्थियों को अवगत कराना इसके सरोकारों में ही शामिल नहीं है| इस मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े लिखे बच्चे बड़े होकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का सामर्थ्य जुटा लेने को ही अपनी शिक्षा की सफलता मानते हैं| और अधिकांश बार यह समाज भी व्यक्ति की शिक्षा का मूल्यांकन कुछ इसी रूप में कर रहा होता है| शिक्षा नीति 2020 कई मायनों में विशिष्ट है| इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यह शिक्षा के भारतीय संस्करण की तस्वीर को निर्मित करने का प्रयास है| भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के संवर्धन के प्रयास पर भी इसमें बल दिया गया है| शिक्षा मनोविज्ञान के विद्वान् यह मानते है कि विद्यार्थियों में सकारात्मक सांस्कृतिक जागरूकता विकसित करने में निज-भाषा, कला एवं इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चा जब अपनी मातृभाषा में किसी अवधारणा की समझ विकसित करता है तो वह ज्यादा सहज, स्थाई और रोचक अनुभव होता है| यही कारण है कि अधिगम की प्रक्रिया में मातृभाषा के महत्त्व को पहले भी स्वीकारा जाता रहा है, यह और बात है कि बावजूद इसके विद्यालय में अधिगम की भाषा और घर की भाषा आजतक एक नहीं हो पायी है! विद्यार्थी जब विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करता है तो वहाँ की दुनिया को वह अपने घर की दुनिया से बिल्कुल भिन्न पाता है| यह असहजता विद्यार्थियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव निर्मित करता है| इस दबाव की वजह से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| कभी-कभी यह दबाव इस हद तक नकारात्मक होता है कि विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने (स्कूल ड्रॉपआउट) तक पर विवश हो जाते हैं| नयी शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अगर ग्रेड 8 या उससे आगे की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य को विद्यार्थियों की मातृभाषा में किया जा सके तो यह और भी बेहतर हो| ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट के "बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति" नामक अध्याय में जब मातृभाषा में शिक्षण की बात की गयी है, वहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि **"सर्वजनिक तथा निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे|"**[3]इस बात के उल्लेख से पता चलता है कि सर्वजनिक एवं निजी विद्यालयों के बीच भाषा के अनुप्रयोग के आधार पर जो अंतर हैं उन्हें पाटना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माताओं का एक लक्ष्य रहा होगा|

बहुभाषिकता न सिर्फ़ भारत की विशिष्टता है बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी भी है| कोठारी कमीशन (1966-1968) ने त्रिभाषा सूत्र विकसित किया था तो उसका भी उद्देश्य कहीं न कहीं भारत की बहुभाषिकता को सुरक्षित रखना ही था, ताकि भारत की बहुभाषी विविधता अक्षुण्ण रह सके| 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' में भी इस बात की अनुशंसा की गयी है कि भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए जिससे बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके| 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' में इस बात की भी अनुशंसा की गयी है कि गैर-हिन्दीभाषी राज्यों में बच्चे हिन्दी सीखते हैं| हिंदी प्रदेशों में बच्चे वह भाषा सीखें जो वहाँ न बोली जाती हो| साथ ही संस्कृत के अध्ययन को शुरू किये जा सकने की भी इसमें बात की गयी है| गौरतलब है कि जब हम भारत की विभिन्न भाषाओं पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि चाहे तमिल हो या तेलुगू, कन्नड़ हो या मलयालम, उनका एक समृद्ध साहित्य है| जब आने वाली पीढ़ियों का अपनी मातृभाषा से जुड़ाव होगा तो वह उस भाषा के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगी और इनमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो भविष्य में अपनी रचना से उस साहित्य को समृद्ध करेंगे| राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 में त्रि-भाषा फ़ॉर्मूले को जारी रखने की बात कही गयी है, साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि 'किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी'| इस निर्णय के पीछे के आशयों को समझना ज़रूरी है| कई बार जब हम भाषा प्रयोग संबंधी सवालों पर विचार करते हैं तो भावुकता के अतिरेक में विमर्श को हिंदी बनाम अंग्रेजी बना देते हैं| हमें समझना होगा कि देश के सुदूर दक्षिण प्रान्त का कोई विद्यार्थी हिंदी भाषा के प्रयोग में उतना ही असहज हो सकता है जितना कोई उत्तर भारतीय तमिल या तेलगु भाषा के प्रयोग में|हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा के सन्दर्भ में **"सरलता और कठिनता सापेक्ष शब्द हैं|"**[4]अतःकिसी राज्य पर कोई भाषा न थोपे जाने की बात कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माताओं ने उदार दृष्टि का परिचय दिया है| मातृभाषा का शिक्षण-अधिगम की भाषा होना विद्यार्थियों को मौलिक सोच के लिए अभिप्रेरित करेगा| साथ ही आने वाली पीढ़ियों का मातृभाषा से जुड़ाव हमें उस भाषा के भविष्य के लिए भी आश्वस्त करेगा| लोक से भाषा का जुड़ाव किसी भी भाषा की समृद्धि की कुंजी है| लोक और भाषा के संबंध के विषय में कुँवर नारायण की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

"भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में
आग यदि लगी तो पहले वहाँ लगेगी
जहाँ ठूँठ हो चुकी होंगी
अपनी ज़मीन से रस खींच सकनेवाली शक्तियाँ|"[5]

मातृभाषा में शिक्षण केवल भाषाई मुद्दा नहीं है, वह कक्षा के विद्यार्थी केन्द्रित होने का प्रमाण है| ध्यातव्य है कि बाल केन्द्रित शिक्षा में **"शिक्षक सत्ता और ज्ञान के भण्डार का प्रतीक न होकर संप्रेषक, सुविधादाता और परिवर्तनकर्त्ता की भूमिका निभाता है| तब 'शिक्षण' का स्थान 'सीखना' लेता है|"**[6] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से एक ऐसी कक्षा की अवधारणा को मूर्त रूप में साकार करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें विद्यार्थी का पूर्वज्ञान शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में मददगार साबित हो| मुख्यधारा के शिक्षण संस्थानों में तमाम ताम-झाम के बीच बच्चा गौण हो जाता है और विद्यालय की साज-सज्जा केंद्र में आ जाती है| प्रख्यात शिक्षाशास्त्री जे. कृष्णमूर्ति विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा की वकालत करते हुए लिखते हैं कि**"जब तक संस्था को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जाएगा, तब तक बच्चे को महत्त्व नहीं मिल सकता|"**[7]

भाषाई परिप्रेक्ष्य से शिक्षा नीति 2020 हमारी पूर्वाग्रह युक्त सोच को परिवर्तित करने का एक प्रयास भी है| चाहे स्कूल ड्राप आउट की समस्या हो या लड़कियों की शिक्षा में कम भागीदारी की समस्या मातृभाषा में शिक्षण न होने से ये किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं| प्रख्यात शिक्षा शास्त्री कृष्ण कुमार अपनी पुस्तक 'चूड़ी बाज़ार में लडकी' में लिखते हैं कि **"स्त्री के जीवन-संघर्ष का स्वरूप शिक्षा के ज़रिए एक हद तक बदला जा सकता है, पर ऐसा तभी हो सकता है जब स्वयं शिक्षा का चरित्र बदले|"**[8] राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मायनों में भारत के शिक्षा के चरित्र को बदलने का उपक्रम मालूम होता है|

सामान्य-जन में अपनी भाषा के प्रति जो एक हीनता का भाव विकसित होते हुए हमने वर्षों से देखा है, इस शिक्षा नीति में उससे बाहर आने का प्रयत्न है| यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि औपनिवेशिक युग की समाप्ति के पश्चात भी हमारे देश में अंग्रजी का वर्चस्व ख़त्म नहीं हुआ है| हमने उन्नति के जो मानदंड निर्धारित किए, बहुभाषिक समरसता उसके सरोकारों में प्राथमिक कभी नहीं रहा| उदहारण के तौर पर न्यायलय की भाषा को देखा जा सकता है| न्यायालय के अधिकांश फैसले ऐसी भाषा में आते हैं जिसे अभियुक्त समझ तक नहीं पाता| सोचिए ऐसे न्याय का क्या अर्थ जो जिससे संबंधित है उसकी समझ में आने वाली भाषा में नहीं है| अंग्रेजी को राज-काज और शिक्षण माध्यम मान लेने के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि चूँकि वह लम्बे समय तक हमारे देश में राज-काज की भाषा रही है और अधिकांश लोग इसके व्यवहार में सहज हैं इसलिए यह भाषा कुछ सालों तक व्यवहृत होती रहेगी | परन्तु क्या यह सही है, इसपर विचार करें? याद रखें जनभाषा के बगैर जनतंत्र नहीं चल सकता| अंग्रेजी का यह वर्चस्व विद्यालय स्तर से ही शुरू हो जाता है| आज के भारत का यह कटुसत्य है कि जो भी सामर्थ्यवान अभिभावक हैं वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय के बजाय निज़ी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं| कारण, अंग्रेजी को हमने अपनी मानसिकता पर हावी होने दिया है| सुभाष शर्मा ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा और समाज' में लिखा है कि **"शिक्षा से समूची सभ्यता बदल जाती है, समाज के मापदण्ड तक बदल जाते**

हैं|"[9] शिक्षा की दिशा अगर गलत हो तो यह बदलाव नकारात्मक भी हो सकता है| कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे कोचिंग और निजी विद्यालय हमारे समाज के बदलते नज़रिए के द्योतक हैं| ऐसा भी नहीं है कि सभी निजी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण अंग्रेजी सिखायी जा रही है| अधिकांश विद्यालय कम स्थान, कम सुविधाओं से युक्त एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा संचालित हैं| फिर भी ये फीस के नाम पर मोटी रकम अभिभावकों से वसूलते हैं, और वे इन्हें ख़ुशी-ख़ुशी वह रकम देते हैं क्योंकि विगत दशकों में पहले उपनिवेशवाद फिर भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उपभोक्तावाद की वजह से हमने शिक्षा के गलत मापदंडों को न सिर्फ़ स्वीकारा बल्कि उसे आत्मसात कर लिया है| कैसी विडंबना है कि बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलवाने के लिए माता-पिता को साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है| इन विद्यालयों की प्राथमिकताओं में सूट-बूट वाले अभिभावकों को तरजीह दी जाती है| अभिवावकों का वेतनमान कई बार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की नियति तय करता है| अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह इन विद्यालयों में ऐसा है कि **"वहाँ के शिक्षक हिन्दी वर्णमाला भी अंग्रेजी माध्यम से सिखाते हैं जैसे क लिखने के लिए वे अंग्रेजी में कहते हैं एक लाइन खींचो, इसके बीच से एक लाइन नीचे की ओर खींचो, उसके बायीं ओर जीरो सटा दो और फिर दायीं ओर हाफ जीरो बना दो| भारत के लिए इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है!"**[10] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर अपने पूरे स्वरूप में क्रियान्वित होती है, तो निश्चय ही यह न सिर्फ़ भारत की शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि यह शिक्षा के केंद्र में भारत को प्रतिष्ठित करने का एक वृहद् प्रयास सिद्ध होगी| जब भी मातृभाषा और शिक्षा से जुड़े सरोकारों के विषय में हम विचार करते हैं तो गांधी हमें आज भी प्रासंगिक मालूम होते हैं| वह गांधी जिसने कभी भी शिक्षा के लक्ष्य को नौकरी तक सीमित नहीं माना | वे नौकरी की जगह बार-बार स्वाबलंबन की बात करते हैं| और मुख्यधारा की व्यवस्था, जो व्यक्तिक सुख-भोग तक सीमित है उसके बरअक्स एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करते हैं जिसमें हाशिए पर खड़े वंचित वर्ग की चिंता है| यह चिंता इसलिए भी वाज़िब है क्योंकि मुख्यधारा का शिक्षण पैटर्न केवल कुछ लोगों के हितों के रक्षार्थ कार्य करती हुई दिखती है| वे कुछ लोग जो अंग्रेजी भाषा व्यवहार में निपुण हैं| गाँधी इस बात को खूब अच्छी तरह समझते थे कि भाषाई साझेदारी के बिना आर्थिक, सामाजिक साझेदारी की बात बेमानी है| इसलिए उन्होंने मातृभाषा से इस तरह चिपके रहने की बात की जिस तरह एक नवजात बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है| वाकई **"भाषाई-सांस्कृतिक गुलामी बदतर गुलामी हुआ करती है, जिससे जातीय स्वाभिमान, अस्मिता, एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता सुरक्षित नहीं रह सकती| भारत की सभी वर्तमान राष्ट्रीय समस्याओं की जड़ में यह भाषाई गुलामी है|"**[11]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा के सन्दर्भ में जो बातें की गयी हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक हैं| भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं को पढ़ने का

विकल्प भी शिक्षार्थियों के समक्ष होगा ताकि आगे चलकर वैश्विक संस्कृति से तालमेल बिठाने में उन्हें दिक्कत न हो| एक ओर जहाँ वैश्विक भाषा के माध्यम से विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को जानने की पहल की गयी है वहीँ भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत के महत्त्व को भी स्वीकार गया है| संस्कृत भाषा का अतीत किसी भी भारतीय भाषा से ज़्यादा समृद्ध है तथा उसने वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी स्वयं को बार-बार सिद्ध किया है| बावजूद इसके वह लगातार उपेक्षाओं की शिकार रही है| राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत के महत्त्व को स्वीकार करते हुए इसे सिर्फ़ संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से स्कूलों में त्रिभाषा फ़ॉर्मूले के तहत एक विषय के रूप में रखने की अनुशंसा की गयी है| इसे पृथक रूप से पढाये जाने के बजाय समकालीन विषयों जैसे गणित, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा, खगोलशास्त्र आदि से जोड़े जाने की अनुशंसा की गयी है| व्यापक स्तर पर इसका एक लाभ यह होगा की संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण बहुविषयी संस्थान के रूप में उभरकर हमारे सामने आयेंगे| साथ ही चार वर्षीय बहुविषयक-बी.एड डिग्री द्वारा देश में संस्कृत के शिक्षकों को अधिक मात्रा में तैयार करने की योजना है|

शिक्षकों और संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना भी इस शिक्षा नीति का एक लक्ष्य है| साथ ही भारतीय भाषाओं, कला, दर्शन, संगीत, तुलनात्मक साहित्य आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को पूरे देश में विकसित किए जाने की योजना है| निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों के सान्निध्य में शिक्षार्थियों को रखा जाएगा|

भाषा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें सैद्धांतिक औपचारिकता के बजाय, विभिन्न भाषाओं को समृद्ध करने के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग पर बल दिया गया है| भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा से संबंधित अकादमी को स्थापित किए जाने की बात भी इस शिक्षा नीति में है| यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अकादमियों में उक्त भाषा से संबंधित विद्वान् शामिल हों| नवीन तथा कठिन अवधारणाओं को सरल तथा प्रभावी भाषा में समझने के लिए इन विद्वानों की सहायता से शब्दकोष निर्मित किए जाएँगे| इन शब्दकोशों का प्रचार-प्रसार करके लेखन, बातचीत, शिक्षा आदि में इस शब्दकोष में संगृहीत शब्दों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान समय की ज़रूरतों और इस समय में उपलब्ध संसाधनों को केंद्र में रखकर निर्मित की गयी है| हम जिस युग में जी रहे हैं वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है| इस बात का ध्यान रखते हुए इस शिक्षा नीति में वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/ विकिपीडिया आदि की

मदद से सभी भारतीय भाषाओं एवं उससे संबंधित कला एवं संस्कृति के संरक्षण की अनुशंसा की गयी है| इन वेब पोर्टलों पर भारतीय भाषाओं में कहानी पाठ, कविता-पाठ, नाट्य रूपांतरण एवं लोकगीतों को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि ये भाषाएँ पुष्पित और पल्लवित हो सकें|

इस शिक्षा नीति में दिव्यांग शिक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज (आइ.एस.एल) को देश भर में मानकीकृत किये जाने की भी बात की गयी है क्योंकि समावेशी शिक्षा के बगैर कोई भी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं कही जा सकती| साइन लैंग्वेज के मानकीकरण द्वारा इस दिशा में व्यापक परिवर्तन लाने की योजना दृष्टिगोचर होती है| साइन लैंग्वेज के मानकीकरण द्वारा विशेष जरूरत वाले बच्चों के उपचारात्मक शिक्षा को बल मिलेगा|

कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान-परंपरा को संपोषित करने वाली तथा भारतीय भाषाओं के महत्त्व को वर्तमान सन्दर्भों में रेखांकित करने वाली नीति है| यह शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है| यह नीति भावी पीढ़ी के सांस्कृतिक एवं भाषाई उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है| यह नीति भारत की भाषायी सम्पदा का शिक्षण-संसाधन के रूप में अनुप्रयोग पर बल देती है ताकि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया रोचक और सहज हो सके साथ ही भावी पीढ़ी का मातृभाषाओं के प्रति प्रेम बना रह सके| गौरतलब है कि किसी भाषा में जब किसी अन्य विषय का शिक्षण-कार्य हो रहा होता है तो उसके साथ-साथ माध्यम भाषा का भी परोक्ष रूप से विद्यार्थियों को ज्ञान हो रहा होता है| अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि यदि यह शिक्षानीति भारतीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करता है|

***** ***** *****

संदर्भ-सूची:

1. देवेन्द्रनाथ शर्मा, भाषा विज्ञान की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,पृष्ठ-37
2. जॉन डिवी, शिक्षा और लोकतंत्र, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-73
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ-19
4. डॉ. हरदेव बाहरी, हिन्दी भाषा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, पृष्ठ-166
5. कुँवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ-42
6. सुभाष शर्मा, शिक्षा और समाज, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृष्ठ-204

7. जे. कृष्णमूर्ती, (2005), 'शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य', कृष्णमूर्ती फाउन्डेशन इण्डिया, वाराणसी, पृष्ठ-66
8. कृष्ण कुमार, चूड़ी बाज़ार में लडकी, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., पृष्ठ-116
9. सुभाष शर्मा, शिक्षा और समाज, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृष्ठ-125
10. वही, पृष्ठ-133
11. डॉ. बलदेव वंशी, राष्ट्रभाषा तथा भारतीय भाषाएँ, कीन बुक्स, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-27

18.

समावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ. जाहिदुल दीवान
पोस्ट-डॉक्टरेट,
ICSSR,
नई दिल्ली-110067

किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है,जिसे सन् 1835 में लागू किया गया था। वर्तमान समय में जिस तीव्र गति से भारत के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हम देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, चुनौतियों तथा संकट पर गहन अवलोकन करें। सन् 1835 में जब वर्तमान शिक्षाप्रणाली की नींव रखी गई थी, तब लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के विशिष्ट लोगों को तैयार करना है।इन सब बातों के मद्देनज़र वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार ने देश की कमान संभाली थी, तभी यह स्पष्ट किया गया था कि वैश्विक परिवेश की नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। इसके लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 2017 में नौ सदस्यीय समिति का गठन हुआ और उस समिति को जिम्मेदारी दी गई कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा की जरूरतों के अनुसार वह शिक्षा नीति सुझाए। 31 मई, 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा स्वीकार करके सरकारने इसे पब्लिक डोमेन में डाला और इसके समस्त हितधारकों से जुड़ने की कोशिश की।यह विश्व में मुक्त नवाचार का अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रयोग था। नई शिक्षा नीति के बारे में इस समिति को लाखों सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनका भली-भांति विश्लेषण करने केबाद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को अंतिम रूप दिया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई, 2020 को की गई थी। इस नीति का देश भर में स्वागत किया गया। जनता द्वारा दिए गए सुझावों में से अधिकतर सुझावों का समावेश इस नीति में किया गया है। स्वतंत्र भारत कीयह तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम नीति वर्ष 1968 में, दूसरी नौति 1986 में एवं तीसरी नीति 2020 मेंप्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार शिक्षा में सुधार एवं परिवर्तन हेतु 1948 में

राधाकृष्ण आयोग, 1952 मेंमुदलियार आयोग, 1964 में कोठारी आयोग के साथ-साथ, समय समय पर कई समितियों, समूहों आदि का गठन किया जाता रहा है। उन समितियों ने कई अच्छी अनुशंसाएँ भी दी थीं। परंतु दुर्भाग्य से इच्छाशक्ति के अभाव में इनको क्रियान्वित नहीं किया जा सका या बहुत अल्प मात्रा में किया गया, जिस कारणसे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता दिनोंदिन खराब होती गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जहाँ सुदूरवर्ती अरुणाचल प्रदेश से सुझाव मिले, वहीं तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीरसे भी सुझाव मिले, छोटे बच्चों का बस्ता हलका करने का सुझाव मिला, वहीं देश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी सुझाव दिया। सरकार को शुरू से ही भरोसा था है कि सबके सुझावों पर आधारित गुणवत्तापरक, नवचारयुक्त, प्रौद्योगिकी युक्त एवं संस्कारयुक्त राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 एक ऐसा माध्यम बन सकती है, जिससे भारत अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। वर्तमान केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मदद से विद्यार्थियों, अध्यापकों, शोधार्थियों एवं शैक्षिक नेतृत्व की सोच में व्यापक बदलाव लाना चाहती है। प्रस्तुत शिक्षा नीति बुनियादी ढाँचे के दृष्टिकोण से, हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जिलास्तर पर आत्मनिर्भरता और क्लस्टरिंग दृष्टिकोण, डिजिटल शिक्षा के साथ मिलकर, जिला और उप-जिला स्तर पर बहुत जरूरी अंतर को भर सकती है। विज्ञान, गणित, कला क्लबों की स्थापना की संस्तुति अधिक जिज्ञासा पैदा करने और एक व्यक्ति को आजीवन सीखने वाले में बदलने का तरीका है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च आउटपुट को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। संस्थानों के शासन में पूर्व छात्रों की भूमिका शिक्षाप्रणाली को समग्र रूप से प्रभावित कर सकती है।

वैदिक ऋषि जब कहते हैं 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' और इसके अर्थ को, इस जिज्ञासा को, शान्त करने हेतु विविध विधानों द्वारा श्रुति का साक्षात्कार कियाजाता है। इसलिए जिज्ञासा के निमित्त इस श्रुत ज्ञान को ही विद्या का आरम्भ स्वीकार किया जाना चाहिए। वैदिक ऋषि अपने अनुभवों को, आस-पास के परिवेश से प्रभावित होकर जिज्ञासा के शमन हेतु प्रयास करता है और वही शिक्षा या ज्ञानार्जन की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आदिकाल से मानव सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। ज्यों-ज्यों समाज में ज्ञानार्जन की लालसा में वृद्धि होती गई समाज ने ज्ञानको बाँटने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। शिक्षाविद अल्तेकर ने इस बात का समर्थनकरते हुए कहा है, “शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है।”(जैन 12/21)इसी बात को मैकंजी के शब्दोंमें कहे तो “व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवनपर्यन्त चलती है, तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है।”(जैन 15/21)महात्मा गाँधी जी ने शिक्षा को परिभाषितकरते हुए कहा था, “शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धिके सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ।”(जैन 15/21) शिक्षा को सीमित अर्थों में समझना चाहे तो कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा ही शिक्षा है। शिक्षा

के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है तथा बालक का गौण। शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह बालक के मानसिक विकास के लिए ही निश्चित विषयों का ज्ञान प्रदान करें। इस शिक्षा का उद्देश्य प्रमुखतः एक निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम का औपचारिक रूप से शिक्षण करना होता है। निश्चित अवधि समाप्त होने पर परीक्षा आदि के बाद बालक को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। शिक्षाविद प्रो. डीवर ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि तथा उसके व्यवहार को एकविशेष साँचे में ढाला जाता है।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992का मानना था कि शिक्षा बच्चे के अनुभवों तथा सोचने के तरीकों में संशोधन करने की एक कोशिश है ताकि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके तथा वे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के लक्ष्योंजैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र आदि को पूरा करने में योगदान दे सके। अतः शिक्षा को एकांगी नहीं अपितु बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा वैयक्तिक ही नहीं अपितु शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन भी है। शिक्षा राष्ट्रीय सम्पन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। वस्तुतः शिक्षा एक सापेक्ष, चेतन अथवा अचेतन, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्त्व संबंधी सभी अंगों का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वह परिवर्तन विरोधी तथा रचनात्मक साधनों के द्वारा सच्चा सुख और आनन्दप्राप्त कर सके।

शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण,चरित्र निर्माण, प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी, सामाजिक भावना का विकास, सद्नागरिकों का निर्माण, वातावरण से अनुकूलन, इसी शिक्षा के द्वारा होते हैं। केवल इतना ही नहीं मानव को सभ्य बनाने के लिए, उसकी नित्यप्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, व्यावसायिक कुशलता, भौतिक सम्पन्नता व उसको आत्म निर्भर बनानेमें भी अपना सशक्त भाग अदा करती है। शिक्षा का आनन्ददायी पक्ष शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक प्रतिभाओं का संरक्षण, हस्तान्तरण, परिशोधन, सृजन और उसका वर्धन करना है। दूसरे शब्दों में शिक्षा सर्वांगीण विकास है। ऐसा कहने से इसमें सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक विकास की अवधारणा सम्मिलित हो जाती है। प्रो. यशपाल समिति (1993) में इस तथ्य को ध्यानमें रखते हुए अनेक सुझाव दिये गये हैं। उसमें एक ओर जहाँ भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति की चर्चा है तो दूसरी ओर बालक को पर्यावरण के प्रति सचेत करना भी शामिल है। वर्तमान आवश्यकताओं को प्यान में रखते हुए इसमें समस्त विचारोंका समावेश किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बाल-केन्द्रित है। इसमें बच्चों के सर्वांगिन विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा को ही नहीं बल्कि शिक्षार्थी को भी जानना होता है, क्योंकि

आधुनिक शिक्षा विषय-प्रधान न होकर बाल केन्द्रित है। इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुण-सम्पन्न है बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक का व्यक्तित्व कहाँ तक विकास कर पाता है। बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। अत: उनके मस्तिष्क के उचित विकास और शरीर की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्त्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में इसी विषय को ध्यान में रखकर आधुनिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गुरुकुलों को आधार बनाकर आधुनिक रूप से शिक्षा देने की बात कही गई है। ई.सी.सी. ई. में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोधों को शामिल किया जाएगा। इस नीति में उन सभी प्रथाओं को, जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास को समृद्ध करती रही हैं, उन्हें स्थान दिया गया है। स्थानीय परंपराओं द्वारा विकसित कलाओं, कहानियों, कविताओं, खेलों, गीतों आदि को इस शिक्षा में शामिल किया जाएगा। शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका में प्रवेश ले। आठ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा दी जाएगी। इसमें 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक अलग और विशेष फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, इसी तरह 3 से 8 साल के बच्चों को एक अन्य फ्रेमवर्क विकसित करना होगा। 10+2 वाले ढाँचे को बदलकर 5+3+3+4 के ढाँचे में 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। इस नीति द्वारा चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ई.सी.सी. ई. संस्थानों के लिए पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।नई शिक्षा नीति-2020 का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह सुधार करना है कि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर कहलाए और बच्चों में राष्ट्रवादी गौरव का भाव उत्पन्न हो सके। स्कूली शिक्षा में वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा क्षेत्रीय या मातृभाषा में प्रदान किए जाने का निर्णय भी सराहनीय है। क्षेत्रीय परिवेश में शिक्षा ग्रहण करना बच्चों के लिए सुलभ होता है। इससे वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहेंगे और शिक्षा ग्रहण करना उन्हें बोझ नहीं लगेगा।

आधुनिक स्कूलों में पिछड़े हुए, मन्द बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष कार्यक्रम देनेका प्रयास किया जाता है। इससे यह सम्भव हो जाता है कि शिक्षक शिक्षार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे सकता है।"आजकल केवल सम्पूर्ण शिक्षा में ही विविधता आवश्यक नहीं मानी जाती बल्कि यह भी माना जाता है कि किसी एक विषय की शिक्षा में एक नहीं बल्कि अनेक कार्य और प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तभी वह बालकों की कठिनाइयों को समझ सकता है।उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक पाठ को याद नहीं कर पाता तो इसका केवल यही कारण होना आवश्यक नहीं है कि वह कोशिश नहीं करता। हो सकता है कि उसकी स्मृति दोषपूर्ण हो, उसमें बुद्धि

कम हो या उसे विषय में रुचि न हो, अथवा उसका स्वास्थ्य ठीक न हो, इत्यादि। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। उसके विविध अंगों की जानकारी से ही यह मालूम हो सकता है कि विशेषत: बालक को सीखने में कमी के क्या कारण हैं। आज शिक्षक को सीखने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। मनोविज्ञान से सीखने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुसन्धान के द्वारा अनेक ऐसे नियम ज्ञात हुए हैं जिनसे कम समय में और अधिक अच्छा शिक्षण हो सकता है।"(रामनाथ शर्मा 02)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उच्च शिक्षा में बहु-विषयक एवं समग्र शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत करती है। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा के ऐसे परिवेश का निर्माण करना है, जिसमें नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर जोर हो, भाषा शक्ति को प्रोत्साहन मिले, जीवन कौशलों से जुड़ाव हो और सीखने के लिए सतत मूल्यांकन सम्मिलित हो। यह शिक्षा नीति तकनीकी के उच्च शिक्षा में यथासंभव प्रयोग एवं उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। इसकी मदद से अध्ययन-अध्यापन का कार्य सुलभ होगा, उच्च शिक्षा का प्रसार होगा और इसमें समता एवं समग्रता का भाव होगा। यह शिक्षा नीति प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार "हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयवाद किसी भी समृद्ध और सार्वभौम देश के लिए रीढ़ काकाम करती है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीयवाद से प्रेरित शिक्षण होना, समाज केलिए कहीं अधिक लाभकारी होगा। मेरा तो यह भी मानना है कि हमारे विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण भी राष्ट्रीय हित और विकास के उद्देश्य से ही किया जाता है। इसलिए जो लोग राष्ट्रीयवाद और आधुनिक उच्च शिक्षा व्यवस्था में विरोधाभास देखते हैं, वे कहीं-न-कहीं बड़ी भूल कररहे हैं। आधुनिक विश्व में जिस प्रकार से ऊहापोह मची है, उसमें भारत जैसे प्राचीन और संस्कृति संपदासे धनी देश की भूमिका बलवती होती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दृढशक्ति और कुशलता से भारत की गरिमा को विश्वपटल पर पुनस्थापित करने का प्रयास किया है, उसकी चहुँदिशा प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण करने में हमारे शिक्षण संस्थान अद्वितीय योगदान कर सकते हैं। हमारी प्राचीन धरोहर को पुनप्रणित कर सकते हैं।आशा की जानी चाहिए कि मूल्यों पर आधारित, नई शिक्षा नीति भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप मेंस्थापित करने में सफल होगी।"(निशंक, बदलाव की उम्मीद)

भाषा विभेद को समाप्त करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक भाषा की प्रधानता के बजाय विद्यार्थियों की मातृभाषाओं को स्थान दिया जाए, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य किसी एक भाषा को बच्चे पर थोपना नहीं है। यह नीति मातृभाषा की ताकत और संभावनाओं को पहचानती है और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा भेद को समाप्त करते हुए सामाजिक न्याय एवं वैज्ञानिक उपागम के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव देती है। यह नीति

विशेष रूप से इस बात पर बल देती है कि उच्च शिक्षा और रोजगार में सफलता के लिए आपको अपनी मातृभाषा छोड़कर किसी अन्य भाषा में शिक्षा न लेनी पड़े। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के लिए भी संभावना व्यक्त की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है,"भाषा राष्ट्र की अभिव्यक्ति है और भाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। भाषा के महत्त्व को समझते हुए नई नीति के माध्यम से हम देश की हिंदी, संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित, पुष्पित एवं पल्लवित करने में जुटे हैं।" (निशंक)

यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का विहंगमवलोकन किया जाए तो तकनीकी सक्षम शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार में निम्नलिखित उद्देश्य परिलक्षित होते हैं-समावेशी बहु-विषयक स्नातक एवं परास्नातक शिक्षा,अध्ययन एवं अध्यापन की सुलभता, पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन एवं विद्यार्थी सहयोग का रूपांतरीकरण, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा का उच्च शिक्षा से एकीकरण, उच्च शिक्षा मेंसमता, सुलभता एवं समावेश एवं उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक लेजाना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तकनीकी का उच्च शिक्षा में यथासंभव प्रयोग एवं अनुप्रयोग समय की माँग और इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना की भी आवश्यकता है। डॉ. पंकज मित्तल के अनुसार "शिक्षा नीति-2020 बहु-विषयक ढाँचे में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय चुनने,सीखने और उपाधि अर्जन की सुविधा प्रदान करती है। यह पहल ज्ञानार्जन में ज्ञान के किसी भीकृत्रिम ढाँचे के अवरोध को दूर करती है। प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के स्थान पर 4 वर्ष का स्नातक स्तरीय कार्यक्रम आरंभ करने का सुझाव है। इसमें विद्यार्थियों के लिए विषय संयोजन, कोर्स/प्रोग्राम में प्रवेश, कोर्स/प्रोग्राम से निकलना और पुनः प्रवेश करने का विकल्प रहेगा, उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी स्वास्थ्य, वित्तीय या किसी अन्य कारण से उच्च शिक्षाको बीच में छोड़ता है तो 1 वर्ष की अवधि पर उसे सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की अवधि पर डिप्लोमा और 3 वर्ष या 4 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। इसका सबसे बड़ा लाभयह होगा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संबंधी बाधाओं से निपटने में सहयोग प्राप्त होगा। अध्ययनको सतत रूप से बनाए रखने, पूर्व सीखे गए या पूर्व में अर्जित ज्ञान के आधार पर सीधे दूसरे या तीसरे साल में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। यदि किसी परिस्थिति में वह शिक्षा में वापस नहीं आ पाता है तो जो समय उसने उच्च शिक्षा में व्यतीत किया है, उसके आधार पर अर्जित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के अनुरूप वह नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस बहु-विषयक और लोचशील व्यवस्था के द्वारा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को भी बढ़ाया जा सकता है।"(कोठारी)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के नवनिर्माण में मील भी का पत्थर साबित होगी। इसे लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई, वह प्रशंसनीय है। केंद्रीय शिक्षामंत्री डॉ. रमेश

पोखरियाल 'निशंक' ने इसे वृहद रूप देकर उसकी उपयोगिता को और अधिक सार्थक बनाया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष डॉ. कस्तूरी रंगन व उनकी टीम का अथक प्रयास भी समाहित है। 29 जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। वास्तव में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐतिहासिक है, वह इस दृष्टिकोण से कि जितना राय-मशविरा इसे लागू करने से पहले लिया गया, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। डॉ. विजय धस्माना का कहना है कि "राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश को 34 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। इतनी महत्त्वपूर्ण नीति को अंतिम रूप देने से पहले लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों के लोगों से सुझाव लिये गए। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी नीति के निर्धारण के लिए इतने बड़े स्तर पर आम जन और शिक्षाविदों की राय ली गई हो।"(सिंह)

तो लाखों की संख्या में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर और सैकड़ों की तादाद में जिला स्तर पर इस पूरे विषय की चर्चा की गई, तब कहीं जाकर इसे अंतिमरूप दिया गया। प्रत्येक राज्य सरकार से इस पर सुझाव माँगे गए थे। देश में विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्तरों पर सुधार व परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लगभग तीन सौ अनुसंधान विश्वविद्यालय, 2000 शिक्षण व अनुसंधान विश्वविद्यालय, 10 हजार स्वायत्त डिग्री कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में बहुत कम विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता के साथ अनुसंधान किए जा रहे हैं। अनुसंधान का उद्देश्य सिर्फ पदोन्नति पाने तक ही सीमित रह गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इससे ज्यादा समावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो ही नहीं सकती। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का भी नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।

संदर्भ- सूचीः

1.अतुल कोठारी. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीयता का पुरुत्थान* . दिल्ली : Prabhat Prakashan Pvt. Ltd, 2021.

2. इंजी. अवनीश कुमार सिंह. *नए भारत की नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन , 2021.

3. डॉ. प्रदीप कुमार जैन. *शिक्षा और पाठ्य सहगामी क्रियाएं*. 1/5971, कबूल नगर शाहदरा, दिल्ली-110032: उत्तम प्रकाशन, 2005.
4. रचना शर्मा रामनाथ शर्मा. *उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान* . 7, 22, Ansari Rd, Daryaganj, New Delhi, Delhi 110002: Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd, 2004.
5. रमेश पोखरियाल निशंक. बदलाव की उम्मीद . समाचार . नई दिल्ली : *हरिभूमि* , 11/11/2019.
6. मूल्यपरक शिक्षा और सतत विकास लक्ष्य. समाचार. नई दिल्ली: *जनसत्ता*, 19/11/2019.

19.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दार्शनिक आयाम: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.धनंजय यादव
सहायक प्राध्यापक
डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, सिवान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक दार्शनिक पृष्ठभूमि भी है। वास्तव में शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार करने और कार्य करने में सक्षम हो जिसमें करुणा एवम सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाय और उसके देखभाल की समुचित ब्यवस्था की जाए। जंहा एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद हो जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराया जाता हो और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो। यह सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए, साथ हीं विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय हो।

प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना- शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक इन मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। लचीलापन - शिक्षा प्रणाली में लचीलापन हो जिससे विद्यार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की आजादी हो,और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन मे अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच,ब्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच-नीच और परस्पर दूरी एवम असम्बद्धता को दूर किया जा सके। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक

विज्ञान, कला मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।

अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटन्त पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई की जाय। रचनात्मक और तार्किक सोंच,तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वछता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, वैज्ञानिक चिंतन,स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय की भावना का समावेशन करना।

बहुभाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य मे भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा मातृभाषा को सम्मान दिया जाना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और ब्यवहार में लचीलापन को अपनाने की सीख दी जानी चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर होना चाहिए न कि साल के अंत मे होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर मूल्यांकन हो। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर-अध्ययन-अध्यापन कार्य मे भाषा संबंधी मुश्किलों को दूर करने में,दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षकों और और संकाय की भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट ब्यवस्था, निरन्तर व्यवसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की बेहतर स्थिति बहाल होनी चाहिए एवं एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अपना देश अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक सम्पदा के कारण अत्यंत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरु माना जाता रहा है। किंतु वर्तमान में वैज्ञानिक, फैशनपरस्त, भौतिकवादी, अस्तित्ववादी विचारों के प्रभाव में आकर यहां का जनमानस भारतीय आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं को भुलाकर पाश्चात्य जीवनशैली को आत्मसात करके उसे अपने जीवन का अभिन्न पहलू बना लिया है।इससे दया, सहयोग, प्रेम, सह-अस्तित्व, परमार्थ, समता पर आधारित भारतीय समाज, संस्कृति और शिक्षा भी पश्चात्यवादी दृष्टिकोण से आच्छादित हो गई है।देश के प्राचीन आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं का अधोपतन होता जा रहा है। व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार कर रहा है। भारतीय सनातन मूल्य निरन्तर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। परिणामतः सर्वत्र अनेक दुखदायी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। स्वार्थपरता, अराजकता, असहयोग, दंगा, मनोमालिन्य से ब्यक्ति और समाज मे कटुता, अहमवादित, द्वेष, ईर्ष्या का पारदुर्भाव हो रहा है।यह स्थिति राष्ट्र, समाज और परिवार के बहुमुखी विकास में अत्यंत घातक है। अतएव आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि मूल्य शिक्षा का ऐसा स्वरूप बनाया जाय कि शिक्षा के माध्यम से ब्यक्ति मूल्यवादी मान्यताओं से युक्त होकर प्राचीन भारतीय शाश्वत, सनातन मूल्यों का आधुनिकता के साथ समन्वय करते हुए आगे बढ़ सके।इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु हीं मूल्य शिक्षा को अत्यंत जरूरी समझा गया।

शिक्षक की भूमिका मूल्यों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनका यह कर्तव्य है कि शिक्षण संस्थान के बाहर और भीतर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों के सतत विकास और निर्माण हेतु उपयुक्त परिवेश का सृजन करें। शिक्षक को हमेशा उच्च आदर्शों एवम मूल्यों से युक्त आचरण और ब्यवहार करना चाहिए। मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका निम्नवत होनी चाहिए-

शिक्षकों को विद्यालय में विद्यार्थियों के मध्य प्रेम, सहयोग, विश्वास एवं सुरक्षा की भावना एवम परिवेश का निर्माण करना चाहिए। शिक्षकों को बालकों की रुचि, आवश्यकता, अभिक्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति का निर्माण करना चाहिए।

शिक्षकों को मूल्य शिक्षा को मात्र उपदेशात्मक दृष्टिकोण से नही बताना चाहिए बल्कि ब्यवहारिक उदाहरणों एवम विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव करके सीखने हेतु परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। शिक्षकों को अंधविश्वासी, परम्परागतगत मूल्यों का पोषक होकर मूल्य शिक्षा नही देनी चाहिए,बल्कि प्राचीन शाश्वत, सनातन, सार्वभौमिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक मूल्यों में समन्वय स्थापित कर मूल्यों का शिक्षण देना चाहिए। शिक्षक को संयमी, विनम्र, सदाचारी, मृदुभाषी एवम समाजसेवी दृष्टिकोण से युक्त होना चाहिए, इससे विद्यार्थियों पर उनके ब्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा और वे भी तदनुकूल बनने का प्रयास करेंगे।

अतएव स्पष्ट है कि मूल्यों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वे अपने कृत्यों, आचरण, ब्यवहार से मूल्यों के अभ्युदय एवम विद्यार्थियों में उसका बीजारोपण का कार्य कर सकते हैं। पाठ्य सहभागी क्रियाओं (Co-curricular activities) के माध्यम से मूल्यों का विकास।

प्रार्थना सभा-प्रार्थना सभा मे सभी छात्रों में ऊंच-नीच की भावना का समापन, सर्वधर्म समभाव की भावना, अनुशासन, ध्यान की एकाग्रता, लयबद्ध गायन, उत्तम सोच का विकास होता है। प्रार्थना सभाओं में मूल्य प्रेरक प्रसंगों, कहानियों, सूक्तियों आदि का प्रयोग कर विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास किया जा सकता है। महापुरुषों की जयन्तियां-अपने देश मे अनेक ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया है जो अपने कल्याणकारी, मानवतावादी कृत्यों के कारण महापुरुष के रूप में अमर हो गये हैं। शिक्षण संस्थानों में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, डॉ बीआर आम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों के जीवन का विद्यार्थियों को ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि उनमे उत्तम संस्कार का सम्बर्धन हो सके।

खेलकूद-शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग खेलकूद है। बालकों में टीम भावना से कार्य करने, सत्याचरण, अनुशासन स्वतंत्रता, सहयोग, न्यायप्रियता जैसे मूल्यों को इस पाठ्य सहगामी क्रिया के द्वारा आसानी से विकसित किया जा सकता है। एनसीसी-भारत सरकार ने विद्यार्थियों में देशप्रेम, अनुशासन एवम सैन्य मूल्यों के विकास हेतु शिक्षण संस्थानों में नेशनल कैडेट कोर की ब्यवस्था की है।

एनसीसी नवयुवकों में अनुशासन, चरित्र, साहस, नेतृव पंथनिरपेक्षता, न्याय, निःस्वार्थ सेवा भाव जैसे मूल्यों को बीजारोपण कर रहा है।

एन एस एस-मूल्य शिक्षा के विकास में एनएसएस की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। सामुदायिक विकास, श्रम की महत्ता, नारी सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आपदाओं में सहायता, स्वच्छता, साक्षरता के प्रसार में अपनी सहभागिता कर विद्यार्थियों में मूल्यवादी दृष्टिकोण का सम्बर्धन किया जाना चाहिए। छात्रसंघ-छात्रसंघों द्वारा विविध मूल्यवादी सभाओं, कार्यशालाओं, विद्वानों का सम्भाषणों का आयोजन कर छात्रों में मूल्यों के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास सरलता से किया जा सकता है। विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल का विकास कर उन्हें एक अच्छे नेता के लिए तैयार किया जा सकता है।

सेमिनार/कार्यशाला-शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर मूल्य शिक्षा के विविध सम्प्रत्ययो पर सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन कर मूल्य शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।प्रदर्शनी-स्वास्थ्य, विज्ञान, पशु, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण से सम्बंधित प्रदर्शनी के माध्यम से विविध मूल्यों, सामाजिक सेवा, प्रकृति संरक्षण, वैज्ञानिक सोंच आदि का विकास विद्यार्थियों में आसानी से किया जा सकता है।

शैक्षणिक एवं अन्य प्रकार के भ्रमण का आयोजन-शिक्षण संस्थानों द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों को प्रकृति, प्राचीन धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों की स्थली आदि का टूर कराकर मूल्यवादी सोंच का सम्बर्धन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व-शिक्षण संस्थानों में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्व का आयोजन कर विद्यार्थियों में संवैधानिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मूल्य शिक्षा के विकास में सिम्पोजियम, पैनल चर्चा, बज सत्र, क्विज़ सत्र, केश स्टडी आदि का सहारा लिया जाना चाहिए।

इस शिक्षा नीति की पहली विशेषता यह है कि इस नीतिगत उपाय के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर देकर प्री स्कूल से ही एक बच्चे के लिए अधिक सक्षम परिवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा प्रणाली के जरिये एक बच्चे को औपचारिक स्कूलों के लिए तैयार कर रही है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नही हैं क्योंकि 6 वर्ष के बच्चो को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नये ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। फाउंडेशन, प्रीपिरेटरी, मिडिल और सेकंडरी स्टेज के माध्यम से बच्चे 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा हासिल करेंगे।

दूसरी विशेषता है कि सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक सौ फीसदी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए सरकार को भारी पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती तथा शिक्षण संस्थानों की स्थापना,उनमे आधारभूत संसाधन की ब्यवस्था तथा विद्यार्थियों के ड्राप आउट की समस्या से सरकार को निबटना पड़ेगा। जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है,हालांकि अभी तक लगभग 4 फीसदी हीं खर्च होते रहा है।

तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि यह नीति अंतर्विषयक शिक्षण पर जोर दे रही है जिसमे विज्ञान, मानविकी, समाजिक विज्ञान आदि से सम्बंधित विषयो को एक साथ पढ़ने मे विद्यार्थियों को सहूलियत हो।

चौथी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर सबके लिए एक हीं नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किये जाने का प्रावधान है। अब यूजीसी, एआईसीटीई तथा एनसीटीई का अलग-अलग अस्तित्व नही रहेगा।

शिक्षा नीति की पांचवी प्रमुख विशेषता यह है कि अब स्नातक कोर्स चारवर्षीय होगा। एकवर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पर डिग्री प्रदान की जाएगी। शोध के क्षेत्र में पढ़ाई करने के उन्हें एक वर्ष और स्नातक में रहना होगा। एमफिल की पढ़ाई अब नही होगी। पूर्व में तीन वर्ष पढ़ाई करने पर ही डिग्री दिये जाने का प्रावधान था। बीच मे एक वर्ष या दो वर्ष पर पढ़ाई छोड़ने पर किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नही मिलता था।

इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अब विद्यार्थी 6 वी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

इस शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और ज्ञान समाज मे बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप योगदान करना है। नीति में परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व मे नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करेगी।छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि ब्यवहार, बुद्धि और कार्यो में भी हो और साथ हीं ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोंच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। कौशल और मूल्य से युक्त हीं कोई ब्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. प्रारूप, शिक्षा नीति 1968

2. प्रारूप ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

3. नई शिक्षा नीति-2020: प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में , 30 जुलाई 2020

4. सिंह ,प्रोफेसर दिनेश ; 29 जुलाई 2020" स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियाँ खोलेगी नई शिक्षा नीति" द क्विन्ट, 30 जुलाई 2020

5. नई शिक्षा नीति :अब कमेस्ट्री के साथ म्यूजिक ,फिजिक्स के साथ फैशन डिजायनिंग भी पढ़ सकेंगे छात्र ,आज तक ,30 जुलाई 2020

6. सिंह ,सरोज (30 जुलाई 2020, नई शिक्षा नीति , 2020) सिर्फ आर .एस.एस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी - बी बी सी , हिन्दी अभिगमन तिथि 31जुलाई , 2020

20.

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति एवं नई शिक्षा नीति में उसकी उपादेयता

डॉ भरत देवड़ा
सहायक आचार्य, इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

प्राचीन भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगति का मूल आधार शिक्षा ही था। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना था। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में उसके चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य सम्मिलित था। शिक्षण काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना, ताकि भावी जीवन में उसका पूर्ण सदुपयोग कर सकें। विद्यार्थियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद अनेक प्रकार के कर्तव्य एवं लोक कल्याण के उद्देश्य को पूर्ण करना तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य था। राष्ट्रीय गौरव व संस्कृति की रक्षा करना भी इस युग में शिक्षा की आवश्यकता थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा ने अपने देश में ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व में ऐसा उच्चकोटि का आदर्श स्थापित किया, जिससे न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व समुन्नत हुआ, अपितु सम्पूर्ण देश और समाज का नाम रौशन हुआ। इसी कारण प्राचीन भारत विश्वगुरु भी कहलाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास मूलतः वैदिक एवं बौद्धकाल में हुआ था।

वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति

प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, उसके सम्बन्ध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है।[1] हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की जानकारी वेदों से ही होती है। वैदिक युग में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में अच्छे संस्कारों का विकास करना था। प्राचीन शिक्षा पद्धति के अंर्तगत ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय करके शिक्षा प्रदान की जाती थी। जिससे विद्यार्थी ज्ञान को आत्मसात् करने में सफल हो पाते थे। वैदिक युग में शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य मानव का आत्मिक विकास करना था। उस काल में मानव जीवन को अत्यधिक सरल, स्वाभाविक तथा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुँचकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। प्राचीन भारतीय शिक्षाविद् जीवन को सफल बनाने हेतु आत्मज्ञान एवं आत्मसंयम का

समान महत्व मानते थे। इसी कारणवश वैदिक काल में शिक्षार्थियों को न केवल मौखिक या सैद्धान्तिक रूप से सत्य का ज्ञान कराया जाता था, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें आत्मसंयम की दिशा में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। वैदिक काल में शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण तथा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था।[2] इस प्रकार ज्ञान को जीवन आलोकित करने वाला बताया गया है। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल से समर्थ करता है तथा उसे सही कार्यों की और प्रवृत्त करता है-

ज्ञानं तृतीय मनुजस्य नेत्रं समस्तत्वार्थविलोकिदक्षम्।
तेजोऽनपेक्षं विगतान्मरायं प्रवृत्तिमत्सर्वजगत्त्रयेपि।। [3]

ऋग्वैदिक काल में नैतिक आदर्शों पर अत्यन्त बल दिया गया था । चरित्र की शुद्धता पर इस काल में विशेष ध्यान दिया जाता था। असत्य एवं पापाचार को घृणित समझा जाता था। शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति का हस्तान्तरण भी था। इस युग की शिक्षा का मूल उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करना था। ऋग्वेद के गायत्री जैसे मंत्र ज्ञान के उच्चतम आधार थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति चारों वर्गों का मुख्य ध्येय था।[4] स्वाध्याय एवं मनन की इस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बहुधा उपनयन संस्कार के बाद गुरु के आश्रम में ही रहने जाते थे। गुरु ज्ञान-विज्ञान के पारंगत मर्मज्ञ विद्वान् होते थे। वे समाज के पथप्रदर्शक थे। प्राचीन भारत में सम्भवतः 600 ई.पू. से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केन्द्र था। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया। इसके परिणामस्वरूप, जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, उसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के यही दो स्तर थे।

प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ 5 वर्ष की आयु में "विद्यारम्भ संस्कार" से होता था और सभी वर्णों के बालकों के लिए अनिवार्य था। परिवार विद्यार्थियों के लिए प्रथम पाठशाला एवं मां उनकी प्रथम गुरु मानी जाती थी। "विद्यारम्भ संस्कार" की शुरूआत परिवार से ही होती थी। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत बालकों को पहले अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, कुछ वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करना और बोलना सिखाया जाता था। भाषा का वांछित ज्ञान हो जाने के पश्चात् उनको साहित्य तथा व्याकरण से परिचित कराया जाता था।[5] बालक आगे की शिक्षा गुरुकुलों में रहकर ही प्राप्त करते थे। गुरुकुल ग्राम एवं नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर स्थित होते थे। गुरुकुल अथवा गुरु आश्रम ही शिक्षा के मुख्य क्षेत्र थे। उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार होता था। इससे बालक के विद्याध्ययन की औपचारिक शुरूआत होती थी। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले आना। अतः बालक को शिक्षा के लिये गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था।

वास्तव उपनयन संस्कार के उपरान्त बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था तथा ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ होता है तथा इस दौरान बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क विकसित होते, इसलिए उपनयन के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था। उपनयन संस्कार न कराने वाले बालकों को हीन दृष्टि से देखा जाता था तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। स्पष्ट है कि वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। बालक उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता था। प्रवेश उपरान्त जिस दिन बालक को वेदों की शिक्षा का आरम्भ किया जाता था उस दिन उसका वेदारम्भ संस्कार होता था।[6] शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरान्त बालकों का समावर्तन संस्कार किया जाता था। जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तब यह संस्कार, गुरु द्वारा सम्पन्न किया जाता था। संस्कार के समय छात्र स्नानादि के पश्चात नये वस्त्र धारण करता था। सर्वप्रथम गुरु उसे समावर्तन उपदेश देता था कि "हे शिष्य! सदा सत्य बोलना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, श्रद्धा से दान देना।" यह उपदेश निम्न वाक्यांशों में दिया जाता था

"सत्यंवद, धर्मं चर, स्वाध्यान्मा प्रमद।.....

.....मातृदेवोभवः, पितृदेवोभवः, आचार्य देवोभवः।"[7]

परन्तु सामाजिक प्रगति के साथ-साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गयी और उनके लिये पृथक शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गयी। इनकी स्थापना ईसा पूर्व 5 वीं शताब्दी तक हो गई थी। यहीं से उच्च शिक्षा के इतिहास का सूत्रपात होता है।

ऋग्वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को था। साहित्य तथा धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी। पाठ्यक्रम में परा (आध्यात्मिक) विद्या तथा अपरा (लौकिक) विद्या-दोनों को स्थान दिया गया था। पराविद्या के अन्तर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद् आदि आध्यात्मिक विषय थे। अपराविद्या के अन्तर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदि लौकिक विषय थे। ऋग्वैदिककाल में मुद्रित पुस्तकों का अभाव होने के कारण शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी। छात्र गुरु से वेदादि ग्रन्थों को सुनते थे, उनके उच्चारण का अनुकरण करते थे। फिर वे एकान्त में पाठ्य-विषय का मनन, चिन्तन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षण विधि में प्रवचन, व्याख्यान शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। परीक्षाएँ तथा उपलब्धियाँ शिक्षा समाप्त होने पर छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी इसके लिये उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित होना पड़ता था, जहाँ उन्हें विद्वानों द्वारा पूछे जाने

वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। प्राचीनकाल में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ थी। जैसे टोल, चरण, परिषद, घटिका, विद्यापीठ, गुरुकुल, विशिष्ट विद्यालय, ब्राह्मणीय महाविद्यालय आदि। ब्राह्मणीय महाविद्यालय को चतुष्पथी भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों अर्थात दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण का अध्ययन कराया जाता था। एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होता था। उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालान्तर में विश्वविद्यालयों का रूप ग्रहण किया। इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्साशास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी।[8] ऋग्वेद के समय भारतीय शिक्षा पद्धति की जो नींव रखी गई उसी नींव पर परवर्ती काल में बनारस, नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी थी।

ऋग्वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने व वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था।[9] प्राचीन काल में अनेक विदुषी स्त्रियाँ हुई थी जैसे विश्ववरा, घोषा, गार्गी, अपाला, मैत्रयी, शकुन्तला तथा अनुसुईया आदि। बालिकाओं को धर्म तथा साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य-रचना, वाद-विवाद आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। उनको शिक्षा अधिकतर परिवारों में अपनी माता, भाई, बहन या कुल पुरोहित के द्वारा दी जाती थी। यद्यपि बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी, तथापि सह-शिक्षा का कुछ सीमा तक प्रचलन था।[10]

प्राचीन भारत में धर्म का मानव जीवन में विशेष स्थान था। अतः शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक थी। किन्तु व्यावसायिक शिक्षा को आवश्यक मानकर उसको भी समुचित व्यवस्था की गयी थी। इस सन्दर्भ में डॉ. आर के मुखर्जी के अनुसार "व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण करने में सफल हुआ।" प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा, सैन्य एवं वाणिज्य शिक्षा आदि प्रमुख थे।[11]

उत्तरवैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, ज्ञान, धन, आयु तथा अमरत्व की प्राप्ति था। उपनिषदों में देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, नक्षत्रविद्या, तर्कविद्या तथा सच बोलने को विशेष महत्त्व दिया गया था। उत्तर वैदिक युग में शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न ग्रन्थों एवं धर्मों को सम्मिलित किये जाने के कारण इस युग की शिक्षा पूर्व वैदिक युगीन शिक्षा की तुलना में अधिक उन्नत बन गयी थी। विद्यार्थियों के नियमित पठन-पाठन के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था थी। उपनयन संस्कार के पश्चात आचार्य विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश देते थे। उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर विद्यार्थी का आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ होता है। इस प्रकार वह द्विज बन जाता था। आश्रम में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को मेखला बांधनी होती थी, बड़े-बड़े बाल रखने पड़ते थे। ब्रह्मचारी विद्यार्थी को श्रम व तप कर के विद्योपार्जन करना होता था। गुरु विद्यार्थी को हर प्रकार से सत्य पथ पर लाने का प्रयास करता

था क्योंकि शिष्यों के पापों के लिए गुरु ही उत्तरदायी होता था। शिष्य गुरु को भगवान मानकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। उत्तर वैदिक काल में गुरुकूल ही शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। सम्पूर्ण शिक्षण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार होता था।[12] वर्तमान दीक्षान्त समारोह समावर्तन उपदेश का आधुनिक रूप है।

उत्तरवैदिक काल में शिक्षण विधि मौखिक ही थी। शिक्षार्थियों को गुरुओं द्वारा समझाई गयी सभी बातों को कण्ठस्थ करना होता था। लेखन कार्य के लिये जरूरी अभ्यास कराया जाता था। प्रश्नोत्तर तथा वाद-विवाद पर जोर दिया जाता था। शंका समाधान के लिये परिषदों का आयोजन किया जाता था। इस काल में राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेद, पुराण, शस्त्रविद्या, व्याकरण, औषधि विज्ञान तथा नक्षत्र विद्या आदि विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। धर्म प्रधानता होने के कारण इस काल में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल की शिक्षा के अन्तर्गत गुरु छात्र के लिये पिता के समान माना जाता था एवं प्रत्येक परिस्थितियों में छात्र के लिये आदर का पात्र होता था। गुरु भी छात्र को पुत्र के समान समझता था। आश्रमों एवं अन्य स्थानों पर सामूहिक शिक्षा का प्रबन्ध न होने पर छात्र गुरुओं के पास जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार गुरुजन शिष्यों के वैयक्तिक विकास पर अधिक ध्यान देते थे। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व गुरुओं पर ही होता था। वैदिक कालीन शिक्षा के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का समय लगभग 12 वर्ष का विशेष परिस्थितियों में 12 वर्ष से अधिक आयु में भी ब्रह्मचारी शिक्षा अध्ययन करते थे। ऐसे छात्रों को आश्रम में रहकर सेवा भी करनी पड़ती थी। इस काल में भी परीक्षाएँ नहीं होती थीं। शिक्षक छात्र को नया पाठ तभी पढ़ाता था, जब उसने पुराना पाठ कंठस्थ कर लिया हो। इस काल में छात्रों को जीवनचर्यों को निर्धारित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त छात्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन आश्रम में बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करते थे। पूर्ण अनुशासित तथा संयमित रहकर सदैव सदाचार का पालन करते थे। वे गुरुओं को आज्ञा का पालन करते थे। गुरुकुल में शिक्षार्थियों की दिनचर्या में धार्मिक कर्मकाण्डों का अभ्यास शामिल था तथा गुरुजन यह अभ्यास कराते थे। उस समय समाज अधिक धार्मिक था। अतः शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं का प्रभुत्व हुआ करता था। भिक्षावृत्ति शिक्षार्थियों को कर्ण मेखला, मृगछाला तथा लम्बे केश रखने पड़ते थे। शिक्षार्थियों द्वारा माँगी हुई भिक्षा से विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था चलती थी। भिक्षा का उद्देश्य छात्रों के अहंकार को समाप्त करना होता था।[13]

उत्तरवैदिक काल में नारी को दशा अत्यन्त शोचनीय थी। इस युग में नारी शिक्षा को सीमित कर दिया गया था। नारी के घर से बाहर निकलने तथा सामाजिक क्रिया-कलापों में भाग लेने पर पाबंदियां लगा दी गयी थीं। इस युग में नारी का सामाजिक स्तर इतना गिर गया था कि कन्या के जन्म को ही अमंगल समझा जाने लगा था। धर्मशास्त्र युग (200 ई. पू. 500 ई.) में बालिकाओं के लिये विवाह की

आयु को कम करके 12 वर्ष तक कर दिया गया और स्त्रियों के लिये वेदाध्ययन को निषेध कर दिया गया। इनसे उनकी शिक्षा को प्रबल आघात पहुँचा।[14] उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर हो गये थे , अब वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र वर्णों के कार्यों का विभाजन कर दिया गया था। सम्पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था ब्राह्मणों के ही हाथ में थी। सर्वत्र उन्हें ही प्राथमिकता दी जाती थी एवं ग्रन्थों का प्रमाणक भी उन्हें ही माना जाता था। उत्तरवैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही था। इन वर्णों के बालक सामान्य रूप से क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षा संस्था में प्रवेश करते थे। शुद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर इस काल में नहीं दिया जाता था। इस काल में समाज में वर्ण भेद देखने को मिलता है।[15]

उत्तरवैदिक काल में व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ। इस काल में चिकित्साशास्त्र की शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे। चिकित्साशास्त्र की शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के लिये उसी छात्र का योग्य समझा जाता था, जो पूर्णतया स्वस्थ होता था। चिकित्साशास्त्र के अध्ययन की अवधि साधारणतः 8 वर्ष की होती थी। प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा व्यावसायिक आचार्यों द्वारा दी जाती थी। इन आचार्यों में द्रोणाचार्य का नाम आज भी प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में तक्षशिला सैनिक शिक्षा का विख्यात केन्द्र था। यह शिक्षा विशेष रूप से क्षत्रियों और राजकुमारों के लिये थी। सैनिक शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व शिक्षार्थी के लिये उपनयन संस्कार आवश्यक था। उसके पश्चात् उसे युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया जाता था और उस समय के प्रमुख अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वैदिक काल में वाणिज्य शिक्षा वैश्यों के लिये थी, 'मनुस्मृति' और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में इस शिक्षा का पूर्ण वर्णन मिलता है। इसमें अनेक विषय सम्मिलित थे। जैसे- क्रय-विक्रय के नियम, आर्थिक एवं व्यापारिक भूगोल, विभिन्न क्षेत्रों की उपज एवं आवश्यकताएँ, उपज क्षेत्रों और मंडियों को जाने के मार्ग इत्यादि। वैश्य बालकों को वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा अपने पिता से और अपने घर की दुकान पर अनुभव तथा अभ्यास से प्राप्त होती थी। यह शिक्षा कुछ शिक्षकों द्वारा भी दी जाती थी।[16] इस प्रकार उत्तरवैदिक काल में उच्च शिक्षा का तो विकास हुआ लेकिन शूद्रों व स्त्रियों के शिक्षा संबंधित अधिकारों पर पाबंदियां लगा दी गयी थीं।

बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था

मठों, विहारों में दी जाने वाली बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक गुणों का विकास, ज्योतिष, तर्क, दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना था। बौद्धकाल में तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला जैसे आदि अनेक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। यहां 118 विषय पढाये जाते थे। धर्म, दर्शन, न्याय, तर्क, ज्योतिष आदि की

शिक्षा कुशल अध्यापक देते थे। विद्यार्थी भौतिक उलझनों से दूर शान्त एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। इन ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में दूर देशों-चीन, जापान, कोरिया आदि के भी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे।

बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। ये मठ केवल धर्म के ही नहीं वरन शिक्षा के भी केन्द्र थे और शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुकों के हाथ में थी। प्राचीन वैदिक काल के समान ही बौद्धकाल में भी शिक्षा के दो स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। 'जातक कथाओं' से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलम्बियों को ही नहीं बल्कि सब वर्णों एवं जातियों के बालकों को उपलब्ध थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और आरम्भ से पूर्णतया धार्मिक थी। किन्तु कुछ समय के उपरान्त प्रतिद्वन्द्वी शिक्षण संस्थायें स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा देनी आरम्भ कर दी, तब मठों में भी इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी। प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु 6 वर्ष की थी। इस शिक्षा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष की थी। बालकों को शब्द विद्या, चिकित्सा , अध्यात्म, शिल्प आदि धार्मिक एवं अलौकिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी।[17]

इस काल में शिक्षा लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रदान की जाती थी। बौद्धमठ एवं विद्यालय में शिक्षा का माध्यम वैदिक काल के समान संस्कृत न होकर जनसाधारण की भाषा पाली था। उच्च शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्णों और जातियों के बालकों के लिये खुले हुए थे। इस समय शिक्षा के प्रमुख केन्द्र बौद्ध मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस काल की उच्च शिक्षा ने अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके, भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की। उच्च शिक्षा का आरम्भ प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् होता था। इसका आरम्भ साधारणतया 12 वर्ष की आयु में करते थे। अध्ययन की अवधि 12 की थी। जिसके उपरांत विद्यार्थी गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा हुआ था धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिये था। इसका मुख्य उद्देश्य उनको निर्वाण प्राप्त करने और धर्म का प्रचार करने की योग्यता प्रदान करना था। उनको धार्मिक और जीवनोपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मुख्य धार्मिक विषय थे-बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक आदि थे। जीवनोपयोगी विषयों में मठों और विहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान, दान की संपत्ति का प्रबंध आदि सम्मिलित थे। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिये था। इसका मुख्य उद्देश्य उनको सुयोग्य नागरिक बनाना तथा आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिये तैयार करना था। उनके पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि प्रमुख विषय

सम्मिलित थे। शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी। लेकिन वैदिक काल के समान संस्कृत भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी। साथ ही अन्य देशी भाषाओं में शिक्षा देने का भी प्रचलन था।[18]

बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केन्द्र-मठ और विहार थे। इनसे छात्रावास शामिल थे। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्राप्त थी। कुछ मठों और विहारों ने विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित की थी। इन विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि प्रमुख थे। वल्लभी विश्वविद्यालय पूर्वी काठियाबाद में वला नामक स्थान में था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा केन्द्र था। नदिया विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान में था। 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र हो गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध-शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था। व्याकरणज्ञ पाणिनी, राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री चाणक्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक एवं सम्राट चन्द्रगुप्त और पुष्यमित्र इस विश्वविद्यालय की उपज थे। पाँचवीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसका सदैव के लिये विनाश कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यन्त सुन्दर पहाड़ी पर स्थित था। इसमें 108 भिक्षु शिक्षक और 3000 छात्र थे। इसे बतियार खिलजी में सन् 1203 ई. में नष्ट कर दिया था। नालन्दा विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में था। यह लगभग एक मील लम्बा और आधा मील चौड़ा एवं चार दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें बड़े 8 बड़े सभा-भवन और 3,000 अध्ययन-कक्ष थे। इसका विशाल पुस्तकालय था। इसमें 10 से अधिक सरोवर थे जिनमें छात्र जल कीड़ा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पराकाष्ठा पर था तब इसमें लगभग 1,500 शिक्षक एवं 10000 छात्र थे और प्रतिदिन 100 भाषण होते थे। इसमें चीन, जावा, बर्मा आदि सुदूर देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। इस प्रकार इसने अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। सन् 1203 में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत की सभ्यता के प्रतीक इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था।[19] वर्तमान में नालंदा में भारत सरकार ने प्राचीन गौरवमय शिक्षा के प्रतीक के रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

उत्तरवैदिक काल से स्त्री शिक्षा की अवनति आरम्भ हो गयी थी। महात्मा बुद्ध के कारण स्त्रियों को शिक्षा में नवजीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द की प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इसके परिणामस्वरूप, स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। बौद्ध काल को सुशिक्षित स्त्रियों में बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध प्रचारिकाएँ सुभा, अनुपमाँ तथा सुमेधा, कवियित्री विजयंका और लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये भेजी जाने वाली सम्राट अशोक की

पुत्री संगमित्रा आदि प्रमुख थी। इस काल में स्त्रियों ने संघ में प्रवेश करके उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की । किन्तु यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि स्त्री शिक्षा की सामान्य रूप से प्रगति हुई। क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्नतर था। अतः सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। संघों में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुओं की इच्छा पर ही निर्भर था क्योंकि भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था, इसलिये उन्होंने बहुत ही कम स्त्रियों को में प्रवेश करने की आज्ञा दी। अतः साधारण स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी।[20]

बौद्ध शिक्षा धर्म प्रधान थी। किन्तु बौद्ध साहित्य में हमकों इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि भिक्षुओं और जनसाधारण को व्यावसायिक शिक्षा को अत्युत्तम सुविधायें प्राप्त थीं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों और जनसाधारण के लिये अनेक लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था थी, ताकि वे अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन कर सके। इस प्रकार के कुछ व्यवसाय में कृषि, वाणिज्य, लेखन-कला, पशु-पालन और हिसाब-किताब रखना आदि प्रमुख थी। 'मिलिन्दपान्हा' में बौद्धकला में प्रचलित 19 'शिल्पों' का वर्णन मिलता है। इनका सम्बन्ध प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा से था। इनमें से अधिकांश की शिक्षा तशक्षिला में प्रदान की जाती थी जैसे आखेट, चिकित्सा, धनुर्विद्या, इन्द्रजाल, हस्ति ज्ञान, भविष्य कथन आदि प्रमुख विषय थे। बौद्ध काल में भिक्षुओं को भी अपने मठों में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदाहरणार्थ, उनको सूत कातने, कपड़ा बुनने और वस्त्र सिलने की शिक्षा दी जाती थी ताकि वे वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सकें। बौद्ध काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस शिक्षा का मुख्य केन्द्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था और इस शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की थी। जीवक, चरक, धनवंतरी आदि महान आयुर्वेदाचार्य बौद्धयुग की ही देन है। बौद्ध काल में भवन निर्माण कला की विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध होने के कारण इस कला का आश्चर्यजनक विकास हुआ। इस काल के बौद्ध स्तूप एवं नालन्दा आदि की इमारतें भवन निर्माण कला का सजीव प्रमाण हैं। भवन निर्माण कला के साथ-साथ शिक्षा के रूप में मूर्तिकला और चित्रकला की असाधारण प्रगति हुई। उस काल के अजन्ता और एलोरा के भिति चित्र चित्रकला के तथा गांधार व मथुरा मूर्ति निर्माण शैली मूर्तिकला की प्रगति के आज भी साक्षी हैं।[21] आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान अत्यन्त व्यापक और अभिनन्दनीय है, जिसमें सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर तथा लोकभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयोजन आदि प्रमुख हैं।

नई शिक्षा नीति में उपादेयता

प्राचीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षा के मध्य अनेक शताब्दियों का अन्तर है। लेकिन फिर भी प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं, जिनका सिद्धान्त और व्यवहार दोनों दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है। आज हम आधुनिक युग में निवास कर रहे हैं किन्तु हमें अपने पूर्वजों से जा सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है, उन पर हमें आज भी गर्व है। हम आज भी धर्म, ईश्वर तथा निष्काम कर्म को महत्त्व देते हैं। हम आज भी धन की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को श्रेष्ठतर समझते हैं। आज जबकि सम्पूर्ण विश्व धन, शक्ति, हिंसा तथा कूटनीति में आस्था रखता है। हम प्रेम सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या के समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते है। उपयुक्त सभी बातों का अभिप्राय यह है कि हम आज भी उस आदर्शवादिता को नहीं भूले हैं, जिसका प्राचीन शिक्षा द्वारा छात्रों के मन एवं मस्तिष्क में समावेश किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते है और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सादा जीवन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में स्थान दे सकते हैं।[22] प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में ज्ञान को मुक्ति तथा शिल्प में निपुणता का माध्यम बताया गया है।

सा विद्या या विमुक्तये। विद्यान्या शिल्पनैपुण्यम्।।[23]

प्राचीन काल की छात्रों की अनुशासन की भावना और गुरु एवं शिष्य का मधुर सम्बन्ध विश्वविख्यात थे। आज इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण अत्यन्त विषमय हो चुका है एवं अनुशासनहीनता का ताण्डव सर्वत्र हो रहा है। छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास और वैदिक कालीन गुरु-शिष्य सम्बन्ध की पुनर्स्थापना करके ही इन दोनों दोषों से मुक्ति पाने की आशा की जा सकती है। मानव-सम्बन्धों को घनिष्ठता प्रदान करने के लिये पारस्परिक स्नेह तथा सम्मान की भावनाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्र शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षक अध्ययन कार्य में तभी रुचि ले सकते हैं, जब दोनों सुन्दर सम्बन्ध के सूत्र से आबद्ध हो। यह सत्य है कि आज के छात्र और शिक्षक प्राचीन युग के आदर्श पर नहीं पहुँच सकते हैं, पर फिर भी दृढ़ निश्चय से उसकी ओर अग्रसर होकर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः छात्रों तथा शिक्षकों का उस आदर्श की दिशा में अग्रसर होना केवल वांछनीय ही नहीं वरन अत्यन्त आवश्यक भी है। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जब छात्र गुरु-शिष्य सम्बन्धी वैदिक आदर्श के प्रति निष्ठावान बने और शिक्षक उस आदर्श के अनुसार सरस्वती की साधना में लीन होकर सरल जीवन व्यतीत करें।

प्राचीन काल की सभी शिक्षा-शालाएँ नगर के कोलाहल और विषाक्त वातावरण से दूर किसी शान्त एवं रमणीक स्थान में स्थित थीं। आधुनिक युग में नगरीकरण के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों में नगरों

में निवास करने की प्रवृत्ति सबल हो गयी है। ऐसी दशा में आज की शिक्षण संस्थाओं की नगरों से पृथकता सम्भव नहीं है। फिर भी उनका निर्माण नगरों के कोलाहल और दूषित वातावरण से दूर किसी शान्त, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता और जैसा कि वर्तमान में देखा गया कि नव स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना शहरी भीड़-भाड़ से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच की गई है। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ न केवल छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में योगदान देंगी वरन् उनको नगरों के दिन-प्रतिदिन की राजनीति और अवांछनीय प्रवृत्तियों से रक्षा भी करेंगी।

प्राचीन भारत को शिक्षण विधि में श्रवण, मनन, चिन्तन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद आदि का प्रयोग किया जाता था। अतः यह शिक्षण विधि आज भी विभिन्न विषयों के पठन-पाठन में प्रयोग किये जाने के योग्य है और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्राचीन काल के अनेक सिद्धांत जैसे -छोटी कक्षायें, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करना आदि आज भी उतने उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, जितने कि वे प्राचीन काल में थे। आधुनिक भारतीय शिक्षा में अनेक विषयों को स्थान दिया गया, लेकिन संस्कृत भाषा की उपेक्षा ही की गई है। वस्तुतः संस्कृत भाषा और साहित्य में शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व की ऐसी अमूल्य निधियां है, जिन्हें न केवल भारत में बल्कि इस संपूर्ण विश्व में पढ़ा जाना चाहिए। यह शिक्षा आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कृष्ट में अपना अद्वितीय योगदान दे सकती है। वैदिककालीन भारत के छात्र सदैव सरल और संयमी जीवन व्यतीत करते थे।[24] आधुनिक भारत में उनका जीवन भले ही अक्षरशः अनुकरणीय न हो, पर ग्रहणीय अवश्य है। आज के छात्रों के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य, ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, अपितु ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना हो गया है। ऐसी परिस्थिति में प्राचीन गौरवमय शैक्षणिक परम्परा को आज के छात्रों के समक्ष रखकर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है।

बौद्ध काल में जब छात्र का भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाती है, तब उसे पूर्ण स्वतन्त्रता और जीवन-सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त हो जाते थे। आधुनिक भारतीय शिक्षा में इस तत्त्व का अत्यन्त महत्व है। छात्रों को अपनी शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित सभी कार्यों में भाग लेने की स्वतन्त्रता और अधिकार होना चाहिए। प्राचीनकाल में शिक्षा मठों व गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। इसी प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालयों में स्थित छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बौद्ध काल में छात्रों के जीवन के दो मुख्य आदर्श सादगी और श्रेष्ठ विचार थे। इन आदर्शों के बावजूद उनके लिये तपस्यापूर्ण जीवन के बजाय सुख सुविधापूर्ण जीवन को अच्छा माना जाता था। इसलिये उनको भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा आदि की सुविधायें प्रदान की गयी थीं। आधुनिक भारत में उस मध्यम मार्ग का अनुसरण सर्वथा उचित प्रतीत होता है। छात्रों को आधुनिक आविष्कारों से प्राप्त होने वाली सुख-सुविधाओं से वंचित न करके, सादगी और श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को प्राप्त करने के लिये अनुप्राणित किया जा

सकता है। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थायें बाह्य नियन्त्रण से मुक्त थी और उनका संगठन एवं प्रबंधन जनतन्त्रीय आधार पर किया गया था।[25] आज हमारे देश में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता खतरें में है। उन पर सरकारी नियंत्रण दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है। अतः इन शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा।

आधुनिक भारतीय शिक्षा का उद्देश्य 'सा विद्या या विमुक्तये' के स्थान पर 'सा विद्या या नियुक्तये' अर्थात विद्या प्राप्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर नौकरी प्राप्त करना हो गया है। इस विचारधारा से उभरने के लिए हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को आत्मसात करना होगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली यद्यपि वैदिक शिक्षा प्रणाली से पूर्णतः भिन्न दृष्टिगोचर होती है, फिर भी वर्तमान शिक्षा को नियोजित करने व इसकी अनेकानेक समस्याओं का समाधान खोजने की प्रत्येक चेष्टा में प्राचीनतम शिक्षा के मूलभूत आधारों पर ध्यान देना सार्थक सिद्ध हो सकता है। वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा के आदर्शों अर्थात् भक्ति, सेवा, आदर, आत्म-अनुशासन, सादा जीवन - उच्च विचार, ब्रह्मचर्य, नैतिक बल आदि का अनुसरण करके वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के अन्धानुकरण में हम अपने पुरातन आदर्शों को विस्तृत करते जा रहे तथा गुणात्मक शिक्षा हमारे जीवन से दूर हटती जा रही है। छात्र असन्तोष, अनुशासनहीनता, बेरोजगारी, निर्धनता, वर्ग संघर्ष, सामाजिक बुराइयां, राष्ट्रीय विघटन, भाषायी समस्यायें जैसी अनुत्तरित समस्यायें दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आदर्श तत्वों को वर्तमान शिक्षा में समावेश करके इन समस्याओं का समाधान सम्भव है। 2020 की नई शिक्षा नीति में समृद्ध जीवन के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान, गौरवमय परंपरा, वास्तविक मूल्यों, गुणों व आदर्शों का समायोजन कर भारतवर्ष की समृद्धि तथा वैभव के पुनरोद्धार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन भारतीय शिक्षा का समायोजन

2020 की नई शिक्षा नीति को प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार किया गया है। ज्ञान, प्रभा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और

संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे । नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।[26]

प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्रबिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानत्मक समझ न होकर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढाँचा और सम्पर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। यह शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था के स्थान पर नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और उनका जीवन खुशहाल हों। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। अतः बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति के समान नई शिक्षा नीति में भी कम से कम ग्रेड 5 तक या ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी।[27]

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज-आधारित, चर्चा-आधारित और विश्लेशण-आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय-वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा, सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होंगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख को सुनिश्चित किया जा सके।[28]

उच्चतर शिक्षा के ढाँचे के बारे में यह नीति सबसे बड़ी अनुशंसा बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान क्लस्टरों के संबंध में करती है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों-तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला, जिनमें भारत और अन्य देशों के हजारों छात्र जीवंत एवं बहु-विषयक परिवेश में शिक्षा ले रहे थे, एवं बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया था जो इस तरह के बड़े एवं बहु-विषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ही कर सकते थे। भारत को बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और अभिनव व्यक्तियों हेतु आदर्श बनाने के लिए इस परम्परा को वापस लाने की आवश्यकता है।[29]

समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में रूपांतरण होगा जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। भारत में समग्र एवं बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित करती है, और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायन शास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ ही साथ सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यवहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल हैं। यह विचार कि पुरानी सृजन के सभी क्षेत्र (जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशल शामिल हैं) को 'कलाओं' के रूप में देखा जाना चाहिए, भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न 'कलाओं' के ज्ञान के इस विचार या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे 'लिबरल आर्ट्स' (कलाओं का एक उदार नजरिया) कहा है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा चूँकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी।[30]

नई शिक्षा नीति में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है। इससे भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने, या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं। और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य करना चाहिए। उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और उसके नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। इसके तहत् इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति, और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएँ, कैम्पस में सीखने के लिए

सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।[31] बौद्धकालीन भारत अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। सुदूर देशों से आने वाले छात्र अध्ययन समाप्त करके अपने देशों को लौटते थे और वहाँ दया, प्रेम, अहिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व बन्धुत्व और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे। हमारा देश भी प्रेम शान्ति एवं अहिंसा के सिद्धान्तों का उपासक माना जाता है। अतः नई शिक्षा नीति में अंतर्राष्ट्रीयकरण की अवधारणा के अन्तर्गत भारत को एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र बनाकर इन सिद्धान्तों का विश्व में व्यापक प्रचार किया जायेगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा जब हमारी शिक्षा प्रणाली में प्राचीन भारतीय आदर्शों को सम्मिलित कर लिया जायेगा, तब हमारी शिक्षा प्रणाली अतीत की भांति विदेशी छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेगी तथा भारतीय शिक्षा के गौरव को पुनः महिमामण्डित कर सकेगी। आशा है कि नवीन शिक्षा नीति के द्वारा हम गौरवमय प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आदर्शों को पुनः स्थापित कर सकेगें तथा भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में सफल होंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1. डी. एन. झा, प्राचीन भारत एक रूपरेखा, मनोहर प्रकाशक एवं वितरक, नई दिल्ली, 2005, पृ. 17-18
2. के. सी. श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 2003, पृ. 765-769
3. सुभाषित रत्न संदोह, पृ. 194
4. ऋग्वेद, 1.164.66, शतपथ ब्राह्मण 2.2.2.6
5. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना,2006, पृ. 495-496
6. वही, पृ. 497-499
7. तैत्तिरीयोपनिषद्, 1.11
8. के. सी. श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ. 770-771
9. ऋग्वेद, 8.31, या दम्पति सुमनसा आ च धावतः। देवो सो नित्यया शिरा।
10. जयशंकर मिश्र, पूर्वोक्त, पृ. 408
11. आर. के. मुखर्जी, एन्शियेण्ट इण्डियन एजूकेशन, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लंदन,1947, पृ. 55-56
12. मनुस्मृति, 2.114.15

13. जयशंकर मिश्र, पूर्वोक्त, पृ. 512-514
14. वही, पृ. 537
15. जयशंकर मिश्र, पूर्वोक्त, पृ. 531-532
16. वही, पृ. 525-527
17. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, विश्व प्रकाशन, दिल्ली, 2001, पृ. 339-343
18. वही
19. के. सी. श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ. 773-779
20. जयशंकर मिश्र, पूर्वोक्त, पृ. 410
21. वही, पृ. 538-539
22. ए. एस. अल्तेकर, एजूकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया, नंद किशोर पब्लिशर्स, वाराणसी, 1965
23. विष्णु पुराण, 1.19.41
24. जयशंकर मिश्र, पूर्वोक्त, पृ. 523-538
25. ओमप्रकाश : पूर्वोक्त, पृ. 339-351
26. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 3-5
27. वही, पृ. 9-19
28. वही
29. वही, पृ. 57-58
30. वही
31. वही, पृ. 61-63

21.

प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकायः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विशेष संदर्भ में

डॉ0 नरेश कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान,
आर. एल. एस. वाई. कॉलेज, औरंगाबाद,
मगध विश्वविद्यालय, बिहार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। कंडिका-13 के अंतर्गत नई शिक्षा नीति ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सक्रिय एवं समर्पित संकाय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसाएँ की हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संरचनात्मक, तकनीकी एवं शिक्षाशास्त्रीय सुधारों के साथ-साथ संकाय सदस्यों को स्वायत्तता देने और उन्हें संस्थागत नेतृत्व का अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। संकाय सदस्यों से सामुदायिक सेवा करने की भी उम्मीद की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकाय सदस्यों की जवाबदेही को निर्धारित करने की बात करती है। इस शोध-पत्र में नई शिक्षा नीति की उक्त अनुशंसाओं की विवेचना की गयी है और संकाय सदस्यों को प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम बनाने संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन पर विचार किया गया है। इस संदर्भ में, संकाय सदस्यों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं माँगों पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कतिपय सुझाव भी दिए गए हैं। संकाय सदस्य प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम हों इसके लिए सिद्धान्त एवं व्यवहार के बीच की दूरी को कम करने की जरूरत पर शोध-पत्र में विशेष बल दिया गया है।

पूर्व की शिक्षा नीतियों की तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं महत्ता की बात करती है। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के साथ-साथ अन्य स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित नए प्रावधान उल्लिखित हैं। इसके अंतर्गत, यह लिखा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत सुघार के केन्द्र में शिक्षक को अवश्य होना चाहिए। नई शिक्षा नीति समाज के सर्वाधिक आदरणीय और आवश्यक सदस्य के रूप में शिक्षकों की पुनर्स्थापना पर बल देती है, क्योंकि शिक्षक हमारी अगली पीढ़ी के नागरिकों को तैयार करते हैं। शिक्षकों को समर्थ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया है, ताकि शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का यथासंभव निर्वहन कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 निष्पक्ष

भर्ती द्वारा शिक्षण व्यवसाय में सबसे उपयुक्त तथा प्रतिभाशाली लोगों के प्रवेश की वकालत करती है। इसके लिए शिक्षकों की आजीविका, गरिमा, स्वायत्तता और उनके सम्मान को सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही, गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व की व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का भाग-।। उच्चत्तर शिक्षा से संबंधित है। भाग-।। के अंतर्गत, कंडिका-13 में प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय संबंधी तथ्य एवं प्रावधान हैं। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, अधिक समग्र एवं बहु-अनुशासनिक शिक्षा, सर्वोत्कृष्ट शिक्षण-अधिगम वातावरण एवं छात्रों के लिए सहयोग की व्यवस्था, छात्र गतिविधि एवं भागीदारी, समावेशी एवं समतामूलक उच्चत्तर शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा एवं शोध के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर देते हुए भारतीय उच्चत्तर शिक्षा के लिए दूरदर्शी एवं नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रेरित, ऊर्जावान एवं सक्षम संकाय उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है।

आगे, नई शिक्षा नीति मानती है कि गुणवत्तापूर्ण उच्चत्तर शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में संकायों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हुए पिछले कई वर्षों में संकायों की भर्ती और उनके कैरियर उन्नयन को व्यवस्थित करने की पहल की गयी है। संकायों की भर्ती में विभिन्न समूहों के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। सरकारी संस्थानों के संकाय सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में काफी हद तक वृद्धि की गयी है। संकाय सदस्यों को व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी विभिन्न प्रकार की पहल की गयी है। हालाँकि, अकादमिक व्यवसाय के स्तरों में इन विभिन्न सुधारों के बावजूद, उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में शिक्षण, शोध एवं सेवा के संदर्भ में संकाय सदस्यों का प्रेरणा स्तर एवं मनोबल वांछित स्तर से बहुत कम है। संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान एवं व्यवसाय के उन्नयन की ओर अग्रसर होते हुए खुश, उत्साहित, समर्पित एवं अभिप्रेरित रहें इसके लिए उन विभिन्न कारकों पर अवश्य समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए, जो उनके मनोबल स्तर को कम करते हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाओं की विवेचना

ऊपर वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट अभिप्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 कुछ पहलों की अनुशंसा करती है, जिनकी विवेचना अग्रांकित है -

1. सबसे मूलभूत कदम के रूप में, नई शिक्षा नीति यह अनुशंसा करती है कि सभी उच्चत्तर शिक्षण संस्थान आधारभूत संरचनाओं तथा सुविधाओं, यथा - स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ काम कर रहे शौचालय, श्यामपट्ट, कार्यालय, शिक्षण-सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और आनन्ददायी समुचित आकार के वर्ग-कक्ष एवं परिसर से सुसज्जित हों। प्रत्येक वर्ग-कक्ष में नवीनत्तम शैक्षिक तकनीकों की पहुँच हो, जो बेहतर अधिगम अनुभवों की प्राप्ति में सहायक हों।
2. नई शिक्षा नीति अनुशंसा करती है कि शिक्षकों पर शिक्षण कार्य का बोझ अत्यधिक नहीं हो। छात्र-शिक्षक अनुपात समुचित हो। शिक्षण-अधिगम की गतिविधियाँ आनन्दायी बनी रहे। छात्रों के साथ अंतःक्रिया, शोध कार्य, और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की अन्य गतिविधियों के लिए संकाय सदस्यों के पास पर्याप्त समय हो।
3. संकाय सदस्यों की नियुक्ति संस्थान विशेष के लिए किए जाने की अनुशंसा की गयी है। सामान्यतया, उनका स्थानान्तरण अन्य संस्थानों में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, संकाय सदस्य अपने मूल संस्थान और स्थानीय समुदाय के प्रति समर्पित रहेंगे और संस्था एवं समाज के साथ वास्तव में लगाव एवं जुड़ाव महसूस करेंगे।
4. नई शिक्षा नीति के अनुसार, स्वीकृत रूपरेखा के अंतर्गत संकाय सदस्यों को अपनी पाठ्यचर्या विकसित करने और शिक्षाशास्त्रीय उपागमों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। उन्हें पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्य सामग्रियों के चयन, परियोजना कार्य के निर्धारण एवं आवंटन और मूल्यांकन कार्य में भी स्वतंत्रता दी जाएगी। साथ ही, नवाचारी शिक्षण, शोध एवं सामुदायिक सेवा के लिए संकाय सदस्यों का सशक्तिकरण आवश्यक है। इससे वे उत्कृष्ट सेवा तथा रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। वे अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समर्थ होंगे।
5. समुचित पुरस्कारों, पदोन्नतियों एवं मान्यताओं के माध्यम से संकाय सदस्यों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें संस्थागतनेतृत्वका अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ, उनकी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। मूलभूत प्रतिमानों के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।
6. शैक्षिक संस्थाओं की उत्कृष्टता अभियान के अंतर्गत भी संकाय सदस्यों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्त्ती के लिए मानदंडों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित

किया जाएगा और उन्हें स्वतंत्र एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। यद्यपि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, संकाय सदस्यों की उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परिवीक्षा अवधि की शुरूआत की जाएगी। उच्च गुणवत्ता एवं प्रभाव वाले शोधों तथा योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए त्वरित निष्पादन करने वाली पदोन्नति प्रक्रिया लायी जाएगी।

7. प्रत्येक उच्चत्तर शिक्षण संस्थान अपनी संस्थागत विकास योजना तैयार करेगा। उसमें उचित निष्पादन मूल्यांकन के लिए विविध मानदंडों, मान्यताओं, परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थायी नियोजन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि का स्पष्ट रूप से विवरण होगा। इसके अतिरिक्त, सहकर्मी एवं छात्र समीक्षा, शिक्षण एवं शिक्षा-शास्त्र में नवाचार, गुणवत्ता, शोध के प्रभाव, व्यावसायिक विकासात्मक गतिविधियों तथा संस्था और समुदाय के लिए अन्य प्रकार की सेवाओं का उल्लेख संस्थागत विकास योजना में होगा।
8. उत्साहित तथा सक्रिय संस्थागत नेतृत्व कर्त्ताओं की उपस्थिति समय की माँग है। यह नवाचारी गतिविधियों और संस्था की उत्कृष्टता के लिए जरूरी है। समर्थ, सक्षम और प्रभावी संस्थागत नेतृत्व एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उच्च अकादमिक एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठता के साथ प्रदर्शित नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल वाले संकाय सदस्यों की प्रारम्भ में ही पहचान कर लेनी होगी और उन्हें नेतृत्व के विभिन्न पद सोपानों पर प्रशिक्षण देना होगा। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में नेतृत्व वाले पद रिक्त नहीं रहेंगे। संस्थागत नेतृत्व परिवर्तन के संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था की योजना होनी चाहिए, ताकि शैक्षिक संस्थाओं का निर्बाध संचालन अवरुद्ध नहीं हो। संस्थागत नेतृत्व उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण के उद्देश्य से कार्य करेगा। इससे नवाचारी शिक्षण, समस्या तथा समाधान उन्मुख शोध, संस्थागत एवं सामुदायिक सेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। संकाय सदस्य प्रोत्साहित और सक्रिय होंगे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समय की आवश्यकता के अनुरूप उच्चत्तर शिक्षा व्यवस्था में विविध सुधारों का बात करती है। सुधार की ये बातें संरचनात्मक, शिक्षाशास्त्रीय, प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक हैं। नई शिक्षा नीति की कंडिका-13 में वर्णित इन बहु-आयामी सुधारात्मक पहलों एवं कदमों का मुख्य उद्देश्य उच्चत्तर शिक्षा में प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की तैनाती एवं उनकी निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करना दर्शाया गया है। जहाँ एक ओर, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, श्यामपट्ट, कार्यालय, शिक्षण-सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और समुचित वर्ग-कक्ष एवं परिसर जैसी आधारभूत संरचनाओं तथा सुविधाओं की उपलब्धता पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर उचित शिक्षक-छात्र अनुपात,

उपयुक्त शिक्षण समय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, त्वरित पदोन्नति के अवसर, पर्याप्त वेतन वृद्धि, पाठ्यचर्या एवं शिक्षाशास्त्रीय विधियों को विकसित करने की स्वायत्तता आदि प्रेरणादायी प्रावधानों को सुनिश्चित करने की चर्चा की गयी है।

स्पष्टतः, नई शिक्षा नीति में संकाय सदस्यों को नवाचारी शिक्षण, मनोनुकूल शोध, जन कल्याणकारी सामुदायिक सेवा और रचनात्मक कार्य करने का अवसर देने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इन प्रावधानों के लागू होने से संकाय सदस्यों को आत्म संतुष्टि मिलेगी तथा उनका मनोबल बढ़ेगा। पुरस्कार एवं सम्मान देने से संकाय सदस्य अपने कार्यों को समर्पन भाव से करने के लिए प्रेरित होंगे। नेतृत्व का अवसर प्राप्त होने तथा प्रबंधकीय दायित्व मिलने से संकाय सदस्य प्रोत्साहित और ऊर्जान्वित हो सकते हैं। उच्चत्तर शिक्षा व्यवस्था के सफल संचालन में संकाय सदस्यों की महत्ता को स्वीकार करने से संकाय सदस्यों में नव ऊर्जा का संचार हो सकता है।

प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम पदों का मतलब

यहाँ, प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम पदों पर सामान्य रूप से विचार किया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रेरित का अर्थ है, प्रेरणा प्राप्त। प्रेरणा वह कारक है, जो व्यक्ति को गतिमान या क्रियान्वित रखने में सहायक हो सकता है। मनोविज्ञानी हर्बर्ट एल. पेट्री के अनुसार, प्रेरणा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा गतिविधियाँ प्रारंभ की जाती हैं, निर्देशित की जाती हैं और जारी रखी जाती हैं, ताकि भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकतों की पूर्ति की जा सके। विटिंग तथा विलियम तृतीय का मानना है कि प्रेरणा स्थितियों का एक समुच्चय है, जो व्यवहारों को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है और किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। इस प्रकार, प्रेरित व्यवहार लक्ष्य उन्मुख होता है। प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं - आंतरिक प्रेरणा एवं बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा अपने भीतर से उत्पन्न होती है। आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति अपनी खुशी, अभिरूचि अथवा संतुष्टि के कारण किसी कार्य को संपादित करता है। इस श्रेणी के अभिप्रेरित संकाय अध्यापन पेशा में अभिरूचि एवं आत्म संतुष्टि के चलते आते हैं। वे स्व-प्रेरित होते हैं। अध्यापन कार्य के लिए उन्हें किसी प्रकार से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार की प्रेरणा स्वाभाविक एवं स्थायी होती है। किन्तु, आंतरिक रूप से प्रेरित, अर्थात् स्व-प्रेरित संकाय सदस्यों की संख्या कम होती है।

बाह्य प्रेरणा बाहरी कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। बाह्य प्रेरणा से उत्पन्न व्यवहार पुरस्कार पाने अथवा दण्ड से बचने के उद्देश्य से किया जाता है। पुरस्कार, वेतन, पदोन्नति,

सेवा में धन उपार्जन के अतिरिक्त अवसर आदि बाह्य प्रेरणा के कारक हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों के व्यवहार बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में लोग पद, धन, रुतबा को ध्यान में रखकर ही पेशा के चयन का प्रयास करते हैं। इस तरह के लोग अपने व्यवसाय के साथ-साथ समाज के लिए न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते हैं। बाहरी कारकों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को बार-बार प्रेरित करना पड़ता है।

वास्तव में, प्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करती है। ऊर्जान्वित संकाय सदस्य का अभिप्राय है, ऊर्जा से परिपूर्ण प्राध्यापक। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा व्यक्ति को सक्रिय बनाती है। व्यक्ति में शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। मानसिक ऊर्जा प्रेरणा द्वारा उत्पन्न होती है। ऊर्जान्वित व्यक्ति बिना थकान महसूस किए लम्बी अवधि तक कार्य कर सकता है। उसका कार्य रचनात्मक, उत्पादक तथा गुणवत्तापूर्ण होता है। वह संस्था तथा समाज के विकास में सहायक होता है।

प्रेरित तथा ऊर्जान्वित व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सक्षम होता है। सक्षम का अर्थ है. किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता का होना अथवा परिणाम को प्राप्त में समर्थ होना। एक समर्थ व्यक्ति बनने के लिए उपयुक्त साधन, कौशल, जानकारी, पर्याप्त शक्ति तथा पेशागत मूल्य का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन गुणों के साथ-साथ प्रेरित तथा ऊर्जान्वित होने पर व्यक्ति अपने कार्यों का निष्पादन सक्षम तरीके से कर पाता है।

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि प्रेरणा, ऊर्जा तथा सक्षम ये तीनों पद एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रेरणा व्यक्ति को ऊर्जान्वित करती है। प्रेरित एवं ऊर्जान्वित व्यक्ति दिए गए कार्य को विशिष्टतापूर्वक करते हुए वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्य महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए अकादमिक, प्रशासनिक, नेतृत्व संबंधी और सामुदायिक कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित करने में समर्थ हो सकते हैं। सरकार ऐसे संकाय सदस्यों के माध्यम से शिक्षा नीतियों को बहुत हद तक क्रियान्वित करने में सफल हो सकती है। शिक्षा नीतियों के सफल क्रियान्वयन से ही छात्र, समाज तथा राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाएँ काफी उदारवादी एवं आदर्शवादी हैं। नई शिक्षा नीति में संकाय सदस्यों की गरिमा एवं उनके सम्मान को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया

है। 1968 तथा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने भी शिक्षकों के समाज में सम्मानजनक एवं महत्त्वपूर्ण स्थान की बात की थी। उन नीतियों में भी शिक्षण-अधिगम में नवाचार, स्वायत्तता, गुणवत्ता, सुविधाओं में विस्तार, शोध को बढ़ावा, तकनीक, सुधार, मूल्य आदि पर विशेष जोर दिया गया था। यह सच है कि नई शिक्षा नीति में सुधार का दायरा बढ़ा है। प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की महत्ता एवं आवश्यकता पर और अधिक बल दिया गया है। साथ ही, उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में संरचनाओं, सुविधाओं एवं तकनीकों को बढ़ाने की अनुशंसा की गयी है। इसके अतिरिक्त, भर्त्ती, पदोन्नति, वेतन, स्वायत्तता, नवाचारी शोध जैसे विषयों को संकाय सदस्यों के हित में अधिक उदार बनाने की सिफारिश की गयी है। संकाय सदस्यों कोनेतृत्वके अवसर तथा सामुदायिक सेवा का मौका देकर प्रेरित तथा ऊर्जान्वित करने और सक्षम बनाने का उपाय सुझाया गया है। किन्तु, सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न तथा चुनौती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन, अर्थात् सुझाए गए प्रावधानों को कार्यरूप प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ही यह चिंता व्यक्त की गयी है कि पूर्व में विविध पहलों एवं प्रयासों के बाद भी उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों को वांछित स्तर तक प्रेरित एवं ऊर्जान्वित करके सक्षम नहीं बनाया जा सका है। उनके शिक्षण, शोध और उनकी अन्य सेवाओं में मनोनुकूल सुधार दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। अधिकांश उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों की स्थिति चिंतनीय है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। छात्रों, अभिभावकों एवं समाज में उच्चत्तर शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव देखा जा सकता है। शिक्षा नीतियों ने संकाय सदस्यों के समाज में आदरपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण स्थान की बात की है, किन्तु वास्तविकता यह है कि उनकी प्रतिष्ठा में कई कारणों से ह्रास हुआ है। इसका एक कारण अवश्य ही प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की कम संख्या का होना है। मेरी दृष्टि में, इस परिस्थिति के लिए सरकार, समाज तथा संकाय सदस्य सभी जिम्मेवार हैं।

यह स्पष्ट है कि पूर्व की शिक्षा नीतियों को क्रियान्वित करने में सरकार बहुत सफल नहीं हो पायी है। संकाय सदस्यों की भर्त्ती निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उचित तरीके से करने में सरकार असफल रही है। उनकी त्वरित पदोन्नति एवं उनके ससमय प्रभावी प्रशिक्षण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, जिससे संकाय सदस्य हतोत्साहित हुए हैं तथा उनका मनोबल टूटा है। अधिकांश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव रहा है। कई संस्थानों में समय पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं हो पाता है।

साथ ही, संकाय सदस्यों में विविध प्रकार की असुरक्षा एवं चिंता के भाव हैं। खासकर, पुराने संकाय सदस्य संस्थान के भीतर तथा संस्थान के बाहर शिक्षकों के प्रति वह आदर का भाव नहीं देखते हैं, जो उन्होंने अपने अध्ययन काल एवं सेवा के प्रारम्भिक काल में देखा है। सरकार तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी अब उन्हें वैसा आदर नहीं मिलता है। विभागीय जायज कार्यों के लिए संकाय सदस्यों से पैसे की चाह होती है। उच्च अधिकारियों द्वारा समय पर उनकी शिकायतों का निपटारा नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि, अधिकांश मामलों में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों का ही पक्ष लेते हैं। इस प्रकार का माहौल संकाय सदस्यों को प्रेरित तथा ऊर्जान्वित करने में बाधक साबित हो सकता है। संकाय सदस्य एक दूसरे से भी प्रेरित और ऊर्जान्वित होते हैं। प्रेरित और ऊर्जान्वित संकाय सदस्य नव नियुक्त संकाय सदस्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। नव नियुक्त संकाय सदस्यों के तकनीकी ज्ञान, नवीन शिक्षाशास्त्रीय उपागमों एवं उनकी ऊर्जा से पुराने प्राध्यापक भी प्रेरित तथा ऊर्जान्वित होते हैं।

नव नियुक्त संकाय सदस्यों की प्रेरणा एवं ऊर्जा के स्तर को कम करने वाला एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कारक है उनके लिए लागू की गयी नई पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना के अभाव में नव नियुक्त संकाय सदस्य भविष्य में होने वाली वित्तीय परेशानियों को महसूस कर रहे हैं। यह वित्तीय असुरक्षा उनकी क्षमता एवं व्यावसायिक कार्यों के उनके निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। नई पेंशन योजना के विरुद्ध प्रभावित संकाय सदस्य आवाज उठा रहे हैं तथा विभिन्न माध्यमों से पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली हेतु सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। अतः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाओं को ससमय क्रियान्वित करने के साथ-साथ उक्त व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के शब्दों और उसकी आत्मा के अनुरूप, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। शिक्षा नीतियों में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित सिद्धान्त एवं व्यवहार के बीच की दूरी को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नांकित सुझावों पर ध्यान दिया जा सकता है -

1. उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्व-प्रेरित, ऊर्जावान एवं सक्षम संकाय सदस्यों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है भ्रष्टाचार मुक्त वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया को अपनाना। ऐसा देखा गया है कि चयन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकादमिक अंकों के

भार अथवा महत्त्व को बढ़ाकर पचासी प्रतिशत तक कर दिया गया है। इससे चयन में भ्रष्टाचार तो बहुत हद तक कम हो गया है, किन्तु बहुत से व्यावसायिक दक्षता वाले उपयुक्त उम्मीदवार चयन से वंचित भी हो गए हैं। अतः, मूल उद्देश्य होना चाहिए चयन प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त रखते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करना। संकाय सदस्यों के चयन में अकादमिक उपलब्धि, मानक के अनुरूप प्रासंगिक शोध, प्रकाशन, शिक्षण-अनुभव तथा साक्षात्कार के भार या महत्त्व को समुचित अनुपात में रखा जाना चाहिए। साक्षात्कार में, विषय के ज्ञान के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल तथा मूल्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

2. संकाय सदस्यों की नियुक्ति समय पर हो यह भी बहुत जरूरी है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों के रिक्त पदों को वर्षवार भर लिया जाना चाहिए। इससे ऊर्जावान युवा संकाय सदस्य उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों को मिल पाएँगे। उन्हें आसानी से प्रेरित कर सक्षम बनाया जा सकता है तथा संस्था के निर्बाध विकास की गति को जारी रखा जा सकता है।
3. साथ ही, प्रेरित, ऊर्जान्वित एवं सक्षम संकाय सदस्यों की उपस्थिति के लिए यह बहुत जरूरी है कि स्थायी संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाए। अस्थायी, संविदा अथवा अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति अधिकत्तम दो वर्षों के लिए ही की जानी चाहिए। लम्बी अवधि तक उनकी सेवा लेने से संस्था को नुकसान होगा। नई शिक्षा नीति में सुझाए गए सुधारों को वास्तविक धरातल पर उतारने में उच्चत्तर शिक्षण संस्थान सफल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, लम्बी अवधि तक अस्थायी संकाय सदस्यों की सेवा लेना संविदा शिक्षकों के लिए भी उचित नहीं होगा।
4. संकाय सदस्यों को प्रेरित, ऊर्जान्वित तथा सक्षम बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आवश्यकता आधारित एवं प्रेरणादायी प्रशिक्षण की व्यवस्था उचित समय अंतराल पर की जाए। प्रशिक्षण सिर्फ खानापूर्ति के लिए अथवा औपचारिकतावश नहीं हो। प्रशिक्षण ऐसा हो कि संकाय सदस्य प्रशिक्षण में कुछ नया सीखें तथा उसे अपने व्यावसायिक जीवन में उतार सकें।
5. नव नियुक्त संकाय सदस्यों की सेवा सम्पुष्टि समय पर हो। उनकी पदोन्नति की अधिसूचना ससमय जारी हो। मेधावान, सुयोग्य और शिक्षण एवं शोध में वास्तविक रूचि रखने वाले व्यक्तियों को सेवा का अवसर प्रदान करने में अधिक देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी प्रेरणा, ऊर्जा एवं उनके सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पर सकता है। संकाय सदस्यों को देय अन्य सेवागत लाभों को समय पर लागू किया जाना चाहिए। उनकी सेवा संबंधी जायज माँगों

एवं शिकायतों का निपटारा उचित समय पर हो जाना चाहिए। इससे उनका मनोबल तथा सेवा के प्रति समर्पन बढ़ेगा।

6. वर्त्तमान में, उच्चत्तर शिक्षा सेवा में नई पेंशन योजना से आच्छादित संकाय सदस्यों की संख्या अधिक है। ये संकाय सदस्य नई पेंशन योजना को अपने हित में नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में, पुरानी पेंशन योजना की तुलना में नई पेंशन योजना काफी अलाभकारी है। नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन के कारण वे सेवा से अवकाश प्राप्ति के पश्चात् के अपने जीवन को असुरक्षित देख रहे हैं। इस नई व्यवस्था से संकाय सदस्यों की प्रेरणा तथा ऊर्जा का स्तर गिरेगा। अतः, सरकार को इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर समुचित ध्यान देना चाहिए।
7. साथ ही, संकाय सदस्यों का भी यह दायित्व है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उनके प्रति दिखलाए गए आदर एवं सम्मान के अनुरूप अपने आप को सक्षम बनाएँ। जब तक संकाय सदस्यों को हृदय से अपने संस्थान तथा पेशा से लगाव नहीं होगा, उन्हें प्रेरित एवं ऊर्जान्वित नहीं किया जा सकता है। संकाय सदस्यों को स्वाध्यायी, नवाचारी तथा चिंतनशील बने रहना होगा। उन्हें संस्थान के साथ-साथ समुदाय के प्रति भी संवेदनशील होना होगा। अपने ज्ञान को अद्यतन करके तथा नयी शैक्षिक तकनीकों एवं शिक्षाशास्त्रीय उपागमों को अपना करके वे अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। अपनी सेवा संबंधी शिकायतों एवं माँगो को उचित माध्यम से उन्हें अवश्य रखनी चाहिए, किन्तु इसका प्रभाव शिक्षण, शोध एवं अपनी अन्य सेवाओं पर नहीं पड़ने देना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज की परिकल्पना को साकार करने में प्रेरित, ऊर्जान्वित तथा सक्षम संकाय सदस्यों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। प्रेरित, ऊर्जान्वित तथा सक्षम संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल देने के साथ ही इसके लिए महत्त्वपूर्ण अनुशंसा करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने सराहनीय कार्य किया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक आदरणीय एवं अनिवार्य सदस्य के रूप में बतलाया जाना स्वागत योग्य है। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पहल तथा फिर से विश्व गुरु बनने की भारत की चाहत को प्रेरित, ऊर्जान्वित तथा सक्षम संकाय सदस्यों की सक्रियता से ही पूरा किया जा सकता है। छात्रों में कौशल, रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने में समर्थ होने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने की कलात्मक योग्यता संकाय सदस्यों में होना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में, महान शिक्षाविद् डॉ0 जाकिर हुसैन का शिक्षकों की भूमिका पर विचार अनुकरणीय है - "एक अच्छा

अध्यापक अपनी स्वाभाविक चतुरता से उचित उपाय ढूढ़ लेता है। कभी हँसकर, कभी नाराज होकर, कभी तारीफ करके, कभी नरमी से, कभी लज्जित करके, कभी उकसाकर, कभी कुछ रोककर, कभी-कभी अपनी तरफ खींचकर, कभी अपने से दूर करके, कभी बुराइयाँ बतलाकर और कभी आँख बचाने से वह अपना काम कर लेता है।"

अन्त में, हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की उच्चत्तर शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने में सरकार सफल होगी। इस कार्य में संकाय सदस्य भी मनोयोग से सहयोग करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थान अपनी पुरानी शैक्षिक अस्मिता को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होंगे। संकाय सदस्य वास्तव में प्रेरित, ऊर्जान्वित और सक्षम होकर उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों को जीवंत एवं गतिमान बनाते हुए ज्ञान आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की स्थापना में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

संदर्भ-ग्रंथ सूचीः

1. अली, मुजफ्फर, *शिक्षा के विविध आयाम - डॉ0 जाकिर हुसैन का शिक्षादर्शन*, अरुण प्रकाशन, दिल्ली, 1999, पृ0 - 120
2. बक्सी, पी0 एम0, *द कॉन्स्टीच्यूशन ऑफ इंडिया*, यूनीवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1999
3. लक्ष्मी, विजया, *आधारभूत मनोविज्ञान के मूल सिद्धान्त*, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान की अध्ययन-सामग्री, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना, 2021, पृ0 - 86, 98-99
4. सिकारेली एण्ड व्हाइट, *साइकोलॉजी*, चतुर्थ भारतीय संस्करण, पीयर्सन, नोएडा, 2017, पृ0 - 390
5. नेशनल एडुकेशन पॉलिसी, 2020, *मिनिस्टरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट*, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, *मानव संसाधन विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
7. नेशनल पॉलिसी ऑन एडुकेशन - 1986, *मिनिस्टरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट*, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, (डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन), न्यू दिल्ली, मई, 1986
8. नेशनल पॉलिसी ऑन एडुकेशन - 1968

***

22.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : नीतियों एवं अपेक्षाओं का विश्लेषण

डॉ. संगीता, सह-आचार्य
शहीद भगत सिंह कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत जैसे बढ़ते हुए उदारवादी राष्ट्र में मानव संसाधन का विकास तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले अवसरों एवं चुनौतियों का लाभ या सामना करने के लिए उनका कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को शीघ्र लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के द्वारा शीघ्र ही केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में समान तथा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण

1. **पाठ्यक्रम एवं सामग्री-** नई शिक्षा नीति मौजूदा शिक्षा प्रणाली की संरचना में बदलाव ला रहा है। नई शिक्षा नीति के द्वारा मौजूदा 10+2 संरचना को 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय तथा नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है तथा साथ ही शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। इनके अलावा इस नीति में कई नए आवश्यक प्रावधान डाले गए हैं जैसे शैक्षिक विषय वस्तु का क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होना, छठी कक्षा से व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशिप का प्रावधान इत्यादि ।

2. **प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों की क्षमताओं का विकास -** इस नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन तथा उन्नयन की बात की गई है। परन्तु इस नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इस प्रणाली में छात्रों की क्षमताओं का विकास तथा उनमें आलोचनात्मक सोच

एवं निर्णय लेने की क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में मौजूदा शिक्षक-केंद्रित शिक्षा को छात्र-केंद्रित शिक्षा में परिवर्तित करना बेहद आवश्यक है। इन सबके लिए यह आवश्यक है कि उचित क्षमताओं के लोगों को शिक्षण कार्य में शामिल किया जाए तथा समय-समय पर प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमताओं का उन्नयन होता रहे। इसके लिए शिक्षकों की पारिश्रमिक का संशोधन आवश्यक है। मौजूदा समय में शिक्षण भारत में कम वेतन वाले व्यवसायों में से एक है जोकि उचित क्षमताओं वाले लोगों को आकर्षित करने में असक्षम रहा है। इसमें बदलाव आवश्यक है।

3. **तकनीकी तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास -** प्रगतिशील राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसकी शिक्षण प्रणाली भी प्रगतिशील हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे के लाभ उठाने पर जोर देता है। परन्तु जहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत यह आवश्यक है कि एक केंद्रित शिक्षण प्रणाली अपनाई जाए तथा उसे समान रूप से पूरे देश में लागू की जाए वहीं पर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजिटल क्लासरूम, दूरस्थ विशेषज्ञता-संचालित शिक्षण मॉडल, डिजिटल उपकरण इत्यादि की उपलब्धता तथा प्रयोग सभी स्कूलों में एक बड़ी चुनौती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी एक बड़ी समस्या है वहाँ डिजिटल लर्निंग टूल्स का उचित प्रयोग एक विशेष समस्या है। ऐसे में सरकार को सर्वप्रथम बुनियादी ढांचे का पूर्ण विश्लेषण तथा सुधार करना होगा।

4. **परीक्षा संरचना -** इस नई नीति में छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन योगात्मक ज्ञान नहीं अपितु रचनात्मक मूल्यांकन पर आधारित रहेगा। इस नए दृष्टिकोण में तकनीकी हस्तक्षेप तथा शिक्षकों की सक्रियता बेहद आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार इस नीति के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं[1]-

[1] राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2021, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, hindi.ns3hq.org

- नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रूझान न रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है तो वह अपने पहले कोर्स से निश्चित समय अवधि तक रूक कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है जिसमें छात्रों को बहु विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इन सभी बहु विकल्पों के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाएगी। उदाहरण यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ-साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके।

- नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को एक समान माना जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए हैं। जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशनल काउंसिल, जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल को रखा गया है।
- ई-लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सके।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
- शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुण्वत्ता को उच्च किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरण

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पुरानी शिक्षा नीति के 10+2 फॉमूले के स्थान पर एक नई प्रणाली अपनाई गई है। जिसमें शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण हैं - 5+3+3+4 जिसके अंतर्गत 3 साल की प्री-स्कूली शिक्षा को तथा 12 साल की स्कूली शिक्षा सम्मिलित की गई है। यह 4 नए चरण है-

1. **फाउंडेशन स्टेज-** इसके अंतर्गत 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। इस स्टेज में बच्चों को 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा दी जाएगी जिसके अंतर्गत छात्रों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। यह स्टेज बच्चों के मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः इस स्टेज पर केवल मानसिक विकास पर ही शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

2. **प्रीपेटरी स्टेज-** 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को इस स्टेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के संख्यात्मक कौशल को मजबूत किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा।

3. **मिडिल स्टेज-** जिसमें छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में तकनीकि ज्ञान शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 के बच्चों कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। साथ ही इस स्टेज में व्यवसायिक परीक्षण तथा व्यवसाय इंटर्नशिप के प्रावधान को भी डाला गया है।

4. **सेकेंडरी स्टेज-** इसमें कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के बच्चों को विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। नई नीति के अंतर्गत छात्र साईंस के विषयों के साथ-साथ आर्ट्स या कॉमर्स के विषय भी पढ़ सकते हैं।

विशेष कदम

1. इस नीति को सार्थक करने में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेगी। परन्तु नए प्रावधान के अनुसार अब शिक्षा क्षेत्रिय/मातृभाषा में भी दी जाएगी। इसके लिए क्षेत्रिय भाषा बोलने वाले नए शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। सेवा-निवृत शिक्षकों को भी इस प्रणाली में पुनः पढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

2. माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषा जैसी फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, जर्मन तथा चाइनीस को पढ़ने के लिए कई विकल्प । यह कदम भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

3. क्षेत्रीय तथा मातृभाषा में भी शिक्षा संभव- 2021 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है।[2] इस प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों से लेकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने के माध्यम में भी इन भाषाओं को शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली में छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी।

[2] Op.cit

4. छात्रों को बदलती हुई समय के अनुसार सक्षम बनाने के लिए व्यवसायिक पढ़ाई को इस नीति में विशेष महत्त्व दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को व्यवसायिक पढ़ाई कराई जाएगी।

5. शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास का भी प्रावधान- इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम कक्षा से ही छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा जैसे खेल, योग, मूर्तिकला, संगीत एवं नृत्य ।

6. स्ट्रीम्स के चयन की स्वतंत्रता- नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम को पढ़ने की छुट दी गई है। साथ ही छात्रों को अपनी रूचि के अनुसार एक स्ट्रीम की पढ़ाई के साथ अन्य स्ट्रीमों के विषयों को भी पढ़ने की छूट दी गई है।

शोध में शामिल बच्चों एवं उनके अभिभावकों की चिंता

एक लम्बे अरसे के बाद जब सरकार शिक्षा नीति में बदलाव ला रहा है तो यह एक चिंतन का विषय बन गया है। इस विषय पर जब पचास उच्च शिक्षा से संबंधित छात्रों से उनके विचार मांगे गए तो शोधकर्ता को नए मिश्रित विचार प्राप्त हुए लोग जहाँ इस नीति से बेहद खुश नज़र आए वहीं कई अभिभावक काफी चिंतित नज़र आए। उनके द्वारा बताए गए मुद्दों तथा चिंताओं को नीचे व्यक्त किया गया है-

1. अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता छात्रों की विषय विशेषज्ञता थी। इस प्रणाली में जहाँ 'बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम' का प्रावधान डाला गया है वहीं बच्चों में कई विषय एक साथ पढ़ने का उत्साह भी देखा जा रहा है। परन्तु विषय-विशेषज्ञता पर अभिभावकों का चिंतन काफी हद तक सही है। इसके अलावा 'Exit' तथा 'Subject Switch-over' का प्रावधान भी अभिभावकों की चिंता को बढ़ा रहा है।

2. इस प्रणाली के द्वारा जहाँ 2035 तक GER को दोगुना करने की आशा की जा रही है वहीं इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय अंतराल में उच्च शिक्षा के लिए विद्यालयों का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।

3. इस नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए देशभर के स्कूलों का उन्नयन आवश्यक है। हमारे देश में 80 प्रतिशत स्कूल कम बज़ट के हैं जिसमें से कई स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है। यह नीति जहाँ 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने का लक्ष्य तय कर रही है वहीं यह सरकार के लिए मौजूदा स्कूलों के उन्नयन के साथ नए स्कूल खोलने का भी चुनौतीपूर्ण कार्य दे रही है। इस नीति के सफलतापूर्वक लागू होने में जहाँ अभिभावकों को कोई संदेह नहीं था वहीं इसे तय सीमा के अंतर्गत लागू कर पाने में संदेह देखा गया।

4. कोविड के महाकाल के बाद इस परियोजना को इतने बड़े पैमाने पर लागू कर पाना अपने आप में एक चुनौती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी स्कूलों की मौजूदा आधारभूत संरचना में बदलाव लाया जाए तथा उनका तकनीक उन्नयन किया जाए। इन सबमें एक बड़े वित्तीय आबंटन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भले ही इन व्यय को पूर्ण करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में GDP से आबंटन राशी को 4.6 प्रतिशत से 6 प्रतिशत करने की बात कर रही है परन्तु इस कोविड-19 के महाकाल के बाद जहाँ सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है वहीं इस आबंटन को संभव करना एक बड़ी चुनौती है। सभी छात्रों ने इस समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

5. इस नीति में कई नए तत्व जोड़े गए हैं जैसे मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। परन्तु सभी छात्रों की प्रमुख चिंता यही थी कि क्या इतने बड़े स्तर पर सभी भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण इतने कम समय में संभव है। साथ ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

6. इस नई नीति के द्वारा उच्च शिक्षा में अंतर-अनुशासनात्मक शिक्षा का प्रावधान डालने से छात्रों में काफी खुशी देखी गई।

7. नई शिक्षा नीति में शामिल शैक्षिक संस्थाओं की तकनीकी उन्नयन के प्रावधन की काफी प्रशंसा की गई। इस नीति के द्वारा शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और व्यापकता में सुधार के कई पहल की गई हैं।

   इस नीति से अभिभावकों एवं छात्रों में नई आशा की उम्मीद देखी गई।

8. इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के विस्तार की बात भी की गई है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रशंसनिय कदम है।

9. इस नीति के द्वारा शोध की संस्कृति को सक्षम बनाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस प्रावधान की प्रशंसा शोध में शामिल सभी व्यक्तियों ने की। यह कदम न सिर्फ छात्रों के विकास में मदद करेगा, अपितु पूरे राष्ट्र के लिए यह लाभकारी रहेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन[3] तथा उपयोगिता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके। इस योजन से न सिर्फ बच्चों को उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी अपितु उनके पूर्ण कौशल का विकास भी होगा। साथ ही व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में लाभकारी साबित होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कमियाँ

[3] नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022: New Education Policy, pmmodiyojana.in

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमी शिक्षा की भाषा है। भारत में जहाँ सही शिक्षक-छात्र अनुपात एक समस्या ही रही है वहीं क्षेत्रिय / मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना एक समस्या बन सकती है।[4]

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रों को स्कूल के बाद चार साल कॉलेज में पढ़ना होगा। दो साल की कॉलेज की पढ़ाई के बाद छात्र डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त कर सकता है। यह प्रावधन छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा की स्वतंत्रता देती है जिसके कारण निजी स्कूलों में छात्र निचले स्तर से ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर पाएँगे वहीं सरकारी स्कूलों में छात्र संबंधित क्षेत्रिय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है क्योंकि इससे अंग्रेजी में संवाद करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी।

4. शिक्षण प्रणाली में गतिशीलता की आवश्यकता- विश्व में तकनीकों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव का प्रभाव शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भी देखा जाता है जिनका समय-समय पर उन्नयन आवश्यक है। ऐसे में शिक्षण प्रक्रिया पाठ्यक्रम को तथा संस्थानों को गतिशील होना होगा परंतु यह निश्चित रूप से इतना सरल एवं प्रबंधनीय नहीं होने वाला है।[5]

5. अकसर ऐसा होता है कि शिक्षक चाहते हैं छात्र केवल ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें परन्तु वास्तविकता यह है कि बड़ी संख्या में छात्र अच्छी वेतन वाली नौकरी प्राप्त करने के लिए विषयों का चयन करते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रत्येक निकास बिंदु के दौरान रोजगार के अवसरों को नियोजित किया जाए ताकि छात्रों के पास एक केंद्रित दृष्टिकोण हो।[6]

---

[4] Singh, Dr. Roshan, 'New Education Policy: Advantages & disadvantages', times of India. indiatimes.com

[5] NEP 2020 Pors and Cons, New Education Policy Details, Highlights Summary, Infocoverage.com

[6] National Education Policy 2020; Pros and Cons, Indiatoday.in

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सुझाव

1. प्रारंभिक 5 वर्ष बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ऐसे में एक मज़बूत एवं सक्षम पीढ़ी तैयार करने के लिए इस स्तर पर खेलों के द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण को महत्व देना चाहिए।

2. शिक्षा में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालयों को स्वायत्त बनाना होगा।

3. दूसरे देशों के मुकाबले भारत में अनुसंधानों पर कम पैसा खर्च किया जाता है। नई नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना आवश्यक है।

4. नई नीति में पर्यावरण, खेल संस्कृति और विकास पर जोर दिया जा रहा है। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचों का सुधार आवश्यक है।

5. नई शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और नई औद्योगिक नीति के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करें। इसके लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र का सहयोग छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए, उन्हें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

शिक्षा प्रणाली का मानव विकास तथा राष्ट्रीय विकास में एक गहरा योगदान रहता है। मानव की तथा राज्य की उज्ज्वल भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रणाली में तथा पाठ्यक्रमों में समय-समय पर बदलाव होता रहे। बेहतर शिक्षा व्यवस्था का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तथा विकास पर देखा गया है। प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल वोकेशनल शिक्षा, मातृभाषा या क्षेत्रिय भाषा में शिक्षा तथा छात्रों के कौशल विकास के प्रावधान महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में आधुनिकता के साथ-साथ देश की संस्कृति और अखंडता में सुधार करना है और इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए। 34 वर्षों के बाद आई इस नीति को अगर

सफलतापूर्ण लागू किया जाता है तो यह भारत को विश्व के अग्रनी देशों में से एक बना सकता है। इस नीति से देश तथा सभी छात्रों को काफी उम्मीदें हैं।

संदर्भित लेख

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2021, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, hindi.nvshq.org
2. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: नई शिक्षा नीति, pmmodiyojana.in
3. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी: २०२० प्रोस एंड कोन्स, Indiatoday.in
4. NEP २०२० प्रोस एंड कोन्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिटेल्स, हाइलाइट्स, समरी, Infocoverage.com
5. सिंह, डॉ. रोशन, ' न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अडवांटेगेस एवं हानी, टाइम्स ऑफ़ इंडिया. Indiatimes.com
6. वर्मा, डॉ एंड आदर्श कुमार, ' न्यू एजुकेशन पॉलिसी २०२० ऑफ़ इंडिया: एक सैद्धांतिक विश्लेषण, Researchgate.net
7. बी. वेंकटेश्वरलू, ' अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ़ NEP २०२० : मुद्दे, दृष्टिकोण, चुनौतियाँ, अवसर और आलोचना, s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
8. कुरियन, अजय एवं सुदीप बी. चन्द्रमना, 'नई शिक्षा नीति २०२० का उच्च शिक्षा पर प्रभाव, Researchgate.ne

23.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और व्यावसायिक शिक्षा: आपदा प्रबंधन के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. संजय शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
पांडिचेरी विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग-2 में व्यावसायिक शिक्षा का आकलन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा वर्तमान के शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता है । इस संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि भारत में 19-24 आयु वर्ग में आने वाले कार्यबल में अत्यंत ही कम अभ्यर्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की गई, जबकि दूसरी ओर यदि अन्य देशों को देखा जाए तो यह पता चलता है की अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% तथा दक्षिण कोरिया में 96% अभ्यर्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त किया गया । इस संबंध में भारत की स्थिति अन्य देशों से काफी दयनीय है । आज के युग में जबकि भारत उदारवाद तथा वैश्वीकरण के दौर में है, तो यह जानना आवश्यक है कि भारत में विकास की संभावनाएं अत्यधिक हैं । एक अनुमान के अनुसार चीन के द्वारा अपना अधिकतम विकास 1930 तक प्राप्त कर लिया जाएगा जबकि दूसरी ओर भारत के द्वारा अपने अधिकतम विकास को 2050 तक प्राप्त किया जाएगा । इसका अर्थ यह है कि भारत के पास वर्तमान में तुलनात्मक अधिकतम कार्यबल उपस्थित है तथा मुख्य आवश्यकता है किस प्रकार इस कार्यबल को उचित व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा भारत के विकास में और अधिक प्रासंगिक बनाया जाए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस उद्देश्य हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर अपना विचार प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के नवीनीकरण का मार्गदर्शन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या का मुख्य कारण यह है की व्यावसायिक शिक्षा का ध्यान मुख्यतः ड्रॉपआउट छात्रों पर था (राष्ट्रीय शिक्षा

नीति-2020, पृ. सं 72) । इसके अतिरिक्त एक मुख्य समस्या यह भी थी कि व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा में अवसरों का अभाव था, क्योंकि व्यावसायिक उच्चतर शिक्षा इन अभ्यर्थियों को केंद्रित करके नहीं बनाई गई थी तथा इसमें प्रवेश के मापदंड भी अत्यधिक कठिन थे । इस प्रकार विद्यालय के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा की धारा के साथ नहीं जुड़ पाते थे। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता रहा कि व्यावसायिक शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा से निर्मित है तथा यह उन छात्रों के लिए बनी हैं जो कि मुख्य धारा से अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं । इस प्रकार की विचारधारा और स्थिति के कारण ही व्यावसायिक शिक्षा का स्तर भारत में निर्मित रहा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भारत में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में इस नीति का उद्देश्य यह किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इस नीति के उद्देश्य के अनुसार यह प्रयास किया जाएगा की व्यावसायिक शिक्षा आरंभिक शिक्षा के साथ ही आरंभ की जाए तथा इसमें निरंतरता तथा व्यवस्था बनी रहे शिक्षा के किसी भी स्तर पर विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा के नई चरण एक नया आरंभ मिले। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की प्रति विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े। एक व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करें तथा इसमें पारंगत हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह लक्ष्य है 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। यह करने के लिए एक कार्य योजना विकसित की जाएगी । भारत के पास जनसंख्या के रूप में महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं यह प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं कि किस प्रकार इस जनसंख्या के हिसाब से विद्यार्थियों को केवल अकादमिक शिक्षा ही न प्रदान की जाए अपितु इसमें व्यावसायिक शिक्षा का भी इनपुट हो। यह व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थी को न केवल रोजगार सुनिश्चित करेगी, अपितु यह भारत के संभावित विकास के लक्ष्य को भी सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है की सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment

Ratio) के लक्ष्य के निर्धारण के समय यह सुनिश्चित किया जाए अकादमी व्यावसायिक संस्थाएं विद्यार्थी को पूर्ण रूप से प्रदान की जाए । व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि केवल सरकारी संसाधनों पर ही निर्भर ना रहा जाए अपितु इसमें नागरिक समाज को भी जोड़ा जाए। इसके लिए शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थानों व संस्थाओं के भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। शिक्षा नीति का मानना है की व्यावसायिक शिक्षा के कौशल को प्रदान करने के लिए स्कूलों में हब तथा स्कोप मॉडल में प्रयोगशाला स्थापित की जाए। इसके अतिरिक्त 2000 वर्ष 2013 में आरंभ की गई व्यवसाय स्नातक डिग्री पूर्ण रूप से ही कार्य करें तथा अन्य स्नातक विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हो । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को यह स्वतंत्रता प्रदान करती हैं की यह संस्थान अपने उपलब्ध संसाधनों, योग्यताओं तथा उपलब्ध अध्ययन सामग्री के आधार पर सीमित अवधि के कोर्स आरंभ करें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पृ. सं 73)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा यह भी नहीं कहा गया है व्यावसायिक शिक्षा को ज्ञान लोक विद्या के साथ एकीकृत किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को भारत में विकसित व्यावसायिक ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह आवश्यक है की व्यावसायिक शिक्षा के ध्यानाकर्षण क्षेत्र का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण तथा स्थानीय अफसरों के आकलन के आधार पर किया जाए इसके लिए उद्योग तथा व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को इनके साथ जोड़कर एक राष्ट्रीय समिति, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, का गठन करेगा। इस समिति का उद्देश्य मुख्यता व्यावसायिक शिक्षा के ध्यानाकर्षण क्षेत्र का चुनाव करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है की व्यावसायिक शिक्षा ना केवल वर्तमान के विद्यार्थियों को ही प्राप्त हो, अपितु ड्रॉप आउट हुए विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जाए तथा उन्हें औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाए । इसके लिए क्रेडिट के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा को तैयार किया जाए जिससे कि ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों को

भी पुनः औपचारिक शिक्षा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो । इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक कौशल आधारित, विशेषज्ञता पूर्ण, समग्र तथा एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करती हैं । वर्तमान की आवश्यकता यह है की शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग-अलग कार्य क्षेत्रों की पहचान की जाए जो कि व्यवहारिक वे रोजगार उन्मुख हो। जिससे कि यह व्यावसायिक शिक्षा ना केवल विद्यार्थियों के जीवन में प्रयोग में आए अपितु उन्हें देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ भी जोड़ें ।

आपदा प्रबंधन : वर्तमान की आवश्यकता व चुनौती

आपदा प्रबंधन को व्यावसायिक शिक्षा के एक विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकता है। वर्तमान समय में देखें तो यह ज्ञात होता है, कि जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं बढ़ने वाली हैं। वर्ष 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया " Assessment of Climate Change on Indian Region" इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर आपदाओं की संभावना है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले समय में हिमालय क्षेत्रों, भारत के मैदानी क्षेत्रों तथा भारत की तटीय रेखा आपदाओं की संख्या बढ़ेगी । इसके अतिरिक्त इसी वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन अंतर्देशीय पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change) के द्वारा अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (Assessment Report-6) को जारी किया गया है इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है तथा मानव प्रयासों के द्वारा ही इसका निवारण संभव हो सकता है ।

इन प्रयासों की श्रृंखला में अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है भारत 1972 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन का सदस्य रहा है तथा 1952 के पश्चात जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change) में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलों में सक्रिय रूप

से भाग लिया है। योकोहामा रणनीति और एक सुरक्षित विश्व के लिए कार्य योजना-1994 में जापान के योकोहामा में आयोजित की गई। इसने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव पीड़ा और विकास में व्यवधान के लिए चिंता जताई। भारत ने भी आपदा प्रशासन के महत्व को पहचाना है और 1999 में आपदा प्रबंधन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया । योकोहामा के बाद 2005-2015 की कार्रवाई का ह्योगो फ्रेमवर्क है। इसने खतरों के प्रति संवेदनशीलता और जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है और आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। भारत ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करके और प्रगति की है। यह आपदा शासन के लिए भारत की एकजुट कानूनी प्रतिक्रिया थी। इसके बाद 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति आई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नवीनतम विकास आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क है। इस ढांचे ने सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, गरीबी को संबोधित किया है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना-2016 में सें डाई फ्रेमवर्क-2015-2030 को शामिल किया है।

भारत आपदा प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय विकास का लगातार अनुसरण कर रहा है और एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा, भारत शमन और अनुकूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शुरू कर रहा है। भारत ने 2015 में पेरिस में आयोजित पार्टियों के 21वें सम्मेलन के मंच से 2015 में ही भारत तथा फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एसोसिएशन की स्थापना की । इसका मुख्यालय भारत में भारत के गुड़गांव में स्थित है। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के प्रयोगों को बढ़ाना है तथा जहां संभावित सहायता की आवश्यकता हो वहां उसे प्रदान करना है । इसी श्रृंखला में भारत के द्वारा वर्ष 2018 में आपदा प्रबंधन अवसरंचना पर अर्न्तराष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना की गई । इसकी उद्घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई । इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य हैं कि आने वाले समय में होने वाली आपदाओं से किस प्रकार अपने मूलभूत संरचनाओं की सुरक्षा की जाए तथा इस प्रयास में अधिक से अधिक विकासशील देशों को जोड़ा जाए जिससे कि आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूती मिले । यह एक अंतरराष्ट्रीय

पहल है जो देशों को ज्ञान साझा करने और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करती है। भारत के जलवायु परिवर्तन के प्रति इन सकारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत पर्यावरण सुरक्षा मिशन में उच्चतम 10 देशों की श्रेणी में आ गया है।

COP-25 वर्ष में 10 दिसंबर, 2019 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index-CCPI) प्रस्तुत किया गया। इस सूचकांक में भारत को 9वाँ स्थान प्रदान किया गया है। मोदी जी के इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2018 में उन्हें तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को संयुक्त रूप से 'चैपिंयन ऑफ द अर्थ' पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 2021 में हुए COP-26 की बैठक भी महत्वपूर्ण है । इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह कहा गया की जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जबकि हम भारत के एक प्राचीन श्लोक में दिए गए ज्ञान का अनुसरण करें यह श्लोक है सम्-गच्छ-ध्वम्, सम्-व-दद्वम् , सम् वो मानसि जानताम् । अर्थात जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन एक वैश्विक समस्या है जिसका समाधान तभी संभव है जबकि हम सब साथ मिलकर चलें, सब भागीदारी करें तथा हम सभी राष्ट्र अपने आपको अलग-अलग ना मानकर पृथ्वी के एकीकृत मानव के रूप में देखें ।

आपदा प्रबंधन तथा व्यावसायिक शिक्षा

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, आपदा प्रबंधन नीति-2009, तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना-2016 तीनों के द्वारा ही माना गया है की आपदा प्रबंधन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है । यह शिक्षा दोनों प्रारूप में होना चाहिए एक और तो अकादमिक स्तर पर स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत में लगभग सभी विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन का सामान्य ज्ञान हो। दूसरी ओर इन अधिनियम और योजनाओं के द्वारा यह भी कहा गया है की आपदा प्रबंधन के लिए व्यावसायिक शिक्षा का होना भी आवश्यक है। यह व्यावसायिक शिक्षा आपदा प्रबंधन को ना

केवल अधिक सुदृढ़ बनाएगी अपितु इसके आर्थिक प्रभाव भी होंगे उदाहरणतः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया हैं कि :-

i) स्कूलों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए;

ii) आपदा प्रबंधन पर सर्टिफिकेट तथा डिग्री कोर्स चलाए जाएं; तथा

iii) आपदा प्रबंधन पर शोध को प्रोत्साहन दिया जाए प्रथा आपदा प्रबंधन पर होने वाले शब्दों को सहायता व अनुदान राशि प्रदान की जाए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, पृ. सं 136)।

इसी प्रकार आपदा प्रबंधन नीति 2009 के सेक्शन 10.5.1 में कहा गया है की आपदा प्रबंधन पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाए । इस भाग में कहा गया है वास्तुकला, इंजीनियरिंग, भू-विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए । इसके अतिरिक्त एन.सी.सी और स्काउट्स बॉय की भूमिका को भी आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए कॉलेज तथा स्कूलों में शामिल किया जा सकता है (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009, पृ. सं 34)।

शिक्षा मौजूदा ज्ञान को लगातार पीढ़ियों तक स्थानांतरित करने का एक तरीका है। यह नए ज्ञान के निर्माण और मौजूदा के लिए नए आयाम बनाने की सुविधा प्रदान करता है। आपदा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में न्यूनीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपदा शिक्षा जड़ों से शुरू होनी चाहिए और स्कूली शिक्षा एक निष्पक्ष मंच की सुविधा प्रदान करती है जिसमें आपदा प्रबंधन को उनके पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। क्षमता निर्माण में भी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से आपदा शासन का ज्ञान लोगों को आपदा के प्रकार, इसके होने के कारणों, इसे रोकने के तरीके और आपदा होने पर क्या करें और क्या न करें, को समझने में सक्षम बनाता है। भारत में आपदा शासन की शिक्षा स्कूल से ही शुरू होती है। आपदा प्रबंधन को कक्षा आठवीं में एक अध्याय के रूप में और सामाजिक विज्ञान में दसवीं कक्षा में और भूगोल में ग्यारहवीं कक्षा में एक अलग पुस्तक के रूप में केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में पेश किया गया है। उच्च शिक्षा में आपदा

प्रबंधन को भी शामिल किया गया है| उदाहरणतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (TERI), आपदा अनुसंधान पर विशेष केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम और अनुसंधान उपलब्ध है ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), और वन अनुसंधान संस्थान (FRI) जैसे कई केंद्र और राज्य संचालित संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन पर लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) आपदा शासन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी (LBSNAA) का आपदा प्रबंधन पर एक अध्ययन केंद्र है । यह आपदा प्रबंधन पर अनुसंधान और प्रायोजित परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। इसी तरह, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) भी आपदा प्रशासन सहित सामाजिक विज्ञान के मुद्दों पर परियोजनाओं को प्रायोजित कर रही है। इस प्रकार भारत में विद्यालय से लेकर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आपदा प्रबंधन को लेकर पाठ्यक्रम उपलब्ध है । विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर पर आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जा रही हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक व्यावसायिक शिक्षा के रूप में सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

निष्कर्ष

आपदाएं अपरिहार्य हैं और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। इस अत्यधिक औद्योगीकृत में जब हम चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, मानव निर्मित आपदाएँ बढ़ रही हैं और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं में भी मानव गतिविधियों से बढ़ावा मिला हैं। इस प्रकार आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को जोड़ा जाए। आपदा प्रबंधन

को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के विभिन्न लाभ हैं जैसे कि इसके द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन हेतु एक विस्तृत संख्या में कार्यबल की उपलब्धता हासिल हो पाएगी, दूसरी ओर यह कार्यबल भारत के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान करेगा इसके अतिरिक्त भारत पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कार्यबल को विश्व में अन्य स्थानों पर भी भेजा सकेगा जिससे कि वहां पर आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों को तैयार किया जा सके। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक युवा संख्या है इसे जनसंख्या के लाभ के रूप में देखा जा सकता है यदि इस युवा जनसंख्या को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में एक दिशा-निर्देशन व कौशल प्रदान किया जाए तो यह भारत के विकास की गति को और अधिक बढ़ा सकती हैं। दूसरी ओर यदि भारतीय नेतृत्व व समाज यह दिशा-निर्देशन नहीं कर पाते हैं तो यह जनसंख्या यह युवा जनसंख्या है देश के लिए राष्ट्र के लिए आपदा सिद्ध हो सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के द्वारा हमारी युवा जनसंख्या को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में दिशा निर्देशन देने का एक रोडमैप तैयार किया गया है तथा आपदा प्रबंधन को व्यावसायिक शिक्षा के एक विकल्प के रूप में जोड़ने के लिए हमारे पास उचित मानव संघ मानव तथा भौतिक संसाधन उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से पहले ही आपदा प्रबंधन विद्यालयों से लेकर उचित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक मूलभूत सुविधा व ढांचा उपलब्ध है केवल इसे व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

- सरकार भारत, (2009). राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति-2009. दिल्ली, गृह मंत्रालय.
- सरकार भारत, (2009). राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना-2016. दिल्ली, गृह मंत्रालय.
- चेन्ज इन्टरगर्वमेन्टल पैनल ओन, (1990). फर्स्ट असेस्मेंट रिर्पोट ऑफ आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज: द 1990 एण्ड 1992. कनाडा: यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम.

- चेन्ज इन्टरगर्वमेन्टल पैनल ओन, (2022). 6th असेस्मेंट रिर्पोट ऑफ आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज. कनाडा: यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम.
- नेशंस, यूनाइटेड (1973). रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस काफ्रेंस ऑन हयूमन इनवायरमेंट-1972. न्यू योर्क: यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशन.
- सरकार, भारत (2020). जलवायु परिवर्तन व भारत: एक क्षेत्रीय व प्रादेशिक मूल्यांकन व विश्लेषण2030-. दिल्ली: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय.
- सरकार, भारत (2019). आपदा प्रबंधन अवसरंचना पर अर्न्तराष्ट्रीय गठबंधन. रिट्राइवड फ्रॉम https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1594191
- Gazette of India (2005). *Disaster Management Act*. New Delhi, Government of India.
- सरकार, भारत (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020. दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय.

24.
उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तन्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

प्रो. सोनाली सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उसके पारिस्थितिकी तन्त्र के बीच, प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक पारस्परिक सम्बन्धो को विभिन्न शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया हैं। कोई भी शिक्षा व्यवस्था दो प्रकार के सिद्धान्तों से अभिप्रेरित होती हैं, पहला, आधारभूत सिद्धान्त जो सतत एवं अपरिवर्तनीय हैं, एवं दूसरा, ऐसी अवधारणाएँ, जो बदलते पारिस्थितिकी के अनुसार उपजते एवं परिवर्तित भी होते हैं। शिक्षा के पारिस्थितिकी तन्त्र के भी दो आयाम हैं, प्रथम, उसका शैक्षिक तन्त्र, जिसमें संस्थान, संरचनाएँ, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, शोध, शिक्षक, शिक्षार्थी, नियामक, प्रत्यायन प्रणाली आदि शामिल हैं; दूसरा, उसका पर्यावरणीय तन्त्र जिसमें सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक अवयव तथा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें वह स्थित हैं और जिसके साथ उसका सम्बन्ध पारस्परिक क्रिया का हैं। यह ध्यान देने की बात हैं कि स्कूली एवं उच्च स्तरीय शिक्षा का पारिस्थितिकी तन्त्र एवं उसके विभिन्न पक्ष पृथक नहीं वरन् एक दूसरे से निरन्तरता में जुड़े हुए हैं। भारत के सन्दर्भ में अगर उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को देखा जाए तो इसका दायित्व एक प्रबुद्ध भारत का सृजन, सामाजिक रूप से जागृत एवं सक्षम नागरिकों का निर्माण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में भारत को अग्रणी बनाना हैं। उपरोक्त कारणों से उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी आयाम ज्यादा विस्तारित हैं एवं इसका उच्चशिक्षा पर प्रभाव भी ज्यादा हैं। अतः भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तन्त्र को विशिष्ट स्थान दिया गया हैं एवं उसके मौजूदा कमियों को ध्यान में रखते हुए उसके उत्कृष्टता हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। नीति का लक्ष्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना हैं।

वर्तमान भारत की उच्चशिक्षा व्यवस्था विश्व की विशालतम व्यवस्थाओं मे से एक हैं, परन्तु यह अनेक समस्याओं एवं कमियो से ग्रसित हैं। इक्कसवीं सदी के बदलते परिवेश के मद्देनजर, शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन एवं एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। पिछली शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 एवं फिर 1986 में आई थी। लगभग 34 वर्षो के बाद मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत नई शिक्षा नीति, 2020 एक

नवीन सोच एवं शिक्षा जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के लक्ष्यों से अभिप्रेरित हैं। नई नीति ने उच्चतर शिक्षा की कमियों में से सबसे ज्यादा चिन्ताजनक- उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तन्त्र की विखण्डता को माना है, जो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता हैं। विखण्डता के अनेक पक्ष है, जिसको दूर किये बिना उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समकालीन परिस्थितियाँ उच्च शिक्षा के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अनेक मायनों में प्रासंगिक बना देती हैं।

यह प्रशंसनीय है कि नई शिक्षा नीति ने इस दृष्टि को अपनाया है जिससे भारत की शिक्षा व्यवस्था प्रासंगिक, समसामयिक, नवाचार युक्त, विद्यार्थी केन्द्रित एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप बन पाएगी। नीति ने उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तन्त्र की अनेक पारम्परिक अवधारणाओं को परिवर्तित कर एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत की है जिसे समझना आवश्यक हैं। परन्तु इस नीति के क्रियान्वयन के रास्ते में अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियाँ है। अतः प्रस्तुत लेख भारत के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की आवश्यकता, वर्तमान समस्याओं एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन समाधानों का एक समग्र अध्ययन करने का प्रयास हैं।

भारत में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की आवश्यकता : एसबाये, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री ने 1966 में, "उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी" (Ecology of Higher Education) सिद्धान्त दिया।[1] ग्रेमिन ने 1977 में "शिक्षात्मक पारिस्थितिकी" के बारे में कहा, जिसके अनुसार यह वह साधन है जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों एवं संरचनाओं तथा व्यापक स्तर पर समाज, जो उन्हें सम्पोषित एवं उसे प्रभावित करता है, के मध्य सम्बन्धों की जाँच करना।[2] यह इस अवधारणा पर आधारित है कि शिक्षा तन्त्र एक सावयव एवं एकीकृत व्यवस्था है जो समाज, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के साथ निरन्तर क्रिया करते हुए, जीवन्त एवं निरन्तर गतिशील हैं। भारत मे विभिन्न कारणों से एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग एवं उसका नित्य विस्तारित होता दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नए उभरते आयामों ने पारिस्थितिकी तन्त्र के महत्व को नए सिरे से स्थापित किया है।

सर्वप्रथम, अगर इक्कीसवी सदी में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को देखा जाए, तो इसे बिना पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार, उच्च शिक्षा का उद्देश्य एक बहुमुखी प्रतिभावान, चिन्तनशील, चरित्रवान, रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना, जो बहु-विषयक ज्ञान का अध्येता हो; तथा एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण जहाँ जागरूक नागरिक, समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके; ज्ञान निर्माण एवं नवाचार का विकास हो; प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा एक सुसंस्कृत, सामन्जस्यपूर्ण एवं उत्पादक समाज की स्थापना हो सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो राष्ट्रगौरव

का बोध कराए तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र मे भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करे। द्वितीय, 2001 से भारतीय उच्च शिक्षा में तीव्र प्रसार, जिसकी वजह से उच्च शिक्षण संस्थानो एवं नामंकन दर्ज कराने वालो की संख्या मे उत्तेजक वृद्धि हुई हैं। 51,649 संस्थानो एवं 37.6 मीलियन विद्यार्थियों के साथ, विश्व के विशालतम उच्च शिक्षण व्यवस्थाओं मे से एक है।[3] निश्चित रूप से इन संस्थानों में गुणवत्ता, सम्यक एवं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था हेतु, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण सहायक होगा। तृतीय, इसके अलावा सतत् विकास एजेन्डा, 2030 के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा तन्त्र को पुनर्गठित करने की आवश्यकता हैं। लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेन्डा के अनुसार विश्व में 2030 तक, "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरो को बढ़ावा दिये जाने" का लक्ष्य हैं।[4]

चतुर्थ, विश्व की युवा जनसंख्या का पाँचवा भाग भारत में बसा हैं एवं यह विश्व के सबसे युवा जनसंख्या वाले देशो में से एक हैं। अगर इन युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान की जाये तो यह यू. एस. $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की भारत के महत्वकांक्षी लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हैं। नवाचार, उद्यमिता एवं विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी संस्कृति के निर्माण में इनकी भूमिका अहम् होगी। पंचम, बदलते परिदृश्य में ज्ञान का स्वरूप भी बदल रहा हैं, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन-लर्निंग, मनुष्य-मशीन पारस्परिक क्रिया, रोबोटिक इंजीनियरिंग, आदि, जहाँ नए प्रकार के प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जरूरत है। षष्ठ, नए उभरती चुनौतियाँ एवं उसका समाज पर प्रभाव को समझने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के विषयों के अंतर्संबंधों को नए सिरे से अनुसन्धान करना होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, स्वच्छ पानी की समस्या आदि के गंभीर सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम को दूर करने हेतु प्रयोज्य समाधान विकसित करने होंगे। वर्तमान समय में कोविड महामारी जैसे संक्रामक रोगों के प्रबन्धन, टीकों के विकास तथा उसका सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को समझने के लिए बहु-विषयक एवं अंतर्विषयक विशेषज्ञों की जरूरत है। सप्तम, भारत विश्व की सबसे बड़ी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में इसके अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना होगा, जो कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाए बिना असंभव सा प्रतीत होता है। अष्टम, रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे को, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखे ही और साथ ही वे सतत् सीखते रहने की कला भी सीखें।[5] इसलिए नई शिक्षा नीति ने विषय-भार को बढ़ाने की जगह ऐसी शिक्षा पर बल दिया है जो विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता एवं तार्किकता को विकसित करें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पाए, नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में लायें।[6]

एक तरह जहाँ भारत में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ, भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार, गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र सबसे प्रमुख है।

खण्डित उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या : विभिन्न आयाम

उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के खंडित होने से अभिप्राय है इसके विभिन्न अवयवों का विभाजित रूप से कार्य करना, जिससे उनके बीच जरूरी संपर्क, पारस्परिक क्रिया, तारतम्यता का अभाव हो जाता है और क्रमशः वे अप्रासंगिक, कठोर, नीरस, कालविरुद्ध एवं भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। भारत की उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र भी विखण्डन की समस्या से ग्रसित है जिसके कुछ आयाम इस प्रकार हैं; प्रथम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, आधारभूत संरचनाओं, शिक्षा प्रारूप, शास्त्र में एकरूपता, गतिशीलता एवं नवाचार का अभाव। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को समय-समय पर नवीनीकरण नहीं किया जाता है। यह भारतीय शिक्षा परम्पराओं की तुलना में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से ज्यादा अभिप्रेरित है। शिक्षा शास्त्र पारम्परिक व्याख्यान प्रणाली पर आधारित है जिसमें अंतःक्रियात्मकता, चर्चा, व्यावहारिक अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी का नितान्त अभाव है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के आधारभूत संरचनाओं में कुछ प्रमुख संस्थानों को छोड़कर, अनेक सुधारों की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संस्कृति नवाचार के साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं करती है। द्वितीय, विश्वविद्यालयों में विषयों का कठोर विभाजन होना, जो शिक्षणार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देता है।[7] इसने अंतर्विषयक अध्ययन को हतोत्साहित किया है, जिससे छात्रों का जीवन एवं मुद्दों के प्रति सोच सीमित एवं स्थानीय रही है। इसके अलावा विषयों के कठोर विभाजन ने एक विषयों की सोपानिकी को जन्म दिया है, जिसमें विज्ञान जनित विषयों को उच्च एवं प्रासंगिक और समाजविज्ञान एवं मानविकी विषयों को निम्न एवं अनुपयोगी समझा जाता है। शिक्षा की मुख्यधारा में खेल एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा की अनुपस्थिति, छात्रों के सर्वांगीण विकास में बाधक रहा है। तृतीय, उच्च शिक्षण संस्थाएँ भारत में अनेक रूपों में मौजूद हैं, जिनके अलग-अलग नाम है, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, समवत विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय आदि जो व्यवस्था को जटिल बना देती है। सब की शुल्क संरचना, पाठ्यक्रम संरचना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता आदि अलग-अलग है। बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय का होना, जिनके परिणामस्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक[8] देखने को मिलता है।

चतुर्थ, मुख्यधारा शिक्षा के साथ पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा का कोई संपर्क ना होना। वर्तमान में मुख्यधारा एवं व्यावसायिक शिक्षा दो अलग सीध पर चलते हैं, जिनके बीच सीमित गतिशीलता है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की तुलना में निम्न माना जाता है तथा यह सर्वमान्य धारणा है कि रोजगार के क्षेत्र में व्यावसायिक की तुलना में

मुख्यधारा शिक्षा बेहतर श्रम की गरिमा प्रदान करता है।[9] राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के एक मूल्यांकन के अनुसार, 15-29 आयु वर्ग की जनसंख्या के सिर्फ 2% ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किया है, जबकि सिर्फ 8% ने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।[10] पंचम, उच्च गुणवत्ता शोध एवं समाधान आधारित अनुसंधानों की कमी की समस्या, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों एवं परिणामों में खंडन पैदा करती है। अनुसंधान के लिए कम फंड आवंटन, पीएच.डी में निम्न स्तर की उपस्थिति, पंजीकरण, अंतर्विषयक एवं बहु-विषयक अनुसंधान के लिए कम अवसर, अन्य समस्याएं हैं। भारत का अनुसंधान एवं विकास में निवेश, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% - 0.7% है, जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। षष्ठ, भारत में उच्च शिक्षा आन्तरिक उन्मुखी रहा है।[11] विशालतम शिक्षा व्यवस्था होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक व्यवस्था में इसका स्थान काफी न्यूनतम है। भारत की 1.39 बिलियन जनसंख्या जो कि विश्व जनसंख्या का 17% है और भारत को दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनाता है, परंतु भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विदेशी छात्रों का प्रतिशत जो कि 0.85% है, काफी कम है।[12] अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए पहल का अभाव, अनुसन्धान साहित्य एवं शिक्षक-विद्यार्थियों के आदान-प्रदान की कमी ने भी भारतीय उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को सीमित किया है। सप्तम, उच्च शिक्षण संस्थानों की सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं।[13] ज्यादातर विश्वविद्यालय शहरी क्षेत्रों में स्थित है, गाँव एवं दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारी कमी है। ज्यादातर उच्च विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है जिससे गैर-अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम की तुलना में वंचित और पिछड़ जाते हैं। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की सुविधाओं की विपन्नता भी एक अन्य समस्या है।

उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तन्त्र में सुधार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के नवीन पहल

नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हेतु अनेक रचनात्मक एवं नवीन कदम उठाए हैं, जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम है। इसका उद्देश्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी विषयों पर लागू होंगे, जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा भी शामिल है, जिससे उच्च शिक्षा के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी का निर्माण हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम, उच्च शिक्षण संस्थानों को नालेज हबों में स्थानंतरित करने की बात कही गई है ताकि उच्च शिक्षा के विखण्डन को समाप्त किया जा सके। उच्च शिक्षण संस्थानों को पुनर्गठित करने हेतु उसे तीन भागों में बांटा गया है; पहला, शोध-गहन विश्वविद्यालय, जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे; दूसरा, शिक्षण-गहन विश्वविद्यालय, जो गुणवत्ता शिक्षण पर अधिक बल देने वाले होंगे, परंतु महत्वपूर्ण अनुसंधान

का संचालन भी करेंगे; एवं तीसरा, एक स्वायत्त स्नातक डिग्री प्रदान करने वाला कॉलेज (ए. सी.)। यह तीनों प्रकार की संस्थाएं पृथक नहीं है, वरन एक निरंतरता के साथ स्थित होंगी। प्रत्येक नॉलेज हब का लक्ष्य 3000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। इन नॉलेज हब्स के निर्माण से, "छात्रों को सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय निर्माण होगा, विषयों के बीच उपजी खाईयों को पाटने...सक्रिय अनुसन्धान समुदायों, अंतर-अनुशासनिक अनुसन्धान को विकसित करने और संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोतरी में मदद करेगी।[14] द्वितीय, नई नीति में विशेषरुप से बहु-विषयक शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों के लिए कही गई है। एक समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं - बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास : कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता; सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता; व्यावहारिक कौशल जैसे संप्रेषण, चर्चा, वाद-विवाद; और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी।[15] तृतीय, नीति के अनुसार, 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।[16]

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.टी, आई.आई.एम, आदि की तर्ज पर, मेरू (बहु-विषयक, शिक्षा और शोध-विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा।[17] यह विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में बहु-विषयक एवं बड़े विश्वविद्यालयों, जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के सफल इतिहास से प्रेरित है। चतुर्थ नवीन पहल, पाठ्यक्रम को लचीला बनाने की है, जिसमें प्रवेश और निकास बिंदुओं के विकल्प होंगे। इस हेतु स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की अवधि एवं संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए गए हैं। नीति के अनुसार, स्नातक अवधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण-पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री दी जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करेगा और इस दौरान यदि विद्यार्थी किसी निर्दिष्ट विषय पर शोध परियोजना पूर्ण करता है, तो उसे 'शोध सहित' डिग्री भी प्रदान की जा सकती है।[18] स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रारूप में भी अनेक परिवर्तन किए गए हैं, जैसे (क) जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो वे 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कर सकते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित होगा; (ख) जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, वे एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम करेंगे; और (ग) 5 वर्षों का एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम, एक

तीसरा विकल्प होगा। पीएच.डी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एम.फिल. कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा।[19] पंचम, सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट आधारित होंगे। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक (ए.बी.सी.) की स्थापना की जाएगी जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा तथा प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जाएगी।[20] षष्ठ, शिक्षा को समावेशी बनाने तथा वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा।

इनके निर्देश का माध्यम स्थानीय/भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। नीति का उद्देश्य है कि सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% किया जाएगा।[21] शिक्षा की पहुँच सभी तक तथा जीवनपर्यन्त सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित किया जाएगा। सप्तम, भारत में गुणवत्ता युक्त अनुसन्धान को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसन्धान फाउंडेशन (एन.आर.एफ.) की स्थापना की जाएगी, जो विद्वत समीक्षा पर आधारित शोध का वित्तपोषण करेगा तथा देश में अनुसन्धान संस्कृति के विकास में मदद करेगा। अंतर्विषयक अनुसन्धान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को स्थापित किया जाएगा। अष्टम, छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ने एवं रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए शोध-संस्थानों में इंटर्नशिप के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार तथा अध्यापक-शोधार्थीयों के साथ शोध इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।[22] उच्च शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एन.सी.आई.वी.ई.) का गठन किया जाएगा। नवम्, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली को स्वतंत्र एवं सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एच.ई.सी.आई.) की स्थापना की जाएगी। इसके चार स्वतंत्र संस्थाएं होंगी, जो विनियमन, प्रत्यायन, वित्तपोषण और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण के लिए काम करेंगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (एन.एच.ई.आर.सी.), उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक साझा और सिंगल प्वाइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एन.ए.सी.) संस्थाओं का प्रत्यायन नियम-कायदों, सार्वजनिक स्व-प्रकटन, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर करेगा। तीसरा अंग, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एच.ई.जी.सी.) जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण का कार्य करेगा एवं चौथा विभाग सामान्य शिक्षा

परिषद (जी.ई.सी.) होगा, जो उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, जिन्हें 'स्नातक परिणामों' के नाम से जाना जाएगा।[23] एक चरणबद्ध तरीके से 15 वर्ष के भीतर तक कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। अवधारणा यह है कि समय के साथ सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे।[24] उच्च शिक्षा संस्थानों के जटिल नामकरण को दूर कर, सुनिश्चित मानकों के अनुसार मानदंड पूरा करने पर केवल 'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा।[25]

इन सुझावों के अलावा सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण और छात्रों को सहयोग, संकाय सदस्यों की गुणवत्ता, शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि विषयों पर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में उभरते चुनौतियाँ एवं घटनाक्रम तथा भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की अपनी स्थानिक एवं आंतरिक समस्याओं ने उच्च शिक्षा को नए सिरे से पुनर्भाषित एवं पुनर्गठित करने की अपरिहार्यता को स्थापित किया है। इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा अपनाया गया उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण समयोचित है, जिसके तहत उच्च शिक्षा तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की संकल्पना की गई है। निश्चित रूप से अगर इन उपायों का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, तो भविष्य में भारत, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सर्वप्रमुख देशों में से एक होगा। इस शिक्षा नीति ने कई मायने में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारंपरिक संकल्पनाओं एवं संरचनाओं को समाप्त कर नवीन अवधारणाओं एवं तंत्र का सृजन किया है। परंतु इस नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे, नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक दोगुना करने का उद्देश्य है। इसको क्रियान्वित करने के लिए हर सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खोलना पड़ेगा, आने वाले 15 वर्ष तक, जो कि एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है।[26] कोविड महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, ऐसे में उच्च शिक्षा पर निवेश को बढ़ाना सरकार के लिए चुनौती होगी। भारत में अन्तर्विषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार की अकादमिक संस्कृति की आवश्यकता है, उसका नितांत अभाव है। परंतु उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, उपयुक्त धन निवेश तथा उच्च शिक्षा तंत्र के सभी हित धारकों के निष्ठापूर्ण समर्पण से निश्चित ही, भारत के उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सार्थक परिवर्तन लाना संभव होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Ziye Wang & Qingying Zhang, "Higher Education Eco-System Construction and Innovative Talents Cultivating", *Open Journal of Social Sciences,* Vol.7, No.3, March, 2019, p.147 (हिन्दी अनुवादित)
2. वही
3. "How to fix the problems in India's higher education system", *India Today,* April 6, 2021, available on webpage www.indiatoday.in , accessed on 2/1/2022. (हिन्दी अनूदित)
4. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020*, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.2, available on webpage www.education.gov.in , accessed on 3/1/2022
5. वही, पृ.3
6. वही, पृ.3-4
7. वही, पृ.53
8. वही, पृ.53
9. Shubangi Raman, *Vocational Education in the NEP 2020: Opportunities and Challenges*, Social & Political Research Foundation, Nov.10, 2020 (हिन्दी अनूदित)
10. वही
11. Prof. R.M. Joshi, " India's higher education set for global leap", *The New Indian Express,* 1 Aug, 2021, available on webpage www.newindianexpress.com , accessed on 9/1/2022 (हिन्दी अनुवादित)
12. वही
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृ.53
14. वही, पृ.54 (paraphrased)
15. वही, पृ.58
16. वही, पृ.56
17. वही, पृ.60
18. वही, पृ.59-60
19. वही, पृ.60
20. वही, पृ.59-60
21. वही, पृ.56
22. वही, पृ.71
23. वही, पृ.76-77
24. वही, पृ.55
25. वही, पृ.57 (paraphrased)
26. Kapil Viswanathan, " A reality check on NEP, 2020: 6 Major challenges in implementation", *India Today*, 14 Aug, 2020, available on website www.indiatoday.in , accessed on 2/1/2022 (हिन्दी अनूदित)

25.

उच्चतर शिक्षा का विनियमन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

प्रो. राजेंद्र कुमार पाण्डेय
एवं
डॉ. मनोज कुमार शुक्ल
राजनीति विज्ञान विभाग
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

उच्चतर शिक्षा को किसी भी समाज के सतत उन्नयन और नवोन्मेष की परम्परा को प्रवाहमान बनाए रखने के प्रमुख आधार के रूप में देखा जाता है । वस्तुतः आधुनिक समय के ज्ञान आधारित समाजों को जीवंत और गतिमान बनाए रखने के लिए इस बात को अपरिहार्य माना गया है कि इन समाजों में न केवल ज्ञान के सम्यक और समावेशी प्रसार के एक सहज और संतुलित ढांचे का विकास किया जाय वरन जीवन के विविध क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन और उसके अद्यतन की सतत प्रक्रिया के बारे में भी गंभीरता से विचार किया जाय । इस दृष्टि से हर समाज में उच्चतर शिक्षा को एक ऐसे सुगठित तंत्र के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा न केवल उस समाज के ही अपितु मानव मात्र के जीवन को सहज और सुखमय बनाने के लिए शिक्षण और अनुसंधान के कार्य को निर्बाध रूप से अग्रसर किया जाता रहता है । परन्तु इस कार्य को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विनियमन की एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभूत होती है जो उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को समुचित स्वायतत्ता प्रदान करने के साथ ही उनकी वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतों को भी समुचित रूप से पूरी करती रहे ।

वैसे तो संसार में उच्चतर शिक्षा के विनियमन के कई मॉडल प्रचलन में हैं किन्तु भारत जैसे देशों के लिए, जहाँ कुछ ऐतिहासिक कारणों से इस क्षेत्र को शासकीय सहयोग और समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, इस क्षेत्र के विनियमन का विषय एक यक्ष प्रश्न के रूप में रहा है जिसका कोई अंतिम समाधान सहजता से आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि स्वातंत्रयोत्तर काल में जब लोक नीति के निर्माण में समाजवादी विचारों का वर्चस्व सुस्पष्ट था, तब उच्चतर शिक्षा के विनियमन के एक ऐसे तंत्र का विकास किया गया जिसका मूल कार्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को वित्त मुहैया करना ही था। इस क्षेत्र के अन्य सरोकारों की चिंता करने के लिए कोई तंत्र बनाया ही नहीं गया जिस कारण कालांतर में देश में उच्चतर शिक्षा का एक असंतुलित और जड़वत ढांचा अस्तित्व में आया । किन्तु अब इस विषय पर देश में पुनर्विचार का क्रम आरम्भ हुआ है । 2020 में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा

नीति अपने व्यापक फलक के अनुरूप उच्चतर शिक्षा के विनियमन के विषय को भी बड़ी संजीदगी से स्पर्श करती है । अतः प्रस्तुत पत्र में उच्चतर शिक्षा के विनियमन के सम्बन्ध में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है ।

उच्चतर शिक्षा के विनियमन की परम्परा

भारत में उच्चतर शिक्षा के विनियमन की परम्परा वास्तव में अंग्रेजी शासन की देन है । प्राचीन भारत में शिक्षा लोक कल्याण की उद्दात्त भावना से उत्प्रेरित थी और इसलिए लोक कल्याण के मानक ही हर प्रकार की शिक्षा के विनियमन के आधार विन्दु थे ।[1] कमोवेश इसी प्रकार की दृष्टि मध्यकाल के दौरान भी प्रचलित रही जिसके चलते शिक्षा हर दृष्टि से राज्य के नियंत्रण और विनियमन के दायरे से बाहर ही रही । किन्तु देश में अंग्रेजी शासन के आगमन के पश्चात शिक्षा और विशेषकर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य चिंतन का समावेश होने लगा जिसके कारण उसी प्रकार के नियंत्रण और विनियमन की परम्पराओं का भी प्रादुर्भाव होने लगा । उदाहरण के लिए, पश्चिम में उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कुछ परोपकारी व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारों द्वारा भी की गई । इसलिए दोनों प्रकार के संस्थानों की गतिविधियों को सम्यक ढंग से संचालित करने के लिए समान विनियमन प्रणाली का विकास किया गया । इसी प्रकार जब भारत में अंग्रेजों द्वारा बड़े-बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई तो उनके समान विनियमन के लिए एक नियामक प्रणाली की स्थापना का विषय भी सरकार के समक्ष उठ खड़ा हुआ ।

स्वतन्त्रता के पश्चात देश में उच्चतर शिक्षा के विनियमन को समेकित रूप देने के लिए संसद ने 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम पारित किया । तत्पश्चात उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता के मानदंडों के निर्धारण, सुनिश्चय्न और समन्वय के लिए इसी वर्ष यूजीसी की स्थापना की गई । इसके साथ ही कुछ निश्चित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के वित्तपोषण का कार्य भी इसे सौंपा गया । वर्तमान समय में शिक्षा के समवर्ती सूची का विषय का होने के कारण इसके विनियमन में राज्य सरकारों की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है । इनके अतिरिक्त उन तकनीकी, व्यवसायिक और विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के विनियमन के लिए पृथक नियामक निकायों की स्थापना भी की गई जिनके विनियमन में विशेष प्रकार के कौशल और अपरिहार्यताओं की आवश्यकता महसूस की गई । इस प्रकार वर्तमान में भारत में उच्चतर शिक्षा के विनियमन का गुरुत्तर दायित्व यूजीसी के अतिरिक्त चौदह अन्य ऐसे निकायों के जिम्मे है जो अपने-अपने विषयों में विशेषज्ञतापूर्ण कार्य निष्पादन का कौशल रखते हैं । इनमें से जहाँ यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण का भी दायित्व है वहीं शेष अन्य नियामकीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में

विदेशी विश्वविद्यालयों समेत सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में मानकों के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन के कार्य का निष्पादन करते हैं ।

उच्चतर शिक्षा के विनियमन की दृष्टि से वर्तमान नियामकीय प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा संतोषजनक नहीं माना गया है । यूजीसी नामक जिस संगठन को इस नियामकीय प्रणाली की धुरी के रूप में निरुपित किया गया है वह कालांतर में केवल कतिपय उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के वित्तपोषण के यन्त्र के रूप में परिवर्तित होकर रह गया प्रतीत होता है । इस तथ्य के बावजूद कि भारत जैसे देशों में जहाँ आरम्भ में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय वित्तपोषण की अतिशय आवश्यकता महसूस की गई थी और तदनुरूप संस्थागत ढाँचे का विकास भी किया गया था, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का कार्य भी कमोबेश उतना ही महत्वपूर्ण था जिसका निष्पादन करने में कदाचित यूजीसी जैसे नियामकीय निकाय सर्वथा सफल नहीं रहे हैं । साथ ही उच्चतर शिक्षा के स्वरुप को बदलते समय के अनुरूप पुनर्निर्धारित करने के महती प्रयत्न में भी भारत के नियामकीय निकाय काफी प्रमाण में असफल रहे हैं । कुछ संस्थानों के हाथों में उच्चतर शिक्षा के विनियमन की समग्र शक्तियों का संकेन्द्रण वस्तुतः उन्हें अधिक कार्यकुशल और गतिशील बनाने के स्थान पर उन्हें ज्यादा अकर्मण्य और कुछ हद तक भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में उभारने के लिए उत्तरदायी रहे हैं ।[2]

भारत में उच्चतर शिक्षा के विनियमन की इन चुनौतियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भलीभांति परिचित दृष्टिगोचर होती है । इसलिए इस नीति में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि 'दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है, जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है । विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है - जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीयकरण, इन निकायों के बीच स्व-हितों का टकराव होता रहा है, जिसके परिणामस्वरुप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है ।'[3] इस प्रकार विनियमन की चुनौतियाँ भी संभवतः उन कारणों में से एक रही हैं जिनके कारण भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षण और शोध में उच्चता के उन प्रतिमानों को स्पर्श नहीं कर पाए जो उन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शुमार होने में सहायता करतीं । इन असहज परिस्थितियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा की नियामकीय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की संस्तुति करती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण

वास्तव में उच्चतर शिक्षा का विनियमन एक जटिल और व्यापक कार्य है जिसके कई अहम् आयाम हैं । उदाहरण के लिए, उच्चतर शिक्षा की नियामकीय प्रणाली के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों में विनियमन, प्रत्यायन, वित्तपोषण और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण के कार्यों को तो अनिवार्य रूप से

सम्मिलित करना ही होगा । वस्तुतः ये चारों ही कार्य स्वयं में विशिष्ट हैं और इनके निष्पादन के लिए अलग प्रकार की विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है । परन्तु मौजूदा नियामक प्रणाली में इन सारे कार्यों को इस प्रकार गड्डमगड्ड कर दिया गया है कि किसी भी कार्य के निष्पादन में न तो कोई विशेष मानक दृष्टिगोचर होते हैं और न ही उनके निष्पादन के लिए कोई विशिष्ट संस्थागत व्यवस्था ही दृश्यमान होती है । इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विषय में समग्र और संतुलित चिंतन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 'उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थानों/व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किये जायेंगे । यह सिस्टम में चेक-एंड-बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को ख़त्म करने के लिए आवश्यक है ।'[4]

उच्चतर शिक्षा के विनियमन की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य को क्रांतिकारी माना जा सकता है क्योंकि यह मौजूदा व्यवस्थाओं को पूर्णरूपेण खंडित कर उनके स्थान पर सर्वथा एक नवीन व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने की पक्षधर है । यह नीति उच्चतर शिक्षा के विनियमन को एक ऐसे ढांचे के अंतर्गत लाना चाहती है जहाँ कार्यों और शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण के साथ-साथ उनके मध्य समन्वय के लक्ष्य की भी अनदेखी न हो । दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा की नियामकीय प्रणाली को विनियमन, प्रत्यायन, वित्तपोषण और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे चार प्रमुख खण्डों में विभाजित कर प्रत्येक के लिए एक पृथक और विशिष्ट संस्थानिक व्यवस्था को खड़ी करे के पक्ष में है । यह उच्चतर शिक्षा के विनियमन का विकेन्द्रित मॉडल होगा जहाँ प्रत्येक संस्था अपने निश्चित कार्य के निष्पादन में स्वतंत्र और सक्षम होगी । स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के विकेन्द्रित मॉडल में समन्वय और तारतम्यता की समस्या का उभरना अपरिहार्य होगा और इसलिए इन समस्याओं को निर्मूल करने के लिए एक प्रमुख संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा जिसके तहत चार स्वतंत्र संस्थाएं स्वायत्त रूप से अपने कार्य का निष्पादन करेंगी ।[5]

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के अंतर्गत स्थापित होने वाले प्रथम स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (एनएचईआरसी) की कल्पना की गई है जो चिकित्सीय और विधिक शिक्षा को छोड़कर उच्चतर शिक्षा के अन्य सभी आयामों के लिए एक साझे और एकल-विन्दु नियामक के रुप में कार्य करेगी । इस परिषद द्वारा 'वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वित्त संबंधी मसलों का स्व-प्रकटीकरण, ऑडिट, प्रक्रियायों, इंफ्रास्ट्रक्चर, संकाय/कर्मचारी, पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा ।'[6] वस्तुतः यही वह निकाय होगा जिसे यूजीसी के उस स्थानापन्न के रूप में विचार किया जा रहा है जिसे शासन द्वारा प्रदान किये

गया वित्तीय सहयोग के व्यय के उपरान्त होने वाली लेखा परीक्षण संबंधी गतिविधियों को निष्पादित करना होगा । दूसरे शब्दों में, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वित्त संबंधी अनुदान के अधिकार इस निकाय के पास नहीं होगें और इसे केवल प्रदान किये गए वित्त के समुचित व्यय के सुनिश्चयन का कार्य करना होगा । साथ ही इस निकाय को छात्रों सहित उच्चतर शिक्षा के विभिन्न हितधारकों की शिकायतों को सुनने और उनका निदान करने का भी कार्य दिया जाएगा । इस निकाय के कार्यों के निष्पादन में उपलब्ध सूचना और संचार तकनीक के उन्नत साधनों के भरपूर उपयोग की बात भी इस नीति में कही गई है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि उच्चतर शिक्षा के विनियमन को प्रभावी और उपादेयी बनाने लिए प्रत्यायन के कार्य को काफी संजीदगी के साथ करना होगा । अतः उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के प्रत्यायन के महती कार्य को वर्तमान जीर्णशीर्ण समझी जाने वाली प्रक्रिया से उबार कर सटीक और संकेंद्रित बनाने के लिए यह शिक्षा नीति एक 'मेटा-अक्क्रेडेटिंग'[7] निकाय की स्थापना की संस्तुति करती है जो सर्वोच्च नियामक निकाय अर्थात भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का द्वितीय अंग होगा । राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) के नाम से जाने जानी वाली यह इकाई वर्तमान समय में कार्यरत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) का स्थान लेगी और एचईसीआई के अंतर्गत स्वायत्त रूप से कार्य करेगी । इस शिक्षा नीति में प्रत्यायन के पूरे प्रकल्प को प्रस्तावित एनएसी द्वारा कुछ आधारभूत नियमों-विनियमों, सार्वजनिक स्व-प्रकटन, सबल प्रशासन और अपेक्षित परिणामों के आधार पर विविध उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्तरीकृत (ग्रेडेड) मान्यता देने के कार्य के रूप में निरुपित किया गया है जिसका निकष इस संस्थानों द्वारा स्वायतत्ता, स्व-प्रशासन और गुणवत्ता के तय मानकों को प्राप्त करने के रूप में मिलना अपेक्षित है ।

भारत जैसे देशों में चूँकि उच्चतर शिक्षा जैसे सामाजिक विकास के कार्यों का सरकार द्वारा वित्तपोषण एक अपरिहार्य दायित्व है, इसलिए उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के विनियमन का कोई भी प्रारूप बिना अनुदान प्रदाता निकाय की संकल्पना किये पूर्ण ही नहीं हो सकता है । इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) नामक एक पृथक निकाय के गठन की संस्तुति करती है जो एचईसीआई के तीसरे महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करेगा । इस प्रकार वर्तमान में यूजीसी द्वारा चयनित उच्चतर शिक्षण संस्थानों को जो वित्तपोषण का कार्य किया जाता है वह पूर्णरूपेण प्रस्तावित एचईजीसी के अधिकारक्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएगा । एचईजीसी के संभावित कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा नीति यह संकेत करती है कि उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण के साथ-साथ इसे 'छात्रवृति के वितरण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने और बहु-विषयी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों का कार्य भार सौंपा

जाएगा ।'[8] इस प्रकार उच्चतर शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण समेत इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के आर्थिक हितों की चिंता का कार्य समग्र रूप से उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) को सुपुर्द कर दिया जाएगा ।

उच्चतर शिक्षा के प्रस्तावित नूतन नियामकीय तानेबाने के अंतिम महत्वपूर्ण अवयव के रूप में सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) के गठन की कल्पना है जिसका मूल कार्य उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों हेतु अपेक्षित परिणाम (आउटकम) तय करना है जिसे इस शिक्षा नीति में 'स्नातक परिणामों' के नाम से उद्बोधित किया गया है । इस दिशा में जीईसी का प्रथम कार्य एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) को विकसित करने का रहेगा जिसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ तर्कसंगत बनाया जाएगा जिससे उच्चतर शिक्षा को सहजता से व्यवसायिक शिक्षा के साथ समन्वित किया जा सके । 'इसके अलावा जीईसी, एनएचईक्यूएफ के माध्यम से क्रेडिट ट्रान्सफर, समानक आदि मुद्दों के लिए समानुरूप और सुविधाजनक मानदंड तय करेगा । जीईसी उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों के अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21वीं शताब्दी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए ।' [9] दूसरे शब्दों में, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणामों से सम्बंधित समस्त कार्यों के निष्पादन हेतु अब केवल एक ही इकाई रहेगी जिसे परिणाम मानदंडों के निर्धारण से लेकर उनके नामकरण और समानकता के निर्धारण सहित तमाम ऐसे कार्यों को करना पड़ेगा जो अभी तक यूजीसी के द्वारा किये जाते रहे हैं ।

सामान्य या गैर-व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं के विनियमन के स्वरुप में परिवर्तन का प्रारूप प्रस्तुत करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विनियमन के वर्तमान ढाँचे को पुनर्गठित करने की बात करती है । नीति में वर्णित दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान में कार्यरत विविध नियामक संस्थाओं जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वेटेरनरी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, आर्किटेक्चर काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद आदि का पुनर्गठन कर एक नवीन नियामकीय इकाई की स्थापना की जायेगी जिसे व्यवसायिक मानक सेटिंग निकाय (पीएसएसबी)[10] के नाम से जाना जाएगा । वैसे तो इस निकाय का अपना पृथक अस्तित्व रहेगा किन्तु देश में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के कतिपय मानकों विशेषकर स्नातक परिणामों में समरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से पीएसएसबी को जीईसी के सदस्य के रूप में सम्मिलित करने का विचार किया गया है । परन्तु जीईसी का सदस्य बनने के पश्चात भी पीएसएसबी व्यवसायिक शिक्षा के विविध क्षेत्रों में पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक मानकों के निरूपण और किसी विषय विशेष के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य निर्बाध रूप से

जारी रखेगा । इस तरह व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विनियमन की प्रचलित पद्धति के स्थान पर नूतन व्यवस्था का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है ।

वर्तमान समय में मौजूद उच्चतर शिक्षा - व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक दोनों - के विभिन्न नियामकीय निकायों के स्थान पर नवीन इकाइयों की स्थापना का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन निकायों के कार्यात्मक सिद्धांतों और उनके अंतर्संबंधों के विविध आयामों पर भी प्रकाश डालती है । इस नीति में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित नियामकीय प्रणाली विविध नियामक इकाइयों के मध्य हितों के संघर्ष को निर्मूल करेगी और प्रत्येक इकाई के कार्यों और उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट करते हुए उनमें उत्कृष्टता के प्रतिमान स्थापित करने का क्रम विकसित करेगी । दूसरे शब्दों में, नवीन नियामकीय प्रणाली कतिपय आधारभूत विन्दुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं को द्विगुणित उर्जा और संबल प्रदान करेगी । इस दृष्टि से प्रस्तावित नियामकीय व्यवस्था के लिए निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के मध्य कोई अंतर नहीं रहेगा और यह सम्यक भाव से प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान के उन्नयन और संपोषण के अपने महती लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहेगी । नवीन नियामक निकाय वास्तव में इस प्रकार कार्य करेंगे कि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण के साथ-साथ वे स्वयं को भी सशक्त बनाए रखेंगे और अपने क्रमिक विकास को भी अवरुद्ध नहीं होने देंगे ।

नवीन नियामकीय इकाइयों के कार्यकरण के दिशा-निर्देशों को निरुपित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह अपेक्षा करती है कि सभी स्वतंत्र संस्थायें सार्वजनिक प्रकटीकरण की नीति के अनुरूप कार्य करेंगी । अपने कार्यों में उत्कृष्टता, दक्षता तथा पारदर्शिता के सार्वभौमिक मानकों के अनुपालन के साथ-साथ वे लोगों से न्यूनतम अंतःक्रिया (इंटरफ़ेस) के सिद्धांत के आधार को भी मनोगत रखेंगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा । ये नियामकीय निकाय वर्तमान समय में प्रचलित सूत्र 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के आदर्श को क्रियारूप देते हुए प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का पहचान-मुक्त और पारदर्शी नियमन करेंगी । उच्चतर शिक्षा के विनियमन की शीर्ष संस्था होने के कारण एचईसीआई न केवल नियमन, मान्यता, निधियन और अकादमिक मूल्यांकन जैसे कार्यों के स्थापित पृथक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के महती दायित्व का निर्वहन करेगी अपितु उनके मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में तथ्य या प्रक्रिया के निरूपण का अंतिम अधिकार भी इसी के पास होगा । यद्यपि उच्चतर शिक्षा के विनियमन के विविध आयामों के कार्य निष्पादन हेतु अलग-अलग निकाय होंगे तथापि एचईसीआई का अपना एक संस्थागत ढांचा होगा जिसे विशिष्ट अनुभव, सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध और सामाजिक सरोकारों से अनुप्राणित विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा ।

उच्चतर शिक्षा के नवीन नियामक निकाय समग्रता से कार्य करते हुए कुछ निश्चित जनोपयोगी लक्ष्यों की प्राप्ति के वाहक भी बनेंगे । इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषद संकेत शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने की तरह भी है । हालाँकि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के उच्चतर शिक्षा संस्थान पर्याप्त स्वायत्तता का उपयोग करते हुए उत्कृष्टता और नवोन्मेष के पथ पर गतिमान रहने के लिए हर प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र और सक्षम होंगे, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार से परोपकार और जन कल्याण के मार्ग से विमुख होने की छूट नहीं दी जायेगी । या यूँ भी कह सकते हैं कि हर प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के लिए आधारभूत मानदंड परोपकार और जन कल्याण का रहेगा जिसके निर्वहन के क्रम में उन्हें स्व-शासन की अधिकतम शक्तियां दी जायेंगी । इस स्व-शासन की धुरी के रूप में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में एक नए निकाय अर्थात बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (बीओजी) की कल्पना प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी प्रशासन और कुशल नेतृत्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा । बीओजी का निर्माण हर उच्चतर शिक्षण संस्थान का अपना विशिष्ट अधिकार होगा और इसमें किसी बाह्य शक्ति द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उच्चतर शिक्षा के विनियमन की जिस रुपरेखा का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के कतिपय संशय खड़े होते हैं । यद्यपि इस शिक्षा नीति की व्यवहारिक उपादेयता के कोई भी प्रतिदर्श इसके क्रियान्वयन के कुछ वर्षों के पश्चात ही दृष्टिगोचर होंगे तथापि इसके द्वारा प्रस्तुत संरचना के कतिपय विन्दुओं का मूल्यांकन लोक प्रशासन के स्थापित मानदंडों और भारतीय प्रशासन की व्यवहारिक परंपराओं के आधार पर किया जा सकता है । यह सही है कि इस शिक्षा नीति के महती लक्ष्य के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देकर इसे वर्तमान समय के सामाजिक और आर्थिक यथार्थ के साथ जोड़ना है किन्तु मूल प्रश्न इसके सम्यक और विधिवत क्रियान्वयन का है जिसे धरातल पर उतारने में नि:संदेह अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ।

रोचक बात यह भी है कि कार्य की सुगमता के लिए देश में सुविचारित एकल खिड़की (सिंगल विंडो) प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य इस शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित उच्चतर शिक्षा के अनेक नियामकीय निकाय इस क्षेत्र के विकास के साधक बनेंगे या बाधक, यह भी भविष्य के गर्भ में ही छिपा है । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस सरकार का मूल मंत्र ही न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन हो उसके द्वारा ही उच्चतर शिक्षा के विनियमन के लिए इतने सारे पृथक निकायों का निर्माण वस्तुतः न केवल इसकी अपनी घोषित नीति के विरुद्ध जाता प्रतीत होता है अपितु नवीन नियामक व्यवस्था में कार्यक्षेत्र के निरूपण और समन्वय की समस्या विकराल रूप में उभरती दृष्टिगोचर

हो रही है । इतनी सारी नियामकीय इकाइयों के निर्माण से लोक प्रशासन के पार्किन्सन के नियम के अनुसार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक तंत्र का विस्तार होगा जो अंततः अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक सिद्ध हो सकता है । हालाँकि एचईसीआई को समन्वयक की भूमिका के रूप में निरुपित किया गया है किन्तु मूल प्रश्न है कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण ही क्यों जिसकी प्रथम विशेषता समन्वय के संकट के रूप में हो ।

भारत जैसे देशों में जहाँ एक भी नवीन कानून का निर्माण या नियामकीय संस्था की रचना भ्रष्टाचार का विस्तार और जीवन की असहजता के नए मानकों का सृजन करता दृष्टिगोचर होता हो, वहां उच्चतर शिक्षा जैसे समाजोपयोगी क्षेत्र में कई प्रकार के पृथक नियामकीय निकायों की रचना का विचार निश्चित रूप में इस क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर और जन मानस के लिए विशेष रूप से श्रेयस्कर नहीं प्रतीत होता है । इस स्थिति की भयावहता का परिमाण तब और भी बढ़ जाता है जब कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बड़े जोशोखरोश से बढ़ाने की बात की जा रही हो ।[11] चूँकि निजी क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को येनकेनप्रकारेण प्राप्त कर लेने की जिजीविषा रहती है और इसके लिए विधिवत एक निधि की ही स्थापना कर दी जाती है, इसलिए विविध नियामकीय संस्थाओं का गठन देश में भ्रष्टाचार और कदाचार को भी वैविध्य प्रदान करेगा जिसका अंतिम खामियाजा निरीह विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि ऐसी मान्यता है निजी क्षेत्र व्यय किये गए हर एक रूपये के बदले सौ रूपये कमाने का लक्ष्य रखता है । इस प्रकार उच्चतर शिक्षा के विनियमन के क्रम में सत्यनिष्ठा और सदाचार को बनाए रखना भी इस नीति के क्रियान्वयन की एक बड़ी चुनौती होगी ।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नि:संदेह भारत में विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज है । यह नीति वस्तुतः इस संकल्पना के साथ अपने विषय को आगे बढ़ाती प्रतीत होती है कि इस क्षेत्र में पिछले पचहत्तर वर्षों में जो कुछ भी हुआ है वह सब का सब पाश्चात्य जगत से अभिप्रेरित होने के कारण अनुपयोगी और निरर्थक रहा है । इसलिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर इसके विनियमन के स्वरुप के संदर्भ में, यह नीति वर्तमान ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का न केवल विचार व्यक्त करती है वरन उसकी एक दीर्घकालिक रुपरेखा भी प्रस्तुत करती है । यद्यपि इस नीति में अभिव्यक्त उच्चतर शिक्षा के विनियमन के नवीन दांचे की संरचना और स्वरुप के विषय में कतिपय सैद्धांतिक संशय पैदा होते हैं तथापि इन संशयों के आधार पर इस नीति की सुविचारित संस्तुतियों को अस्वीकार करना उचित नहीं रहेगा । इसलिए जिन प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति नहीं

दे पाता है, समय अवश्य दे देता है । अतः हमें अपने अनेक संशयों और सम्भ्रमों को फिलहाल के लिए दरकिनार करते हुए इस नीति के समुचित और समग्र क्रियान्वयन तक धैर्य रखने की आवश्यकता है । उसके पश्चात ही यह पता लग सकेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या अपेक्षित था और क्या प्राप्त हो रहा है ।

संदर्भ-सूची

---

[1] राज भूषण मौर्य, "प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं दृष्टि का विश्लेषण: समसामयिक संदर्भ में", *इंद्रप्रस्थ शोध संदर्श,* वर्ष-1, अंक-2, अक्टूबर 2020, पृ. 34

[2] कालांतर में भारत में उच्चतर शिक्षा की दशा और दिशा के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए इस पुस्तक में संकलित पत्रों को देखें, जयंधाला बी. जी. तिलक (सं.), *हायर एजुकेशन इन इंडिया: इन सर्च ऑफ़ इक्वलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी*, नयी दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2013

[3] भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020*, नयी दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2020, पृ. 75

[4] तदैव

[5] तदैव, पृ. 75-76

[6] तदैव, पृ. 76

[7] तदैव

[8] तदैव, पृ. 77

[9] तदैव

[10] तदैव

[11] देखें, राजेंद्र कुमार पाण्डेय, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निजीकरण की चुनौतियां', *लोक प्रशासन,* खंड-13, अंक-2, जुलाई-दिसम्बर, 2021, पृ. 49-60

26.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पूर्वोत्तर भारत: अवसर एवं चुनौतियाँ

डॉ.अमित कुमार गुप्ता
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
सिक्किम विश्वविदयालय. गंगटोक

डॉ. प्रदीप त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक
हिंदी विभाग
सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक

ऐतिहासिक रूप से भारत को ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत के रूप में शुमार किया जाता है। विशेष रूप से तक्षशिला (5 वीं शताब्दी ई. पू.), नालंदा (5 वीं शताब्दी), ओदंतपुरी (छठी शताब्दी), विक्रमशिला (8वीं शताब्दी), सोमपुरा महाविहार- वर्तमान बांग्लादेश (8वीं शताब्दी), जगदला (11वीं शताब्दी), नागार्जुन कोंडा (15वीं शताब्दी), शारदा पीठ (6वीं शताब्दी), वल्लभी (6वीं शताब्दी), वाराणसी (8वीं शताब्दी), कांचीपुरम (पहली शताब्दी), और मान्याखेत (8वीं शताब्दी) तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान अपने ज्ञानार्जन के लिए पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं (All India Council for Technical Education)। वेद, पुराण और उपनिषद जैसे ग्रंथों का ज्ञान परंपरा के विस्तार में अप्रतिम योगदान है। गणित के क्षेत्र में, प्राचीन भारतीय विद्वानों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय तथा अन्य विद्वानों ने शून्य, अंकन प्रणाली एवं दशमलव प्रणाली के उपयोग से गणित के अध्ययन और अनुसंधान की दिशा को और भी विकसित किया। एक अंग्रेज इतिहासकार एच. जी. रॉलिन्सन के अनुसार, पाइथागोरस द्वारा बताए गए धर्म, दर्शन और गणित से संबंधित लगभग सभी सिद्धांत भारत में छठी शताब्दी ई. पू. में जाने जाते थे, जिसका श्रेय बौद्धायन को जाता है। इसी तरह सुश्रुत ने 800 ईसा पूर्व में राइनोप्लास्टी एवं सैकड़ों अन्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और उपचारों का दस्तावेजीकरण किया। एक अवसर पर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा: "हम उन भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी।" अतीत में भारत की समृद्ध ज्ञान प्रणाली के ऐसे बहुसंख्यक आख्यान हैं, जिसकी चर्चा नितांत आवश्यक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 21वीं सदी में भी, भारत को एक ज्ञान-उत्पादक मशीन के रूप में माना जाता है। इस कड़ी में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एवं अंतरराष्ट्रीय समुदायों को प्राथमिक तौर पर रेखांकित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हुए बहुत आश्चर्य किए बिना, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को अक्सर अपने देश के नागरिकों से वादा करते हुए देखा गया था कि वह अमेरिकी शिक्षा के स्तर को इतने उच्च मानकों तक सुधारेंगे। ताकि अमेरिकी छात्रों को भारत और चीन के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाया जा सके। भारतीय

IIT और IIM संस्थानों को दुनिया के अग्रणी इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों के बराबर माना जाता है। इन संस्थानों के उत्पादों को दुनिया भर की शीर्ष कंपनियों में स्थान मिलता है और यह सब इन संस्थानों की प्रतिभा और कौशल का परिणाम है।

इस प्रकार, कोई पूछ सकता है कि भारत की मजबूत शिक्षा प्रणाली एवं उत्तरोत्तर उन्नयन के पीछे मूल वजह क्या हो सकती है ? इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इस मजबूती के पीछे एक अनिवार्य कारण यह है कि भारत की शिक्षा प्रणाली ने लगातार और सफलतापूर्वक बदलते समय का अनुपालन किया है, यह सब उसके समृद्ध इतिहास का प्रतिफल है। समय सापेक्षता ही इस प्रगति का मूल कारक माना जा सकता है। इसके साथ ही यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के 74 वर्षों की इस छोटी सी अवधि में भारत सरकार ने तीन प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को अपनाया है, विशेष रूप से वर्ष 1968, 1986 और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों और विशेष रूप से शिक्षा प्रणाली के मौलिक पुनर्गठन के उद्देश्य की नीति पर आधारित थी, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनाया गया था। इसने मुख्य रूप से सभी के लिए समान और समावेशी शैक्षिक अवसरों की मांग की, इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता और अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास प्राप्त करना था (National Policy on Education, 1968)। इसी प्रकार 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने असमानताओं को दूर करने और विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए एक समान शिक्षा प्रदान का अवसर **प्रदान करने** की मांग की (National Policy on Education, 1986)। वर्ष 1992 में 1986 की शिक्षा नीति को और अधिक परिष्कृत किया गया। हाल ही में इन परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (वर्तमान शिक्षा मंत्रालय) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तुत शोध-आलेख में सामान्य रूप से NEP 2020 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का विश्लेषण तथा शिक्षा नीति द्वारा प्रदत्त अवसरों एवं चुनौतियों का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या दूरगामी प्रतिफलन क्या होगा, इसकी प्रभावशीलता एवं संभावनाओं की ओर कई महत्त्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत शोध-पत्र में किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को ज्ञान परंपरा का एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है। यह सर्वसमावेशी उद्देश्यों के साथ भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों की कल्पना करता है: (University Grants Commission, 2020; Shubhada and Niranth, 2021)

1. यह क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप 5+3+3+4 की संरचना पर आधारित विशेष पाठ्यचर्या पद्धति है।

2. भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा इसमें उच्च शिक्षा के स्तर पर मल्टी डिसिप्लीनरी पद्धति पर विशेष ज़ोर दिया गया है। शिक्षण पद्धति के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा (मातृभाषा) को स्वीकार्यता प्रदान की गई है। निश्चित रूप से इससे स्थानीय भाषाओं का प्रत्येक स्तर पर विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उल्लेखनीय है कि संस्थान स्नातक स्तर पर कौशल आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान अभिविन्यास पर जोर देने के साथ बहु-विषयक पाठ्यक्रम भी प्रदान करेंगे।

3. उच्च शिक्षा में एक सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति तथा क्षमता को विस्तार देने के निमित्त एक नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन की स्थापना प्रस्तावित है। इसका मुख्य लक्ष्य विश्वविद्यालयों के जरिये शोध की संस्कृति एवं बहुविषयक समवेशी संस्कृति को विस्तारित करना है। अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तार एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित भी इसका ध्येय है।

4. संस्थागत स्वायत्तता को मजबूती प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की प्रतिबद्धता निश्चित रूप से उल्लेखनीय है।

5. पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार एवं संशोधन की संभावनाएं बढ़ी हैं।

6. उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक प्राधिकरण आदि इस शिक्षा नीति की मूलभूत विशेषताओं में शामिल है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षित व्यक्तियों की उच्च बेरोजगारी दर के मुद्दे को प्रमुखता के साथ चिन्हित कर रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में सामान्य स्तर पर शिक्षित व्यक्तियों (माध्यमिक और ऊपर) की अनुमानित बेरोजगारी दर 11.4% थी। यह देश में औसत बेरोजगारी दर 6.1% (Economic Times, 2019) से बहुत अधिक है और यह देखते हुए कि भारत की आधी आबादी 25 वर्ष से कम है और लगभग 66% आबादी 35 से कम उम्र की है, यह छोटा प्रतिशत भी एक बहुत बड़ी संख्या है। संयुक्त राष्ट्र (UN) का मानना है कि 2027 तक भारत वैश्विक स्तर पर अपनी कार्य पद्धति के कारण लगभग पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा, जो स्वचालित रूप से और अब तक, दुनिया में सबसे बड़ा होगा। भारत को रोजगार के अवसरों की सख्त जरूरत है, निश्चित रूप से हमारी अद्यतन शिक्षा नीति कई मायनों में रोजगार सृजन एवं तमाम अवसरों के सृजन में एक बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है (Business Today.in, 2020)।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी एवं बहुविषयक शिक्षा पद्धति पर विशेष ज़ोर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली एवं उसके निहितार्थ तक पहुंचना है, ताकि पूरे भारत में व्यापक स्तर पर छात्रों की कार्य-क्षमता निर्माण सुनिश्चित की जा

सके। इसका उद्देश्य मानव की सभी क्षमताओं, विशेष रूप से बौद्धिक, कलात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक पहलुओं को संयुक्त रूप से विकसित करना है। इस तरह की समग्र शिक्षा पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों में अपनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, यहां तक कि IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को भी कला और मानविकी से संबंधित विषयों को शुरू करके अधिक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। इसी तरह, कला और मानविकी के छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा साथ ही सभी संस्थान अधिक व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल्स को शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, नए विभाग, जैसे कि भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, इंडोलॉजी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल और अनुवाद आदि भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित और विकसित किए जाएँ। इसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा संस्थानों से स्टार्ट-अप ऊष्मायन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्र स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। हमारे लिए यह जरूरी होगा कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अधिक से अधिक उद्योग शैक्षणिक संबंध और अंतःविषयक अनुसंधान क्षेत्रों को स्थापित करें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज़, 2020 के अनुसार, IIT, IIM, आदि के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए सार्वजनिक विश्वविद्यालय मॉडल, जिन्हें MERU (बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय) कहा जाता है, की स्थापना की जानी है, जिसका मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक हासिल करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अन्य प्रमुख नवाचार एक 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) शुरू करना है जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा, ताकि इनमें से किसी भी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके। (University Grants Commission, 2020)

अंतर्राष्ट्रीयकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक वैश्विक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भी बढ़ावा देने का प्रयास करती है जो कि कम कीमत पर उत्तम शिक्षा प्रदान करता है। इसके लिए, बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत क्रेडिट हस्तांतरण के प्रावधानों को शुरू करके उन्हें अधिक गतिशील बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। भारतीय छात्रों को विदेशों में और इसके समानांतर अन्य संस्थानों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में

एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। कार्यालय को मुख्य रूप से विदेशी छात्रों के समन्वय और मेजबानी का काम सौंपा जाएगा। इसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रकार चयनित विश्वविद्यालयों को उदाहरण के लिए दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में उन्हें भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी। (ibid.)

इन सब के साथ, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभिक जोर हर तरह से देश के हर कोने में सर्वांगीण समावेशी विकास और गुणवत्ता वाले मानव संसाधन के विकास पर रहा है। इसके पश्चात् यहाँ भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज़ के निहितार्थ और अवसरों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

पूर्वोत्तर भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

पूर्वोत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई दृष्टियों से अहम है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में भाषाओं के विकास एवं संवर्धन की चर्चा प्रमुखता से की जा रही है। इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, यह एक अनुसंधान का विषय है किन्तु प्रथम द्रष्टया देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करना निश्चित रूप से सुखद है। भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो पूर्वोत्तर भारत की भाषायी विरासत अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प है। पूर्वोत्तर भारत में तकरीबन आधी दर्जन भाषाओं को संवैधानिक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिनमें प्रमुख रूप से असम राज्य में असमिया तथा बोड़ो, सिक्किम तथा निकटवर्ती अन्य राज्यों में नेपाली, मणिपुर में मणिपुरी, त्रिपुरा तथा असम की बराक घाटी में बांग्ला भाषा का प्रयोग भारतीय भाषाओं के रूप में उल्लेखनीय है।

पूर्वोत्तर भारत में लगभग दो सौ के करीब भाषाएं और बोलियाँ चलन में हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी कोई अपनी स्वतंत्र लिपि ही नहीं है, कुछ ऐसी भी भाषाएँ हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं अथवा लुप्त हो चुकी हैं। सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राई, भुजेल, गुरुङ, मंगर एवं शेर्पा जैसी भाषाएँ लुप्त प्राय भाषाओं की कोटि में शामिल हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित लुप्त प्राय भाषा केंद्र द्वारा इन भाषाओं के संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में शब्दकोश निर्माण एवं लिपि अन्वेषण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मेघालय में ख़ासी, गारो एवं जयंतिया, नागालैंड में आओ, लोथा और सुमी जैसी कई ऐसी भाषाएँ हैं जिनका शैक्षणिक एवं साहित्यिक स्तर पर जैसा विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रावधान के अनुसार पाँचवीं कक्षा तक रूप मातृभाषाओं में शिक्षा दिए जाने का निर्णय कई दृष्टियों से सराहनीय है। इससे स्थानीय भाषाओं के विकास एवं सरंक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास को संबल मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की अनुमानित 6000 बोली जाने वाली भाषाओं में से लगभग 43 %

भाषाएँ आज खतरे में हैं। हर दो सप्ताह में एक भाषा पूरी तरह से लुप्त हो रही है। दुनिया में 40 % लोगों के पास उस भाषा में शिक्षा नहीं है, जिसे वह समझते हैं। इस संकट से पूर्वोत्तर भारत भी अछूता नहीं है। तीव्र गति से हो रहे भाषायी क्षरण, भाषायी अस्मिता के संकट एवं दूसरी भाषाओं के मध्य बढ़ती दूरियों के साथ एक समावेशी सामंजस्य और संयोजन की दृष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना निश्चित रूप से एक सुदृढ़ सेतु के रूप में महत्वपूर्ण है।

एक प्रकार से देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये स्थानीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयास के कारण इस शिक्षा नीति की स्वीकार्यता हिंदीतर प्रांतों में अधिक है। सही मायने में यदि अपनी संकल्पना के अनुसार इसका क्रियान्वयन होता है तो निकट भविष्य में शैक्षणिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में रोजगार सृजन के कई नए मार्ग प्रशस्त होंगे, यह नई शिक्षा नीति की एक बड़ी उपलब्धि होगी।

किसी भी संकल्पना अथवा अवधारणा के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यहाँ नकारात्मक पक्ष से आशय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष आने वाली चुनौतियों से है। पूर्व विदित है कि पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें गणनात्मक रूप में स्वतंत्र भाषा का दर्जा तो प्राप्त है किन्तु कई भाषाएँ ऐसी भी हैं जिनका कोई पुख्ता और स्पष्ट स्वरूप नहीं है। इन स्थानीय भाषाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन में कहाँ और किस रूप में स्थान मिल पाएगा, इसका कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इन भाषाओं और विषयों को संचालित करने वाले अध्यापकों की विशेषज्ञता एवं उनकी नियुक्तियों को लेकर भी कोई यथोचित रोडमैप दृष्टिगत नहीं होता। निश्चित रूप से उक्त सभी संदर्भ गंभीर चिंतन और चिंता के विषय हैं।

किसी भी भाषा के प्रति आग्रह, अनिवार्यता और उसे थोपने की प्रवृत्ति जड़ता का प्रतीक है। एक प्रकार से देखें तो इस तरह के आग्रह ज्ञान परंपरा के विस्तार में बाधक होते हैं। हम जितनी अधिक से अधिक भाषाओं को सीखेंगे, हमारी ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक विवेक उतना ही विकसित होगा। आज शिक्षा के आरंभिक स्तर को मातृभाषाओं की परिधि में बांधा जा रहा है। इससे निश्चित रूप से हम स्थानीय भाषाओं के विकास की दिशा में अग्रसर तो होंगे किन्तु वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा एवं रोजगार का मानक अंग्रेजी भाषा की समझ से ही निर्धारित होता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर भाषा से संबद्ध विषयों को छोड़ दिया जाय तो अन्य विषयों/ पाठ्यक्रमों को संचालित करने की माध्यम भाषा अंग्रेजी ही है। प्राइमरी स्तर से हम मातृभाषाओं से जितने गहरे रूप में संबद्ध हो रहे हैं, इसके समानांतर हमारी दूसरी भाषाओं से दूरिया भी उतनी ही बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूरगामी परिणाम क्या होगा यह एक अनुसंधान का विषय है।

पूर्वोत्तर भारत बहुभाषिक एवं बहु सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। प्रत्येक राज्य की अपनी स्वतंत्र संपर्क भाषा है। मिसाल के तौर पर देखें तो सिक्किम प्रांत की संपर्क भाषा नेपाली है। (आवश्यकतानुसार हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग के स्तर पर लोगों के व्यवहार में शामिल है।) नेपाली भाषा के अतिरिक्त सिक्किम में दर्जन के करीब (हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर) स्थानीय भाषाएँ हैं। शैक्षणिक स्तर पर इन भाषाओं का चलन भले ही एक भाषा एवं विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल है लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यहाँ के स्थानीय लोग अपनी मूल भाषा (मातृभाषा) का प्रयोग नहीं करते हैं। नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से इन भाषाओं का शैक्षणिक स्तर पर विकास तो होगा ही साथ ही इनकी व्यावहारिकता को भी बल मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक स्तर पर लागू किए जाने वाले भाषायी नियामकों से पूर्वोत्तर भारत की स्थानीय भाषाओं के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास को एक गति मिलेगी। यहाँ इस बात की ओर संकेत करना जरूरी है कि भाषा की अनिवार्यता से उसका स्थायी विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता। मसलन पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पहली कक्षा से लेकर आठवीं तक तथा कहीं-कहीं दसवीं तक हिंदी को अनिवार्य भाषा एवं विषय के पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही अनिवार्यता खत्म होती है, विद्यार्थी उस भाषा को वहीं छोड़ देते हैं। आशय यह है कि हमें भाषा की अनिवार्यता के बरक्स भाषा के प्रति रुचि पैदा करने की जरूरत है तभी सही मायने में कोई भी भाषा ग्राह्य और विकसित हो सकेगी।

नई शिक्षा नीति में जिस तरह से मातृभाषाओं के विकास और संरक्षण पर ज़ोर है उससे निकट भविष्य में उच्च शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र को कई नई दिशाएँ प्राप्त होंगी। तुलनात्मक दृष्टि से शोधार्थी अपनी भाषाओं से संबद्ध साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में गहनता के साथ अनुसंधान करने में सक्षम हो सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को यह स्वतंत्रता है कि अगर वह कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में वह दाखिला लेना चाहें तो पहले कोर्स से वह निश्चित समय का ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स जारी रख सकते हैं। इस तरह की विशेष छूट से निश्चित रूप से पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएं एवं अवसर प्राप्त होंगे।

नई शिक्षा नीति में कई अद्यतन ज्ञाननुशासनों को विषय के रूप में शामिल किए जाने के संकेत हैं। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत अपनी भाषायी, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, बावजूद इसके यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से बहुसंख्यक समाज आज भी अपरिचित है। पूर्वोत्तर भारत के विविध पहलुओं को यदि हम अपने पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर तरजीह दें तो हम अपने महत्त्व को दुनिया के समस्त भूभाग से परिचित करा सकेंगे। नई शिक्षा नीति के प्रावधान के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एवं इंटरप्रटेशन जैसे उपक्रमों की संकल्पना एक ठोस एवं सराहनीय प्रयास है। इससे पूर्वोत्तर भारत के साहित्य एवं समाज को और भी विस्तार मिलेगा। “इस नीति में भारत की बहु भाषाभाषी समृद्ध

परम्परा को भी स्थान दिया गया है और भाषा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बना कर और आगे त्रिभाषा अध्ययन की व्यवस्था भारतीय समाज की प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। भाषा न केवल किसी भी क्षेत्र में ज्ञान के लिए अनिवार्य आधार का काम करती है बल्कि अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। यह खेद का विषय है कि भाषा के अध्ययन-अध्यापन के प्रति बड़ा लचर रवैया अपनाया जाता रहा है। इसके फलस्वरूप भाषिक योग्यता में लगातार गिरावट होती रही है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में आठ लाख विद्यार्थी फेल हो गए हैं। नई शिक्षा नीति में भाषा और भारतीय ज्ञान परम्परा के साथ परिचय को महत्व दे कर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने और देश की एकता के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।" (गिरीश्वर मिश्र, कंचनजंघा पत्रिका, जुलाई-दिसंबर-2020, पृ. 61)

निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सर्व समावेशी संकल्पना है। इसमें शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी सृजन की तमाम संभावनाएं, जीवन मूल्य और समय सापेक्ष कई महत्त्वपूर्ण एवं अद्यतन बदलाव की ओर संकेत है। इसे क्रियान्वित करने के क्रम में यदि हम आने वाली चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम अत्यंत सुखद होगा।

संदर्भ

1. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. एन्सियंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया. प्रकाशन: 03 मई, 2022, लिंक: https://tinyurl.com/3d9sy575
2. बिजनेस टूडे डॉट इन (13 नवंबर, 2020). न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020: हाउ एनईपी विल हेल्प क्रिएट जॉब्स, इंटरप्रीनियर्स, प्रकाशन: 04 मई, 2022, लिंक: https://tinyurl.com/jh27v5ht
3. इकोनॉमिक्स टाइम्स. (01 जुलाई, 2019). अनएम्प्लायमेंट अमंग एजुकेटेड एट 11.4%: गवरमेंट, प्रकाशन: https://tinyurl.com/4j84f8vm
4. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन.(1968). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन: 03 मई, 2022, लिंक: https://tinyurl.com/5n777692
5. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन.(1986). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन: 03 मई, 2022, लिंक: https://tinyurl.com/4bhb53nr
6. शुभन्दा, एम आर और निरन्थ, एम आर (2021). न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2020: ए कम्पैरटिव एनालिसिस विथ एक्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, 8 (2), पृ. 665-675
7. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, (2020), सैलियण्ट फीचर्स ऑफ एनईपी. 2020: हायर एजुकेशन, प्रकाशित: 04 मई, 2022 लिंक: https://tinyurl.com/43wxh6sk
8. मिश्र, गिरीश्वर (2020). नई शिक्षा नीति: संभावनाएं एवं चुनौतियाँ. कंचनजंघा पत्रिका, जुलाई-दिसंबर-2020, लिंक: https://tinyurl.com/5bhfvvjy

27.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा का महत्व

अरहमा ख़ान, शोधार्थी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर,सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों का आदान-प्रदान करता है तथा लिखित तथा कथित रूप में अपने भावों का सम्प्रेषण करता है। सामान्यत: भाषा को वैचारिक साधन का आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। 'भाषा' शब्द संस्कृत के 'भाष' धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना अर्थात 'जिसे बोला जाए'। भाषा को उत्पत्ति ध्वनियों के माध्यम से हुई है, ध्वनियों का विस्तार से भाषा की मौखिक रूप फिर लिखित रूप विकसित हुआ। अत: हम सभी भाषाओं का एक दूसरे से संबंध देख सकते है। विश्व में ऐसी कोई भी भाषा न होगी जिस पर किसी न किसी रूप में दूसरी भाषाओं का प्रभाव न पड़ा हो यानी भाषाए परस्पर प्रभाव ग्रहण करती है ।

भाषा के मुख्य तीन रूप होते है- बोली, विभाषा और भाषा।

बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें एकरूपता नहीं दिखाई देती है।

विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, यह प्रान्त या उपप्रान्त में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएँ मिल जाती है।

भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते है। किसी भाषा का मानक रूप का अर्थ है, उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा को सभी नहीं परन्तु अधिकांश सुशिक्षित लोग द्वारा शुद्ध माना जाता है।

एक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति,राज्य-राज्य, तथा देश-विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है, वहीं सम्पर्क भाषा होती है।

जिस भाषा का प्रयोग सरकार कार्यालय की भाषा के रूप में करता है। वही राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की सम्पर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा सरकार के कामकाज की भाषा होती है।

भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय 2011 की रिर्पोट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषा की संख्या 234 है।

भारत में कई भाषाओ के बोलने वाले निवास करते है। भाषा एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण तत्व है। इससे पूर्व राधाकृष्ण आयोग (1948-49) की रिपोर्ट में माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा,हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने का परामर्श दिया। इसके बाद वर्ष 1955 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसमें प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र और अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक भाषा अध्ययन का प्रस्ताव रखा। छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है ,इसी कारण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE) ने सन 1956 में विचार-विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सम्मेलन में (1961) राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया गया और इसी के अनुसार लोकसभा में 1963 में भाषा बिल पास कर दिया। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में 'त्रि-भाषा सूत्र' को स्वीकार कर लिया गया।

जन्म के साथ ही बच्चे के कानों में सर्वप्रथम मातृभाषा जाती है और स्वाभाविक रूप से उसकी चेतना में मातृभाषा अपना स्थान बना लेती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके साथ उसकी मातृभाषा का भी विस्तार होने लगता है। वह कब ध्वनियों से अपनी मातृभाषा की ओर चला जाता है, इसका ज्ञान स्वयं बच्चे को भी नहीं होता और उसी भाषा में वह स्वप्न देखने तथा विचार करने लगता है। यदि बच्चे की स्कूली शिक्षा उसकी मातृभाषा में होगी तो वह ज्यादा अच्छे से शिक्षा से संबंध स्थापित कर पायेंगे। भाषा का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध होता है। हम यह भी कह सकते है कि दोनों एक-दूसरे के पूरक है।

भारत विविधता वाला देश है, और भारत में कई भाषाएं बोलने वाले रहते है। भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं जो पूरे देश में बहुमत से बोली जाती हो। जैसे कि हिन्दी भाषा उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है परन्तु इसका उपयोग दक्षिण भारत में काफी कम है, इसी तरह दक्षिण भारत में भारतीय भाषाएं जैसे तमिल, मलयालम और तेलगु का प्रयोग उत्तर भारत में बहुत ही कम होता है। ऐसे में किसी को शिक्षा का माध्यम बनाना कठिन होगा तथा ऐसे देश में कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। 'भारत की बहुभाषिक स्थिति को देखते हुए बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार त्रिभाषा सूत्र बनाया गया।'

2011 की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के आंकड़े के अनुसार 43.63 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिन्दीं है। 2001 के जनगणना के मुकाबले हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या बढ़ी है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा करीब 52 करोड़ लोग हिन्दी बोलते है। इसके बाद 9.7 करोड़ लोग बंगाली । दो लाख साठ हजार लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया है। बीते 10 साल में अंग्रेजी वालों की संख्या में 14.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा मानने वाले लोग सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में है।

इसके बाद अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा मानने वाले लोग सबसे ज्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक में है। तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इन दोनों राज्यों में हिन्दी, असमिया और उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या में 33 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

तमिलनाडु और केरल में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, उत्तर भारत के राज्यों में तमिल और मलयालम बोलने वालों की संख्या तेजी से घट रही है।

मुंबई में कन्नड़ और तेलगु को अपनी मातृभाषा मानने वालों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई। सत्तर और अस्सी के दशक में मुंबई दक्षिण भारत के लोगों को पसंदीदा शहर हुआ करता था। लेकिन अब दक्षिण के राज्यों में मुंबई का आकर्षण कम हुआ है।

जनगणना 2011 के अनुसार देखे तो हिन्दी और अंग्रेजी बोलने वालों की वृद्धि तो हुई है, परन्तु क्षेत्रिय भाषा बोलने वालों की संख्या दिन ब दिन घट रहीं है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम से कम ही नजर आने लगी है। ऐसे में इनके संरक्षण के लिए इनका प्रवेश शिक्षा में करना जरूरी है।

देश में सूचीबद्ध 22 भाषओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 2016 में जारी किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में मातृभाषा में शिक्षा, खासकर स्कूल के रचनात्मक वर्षों के दौरान मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया । कई भाषाएं सीखने की बच्चों की जन्मजात क्षमता को स्वीकार करते हुए प्रारूप में सुझाव दिया गया कि सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अगर चाहे, तो मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर स्कूलों में कक्षा 5 तक शिक्षा प्रदान कर सकते है।

पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। भाषा के संदर्भ में कोठारी कमीशन का विस्तार रूप ही समझे। भाग 22 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन के कुछ बिन्दु निम्नलिखित है:-

* भारत में 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर है विशेषत: वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। निम्नांकित विन्दुओ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:-

* भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापाक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामायिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके।

* अधिगम सामग्री, मुद्रित सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द-भंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परन्तु, अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रांसगिक बनाए रखने में मद्द के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफी धीमी रही है।

* भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

* बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन।

* जब संभव हो मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-अधारित भाषा शिक्षण।

* अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और/या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोत्तरी हो सके।

* अपनी कला एवं संस्कृति के संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना।

* इंस्टियूट आफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आई.आई.टी.आई) की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा साथ ही अनेक बहु-भाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मद्द मिलेगी।

* संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होगे; वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते है उन्हें सम्पूर्ण नवीन बहु-विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित मजबूत किया जाएगा।

* भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकठ्टा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया। अभी तक उपेक्षित लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किये जायेंगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा।

* शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जायेंगे।

* अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादिमियों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केन्द्र अथवा/ और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जायेंगी।

* स्थानीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जायेगी। भारतीय भाषाओं संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए तथा शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए।

भारत में बहुत सी भाषाऐं लुप्त होती जा रही है। इसका अगर प्रमुख कारण देखे- रोजगार के लिए प्रचलित भाषा, पलायन, लिपि का अभाव आदि। ज्यादातर लोग रोजगार देने वाली भाषा की ओर आकर्षित होते है तथा उसी भाषा को शिक्षा का आधार भी बनाते है।

2014 में आई भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 42 भाषाएं ऐसी है जो जल्द ही समाप्त हो जायेगी। 5 भाषाएं ऐसी है जो अब बिल्कुल नहीं बोली जाती। इनमें Ahom, Andra, Rankas, Sengmai और Tolcha है।

भाषाओं के संरक्षण के लिए स्कूली शिक्षा के साथ-साथ इनमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा भाषाओं की लिपि का विकास होना चाहिए।स्कूली शिक्षा में जिन भी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया है उनमें नये-नये प्रचलित तकनीकी शब्दों के अनुवाद को जोड़ते रहना चाहये।

क्षेत्रीय भाषा में ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश का निर्माण की आवश्यकता है। यह शब्दकोश में शब्द के अनुवाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। भाषा के साथ संस्कृति भी जुड़ी होती है। इस कारण जब भी एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाए तो उस भाषा का सांस्कृतिक महत्व को दर्शाना अर्थात उस शब्द का विस्तार सहित व्याख्या करना आवश्यक है जिससें विद्यार्थी अपनी भाषा के शब्द का संबंध दूसरी भाषा के साथ स्थापित कर सके।

स्कूल में विचार-विमर्श,वाद-विवाद चर्चा द्वारा भाषाई शब्दावली का विकास करना चाहिए जिससे बच्चों की भाषाई शब्दों का विकास होगा तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे नाटक का मंचन, कहानी,गीत, कविता आदि के द्वारा भाषा की शब्दावली का विकास करना चाहिए।

त्रिभाषा सूत्र के सफल होने में कुछ समस्यायें उत्पन्न होती है, जैसे कि तमिलनाडु द्वारा द्विभाषा नीति के अंतर्गत तमिल तथा अंगेजी को अपनाना। उनका पक्ष है कि वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को महत्व दिया तथा अंग्रेजी के कारण तमिलवासियों को विकास के बेहतर अवसर मिले और तेलूगू के विकास को बंधुत्व का विकास मानते है।

तमिल में हिन्दी भाषा की स्वैच्छिक शिक्षा को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है और CBSE स्कूलों की संख्या में पिछले एक दशक में वृद्धि हुई है, जहाँ हिन्दी भाषा का अध्ययन कराया जाता है।

त्रिभाषा सूत्र के लिए आवश्यक है कि भाषा के महत्व तथा उसके द्वारा विकास की संभावानाओं से अवगत कराया जाए। त्रिभाषा को बोझ के रूप में नहीं बल्कि संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखा जाना चाहिये तथा इसके महत्व से विद्यार्थी को अवगत कराना आवश्यक है। त्रिभाषा सूत्र के कारण विद्यार्थी तीसरी भाषा का चयन करते तो है परन्तु वह अपने रूचि के अनुरूप नहीं करते है वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण भाषा का चयन करते है। उनका मकसद केवल भाषा के पेपर को उत्तीर्ण करना है न कि भाषा को सीखना है।

बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से विभिन्न समस्याओं उत्पन्न होती है, उदाहरण- दिल्ली में अलग-अलग राज्यों या केन्द्र शासित से आये हुये छात्र रहते है। विभिन्न मातृभाषा जानने वाले रहते है ऐसे में उन बच्चों का मातृभाषा का माध्यम क्या होगा। प्राथमिक में एक राज्य से दूसरे राज्य विस्थापन करने छात्रों का माध्यम न बदले इसके लिए सरकार क्या कदम उठयेगी।

संस्कृति के प्रसार तथा आदान-प्रदान में भाषा का अनुवाद एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। एक अच्छे अनुवादक को दोनों भाषाओं के साथ-साथ उस भाषा की संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन सन 2008 में आयोजित किया।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ने भी अनुवाद कार्यकलापों, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में, जितनी संभव हो सके उतनी भाषाओं में क्लीयरिंग हाऊस के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की है ताकि विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न कार्यकलापों में अनुदित सामग्री के प्रयोक्ताओं और जन साधारण तथा निजी एजेसियों के मध्य सम्पर्क स्थापित किया जा सके। विशेषत: प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में सभी स्तरों पर (प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीयक शिक्षा सहित) शैक्षणिक सामग्रियों के अनुवाद को प्राथमिकता दी जा सके; उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद के माध्यम से देश तथा विदेशों में भारतीय भाषाओं और साहित्यों को आगे लाया जा सके। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के लिए निर्धारित कार्यों को करने हेतु अनुवादकों के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने के प्रयोजनार्थ इच्छुक व्यक्तियों हेतु सर्चेबल डाटाबेस तैयार किया गया तथा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की वेबसाइट के साथ समेकित किया गया। 2200 से अधिक अनुवादकों के प्रोफाइल को इस डाटाबेस में शामिल किया गया है।

गुणवत्ता वाले अनुवाद के लिए आवश्यक है कि भारत सरकार अनुवाद सामग्री की देखरेख करे।

स्कूली भाषा माध्यम भाषाई अंतर समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। हालाँकि यह भारत की जातीय विविधता को एकीकृत करने के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है। भाषा के विकास की दृष्टि से ये कदम जितना प्रशंसनीय है, उतना ही लागू होने में निष्पक्ष रूप देखने को कम मिलता है। इससे पहले भी भाषा के विकास की बात हुई परन्तु स्तरीय रूप से कितनी लागू होती है ये देखना आवश्यक है।

<u>सन्दर्भ ग्रंथ सूची</u>

1-हिन्दी भाषा का इतिहास, भोलानाथ तिवारी, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ सं 95

2. http://www.ideaforindia.in

3. हिन्दी शिक्षण, दूर शिक्षा निदेशालय,मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, पृष्ठ सं 13

4.http://www.jagaranjosh.com

5. नई शिक्षा नीति भाग-22 (भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, पृष्ठ 86-92)

6. http://www.drishtiias.com

7. http://www.education.gov.in

28.

समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ. सुमन मौर्य
सहायक प्रोफेसर (राजनीतिक विज्ञान)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर.

सभ्यता व सांस्कृतिक सामाजीकरण व अभ्युदय के परिप्रेक्ष्य मे शिक्षा पद्धति एक महत्वपूर्ण 'मील का पत्थर होती हैं जो समाज के संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक ढाँचे का प्रतिरूप होती है। शिक्षा शब्द संस्कृत की 'शिक्ष्' धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना तथा प्रेरक के रूप मे अर्थ सिखाना है। इस अर्थ में एक व्यक्ति सीखने वाला तथा एक सिखाने वाला होता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है -'बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। अनुदेशन, मार्गदर्शन या विद्यालयीकरण के रूप मे शिक्षा का यह संकुचित अर्थ है जबकि यथार्थ या वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपनी अन्तः शक्ति को पहचानने का सामर्थ्य प्रदान करती है ।

मानव के सर्वांगीण विकास का केंद्रीय बिंदु शिक्षा है, जिसके माध्यम से एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साथ राष्ट्र के विकास की दशा और दिशा का निर्धारण होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें "जेंडर समावेशी कोष " की स्थापना एक 'प्रबल आयाम' सिद्ध होगा जो कि महिलाओं की दशा को सुधारने के संदर्भ में एक क्रांतिकारी प्रयास है। इन प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को शिक्षा की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकेगा । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को चिन्हित करते हुए एक सकारात्मक और रचनात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की क्रियान्विति के संदर्भ में एक घटक है। सकारात्मक संकेत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नीतिगत प्रावधानों में महिलाओं की शिक्षा की भागीदारी को बढ़ाने की एक प्रतिबद्धता स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रस्तावना में भारत की विदुषी नारियों, जैसे-गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा का उल्लेख प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की सभी स्तरों जिसमें प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूह की एक समान सहभागिता को ना केवल सुनिश्चित किया गया है, वरन समावेशी-विकास की दिशा में

एक प्रयास अंकित किया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें अनेक श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें लिंग (महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान के आधार पर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) भौगोलिक पहचान (जिसमें गांव कस्बे दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी) विशेष आवश्यकता (जैसे सीखने की अक्षमता सहित या दिव्यांगजन) सामाजिक आर्थिक परिस्थिति (जैसे प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, अस्थाई परिस्थिति में रहने वाले विद्यार्थी, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या मजदूरों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल है) आदि के आधार पर वंचित समूह को वर्गीकृत किया गया है। जुलाई 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई है, वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही थी 1986 की शिक्षा नीति के आधार पर संचालित हो रही थी क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका था।

परिवर्तन क्रमिक सुधार की ओर ले जाता है। अतः शिक्षा में भी बदलाव की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, जिससे कि शैक्षणिक स्तर को उन्नयन तक ले जाए जा सके। परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य व परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहूंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था। अतः ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्व रखती है, इसमें विद्यालय स्तर जिसमें प्री-स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर तक कई महत्वपूर्ण बदलाव व परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता परक शिक्षा को सुनिश्चित करने तथा जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसके माध्यम से देश को एक नई दशा व दिशा देने का प्रयास किया गया है तथा जिसका लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा ही संभव है तथा इसमें महिला शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध हो सकता है। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भारतीय संविधान का मूल अधिकार भी है, जो कि देश को उन्नति, प्रगति व विकास के मार्ग तक ले जाता है और विकासोन्मुखी होने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज महिलाएं सागर की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी है तथा सभी क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभाकर अपनी गत्यात्मक भूमिका का परिचय दे चुकी है।

आज नारी प्रत्येक क्षेत्र में आगे आई है किंतु यह स्थिति सभी वर्ग की महिलाओं पर समान रूप से लागू नहीं होती अभी भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और अल्पसंख्यक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है और सशक्तिकरण का सबसे सशक्त साधन शिक्षा है। महिलाओं के लिए शिक्षा और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि यदि महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वह अपने परिवार को और बच्चों को शिक्षित करती है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होती हैं। महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं योजनाएं बनाई गई हैं और काफी हद तक सफल भी सिद्ध हुई है, इसके बावजूद महिलाएं जो हमारी कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं, वे अभी भी शिक्षा से वंचित है। नई शिक्षा नीति 2020 महिला शिक्षा को बढ़ावा देती है तथा बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाओं को भी दूर करने का इसमें बहुआयामी प्रयास किया गया है, इसमें महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा की शुरुआत विद्यालय स्तर से होती है इस नीति में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है- विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा तथा ऐसे प्रावधान और योजनाएं जो कि छात्राओं को विद्यालय से जोड़े रखने का अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में मुख्य प्रावधान है- बालिका की छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जहां विद्यालय अधिक दूरी पर स्थित हैं, जैसे ग्रामीण अंचल, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों में निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, भारत सरकार की पूर्व में संचालित योजना जिसके तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है उसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूह की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में 12 वीं स्तर तक विस्तार किया जाएगा जिससे कि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अल्प प्रतिनिधित्व समूह में आधी संख्या महिलाओं एवं बालिकाओं की है, विशेषकर ऐसी महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो साधन विहीन हैं और इन पर विशेष ध्यान केंद्रित करके नीति व योजनाएं बनाई जाएंगी, छात्रों की भागीदारी और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे वह विद्यालयों से जुड़ी रहे जैसे अधिक दूरी वाले स्थानों पर छात्राओं को निशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी तथा फीस न भरने की स्थिति में माता पिता एवं अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण किया जाएगा जिससे गरीबी के कारण बालिकाओं को स्कूल न छोड़ना पड़े। राजस्थान में इसी तर्ज पर राजश्री योजना संचालित है जिसके तहत जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्राओं को न केवल शिक्षा के समुचित अवसर वरन् गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास किया गया है। विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण व भौतिक सुविधाएं विशेषकर स्वच्छता, शौचालय, सुरक्षा आदि का समुचित प्रावधान किया जाएगा। जहाँ विद्यालय सहशिक्षा आधारित है, वहां बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं व सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रति सभी शिक्षक संवेदनशील होंगे तथा विद्यालय में समावेशी एवं संवेदनशील संस्कृति के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निःस्वार्थी तथा आत्मनिर्भर बनायें व गुरू नानक इसे 'विद्या विचारी ते परोपकारीके रूप मे परिभाषित करते हैं। 1882 मे "हण्टर शिक्षा कमीशन" की स्थापना लॉर्ड रिपन द्वारा की गई जिसकी संस्तुतिनुसार महिला शिक्षा पर जोर दिया। 1944 के सार्जेण्ट योजना में अनुशंसा की गई कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय 'गृह विज्ञान' जोड़ा जाए व ग्रामीण पाठ्यचर्या में कृषि पर बल दिया जाए। प्रो० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नारी-शिक्षा व शिक्षा में होने वाली वितीय समस्याओं पर विचार, व शिक्षा के प्रति जागरूकता पर बल दिया। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के सभी भागों मे शिक्षा को समान ढांचा अपनाने व शिक्षा में निवेश को बढ़ाने पर बल दिया जिससे कि कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृति योजनाएं बढायी जाए।

1980 का दशक भारत में राजनीतिक रूप से उथल-पुथल का दौर तो रहा ही, सामाजिक-आर्थिक-वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी देश की नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे शिक्षा के पुनरीक्षण तथा पुनर्निधारण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी व इस सन्दर्भ में "शिक्षा की चुनौती - नीतिगत परिप्रेक्ष्य" नाम से एक वस्तुस्थिति प्रपत्र भारत सरकार द्वारा बनाया गया, जो 1986 में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" के रूप में परिणत हुआ जिसकी प्रमुख अनुशंसा थी कि समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशलों तथा योग्यताओं का विकास हो, एक गतिहीन समाज को ऐसा स्पन्दनशील समाज बनाना जो प्रतिबद्ध हो, विकासशील तथा परिवर्तनशील हो तथा में शिक्षा का समान ढाँचा लागू हो व राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में एक जैसे समान पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1992 की मार्च योजना मे 21 वीं शताब्दी के प्रारम्भ होने से पहले ही देश मे चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवता के साथ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने की वचनबद्धता व सकल घरेलु उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना मे सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे मे प्रमुख से तीन प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे मे प्रमुख रूप से तीन मानदण्ड निर्धारित किए गये है- सार्वभौम पहँच, सार्वभौम धारणा, व सार्वभौम उपलब्धि। सर्व शिक्षा अभियान ने स्कूली शिक्षा को गति प्रदान की है।

1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ जिसमें सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंगभेद के कारण पैदा विषमताओं को व्यापक संदर्भ में देखने पर बल दिया, जिससे समानता तथा सामाजिक न्याय की सम्प्राप्ति हो सके, शिक्षा में मौड्यूल व सेमेस्टर पद्धति को अपनाने व कौशल विकास पर अधिकाधिक बल दिया गया।

परन्तु शोचनीय बिन्दु है कि समय-समय पर विभिन्न समितियों के गठन से क्या शिक्षा के गुणवता के स्तर में सुधार हुआ है? वही दूसरी तरफ आज पीएच.डी. करवाने व बिल पास करवाने के नाम पर गुरू आचरणगत भ्रष्टता दृष्टव्य है, पेपर लीक प्रकरण, इत्यादि ने न केवल उच्च शिक्षा मे गुरूजनों की छवि को धूमिल किया है वरन् सतत्-विकास व समावेशी-विकास के रूप मे क्या समाजीकरण कर पा रहे है ? ये समस्त प्रश्न शिक्षा-व्यवस्था पर न केवल प्रश्न चिन्ह लगा रहे है वरन् कुकुरमुत्ते की तरह फैल रही इन जद्यन्य प्रवृत्तियों पर जबरदस्ती सवालिया निशान लगा रहे है तथा इस दिशा में इन प्रवृत्तियो पर एक सकारात्मक प्रबन्धकीय समाधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति 2020 में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि स्कूल में नामांकित सभी बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा, विशेषकर बालिकाएं व किशोरियाँ जो कि कई प्रकार से भेदभाव और उत्पीड़न की शिकार हो जाती हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों के संदर्भ में उचित कदम उठाए जाएंगे और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कुशल तंत्र को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उनके अधिकारों और सुरक्षा के उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बालिकाओं, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन किया गया है, जो कि एक क्रांतिकारी और एक नवीन कदम है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी, जिससे बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण व स्वस्थ वातावरण मिल सके।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, हालांकि यह प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए है, किंतु बालिकाओं को इसका विशेष लाभ मिलेगा जो विद्यालय नहीं जा सकती, वह भी इस व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। व्यवसायिक विषयों, स्थानीय भाषाओं, इनडोर-आउटडोर खेल, चित्रण, कठपुतली, शिल्प, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों आदि को नई शिक्षा नीति में जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यार्थी विशेषकर बालिकाओं में रुचि विकसित होगी और वह विद्यालय से जुड़ सकेंगें। इसमें लघु टैक्सटाईल्स उद्यमिता के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा।

उच्चतम शिक्षा के संदर्भ में उच्चतम शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्श दाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित किया जाएगा, परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुऐ नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने में सक्षम हो सकेगी। स्नातक पाठ्यक्रम में 'मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को पूर्ण ना करने की स्थिति में छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाए सकेगा जैसे 1 वर्ष के

बाद प्रमाण, पत्र 2 वर्ष के पश्चात एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के पश्चात स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त एक 'आकदमिक क्रेडिट बैंक (एसीबी) की भी स्थापना की जाने का इस शिक्षा नीति के तहत प्रावधान किया गया है, जिसमें अलग-अलग मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित किया जायेगा और विद्यार्थी उस क्रेडिट का उपयोग करके किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा सभी विद्यार्थियों के लिए है किंतु महिलाओं के लिए यह व्यवस्था लाभकारी सिद्ध होगी क्योंकि विवाह, पारिवारिक कारण या अन्य कारणों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नीं पड़ जाती है। इस प्रावधान से उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो पाएंगे। अनेक कारणों की वजह से उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो कम हो जाती थी उनको दूर करने की दिशा में यह बदलाव विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा तथा साथ ही जो विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाते थे या किन्हीं पारिवारिक कारणों की वजह से जिनको शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती थी, उनके लिए भी यह योजना 'समावेशी विकास' के तहत लाभकारी सिद्ध होगी। व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने का प्रावधान है, जो कि उच्च, प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होती हुई उच्चतर शिक्षा तक जाएगी जिससे प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकेंगे और विशेषकर महिलाएं शिक्षा नीति के इस प्रावधान के माध्यम से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी और साथ ही इसमें जो वंचित बालक-बालिकाएं हैं इससे विशेष लाभ लेकर अपना कौशल विकास का निर्माण कर सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा लोक विधाओं में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी, उससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा वंचित तबके को समावेशी विकास की स्थिति तक पहुंचाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं।

शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग-संतुलन सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह की महिलाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, शिक्षण- परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा तथा अधिक छात्रवृत्ति आदि के प्रति यह शिक्षा निति अधिक समावेशी और संवेदनशील है। इसके माध्यम से बालिकाएं, महिलाएं व वंचित तबके ना केवल शिक्षित होंगे बल्कि उनको अपने विकास और आगे बढ़ने के भी समुचित अवसर प्रदान होंगे इस तरीके से यह शिक्षा नीति समावेशी विकास व नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

गांधीजी के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वात्कृष्ट विकास हो तथा उसके आंतरिक शक्तियों को उन्मीलित कर उसे सही मार्ग दिखाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार "मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, शिक्षा द्वारा मनुष्य के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि

कर उसे योग्य नागरिक बनाया जाता है तथा जिसके माध्यम से आंतरिक शक्तियों का विकास कर व्यक्ति के व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशों) को 100 प्रतिषत लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिषत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्र एवं छात्राओं को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल-आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान किया जाएगा जिससे कि शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम के माध्यम से बालक का चहुंमुखी विकास हो सके। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मामलों को मांगों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई है। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा, जिसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र (नेशनल एसेसमेंट सेंटर) की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। नई राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिषत से बढ़ाकर 50 प्रतिषत करने का लक्ष्य रखा गया है तथा नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि छात्र एवं छात्राओं को पीएच.डी करने का सीधा अवसर प्राप्त हो सके। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक 'सिंगल अंब्रेला बॉडी' के रूप में 'हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना भी इसके तहत रखी गई है, जिससे एकल नियामक शिक्षण संस्थानों के लिए एक नियामक केंद्र स्थापित किया जाएगा।

ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक तथा जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र (स्पेशल एजुकेशन जोन) के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' की स्थापना करेगा। 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक

और आर्थिक रूप से वंचित समूह से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं पर नई शिक्षा नीति में विचार किया गया है और उन बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'जेंडर समावेशी फंड की स्थापना की गई है।

यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको ऐसी नीतियों योजनाओं कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके जैसे परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय स्थापित करना, उन्हें स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान करना, इत्यादि विस्तृत रूप से राजस्थान में संचालित 'उड़ान योजना के ही कार्यकारी रूप में देख सकते हैं। छात्रवृत्ति, परिवहन के लिए साइकिल देना, माता-पिता को पढ़ाई में मदद के लिए कुछ शर्तों पर नगद पैसा देना आदि योजनाओं के अनेक सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं जैसे यह देखा गया कि छात्राएं यदि समूह में पैदल या साइकिल से विद्यालय जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिक श्रेयस्कर है और उनके अभिभावकों में भी सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, समाज में बालिकाओं के प्रति हिंसा और अपराध की घटनाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और यदि उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं तो विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन भी बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति विस्तृत रूप में देखें तो 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ स्कीम' का ही एक सफल क्रियान्वयन या सफल क्रियान्विति के रूप में हम देख सकते हैं।

देष में आई.आई.टी और आई. आई. एम. के समकक्ष वैश्विक मानकों की 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय'(मीरू- मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी) की स्थापना की जाएगी जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षण संस्थानों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी। डिजिटल शिक्षा के प्रावधानों के माध्यम से ना केवल महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे बल्कि समूह को विकास के अवसर मिलेंगे जिससे एक समावेशी विकास को एक उचित दिशा प्रदान हो पाएगी।

सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र मे मिश्रित योजनागत तथा योजनतर आवंटनों - दोनों रूपों मे वितीय सहायता मे उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए व आर्थिक दृष्टि से और अधिक व्यवहार बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचनाओ को संशोधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरू कुम्हार है जो कच्ची मिट्टी रूपी शिष्यों को कुंभ के रूप में संस्कार रूपी आकार प्रदान करता है अर्थात् -

गुरू कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि-गढ़ि काढे खोट

अंतर हाथ सहार दई , बाहर बाहै चोट।

अतः शिक्षा केवल डिग्री प्राप्ति तक ही सीमित न रहे व व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल आधारित हो, शिक्षा बंद कमरों में कोरे ज्ञान पर आधारित ही न हो वरन् बाह्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य व व्यावहारिक ज्ञान आदि पर आधारित हो । कुकुरमु की तरह पनप रहे निजी शिक्षण सस्थाएं मात्र शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक ही है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य सर्वव्यापीकरण व सार्वभौमिकरण व शिक्षा की पहुँच गरीब तक निर्धारित की जाए। जिससे शिक्षा भविष्योन्मुखी, उद्देश्य परक व गतिमान हो सके। शिक्षा ऐसी हो जो सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय और सर्वोदय का संदेश दें। शिक्षा का उद्देश्य है -

सर्व धर्म समावृति।

सर्व जाति समावृति।

सर्व सेवा परिणति।।

सन्दर्भः -

1. नरेन्द्र कुमार सिंह, समर बहादुर सिंह (2010), सृजित समावेशी शिक्षा, ओसियन पब्लिकेशन , जबलपुर
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. सुधीर कुमार अग्रवाल, विविधता, समावेशी शिक्षा और जेन्डर (2018), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
4. पब्लिकेशन पॉलिसी ऑन ऐजुकेशन, 1986, प्रोग्राम ऑन एक्शन 1992, गवरमेन्ट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्रि ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेन्ट, 1998, नई दिल्ली
5. तोमर लज्जाराम (1999) भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र
6. खरे शिरीष (2020) उम्मीद की पाठशाला, अगोरा प्रकाशन, मुम्बई
7. गैग्ने आर.एम. (1965) द कन्डिशन्स ऑफ लर्निग, हॉल्ट पब्लिकेशन, न्यूयार्क

8. ठाकुर यतीन्द्र (2010), समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

9. केषव चन्द्र, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द कि टू डवलपमेंट इन इण्डिया, नई दिल्ली

29.

नई शिक्षा नीति का समावेशी स्वरूप : समाजशास्त्रीय समीक्षा

आकांक्षा वर्मा, शोधार्थी,
सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ सोश्ल सिस्टम्स,स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू,
नई दिल्ली 110067

आबिदा बानो
381/22 E, 4thफ्लोर,
जाकिर नगर,
नई दिल्ली-110025

डॉ. अनीता भारती
लेक्चरर,
रामअवध निवास डिग्री कालेज,
गोरखपुर, यूपी.

नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन समकालीन विश्व में नव उदारवाद के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई संकल्पना जैसे - निजीकरण आदि के प्रभावों के संदर्भ में करना है। उपनिवेशवाद का शिकार रहे तीसरी दुनिया के देशों का संघर्ष एक जटिल विरोधाभासपूर्ण है। उपनिवेशवाद से आजादी पाने के बाद भारत जैसे विकासशील देश के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को तीव्र विकास दर से पाना जरूरी था । इसे एक विरोधाभास ही कहा जाएगा कि जहां एक ओर उपनिवेशों ने नयी आजादी तो हासिल की लेकिन आत्मनिर्भर और मजबूत देश बनने के लिए उन्हें उन्हीं के खेमों मे बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने को मजबूर थे जिन देशों के वे पहले उपनिवेश थे। सन् 1990-91 में भारत ने अपने लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के तहत विकासात्मक लक्ष्य को पाने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण (एलपीजी) मॉडल अपनाया। हालांकि आगे चलकर भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप और एलपीजी मॉडल के विरोधाभास के मिश्रित परिणाम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमानता के रूप में सामने आने लगे। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दृष्टि से नव उदारवाद और लोक-कल्याणकारी नीतियों के परस्पर मिलन ने विभिन्न प्रकार के मिश्रित प्रभावों का सामना किया । इसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

नई शिक्षा नीति: महत्वपूर्ण बिन्दु

अंतिम शिक्षा नीति 1968 में बनाई गयी थी जिसमें सन 1992 में संशोधन किया गया था । सरकार ने वर्ष 2015 में टी एस सुब्रहमण्यम समिति का गठन किया था किन्तु सरकार ने इसकी सिफ़ारिशों को नहीं माना। वर्तमान नई शिक्षा नीति अन्तरिक्ष वैज्ञानिक एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष के॰ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में गठित 11 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत प्राप्त करना है। इस नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया है । भाषायी विविधता

संरक्षण के साथ शारीरिक शिक्षा पर बल देते हुये पाठ्यक्रम संबंधी कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं । स्नातक पाठ्य क्रम में मल्टीपल इंट्री-एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है । विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गयी है। जिसका दायित्व उच्च शिक्षा के लिए अपेक्षित संरचना प्रारूप की परिकल्पना, बुनियादी मानदंडों के विकास के साथ कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत डिजिटल शिक्षा और दिव्याङ्ग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के पाँच आधार स्तम्भ है- पहुँच, समता, सामर्थ्य, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता।

इस शिक्षा नीति के एक सरहनीय पहल वोकेशनल प्रशिक्षण का प्रावधान है। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर भारत में एक नकारात्मक छवि है, इसे निम्न स्तर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इस मानसिकता को बदलने के लिए इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की ओर पहल है । यह सिर्फ व्यवसाय और रोजगार के नए रास्ते खोलने में अहम भूमिका निभाएगी। विषय के चुनाव को लेकर अब तक कक्षा 10 के बाद से अध्ययन विषय के मुख्य रूप से तीन प्रमुख वर्ग हैं- विज्ञान, मानविकी और कला । इस नीति के माध्यम से विषय के वर्ग की यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब वर्ग के बिना विषयों का चुनाव करना संभव होगा। वर्तमान समय में देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए विकास और नयी तकनीकीगत सुधार करना बहुत आवश्यक है।

नई शिक्षा नीति प्रारूप से लेकर कार्यान्वन तक : समस्या और चुनौतियाँ

नई शिक्षा नीति का विश्लेषण भारत की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के साथ इसे व्यापक वैश्विक राजनीतिक-आर्थिक परिदृश्य में रखते हुए, तत्कालिक व दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आकलन के संदर्भ में करना चाहिए। मैक्स वेबर ने 'तार्किकता' को पूंजीवाद का प्रमुख तत्व बताया। उनके अनुसार पूंजीवाद की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण इसका तार्किक स्वरूप है। इस तार्किक स्वरूप को अगर भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में देखने पर इसके लोक कल्याणकारी स्वरूप के कई प्रभाव स्पष्ट हो जाते हैं । तीव्र विकास दर को हासिल करने के लिए कुशल, प्रशिक्षित मानव संसाधन की अनिवार्यता सभी ने स्वीकार की है। किन्तु यह 'निर्माण' किस स्वरूप में होगा उसके तात्कालिक-दीर्घकालिक क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी और उसके क्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होंगे इस तमाम प्रश्नों पर बारीकी से गौर करने की आवश्यकता है ।

उदारीकरण, निजीकरण और शिक्षा नीतियाँ:

नवउदारवाद किसी भी क्षेत्र के निजीकरण की 'सुधार कार्यक्रम' के रूप में वकालत करता है। उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र में 'सुधारवादी नीतियों' को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। विकास के विमर्श में सार्वजनिक संस्थाओं पर लोक स्वामित्व से लोक वित्त की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निजीकरण के दौर में

राज्य की भूमिका पर विद्वानों की रुचि को आकर्षित किया है (माइकल एप्पल:2000)। निजीकरण में राज्य की भूमिका को इस नजरिए से भी देखा गया की इसे मात्र राज्य की घटती भूमिका के रूप में नहीं समझा जाता बल्कि यह स्वामित्व से नियंत्रक की भूमिका की ओर भी इशारा करता है। न्यूनतम हस्तक्षेप भर नहीं हैं इसी तर्ज पर नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण को शिक्षा व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करती है। यह ध्यान देने योग्य है विकासशील देशों में किसी भी स्तर पर तकनीकी कुशलता, उच्च गुणवत्तापूर्ण विकास की अनिवार्यता से दरकिनार नहीं किया जा सकता । किन्तु विकासशील देशों के लोककल्याणकारी स्वरूप और नव उदरवादी नीतियों के आपसी संयोजन के चलते पैदा होने वाले दूरगामी परिणामों का आकलन समझना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर यह विभिन्न रूपों में सामने आया है कि अपने उच्च तकनीकी कुशलता, समय प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता आदि जैसे दावों के बावजूद निजीकरण से प्रेरित नीतियाँ समवेशी नहीं है। यह तीव्र विकास के साथ समाज के विभिन्न वर्ग-समुदाय में तीव्र विषमता को भी गहरा करती है। नवउदारवाद के तीन 'मॉडल' उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण की वैश्विक स्तर पर आलोचनात्मक समीक्षा हो रही है।

डेविड हार्वे के अनुसार नवउदारवादी उपागम समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का पक्षधर है और इसके प्रमुख तत्व-मजबूत व्यक्तिगत निजी संपत्ति के अधिकार, संस्थाओं का बाजार अर्थव्यवस्था में मुक्त रूप से क्रियान्वन और विधि का शासन है। दूसरी प्रमुख विशेषता है- चुनाव और प्रतियोगिता को सार्वजनिक सेवाओं के कार्यकारी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना ।

शिक्षा : निजी वस्तु या सार्वजनिक वस्तु

यह बात ध्यान देने की है कि किसी भी वस्तु के सार्वजनिक होने के क्या मायने है? इससे किसे फायदा है और किसे नुकसान है ? साथ ही यह भी समझने कि जरूरत है कि शिक्षाविदों के अनुसार 'शिक्षा बहुत पहले से ही अन्य वस्तु के समान बाजार में खरीदी और बेची जाती रही है जो इसके लिए खर्च करने में सक्षम हैं । मानव सभ्यता के इतिहास में प्राचीनकाल और मध्यकाल के बाद आधुनिक राज्य ने व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के महत्व को पहचाना और इसीलिए शिक्षा को एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में स्वीकारा गया । आधुनिक राज्य की स्थापोना के बाद से दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसे एकमत से मान्यता दी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ ने शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप मे स्वीकारा।

यदि अर्थशास्त्र कि दृष्टि से देखे तो किसी वस्तु के सार्वजनिक होने के लिए उसका गैर प्रतिस्पर्धात्मक होना आवश्यक है। इस नजरिए से शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु नहीं हो सकती । एक सभ्य लोकतान्त्रिक, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए शिक्षा एक व्यक्ति को नागरिक के रूप में तैयार करती है। शिक्षा परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक अहम माध्यम है । शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से एक जैविक मानव को कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए शिक्षा को एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में मान्यता दी जाती रही है और यह राज्य का दायित्व है कि वे बेहतर शिक्षा प्रदान करने के प्रबंध करे।

अब प्रश्न आता है कि शिक्षा के निजीकरण के क्या निहितार्थ हैं? यदि राज्य के लिए शिक्षा जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे में निजी क्षेत्रों को शिक्षा का जिम्मा सौपने के क्या मायने हैं ? नव उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था पर कई विद्वानों के गंभीर आलोचनात्मक विचार हैं। इवान इलीच, माइकल एपल, बर्स्टिन बासिल, पाउलो फ्रेरे, लुईस अल्थुसर, ए.बी.डुबाइस आदि शिक्षा पर कुलीन वर्ग के प्रभाव, नियंत्रण, पाठ्यक्रम के माध्यम से विचार निर्माण प्रक्रिया, रचनात्मकता का ह्रास, मशीनीकृत शिक्षा के स्वरूप आदि को रेखांकित करते हैं। शिक्षा क्षेत्र का निजी हाथों में जाना वैचारिक नियंत्रण की ओर भी संकेत है। इसीलिए जितना संभव हो सके शिक्षा को एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है । खासकर भारत जैसे विकासशील देश में जहां सामाजिक-आर्थिक विषमता कि खाई इतनी गहरी है वहाँ पर सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा को समान अवसर प्रदान करने के रूप में देखा जाना चाहिए ।

भारतीय संविधान के भाग 7 अनुच्छेद 246 के तहत शिक्षा समवर्ती सूची (iii) का विषय है। इसका अर्थ है कि राज्य व केंद्र दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 राज्यों की भूमिका को दरकिनार करती है। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को एक 'सार्वजनिक वस्तु' के रूप में स्वीकारा और जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने के लक्ष्य की घोषणा कि किन्तु इसके लिए उपलब्ध संसाधनों को तरफ से चुप्पी साध ली। इस शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं, माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध, नवाचार-अनुसंधान एवं शारीरिक शिक्षा आदि जैसे अहम बिन्दुओं के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता और उपलब्धता के विषय पर कोई ठोस रणनीति नहीं है । साथ ही भारतीय उच्च शिक्षा परिषद जैसे निकाय की संकल्पना की गयी है जो वित्तपोषण जुटाने की कोई ठोस कार्ययोजना पेश नहीं करती । यह गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्यों की देश की जीडीपी में योगदान की हिस्सेदारी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों से आती है। ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच वित्तपोषण कि व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्टता न होना आपसी टकराव और और गुणवत्ता पूर्ण सेवा से समझौते की ओर इशारा करता है । इस नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने कुल 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान कर दी है । एक समस्या जिस पर इस शिक्षा एन.आई.टी ने कोई प्रकाश नहीं डाला वह है विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लिए एक ही नियामक संस्था का प्रबंध। जहां उच्च शिक्षण संस्थान अपने संसाधनों के लिए राज्य व केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर होते हैं, वही निजी संस्थान के साथ यह सवाल नहीं है । ऐसे में दोनों ही प्रकार के संस्थानों के लिए एक ही नियामक संस्था आपसी मानदंडों के टकराव की स्थिति को लाने वाला है।

भारत जैसे विकासशील देशों में विकास लक्ष्यों को पाने के लिए बनने वाली नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन नवउदारवाद के संदर्भ में जरूरी है । अन्यथा यह राष्ट्र के लोक कल्याणकारी स्वरूप के साथ टकराव कि स्थिति पैदा करेगा। बढ़ते वैश्विक प्रतिमान से राजनीतिक आयाम लगातार विस्तृत हो रहे हैं जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का हस्तक्षेप बढ़ा है। फ्रेंच समाजशास्त्री पीयर बोर्दियु (1999) के

'क्षेत्र'(फील्ड) की अवधारणा का प्रयोग करे तो इस वैश्विक प्रक्रिया को एक 'वैश्विक शैक्षिक क्षेत्र' के रूप मे देख सकते हैं जो कहने के लिए तो मुक्त व्यवस्था है, बड़े फ़लक पर लोगों की भागीदारी के लिए खुला है किन्तु इसके काम करने के तरीके इस प्रकार नियोजित हैं जो इस खुली प्रतियोगिता में सांस्कृतिक-सामाजिक और आर्थिक पूंजी से युक्त लोगों की भागीदारी-हिस्सेदारी सुनिश्चित कराते हैं। इस वैश्विक शैक्षिक नीति के क्षेत्र में सभी लोगों में शक्ति, क्षमता और पूंजीगत (सांस्कृतिक-सामाजिक व वित्तीय) संसाधनों का समान वितरण नहीं है जो उनके सपने-विचारों के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सके। राज्य की संस्थानिक संरचना सभी लोगों (खास तौर से समाज के कमजोर पिछड़े तबके के वर्गों-समुदायों) के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराने में एक अहम भूमिका अदा करती है। यदि राज्य अपने हाथ पीछे खींच लेगा तो कड़ी प्रतियोगिता वाले मुक्त बाजार में संसाधन सम्पन्न लोग निर्वहन कर पाएंगे और निश्चय ही हाशिये के तबके ही सबसे ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में राज्य और संस्थाओं की महती भूमिका है इस तथ्य को नोबल विजेता अमर्त्य सेन व ज़ीन ड्रेज़ ने काफी बारीकी से रेखांकित किया है। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए समावेश एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें नीतियों के निर्माण-क्रियान्वन से लेकर निगरानी रखने तक पारदर्शिता व राजनीतिक इच्छा शक्ति एक पूर्वावश्यकता है । वर्तमान शिक्षा नीति अपने दावों में इतना आगे निकल जाती है कि उन्हें पूरा करने के लिए आधारभूत संरचना, संसाधनों की स्पष्ट रूपरेखा पीछे रह जाती है। नई शिक्षा नीति में कुशलता, गुणवत्ता के साथ साथ सामाजिक न्याय के उद्देश्य को केंद्र में रखते हुये रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है।

समवेशी विकास और सामाजिक न्याय:

सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य को पाने उद्देश्य से वर्ष 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया । इसके अंतर्गत चौदह वर्ष तक के हर बच्चे को उसके घर के निकट नि:शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाना सुनिश्चित किया गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वन में तमाम लापरवाही देखी गयी हैं। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के बावजूद यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले एक डेढ़ दशक में बहुत तेज़ी से निम्न शुल्क वाले निजी स्कूलों का काफी तेज़ी से विस्तार हुआ है । इसका एक बड़ा कारण छोटे शहरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग और शिक्षा के प्रति जागरूकता है। RTE के खराब प्रदर्शन का अर्थ यह नहीं है की यह स्वयं एक खराब प्रोजेक्ट है बल्कि इसे सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक ढांचा, वित्तीय निवेश प्रशिक्षण आदि संसाधनों के साथ ईमानदारी व पारदर्शिता की जरूरत है। अभी भी देश के दूर-दराज इलाके के ग्रामीण, आदिवासी बच्चे खासकर लड़कियां इसकी पहुँच के बाहर हैं । इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अध्ययन हुये हैं जो इस बात कि ओर इशारा करते हैं कि कैसे सरकारी स्कूलों के बदतर प्रदर्शन के चलते तमाम छोटे निजी स्कूलों का विस्तार हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों के खराब प्रदर्शन और निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ते आकर्षण को लेकर कई अध्ययन हुये हैं । इसमें प्राथमिक विद्यालयों के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार

कारक जैसे- शिक्षक-छात्र अनुपात, शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार, विनिर्माण एवं संरचनात्मक अभाव, पर्याप्त नवीन-आधुनिक तकनीकीयुक्त प्रशिक्षण का अभाव आदि शामिल हैं। तमाम शोधों से यह बात सामने निकल कर आई कि अधिकांश शिक्षक अतिरिक्त कार्यभार के चलते शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते। संसाधनों का अभाव दूसरी बड़ी समस्या रही है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है । इन समस्याओं के चलते सरकारी संस्थान बनाम निजी संस्थान कि बहस चल निकली है । जहां एक ओर सरकारी स्कूल की भ्रष्ट, अकुशल, पुरानी पद्धति पर आधारित, असामयिक आदि के रूप में एक छवि मजबूत होती जा रही है। दूसरी ओर निजी संस्थानों की कुशल, समय के पाबंद, 'अपडेटेड' अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्तापूर्ण, अँग्रेजी भाषा पर बेहतर पकड़ आदि कि वजह से सरकारी स्कूल के बजाय पसंद करते हैं। यह समझना दिलचस्प है कि निजी बनाम सरकारी की बहस में केन्द्रीय विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। जिसे मुहैया करने में सरकारी संस्थान का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। इसका कारण सरकारी संस्थानों की प्रारूप-कार्यपद्विती, संसाधनों की उपलब्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। इसके समाधान के रूप में निजी संस्थानों को आगे करना एक बड़ी भूल होगी जो की लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्य की असफलता, असमर्थता और उदासीनता का परिचायक है।

नई शिक्षा नीति के भाग 6 में समता और समावेशी शिक्षा का उपबंध है। यह नीति अपने उद्देश्यों में साफ तौर से सामाजिक, समावेशी विकास, समानता आदि जैसे लक्ष्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । किन्तु इनके क्रियान्वन और संसाधनों के बारे में कोई प्रबंध न करना अधूरी तैयारी की तरफ इशारा करता है । नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने की जरूरत है। शिक्षा का बजट एक खर्च नहीं बल्कि बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाने वाला निवेश है।

नई शिक्षा नीति : एक आदर्श मसौदा और वास्तविक आकड़ें

नई शिक्षा नीति का प्रारूप कई मायने में आधुनिक आदर्श मसौदा है। इसमें विकसित देशों कि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा को तैयार किया गया है। यह नीति पुरानी परंपरागत शिक्षा से हट कर व्यावहारिक, तकनीकीगत व्यावसायिक शिक्षा का मॉडल पेश करती है । इसके कई प्रबंध स्वागत योग्य हैं। उदाहरण के तौर पर - विषयों का संस्तरण जो कि दसवी के बाद से विज्ञान, कला और मानविकी वर्ग के रुप मे चला आता रहा है, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब छात्र कक्षा 5, 8, 10 और 12 इनमें से किसी भी स्तर पर विषयों का चुनाव कर सकते है साथ ही एक बार लिए गए विषय को आगे भी बदल सकते हैं। विज्ञान, विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा, कोडिंग आदि पाँचवी कक्षा के स्तर से ही सीखने का प्रावधान है।

इन तमाम नवीन प्रस्तावों के बाद अब जमीनी चुनौतियों पर एक नजर डालते है। संसदीय समिति की रिपोर्ट, निजी संस्था ASAR की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक

स्तर के विद्यालयों में लगभग 65% शिक्षक पर्याप्त रूप से कुशल नहीं हैं । यह रिपोर्ट बताती है कि शिक्षक-छात्र अनुपात में बहुत ही बड़ा अंतर है। शिक्षा नीति में इस बात को स्वीकारा गया है कि ज़मीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आधारभूत संरचना-विनिर्माण के अभाव के अतिरिक्त नए बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाना एक बड़ी चुनौती है। और इन सब व्यावहारिक सवाल के बावजूद भी इस नीति में साफ तौर पर संसाधनों की व्यवस्था का बजट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है ।

यह शिक्षा नीति सैद्धांतिक तौर पर एक आदर्श प्रारूप है । इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। यदि शिक्षा के बजट कि बात करे तो बजट में जो शिक्षा क्षेत्र का हिस्सा है यह वर्ष 2014-15 से लगातार घटता जा रहा है। शिक्षा का बजट मुख्य रूप से दो हिस्से में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक व उच्च माध्यमिक दूसरा उच्च शिक्षा के लिए। वर्तमान समय में भारत में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्तर जिसमें मध्याहन भोजन योजना, आंगनवाड़ी आदि शामिल है, में शामिल बच्चों की संख्या विश्व के किसी भी देश के प्राथमिक-माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों कि संख्या से कहीं ज्यादा है । देश में इस स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पचास करोड़ से भी अधिक है । वर्ष 2020 में भारत सरकार ने शिक्षा के लिए निन्यानबे हजार तीन करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें से लगभग उनसठ हजार आठ सौ करोड़ रुपये प्राथमिक उच्च शिक्षा के हिस्से आते हैं। प्राथमिक से लेकर बहारवीं तक प्रति छात्र के हिस्से यह लगभग दो रुपये 35 पैसे प्रति दिन मात्र होता है। इसी बजट में संसाधन, शिक्षकों का वेतन, विनिर्माण प्रशिक्षण आदि का प्रबंध करना है।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन करीब 26 प्रतिशत है। यह शिक्षा नीति इसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत पर लाना चाहती है । ऐसे में जब पहले से ही प्रति छात्र बजट का आवंटन इतना कम है, और इसमें नए छात्रों को शामिल करने की कोशिश है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है की इन सारे खर्चे के लिए बजट की व्यवस्था कहाँ से होगी? यह गौर करने लायक है कि शिक्षा के लिए कितना बजट बनाया जाता है और कितना खर्च किया जाता है ? 2009-14 में सरकार बजट का 3.19 % खर्च करती थी और जीडीपी में शिक्षा का खर्चा .7% था। वहीं वर्ष 2014-19 में यह घट कर जीडीपी का .5% और बजट का प्रति वर्ष औसतन 1.9% है। एक तरफ तो शिक्षा का बजट में हिस्सा लगातार घटता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ शिक्षा नीति में किए गए तमाम नए प्रस्तावों को वास्तविकता में बदलने क्ले लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है । यदि बजट के स्तर पर बात करे तो हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम पहली शिक्षा नीति के समय खड़े थे । बिना पर्याप्त संसाधन के शिक्षा नीति अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगी यह एक गंभीर सवाल है ।

देश में आज भी स्कूलों में पीने का साफ पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, खेल के मैदान, लैबोरेटरी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदि उपलब्ध नहीं है, शिक्षक छात्र अनुपात बहुत कम है, आधारभूत संरचना का अभाव है। कोरोनाकाल में शिक्षा के डिजिटलीकरण के चलते 'डिजिटल डिवाइड' के परिणामों का साक्षात्कार देश ने कर लिया है। भारत में पिछले पाँच सालों के दौरान तमाम बड़ी एडुकेशन टेक कंपनियों का विस्तार हुआ है जिनका टर्न ओवर लगातार बढ़ा ही है। अन अकेडेमी, एडुटेक प्लेटफॉर्म, नेशनल टेस्ट अभ्यास, क्लास

प्लस बी बी (बिजनेस टु बिजनेस) आदि जैसी बड़ी कंपनियों ने शिक्षण संस्थानों के साथ संबद्ध होकर नए ऑनलाइन कोर्सेस देना शुरू कर दिया है। यह बताता है कि जिन लोगों के पास संसाधन हैं पैसा हैं वे ऐसी शिक्षा खरीदने मे सक्षम हैं। वहीं लोग वर्तमान शिक्षा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते है। वह तबका जो संसाधन विहीन है वह शिक्षा को खरीदने में असक्षम है साफ है कि उसके लिए जीवन अवसर के विकल्प सीमित हो जाते हैं। एक ओर तो हम अन्तरिक्ष की तरफ देखना चाहते हैं पर दूसरी तरफ हम जमीन पर भी खड़े होने की हैसियत में नहीं है। ब्रेन-ड्रेन की समस्या और भी गहराती जा रही है। ब्रेन ड्रेन यह दिखाता है कि डिग्री का दबाव रोजगार के सवाल से जुड़ा हुआ है। देश में उच्च शिक्षा प्राप्त युवा देश में काम करने के बजाय बाहर जाना पसंद करते है क्योंकि देश के भीतर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम, वेतन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। जाहिर है कि यह शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य क्षेत्र की सेवाओं से भी संबन्धित हैं। नई शिक्षा नीति में मैकाले के शिक्षा पत्र से लेकर गांधीवादी शिक्षा का विचार का जिक्र है, चरक, धन्वंतरि, सुश्रुत पाणिनी, चाणक्य आदि का उल्लेख है, तक्षशिला, नालंदा को आधुनिक रूप में पुनर्स्थापित करने का इरादा है। यह सभी विचार स्वागत योग्य है किन्तु बजट के सवाल पर आकर कोई रास्ता साफ-साफ नजर नहीं आता है । एक तरफ इस नीति में कई बाते साफ तौर पर हाशिये के तबके से आने वाले बच्चों का प्रतिशत शिक्षा में दाखिला कम है । परीक्षा पैटर्न को बदलने या पाठ्यक्रम को बदलने से भी बड़ा सवाल है कि आधारभूत संरचना उपलब्ध करवा पाना । अभी भी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के स्थायी पद रिक्त पड़े हुए हैं । देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 15, 862 शिक्षण के पद हैं जिनमें से 5,958 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं, इनमें शिक्षकों कि भर्ती नहीं हो पायी है। NAAC कि रिपोर्ट में भारतीय शिक्षण संस्थानों कि गुणवत्ता पर चिंताजनक सवाल उठती है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम गंभीर सवाल हैं । देश में लगातार शोध और अनुसंधान का स्तर गिरता जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं, छात्र-शिक्षक अनुपात कम है। यह नीति साफ तौर पर कहती है कि शिक्षा बाजार की वस्तु नहीं है हालांकि आज जिस वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जिस स्तर की शिक्षा कि आवश्यकता है उस शिक्षा और स्कूल को चलाने के लिए यह अर्थव्यवस्था के बाजार के मॉडल पर आधारित है । उस परिस्थिति के अनुसार बदलाव बाजार आधारित दर्शन, बाजार आधारित संस्थान के अनुरूप ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया जा रहा है। इन सब परिप्रेक्ष्य में सब को शिक्षा देने का उद्देश्य, और सबको उच्च शिक्षा के साथ ज्ञान शक्ति के रूप मे स्थापित करने की सोच इशारा करती है कि धीरे-धीरे शिक्षा निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपी जा रही है।

संदर्भ

Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude (1990) Reproduction in Education, Society and Culture. London : Sage Publications

Friedman, M. (1955). The role of government in education. In R. A. Solo (Ed.), Economics and the public interest (pp. 123–144). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. New York, NY: Oxford University Press

Sadgopal, Anil (2006a). Privatisation of Education: An Agenda of the Global Market. Combat Law, 5(1), February-March, pp.22-27

Stiglitz, Joseph E. (2006). Making Globalisation Work. London: Allen Lane (an imprint of Penguin Books)

30.

भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

मंजू चतुर्वेदी
शोधार्थी, हिंदी विभाग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नयी दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे समग्र दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत हुई है जिसके माध्यम से आने वाले समय में न केवल देश की शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं को निरुपित किया गया है अपितु जीवन के उन क्षेत्रों के विषय में भी निश्चित संकेतक प्रदान किया गए हैं जिनका शिक्षा से बहुत गहरा सम्बन्ध है ।इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को देश की सांस्कृतिक चेतना के एक प्रमुख अवयव के रूप में चिन्हित किया गया है और उनके संरक्षण, संवर्धन और प्रसार हेतु एक व्यापक रुपरेखा प्रस्तुत की गई है ।इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने जीवन के विविध पक्षों का एकांगी चिंतन करने के स्थान पर उनको समग्रता में ग्रहण किया है और उसी अनुरूप उनके विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है ।[1] उदाहरण के लिए, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि भाषा विषयक चिंतन में कला और संस्कृति के आयामों को भी सम्मिलित किया जाय और उनके अंतर्संबंधों को समग्रता में मनोगत करते हुए उनके संरक्षण, संवर्धन और प्रसार हेतु कोई समेकित दृष्टि प्रस्तुत की जाय । किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऐसे सम्यक चिंतन को अपना वैशिष्ट्य बनाकर भारतीय भाषाओं , कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु एक निश्चित विचार का सृजन किया है । यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं , कला और संस्कृति को समेकित रूप में दृष्टिगत करती है किन्तु विषय के विशिष्ट और संकेंद्रित निरूपण के लिए इस शोध पत्र में केवल भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में ही विचार किया गया है ।

भारत का भाषायी वैशिष्ट्य

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है । इस वैविध्य का सबसे विषद प्रकटन जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ भाषा के स्तर पर भी दृष्टिमान होता है ।वैसे तो भारत में प्रयुक्त भाषाओं और बोलियों की संख्या के विषय में विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किये जाते रहे हैं किन्तु जॉर्ज अब्राहम ग्रिएर्सन द्वारा 1898 से 1928 के मध्य किये गए देश के प्रथम भाषायी सर्वेक्षण के आधार पर भारत में 179 भाषायें और 544 बोलियाँ होने की बात कही गयी है ।कालांतर में इस प्रकार के आंकड़ों में अंतर आता रहा है और अद्यतन रूप से उपलब्ध 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाओं

और 1599 अन्य भाषाओं की गणना की गई है ।इस प्रकार भाषायी धरातल पर भारत की तुलना में संसार के कुछ ही देश होंगे जहाँ भाषायी वैविध्य इतना विराट है ।[2]भारत की भाषाओं को मुख्यतः इंडो-आर्यन तथा द्रविड़ नामक दो समूहों में विभाजित किया जाता है जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को द्रविड़ परिवार की माना जाता है जबकि देश के अन्य हिस्सों में प्रचलित भाषाओं को इंडो-आर्यन परिवार की भाषा कहा जाता है ।

चूँकि भाषाव्यवहार में लाई जाने वाली एक संकल्पना है और इसकी गत्यात्मकता निरंतर परिवर्तनशील रहती है इसलिए भाषाओं के विलोपन और संवर्धन की संभावनाएं सतत बनी रहती हैं ।यही कारण है कि देश की प्रमुख भाषाओं को संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के अनेकानेक अवसर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची का सृजन किया गया और वर्तमान में इस अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है ।इसके साथ ही भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का दायित्व केंद्र सरकार के साथ ही उन राज्य सरकारों का भी माना गया है जहाँ पर कोई भाषा विशेष बोली जाती है ।इस हेतु जहाँ विभिन्न प्रकार की अकादमियों और संस्थानों का गठन किया गया है वही अनेक प्रकार के सामयिक कार्यक्रमों और योजनाओं का भी संचालन किया जाता है जिससे कि भाषाओं को समुचित प्रसार का अवसर प्राप्त होता रहे ।इस प्रकार भारत का भाषायी वैशिष्ट्य दुनिया में अनूठा ही नहीं, वरन जीवंत भी प्रतीत होता है जिसके माध्यम से जन सामान्य में अपनी कला और संस्कृति के सृजन और संवर्धन का क्रम अनवरत जारी रहता है ।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियां और भारतीय भाषाएँ

स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत में अलग-अलग कालखंडों में विभिन्न शिक्षा नीतियों को अंगीकार किया गया है जिनमें भाषा संबंधी निश्चित संकल्प और संकेतक प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । वस्तुत: अभी तक देश में तीन प्रमुख शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन हुआ है ।प्रधानमंत्री के रूप में अपने लम्बे कालखंड के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरु देश के आधारभूत और संस्थानिक विकास में ही पूरी तरह रत रहे और संभवतः यही कारण रहा है कि उनकी सरकार ने शिक्षा संबंधी कोई पृथक नीति घोषित नहीं किया ।इस दृष्टि से देश की प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा इंदिरा गाँधी की सरकार द्वारा 1968 में की गई जिसमें अन्य बातों के साथ ही देश में त्रिभाषा फ़ॉर्मूले को क्रियान्वित करने का संकल्प व्यक्त किया गया । स्वाभाविक रूप से इस नीति में चौदह वर्ष तक के विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करने का विचार रखा गया । किन्तु इस शिक्षा नीति की भाषा विषयक विशेषता यह थी कि इसने देश में अंग्रेजी भाषा की वैधानिकता को न केवल जारी रखने पर बल दिया वरन त्रिभाषा फ़ॉर्मूले के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में अंग्रेजी भाषा को ही प्रश्रय देने की बात कही जो कालांतर में देश में अंग्रेजी के वर्चस्व को कायम

रखने में मील का पत्थर साबित हुई। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार हेतु इस नीति में कोई संकल्प या इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं की गई ।

अठारह वर्षों के अंतराल के पश्चात 1986 में देश की दूसरी शिक्षा नीति आयी जिसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की भारत को 21वीं सदी में ले जाने के प्रकल्प के पूरक के रूप में कार्य करने के लिए समर्पित किया गया था ।[3]चूँकि इस शिक्षा नीति का जोर देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और उच्च शिक्षा को व्यापक बनाने पर अधिक था इसलिए इसमें भी भाषा विषयक कोई विशेष बात नहीं कही गयी ।इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों में भारतीय भाषाओं के विषय में कोई सुविचारित मत व्यक्त नहीं किया गया ।भारतीयों भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार को प्राथमिकता पर रखने की बजाय इन शिक्षा नीतियों के द्वारा अंग्रेजी भाषा को ही देश में पुष्पित-पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया जाता रहा ।यही कारण है कि स्वातंत्रयोत्तर काल में भारतीय भाषाओं की स्थिति दयनीय बनी रही और कई ऐसी भाषाएँ जिनके बोलने वाले समाप्त होते गए उन्हें विलोपन का सामना करना पड़ा ।इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रथम शिक्षा नीति है जिसमें भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार के विषय में इतने विषद और सुचिंतित विचार व्यक्त किए गए हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को किसी व्यक्ति या राष्ट्र की कला एवं संस्कृति के अटूट अंश के रूप में निरुपित किया गया है ।वस्तुत: सम्पूर्ण विश्व में जो सांस्कृतिक वैविध्य दृष्टिगोचर होता है उसके मूल में भाषाई वैविध्य ही है । भाषा एक प्रकार से किसी राष्ट्र के उद्भव और विकास का आधार भी बनती है और इस दृष्टि से उस राष्ट्र की समग्र सांस्कृतिक चेतना के वाहक के रूप में भाषा सर्वोपरि मानक के रूप में स्वीकार की जाती है । इस संदर्भ में जब भारत के भाषायी स्वरुप का चिंतन किया जाता है तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जिस विविधता में एकता की बात की जाती है, उसके मूल में संस्कृत के रूप में एक मूल भाषा और उससे प्रस्फुटित हुई अन्य भाषाओं का रूप ही दृष्टिगोचर होता है । अतः इस नीति का दृढ़ मत है कि 'अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह सभी संस्कृति का प्रतिबिम्ब और दस्तावेज है । अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है । साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव ही नहीं है । संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा ।'[4]

भारतीय भाषाओं के समक्ष चुनौतियाँ

भारत की भाषायी समृधि को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के समक्ष विद्यमान दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ही प्रकार की चुनौतियों कासांगोपांग चित्रण प्रस्तुत किया गया है । इस तथ्य को अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है कि समुचित महत्व और यथोचित संपोषण की कमी के चलते पिछले पचास वर्ष की अवधि में ही देश की भाषायी निधि से 220 भाषाओं का विलोपन हो चुका है ।[5]चिंताजनक स्थिति यह है कि भारतीय भाषाओं का विलोपन अभी भी निर्बाध रूप से जारी है और यही कारण है कि यूनेस्को ने वर्तमान समय में भी 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' भाषाओं की श्रेणी में रखा हुआ है जिसका अर्थ यह हुआ कि यदि इन भाषाओं के संरक्षण, संपोषण और संवर्धन के लिए विशेष उपाय नहीं किये गए तो आगामी दस बीस वर्ष के भीतर ही इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या न के बराबर बचेगी और ये भाषाएँ स्वतः ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगी ।इन लुप्तप्राय भाषाओं की श्रेणी में उन भाषाओं की स्थिति और भी अधिक दयनीय है जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है और जिनका अस्तित्व केवल उनके बोलने वाले लोगों की सजीवता और दीर्घायु पर ही निर्भर है ।इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह सुविचारित मत है कि भारतीयों भाषाओं का विलोपन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस तथ्य को भी बड़ी गंभीरता से लेती है कि देश में अनेक ऐसी भाषाएँ भी हैं जिन्हें हालाँकि आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में नहीं रखा गया है तथापि उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और उनके संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए दीर्घकालिक कदम उठाने की आवश्यकता है । ऐसी भाषाओं की सूची में कई ऐसी भाषाएँ भी हैं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रविष्ट 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं ।ये भाषाएँ विविध स्तरों पर अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना कर रही है जिनमें कदाचित सबसे महत्वपूर्ण है उनका अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूली और उच्चतर शिक्षा के विविध स्तरों के साथ एकीकृत न होना ।दूसरे शब्दों में, यद्यपि कई भाषाओं को उनके क्षेत्रों में प्रचुर प्रमाण में बोला जाता है और वे वहां की संपर्क भाषा भी हैं किन्तु उन भाषाओं को अपने क्षेत्रों के शिक्षण और अधिगम के विविध रूपों में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारण उनके संरक्षण और सवर्धन की कोई दीर्घकालिक योजना फलीभूत नहीं हो पाती है ।इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि सभी भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विविध स्तरों के साथ एकीकृत किया जाय और उनके माध्यम से उन भाषाओं को बोलने वालों के मन मष्तिष्क में उनके संरक्षण और संवर्धन की ललक जगाई जाय ।इस उपक्रम के द्वारा किसी भाषा के बोलने वालों को ही उस भाषा के संरक्षण और संवर्धन का वास्तविक वाहक बनाकर उसे लुप्तप्राय होने से बचाया जा सकता है ।

यद्यपि भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा से हर स्तर के एकीकृत करने के बहुत लाभ अनुमानित हैं तथापि इस प्रक्रिया के साथ कई ऐसी नवीन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है जो भाषा के प्रसार के साथ प्रायः जुडी रहती हैं । परन्तु आश्वस्ति का विषय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार की चुनौती को पूर्व में ही मनोगत करने की बात करती है और इसके समुचित समाधान हेतु कतिपय करणीय कार्यों की रुपरेखा भी प्रस्तुत करते है । उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि 'भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए - जिनमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कवितायें, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं ।भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट/अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके ।'[6]इस प्रकार भारतीय भाषाओं के समक्ष प्रस्तुत होने वाली चुनौतियों से सफलतापूर्वक मुकाबला करने की कार्ययोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विस्तार से निरुपित की गई है ।

भारतीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार के मूल में इन भाषाओं के शिक्षकों के ऐसे समूह की आवश्यकता होती है जिन्हें आवश्यकतानुसार विविध समय और स्थान पर भेजा जा सके ।किन्तु देश में अनेक उपक्रम करने के बावजूद भी ऐसे शिक्षकों की काफी कमी अनुभूत की जाती है जो स्वयं को समय और स्थान की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें ।इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर भी बल देती है कि भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिये । साथ ही भाषा के शिक्षण की प्रविधि और स्तर में भी पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि भाषा अधिगम को अधिक अनुभव आधारित बनाया जा सके ।इस नीति का यह कथन भी उल्लेखनीय है कि किसी भाषा के शिक्षण और अधिगम के मूल में उस भाषा में वार्तालाप और अंतःक्रिया करने पर विशेष बल देना चाहिए, न कि केवल उस भाषा के व्याकरण, साहित्य और शब्द भण्डार के परिमार्जन और संवर्धन पर ।ऐसी सुखद स्थिति तभी आ सकती है जब भारतीय भाषाओं को अत्यधिक व्यापक स्तर पर आपसी वार्तालाप और शिक्षण एवं अधिगम के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाय ।इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का बड़े सटीक तरीके से विवेचन किया गया है ।

भारतीय भाषाओं के संवर्धन की रुपरेखा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए बहुआयामीय रणनीति की रुपरेखा प्रस्तुत की गई है ।इसमें जहाँ एक ओर भारतीयों भाषाओं को शिक्षण और अधिगम के मूलाधार के रूप में विभिन्न स्तरों पर समायोजित करने की बात की गई है वहीं दूसरी ओर कई ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय प्रोत्साहनों और व्यवस्थाओं के सृजन के विचार का भी उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा इस भाषाओं के संवर्धन को नयी गति और दिशा प्रदान किया जा सके ।इस नीति में जिस विषय को बड़े संजीदा ढंग से प्रस्तुत किया गया है वह है भारतीय भाषाओं को जन सामान्य के जीविकोपार्जन के उपक्रमों के साथ जोड़ना । दूसरे शब्दों में, यह नीति विशेषकर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों के सृजन की बात कहती है जिनके द्वारा भारतीय भाषाओं का उत्कृष्ट ज्ञान रखने वालों के लिए जीविकोपार्जन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे । अतएव इस नीति का यह दृढ़ मत है कि 'उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे (रोजगारपरक) कार्यक्रम बनाने से रोजगार के ऐसे गुणवत्तापूर्ण अवसर पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पायेंगे ।[7]

शालेय (स्कूल जाने वाले) विधार्थियों को भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का प्रमुख अवलम्ब मानते हुए यह नीति ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषागत नवोन्मेष की नवीन श्रृंखला के सूत्रपात पर बल देती है ।इस कड़ी में जिस नीतिगत कदम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वह है बहुभाषिकता ।अर्थात यह नीति विद्यालयों में बहुभाषिकता की नीति को सबल बनाने के पक्ष में है ।इस दृष्टि से देश में लम्बे समय से चले आ रहे त्रिभाषा फ़ॉर्मूले को पूर्ण मनोयोग से लागू करने पर यह नीति विशेष बल देती है ।त्रिभाषा फ़ॉर्मूले के आधार पर देश के विविध क्षेत्रों में विद्यार्थी न केवल अपनी मातृभाषा के संवर्धन और संपोषण के वाहक बनेंगे, वरन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे जिससे उनके भीतर न केवल हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के भाव का प्रस्फुरण किया जा सके, अपितु वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश विदेश में भारतीय मेधा का डंका भी बजा पाने में सक्षम हो सकें ।परन्तु इन सबके मध्य शिक्षण और अधिगम की भाषा तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही रहनी चाहिए, ऐसा इस नीति में सुस्पष्ट तरीके सेइंगित किया गया है ।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु द्विआयामी रणनीति के क्रियान्वयन पर इस शिक्षा नीति में जोर दिया गया है ।प्रथम, उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं से सम्बंधित ऐसे दोहरी डिग्री (चार वर्षीय बी. एड. सहित) के कोर्स विकसित किये जायेंगे जिनके माध्यम से विद्यार्थी न केवल किसी भारतीय भाषा का विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर सके अपितु जीविकोपार्जन की दृष्टि से किसी अन्य तकनीकी या शैक्षणिक डिग्री का भी अर्जन कर सके जिससे उसको कोई रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सके । इस कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थान भारतीय भाषाओं के शिक्षकों के एक बड़े कैडर के निर्माण में सहयोगी भूमिका निभा सकेंगे जिनकी भाषायी शिक्षा उन्हें केवल उस भाषा

का ही ज्ञाता नहीं बनाएगी वरन उनके लिए जीविकोपार्जन के अवसर भी उपलब्ध कराएगी ।इस सबके मध्य जो विद्यार्थी भारतीय भाषाओं के विविध पक्षों पर विशिष्ट शोध और अध्ययन करना चाहेगा उसे अलग से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जिससे कि वह शोधार्थी अपने शोध को निर्बाध गति से पूर्ण कर सके ।ऐसे विशिष्ट शोध भारतीय भाषाओं के व्याकरण विवेचन, साहित्यालोचन, चेतना बोध के निरूपण इत्यादि नवोन्मेषों द्वारा इन भाषाओं के गुणवत्तापूर्ण संवर्धन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उनके संपोषण और विकास में मील के पत्थर साबित होंगे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के संवर्धन और प्रसार हेतु विशेष प्रयत्न करने पर अत्यधिक बल दिया गया है ।नीति में इस बात पर खेद व्यक्त किया गया है कि स्वातंत्र्योत्तर काल में भी संस्कृत अधिकतर केवल संस्कृत पाठशालाओं, वेद विद्यालयों और कतिपय विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित रह गयी है ।इसलिए संस्कृत भाषा को इस स्थिति से उबारकर एक जीवंत और लोकोपयोगी भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई उपायों की चर्चा की गई है ।उदाहरण के लिए, विद्यालयों में क्रियान्वित त्रिभाषा फ़ॉर्मूले के अंतर्गत एक वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत के पठन-पाठन कोप्रोत्साहन दिया जाने का संकल्प इस नीति में प्रखरता से अभिव्यक्त किया गया है ।साथ ही विश्वविद्यालयों में पढ़ें -पढ़ाये जाने वाले समकालीन विषयों यथा गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नाटक, योग इत्यादि विषयों के अध्ययन से भी संस्कृत भाषा को जोड़ा जाएगा जिससे किसंस्कृत वांग्मय में उपलब्ध इन विषयों से सम्बंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान को विद्वत वर्ग के समक्ष रखा जा सके ।इससे भी बढ़कर, पारंपरिक संस्कृत विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को बहुविषयी स्वरुप प्रदान किया जाएगा जिससे कि ये संस्थान भी आगे चलकर आधुनिक बहुविषयी संस्थान के रूप में विकसित होने की दिशा में अग्रसर हो सकें ।

उल्लेखनीय रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि 'शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जायेगें ।प्रौद्योगिकी एवं क्राउडसोर्सिंग, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ, इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'[8]इसके अतिरिक्त, इस नीति में इस बात की भी चर्चा की गयी है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं के लिए अकादमियों की स्थापना की जाएगी ।भाषाओं के संवर्धन के लिए यह संस्थागत प्रयत्न यद्यपि वर्तमान में भी प्रचलित है किन्तु इस नीति में जिस बात की नवीनता दृष्टिगोचर होती है वह है प्रत्येक भाषा के लिए ऐसी अकादमी की स्थापना करना ।भारतीय भाषाओं के संवर्धन में तकनीक के वृहत प्रयोग को भी इस शिक्षा नीति में प्रमुख रूप से निरुपित किया गया है जिसके अंतर्गत सभी भाषाओं से सम्बंधित वेब आधारित प्लेटफार्म,

पोर्टल, विकिपीडिया इत्यादि माध्यमों से इन्हें पूरी दुनिया में लोगों को सहज और सरल रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु व्यापक और व्यवहारिक उपायों की चर्चा की गई है जिनके क्रियान्वयन का गुरुत्तर दायित्व सरकार और भाषानुरागी दोनों पर ही रहेगा ।

समालोचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कोभारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा के जिस स्वरुप का कालांतर में विकास हुआ था, इस नीति को उसमें आधारभूत संशोधन करने वाले दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है ।यह नीति न केवल देश की शिक्षा व्यवस्था के संस्थागत और कार्यात्मक पक्षों में क्रांतिकारी सुधारों की रुपरेखा ले कर आयी है वरन भाषा जैसे कतिपय संवेदनशील मुद्दों पर इस नीति में काफी विचारोत्तेजक विन्दुओं को रेखांकित किया गया है । इस सब के मध्य, यह प्रश्न खड़ा होता है कि इस नीति में जिन विषयों और विन्दुओं को नीतिगत निर्णयों के रूप में क्रियान्वित करने का संकेत किया गया है, उन विन्दुओं पर क्या देश में सर्वसम्मति बनी हुई है और यदि सर्वसम्मति बनी भी है तो उनके क्रियान्वयन की जो रुपरेखा इस नीति में प्रस्तुत की गई है क्या उसके माध्यम से इस नीति के क्रियान्वयन द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सकता हैं ? उदारहण के लिए, जिस प्रकार से इस नीति के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भूमिका को अग्रणी दर्जा प्रदान किया गया है वह कई विद्वानों द्वारा चिंता का विषय माना गया है ।[9]

इसी प्रकार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शालेय विद्यार्थियों को शिक्षा देने के जिस महती उद्देश्य को इस नीति में निरुपित किया गया है वह वस्तुतः वर्तमान समय की उस वास्तविकता की अनदेखी करता प्रतीत होता है जिसमें उदारीकरण, निजीकरण औरवैश्वीकरण के दौर में भारी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं, कुछ वर्षों के लिए अपना आवास बना लेते हैं या अपने पैत्रिक गाँव या घर को छोड़कर किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ की स्थानीय भाषा उनकी मातृभाषा नहीं होती है ।इससे भी बढ़कर देश में दीर्घकाल से लागू त्रिभाषा फ़ॉर्मूले में संशोधन कर इसमें संस्कृत जैसी भाषा को प्राथमिकता के आधार पर अग्रसारित करने का प्रयत्न कतिपय लोगों द्वारा कितनी सहजता से लिया जाएगा, यह भी विचारणीय प्रश्न है ।इस नीति के कई मूलभूत सिद्धांतों से असहमत होते हुए कुछ राज्य पहले ही इस नीति को अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित न करने की घोषणा कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में इस नीति के व्यापक क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार किस तरीके का सहारा लेगी, ये तो आने वाला समय ही बतायेगा ।किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह शिक्षा नीति भी कई ऐसी संस्तुतियों और विचारों से युक्त है जिन्हें निरापद नहीं माना जा सकता है ।

निष्कर्ष

भाषा किसी भी राष्ट्र या व्यक्तियोंकी संस्कृति और साहित्य का आधार होती है और इस कारण उसे कई स्थानों पर तो राष्ट्रीय जीवन की नींव का पत्थर माना जाता है ।उदाहरण के लिए, अधिकतर यूरोपीय राष्ट्रों का निर्माण उनकी भाषायी अस्मिता के आधार पर ही हुआ है ।इस दृष्टि से भारत जैसे देशों में भाषा के विषय की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब एक ओर कई भाषाओं के ऊपर विलोपन का खतरा मंडरा रहा हो और दूसरी ओर कुछ भाषाएँ लोगों के मध्य राग और द्वेष का कारण बनने लगती हों ।[10] ऐसी असहज परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे सुविचारित दस्तावेज की अत्यधिक आवश्यकता अनुभूत होती है जो इन सब विषयों पर एक निश्चित और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति कर सके।इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुप्रतीक्षित दस्तावेज है जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त भारतीय भाषों के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के विषय में विस्तृत विवेचन और भविष्य की रुपरेखा प्रस्तुत की गई है ।इस नीति में प्रथम बार भाषा विषयक चिंतन इस दृष्टि के साथ समग्रता में प्रस्तुत किया गया है कि भारत की आने वाली पीढ़ियों का कल्याण उनकी अपनी मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन में है न कि पश्चिमी भाषाओं के अन्धानुकरण में ।यद्यपि इस शिक्षा नीति में व्यक्त भाषा विषयक विचारों से सबका सहमत होना संभव प्रतीत नहीं होता है तथापि इस नीति की बातें और रुपरेखा काफी हद तकभारत को शिक्षा की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिला पाएगी और भारतवासियों में विलुप्त 'स्व' की यशस्वी भावना का जागरण कर पाएगी, ऐसी अपेक्षा इस नीति से तो की ही जा सकती है ।

संदर्भ

---

[1]श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: न भूतो न भविष्यति', *लोक प्रशासन,* खंड-13, अंक-2, जुलाई-दिसम्बर, 2021, पृ. 3

[2]रमेश नारायण, *भारतीय भाषाएँ,* नयी दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1994, पृ. 26

[3]जे. सी. अग्रवाल, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, नयी दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, 2009, पृ. 114

[4]भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020*, नयी दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2020, पृ. 87

[5]वही

[6] वही

[7]वही, पृ. 89

[8]वही, पृ. 91

[9]राजेंद्र कुमार पाण्डेय, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निजीकरण की चुनौतियाँ', *लोक प्रशासन,* खंड-13, अंक-2, जुलाई-दिसम्बर, 2021, पृ. 51-52

[10]राम विलास शर्मा, *भारत की भाषा समस्या,* नयी दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2009 (मूल प्रकाशन वर्ष – 1978), पृ. 58

31.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. शिवानी जॉर्ज
एसोसिएट प्रोफ़ेसर हिंदी विभाग
श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राचीन भारतीय शिक्षण परम्पराएं और बौद्धिक धरोहर अत्यंत समृद्ध रही हैं | हमें सहस्रों वर्ष के क्रम में संजोई गई अपनी उन्नत ज्ञान प्रणालियों पर गर्व है | विष्णु पुराण में कहा गया है - 'सा विद्या या विमुक्तये', अर्थात विद्या वही है जो मुक्तिदायिनी हो | भारत में ज्ञान की ऐसी जीवंत मौखिक परम्पराएं और शताब्दियों के दौरान विकसित ज्ञान-सरणियाँ हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी संतरित होती रहीं | भारतीय ज्ञान परिपाटियों की तुलना विश्व के अन्य भागों में प्राप्त सरणियों से करते हुए हम इसके लोकतान्त्रिक स्वरुप से अभिभूत हो जाते हैं, जहाँ 'शास्त्र' और 'लोक' एक-दूसरे को समृद्ध करते चलते हैं | हमारी शिक्षा पद्धितियां शिक्षार्थी को एक विवेक-सम्मत मनुष्य के रूप में ढालने की हामी रही हैं | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हुए उसे आत्म-गौरव युक्त सामाजिक इकाई के रूप में विकसित करना है |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कथित है कि 'ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परम्परा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था | प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था |'1

एक विद्यार्थी को सही मायने में शिक्षित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केन्द्रीय विचार है | यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है | इससे पूर्व सन 1968 और 1986 में देश की शिक्षा नीतियां लागू हुई थीं | अपनी पूर्ववर्ती शिक्षा नीति के लागू होने के 34 वर्षों के उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हमारे समक्ष आई है, जिसे पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्मित किया गया |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य भारत की समृद्ध और गौरवशाली ज्ञान परंपरा को रेखांकित करते हुए वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ना है | प्रो. गिरीश्वर मिश्र लिखते हैं कि 'भारत सरकार की नयी शिक्षा नीति 21 वीं सदी के 'भारत केन्द्रित' और 'जीवंत ज्ञान समाज' के निर्माण के संकल्प के साथ प्रस्तुत हुई है |'2 इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमता को पहचानते हुए उसके विकास, बुनियादी साक्षरता पर बल, शिक्षा के लचीलेपन, बहु-विषयकता युक्त समग्र शिक्षा का

विकास, तोतारटंत पद्धति के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर जोर, तार्किक विश्लेषण शक्ति एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों (ड्रॉपआउट) की संख्या को कम करते हुए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच का प्रयास करना, शिक्षार्थी के भीतर नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास, भारतीय जड़ों और गौरव से संयुक्तता, भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति पर विशेष बल, बहुभाषिकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्तरीय शोध के विकास का प्रयास, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास, सतत संकाय संवर्धन एवं सक्षम संकाय की नियुक्ति, तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा, विद्यार्थी के भीतर बेहतर समझ को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सतत मूल्यांकन पर बल, प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने का अवसर प्रदान करना आदि शामिल हैं |

इस नीति के माध्यम से देश में प्रथम बार मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है, उच्च शिक्षा के स्तर पर बहु-विषयक पद्धति की चर्चा की गयी है । इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा (मातृभाषा) को स्वीकार किया जाए । इससे भारतीय भाषाओं के विकास और संवर्धन के नए आयाम खुलेंगे । स्नातक स्तर पर कौशल आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान पर जोर देने की बात भी इसमें शामिल है और उच्च शिक्षा में स्तरीय अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एन.आर.एफ़) की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि शोध एवं अनुसन्धान की संस्कृति एवं बहुविषयक समवेशीकरण को विस्तार दिया जा सके।

संस्थागत स्वायत्तता को मजबूती प्रदान करते हुए भारत को एक वैश्विक अध्ययन क्षेत्र के रूप में उभारने का प्रयास भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित है, जहाँ देश की मेधा विदेशों में महँगी शिक्षा पाने के स्थान पर यहीं कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण उत्तम शिक्षा पा सके । अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान यहाँ अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किए जाएँगे | एक अकादमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा और क्रेडिट हस्तांतरण के प्रावधानों को शुरू करके शिक्षा को आधुनिक, लचीला एवं गतिशील बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएँगे | भारतीय विश्वविद्यालय भी दूसरे देशों में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने और उनके विकास की दृष्टि से अनूठी है | ऐसा नहीं है कि इससे पहले की शिक्षा नीतियों में भाषाओं को लेकर चर्चा नहीं हुई, परन्तु भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं से संबंधित इतनी विशद योजना नहीं मिलती | 1968 में आई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फ़ॉर्मूले और 14 वर्ष तक के शिक्षार्थी को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात तो की गयी, परन्तु से अंग्रेजी के पांव भारतीय शिक्षण परिदृश्य में बड़ी मजबूती से जम गये, उसकी अघोषित वरीयता स्थापित हो गयी | 1986 की शिक्षा नीति के समक्ष तेज़ गति से परिवर्तित होते विश्व से कदमताल करने और आगामी शताब्दी की तैयारी की चुनौतियाँ रहीं | इस नीति में भाषा को लेकर उस प्रकार चर्चा नहीं मिलती | अलबत्ता, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने एवं उच्च शिक्षा के वृत्त-विस्तार की बात यहाँ मिलती है | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'भारतीय भाषाओं,

कला और संस्कृति के संवर्द्धन' पर विशद चर्चा की गयी है और इस मायने में यह अपनी पूर्ववर्ती नीतियों से भिन्न और विशिष्ट है |

भारत विविधताओं में एकता का देश है । यहां की संस्कृति सामासिक है और यह भाषाओं का महासमुद्र है | संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं के अतिरिक्त अनेक भाषाएं और अधिसंख्य बोलियां यहां के भाषाई वैभव को द्विगुणित कर रही हैं | शिक्षण-अधिगम की दृष्टि से भी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है | भाषा वस्तुतः संस्कृति की वाहिका है | भाषा के अभिलक्षणों पर विचार करते हुए डॉ. भोलानाथ तिवारी 'सांस्कृतिक प्रेषणीयता' की बात करते हैं क्योंकि भाषा 'संस्कृति के साथ-साथ, उसके एक अंग रूप में सीखी जाती है |'3 वह न केवल मनुष्य को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, बल्कि उसके जातीय स्वाभिमान और आत्माभिमान को रेखांकित भी करती है | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट उल्लेख है कि 'भाषा निस्संदेह संस्कृति से अटूट रूप से जुडी हुई है | विभिन्न भाषाएँ दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है|'4

मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है | अरस्तू के कथनानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | अर्थात है तो वह प्राणी ही, परंतु उसकी सामाजिकता और उसका विवेक उसे अन्य प्राणियों से पृथक करते हैं | सामाजिकता के निर्माण और संवर्द्धन में संप्रेषण की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता | भाषा संप्रेषण का एक बेहद असरदार माध्यम है | यह असर और भी गहरा हो जाता है जब वह भाषा मातृभाषा, मां-भाषा हो | परस्पर संवाद के माध्यम से सम्प्रेषण संभव हो पाता है | 'भाषा संवाद में जन्म लेती है | संवाद के बिना समाज भी नहीं बन सकता न उसका काम ही चल सकता है | इसलिए समाज भाषा को जीवित रखने की व्यवस्था भी करता है | इस क्रम में भाषा का शिक्षा के साथ गहरा सरोकार बन जाता है |'5

श्रवण एवं अनुकरण के द्वारा जीवन के आरंभिक चरण में बालक मातृभाषा को आत्मसात करता चलता है | वह मां के दूध और पिता के नेह की तरह उसकी रगों में बहने लगती है | मातृभाषा उसकी ज़बान ही नहीं, उसकी सोच और अंतरात्मा का अंग बन जाती है | हिंदी की ख्यातनाम कवयित्री अनामिका लिखती हैं -

'आठवीं कक्षा में ही छूट गयी हिंदी
और कलम को मुंहलगी हो गयी एक ऐसी भाषा
जो दूर-दूर तक किसी की नहीं थी
'माय-गॉड', 'शट-अप' और 'यस-नो' से रंगी हुई यह भाषा
आवेदन तो अच्छे लिख सकती थी
पर माँ को चिट्ठी कैसे लिखती?
माँ वाली चिट्ठी की भाषा
सपनों की भाषा हो सकती थी, या फिर स्मृतियों की ...'6

अपनी सभ्यता और देश-काल की स्मृतियों से कट जाना, पीढ़ियों के सपनों से दूर हो जाना न व्यक्ति के लिए हितकर होगा और न वृहत्तर समाज के लिए| इन पंक्तियों की चिंता अपनी भाषा में केवल माँ को चिट्ठी न लिख सकने की नहीं है, इसकी चिंता मनुष्य के सामाजिक संबंधों के खोखले होते चले जाने की है | यह सच है कि वर्तमान में पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी आठवीं कक्षा के बाद प्रायः हिंदी नहीं पढ़ते; फ्रेंच या कोई अन्य भाषा चुन लेते है | उपर्युक्त पंक्तियों में 'हिंदी' यहाँ तमाम मातृभाषाओं का दुःख बयान कर रही है | भाषा केवल शिक्षा के माध्यम का मसला न होकर संस्कृति और विरासत का मसला भी है|

भारत के बहुरंगी भाषाई परिदृश्य के सौंदर्य का अवलोकन करते हुए इस तथ्य की ओर से आंखें मूंद लेना ठीक न होगा कि आज न जाने इसकी कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं, कितनी तो विलुप्त हो चुकी हैं | पिछले पांच दशकों में लगभग 220 भाषाओं को खो देना और अनेक लिपि रहित भाषाओं का विलुप्ति की कगार पर खड़े होना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक मुख्य चिंता है| यही नहीं, भारत की 197 भाषाएँ यूनेस्को की लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में हैं| अनेक आदिवासी भाषाओं के साथ यही हुआ | पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता चाहे किसी भी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों, उन्हें अपने बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर अभिमान होता है, कदाचित वे समझते हों कि संस्थान द्वारा फीस के रूप में ली जा रही रकम सार्थक सिद्ध हो रही है | लेकिन गहराई से देखें तो माजरा कुछ और ही समझ में आता है | ये विद्यार्थी अनजाने ही अपनी जड़ों से दूर होते जाते हैं | उनके विचार और व्यवहार पर इसका प्रभाव लक्षित होता है| इस सांस्कृतिक क्षरण के दूरगामी परिणाम से चिंतित होने की बजाय उनके मां-बाप निहाल हैं कि बेटा 'पोयम' पढ़ रहा है| एक भाषा का खो जाना दरअसल अस्मिता के खो जाने का प्रश्न है| इस सत्य का बयान प्रसिद्ध आदिवासी कवयित्री सरिता बड़ाईक की कविता करती है -

'झारखंडी मान की
किसी को नहीं
सुध
बेटे की 'पोयम' सुन
रीझते दीवाने
कहते
'नागपुरी बोलोगे तो
बन जाओगे गँवार'7

अपने पुरखों की भाषा से दूर होने का दुःख मनाने की बजाए पोयम सुनकर आनंदित होते माता-पिता आज घर-घर में मिल जाएँगे, जिनका अटल विश्वास है कि अंग्रेजी में दक्ष हुए बिना कोई निस्तार नहीं, कोई भविष्य नहीं| यह वह अदृश्य औपनिवेशिक भार है, जिसे हम ढोए चले जा रहे हैं| इस सन्दर्भ में प्रो. गिरीश्वर मिश्र लिखते है कि, 'आखिर भाषा का जन्म और पालन-पोषण समाज की परिधि में ही

होता है, अतएव शुरू में ही अंग्रेजी के भाषाई संस्कार यदि अंग्रेजी संस्कृति को भी स्थापित करते चलते हैं तो यह स्वाभाविक ही है| भाषा और संस्कृति के बीच सहज आवा-जाही होती है और अपरिपक्व मति के छोटे बच्चे के लिए संस्कृति और ज्ञान की भाषाओँ के बीच महीन भेद करना सुकर नहीं होता| ऊपर से ज्ञान की भाषा की श्रेष्ठता स्वतः स्थापित हो जाती है , अतः हर कीमत पर मातृभाषा की जगह अंग्रेजी की ही जय होती है|'8

मातृभाषा को अपनाने का एक प्रबल पक्ष यह भी है कि किसी विषय या अनुशासन को सीखते समय विद्यार्थी को अपना सारा ध्यान संकल्पनाओं और अवधारणाओं को समझने पर केन्द्रित करने का अवसर मिलेगा | विषय के साथ-साथ एक नई भाषा सीखने की चुनौती उसके सामने न होगी| वह पहले से ही जानी-पहचानी भाषा में एक नवीन विषय को सीखेगा | इससे उसके अधिगम की गति तीव्र होगी, सीखने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण अपेक्षाकृत आसान होगा और उसकी ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा | इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आरंभिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया गया है |

प्रयोगबहुलता को भाषा का एक लक्षण माना गया है, अर्थात, भाषा किताबों के पन्नों के भीतर कोई स्थावर वस्तु नहीं, एक जीवंत इकाई है| अपने प्रयोक्ता के माध्यम से उसका संवर्धन होता है, वह नित नई होती चलती है| नई संकल्पनाओं के लिए नए शब्द गढ़े जाने पर उसके शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है, वह प्रयोग के द्वारा मंजकर, निखर कर नवीना हो जाती है| साधारण शब्दों में कहें तो किसी भाषा को जितना अधिक व्यवहार में लाया जाता है, जितना बरता जाता है, वह उतनी ही सक्षम और दीर्घायु होती है| हमारे सामने ऐसी कई भाषाओं के उदाहरण है जो सैद्धांतिक और व्याकरणिक रूप से बेहद सटीक है, परंतु उनके बोलने वालों की संख्या निरंतर घटती जाने के कारण आज भी वे लिखित रूप में तो बहुत समृद्ध परंपरा के साथ उपस्थित हैं, परंतु दैनंदिन जीवन में बोलचाल में उनका प्रयोग बहुत कम होता है...न के बराबर|

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कहा था -

"निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल"

अगर अपने देश और परिवेश की भाषाएँ शिक्षा का माध्यम होंगी तो निश्चय ही उनके प्रयोक्ता-वर्ग का दायरा बढ़ेगा | इससे एक ओर भाषा की शिराओं में प्रवाह बना रहेगा तो दूसरी ओर शिक्षार्थी अपनी भाषाओं के माध्यम से अपने सांस्कृतिक और अस्मितामूलक परिदृश्य से जुड़े रहेंगे |

स्वतंत्र भारत की भाषिक नीति पर चर्चा करते हुए यह तय किया गया था कि सन 1965 तक हिंदी को इतना सक्षम बना लिया जाए कि अंग्रेजी पर निर्भरता की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो जाए| लेकिन ऐसा हो न सका और आजादी के 74 वर्ष बाद भी अनेक शासकीय-प्रशासकीय एवं शैक्षणिक कार्य अंग्रेजी में होते रहे हैं| कारण जो भी हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कही हुई बात यहां याद आती है | नई पीढ़ियों का अपनी भाषा, परिवेश और सांस्कृतिक विरसे से दूर होते चले जाना हम देख ही रहे हैं | यदि समग्र दृष्टि से देखें तो स्थिति की गंभीरता का हमें अनुमान हो जाएगा|

एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता के उपरांत प्रायः सात दशकों की अवधि में भारत ने विश्व मानचित्र पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है| अमेरिका हो या यूरोप का कोई भी देश, बड़ी संख्या में चिकित्सक,

इंजीनियर, कंप्यूटरवेत्ता, प्रबंधन विशेषज्ञ जैसे भारतीय उद्यमी और प्रोफेशनल कार्यरत हैं | बहुत संभव है कि इनमें से अधिकांश की शिक्षा अपनी माँ-भाषा में होने की बजाए अंग्रेजी माध्यम से हुई हो या शिक्षण-अधिगम की भाषा के रूप में सायास अंग्रेजी को इन्होंने सीखा हो | यहाँ हम ब्रेन-ड्रेन की समस्या को भी देख सकते हैं | अपने ही देश में अपेक्षाकृत कम खर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपनी भाषा में मिलना सुलभ होने पर इस चुनौती का भी सामना किया जा सकेगा |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को लेकर जो भी योजनाएं है, उनका सुचारू क्रियान्वयन किस प्रकार हो सकेगा, वास्तविक मुद्दा यह है| शिक्षा और भाषा का चोली दामन का साथ है | विषय अथवा अनुशासन कोई भी हो, भाषा तो आवश्यक है | अतः शिक्षारम्भ से लेकर उच्च और उच्चतर शिक्षा के समस्त सोपानों पर भाषा सम्बन्धी चुनौतियाँ पेश आएंगी | शिक्षा एवं शिक्षण-सामग्री के परिवर्तित स्वरूप को भी ध्यान में रखना होगा | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार करते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिगम संबंधी प्रिंट एवं ई-सामग्री, पाठ्य-पुस्तके, अभ्यास-पुस्तकें, विडिओ, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाओं आदि के सतत प्रवाह को बनाए रखने पर बल दिया गया है| यह कहा गया है कि 'अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और/या कार्यक्रमों को द्विभाषिक रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात, दोनों में बढ़ोत्तरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग और जीवंतता को प्रोत्साहन मिल सके; मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा |'9

यह भी आवश्यक समझा गया है कि भारतीय भाषाओँ में शब्दकोशों और शब्द-भंडारों का नियमित संवर्द्धन एवं अद्यतनीकरण किया जाए ताकि युगीन समसामयिक अवधारणाओं पर बात-चीत सुलभ हो सके | साथ ही बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से त्रिभाषा फ़ॉर्मूले का जल्दी क्रियान्वयन, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद और विवेचना के कार्य की गति तेज़ की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा की सामग्री सहज ही इन भाषाओं में उपलब्ध हो सके | इसके लिए इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी | शास्त्रीय भाषाओं के पठन-पाठन का विस्तार करते हुए कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्र में रोज़गार के गुणवत्तापूर्ण अवसर पैदा किए जाएँगे | आदवासी एवं लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन के नवीन प्रयास किए जाएँगे | भारत की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करने की बात भी इस नीति में है | भारतीय भाषाओँ में शब्दकोशों के निर्माण तथा उनकी प्रिंट एवं ऑनलाइन, दोनों रूपों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी |

प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण जिस उद्देश्य और संकल्प के साथ किया गया है, उससे भारत का भविष्य उज्जवल होगा, विद्यार्थी एवं अध्येता अपनी जातीय और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सकेंगे, सही मायने में ज्ञान प्राप्त कर कर सकेंगे |

सन्दर्भ-सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ-4, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

2. गिरीश्वर मिश्र, कंचनजंघा पत्रिका, जुलाई2020-दिसंबर-, आलेख - नई शिक्षा नीति : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, पृष्ठ-69 - URL: http://www.kanchanjangha.in/wpcontent/uploads/2021/04/10%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%88%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF.pdf

3. डॉभोलानाथ तिवारी ., भाषाविज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद-अड़तालीसवां संस्करण ,2004 , -पृष्ठ13
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ-87, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. गिरीश्वर मिश्र, कंचनजंघा पत्रिका, जुलाई2020-दिसंबर-, आलेख - नई शिक्षा नीति : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, पृष्ठ-66 - URL: http://www.kanchanjangha.in/wpcontent/uploads/2021/04/10%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%88%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF.pdf
6. https://www.geeta-kavita.com/poems/nostalgia-poems/matrbhasha-anamika/
7. नन्हें सपनों का सुख, सरिता बड़ाइक, प्रकाशक-रमणिका फाउंडेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण -2013, पृष्ठ- 25

8. गिरीश्वर मिश्र, कंचनजंघा पत्रिका, जुलाई2020-दिसंबर-, आलेख - नई शिक्षा नीति : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, पृष्ठ-62 - URL: http://www.kanchanjangha.in/wpcontent/uploads/%10/04/2021E%0A%4B2%E%0A%87%5E%0A%96%4E%0A%97%4E%0A%4BF%E%0A%4B%0E%0A%80%5E%0A%4B%6E%0A8%5D%E%0A%4B%5E%0A%4B%0E%0A%4AE%E%0A%4BF%E%0A%4B%6E%0A8%5D%E%0A%4B%0E%0A4%A%8E%0A%88%4E%0A%4B%6E%0A%4BF%E%0A%95%4E%0A8%5D%E%0A%4B%7E%0A%4BE%E%0A%4A%8E%0A%80%5E%0A%4A%4E%0A%4BF.pdf
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ-89 , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

© भारत सरकार
Government of India

ISSN : 2321-0443
UGC care List Journal

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: +91-11-26105211
वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
West Block-7, Ramakrishnapuram, Sector-1
New Delhi-110066
Telephone : +91-11-26105211
Website : www.cstt.education.gov.in